खण्ड-397, अंक-8
मंगलवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1912
(10 जुलाई, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1-2
प्रश्नोत्तर	3-99
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	99-100
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ..	101-102
जनपद बांदा के अतर्रा कस्बे में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
जनपद शाहजहांपुर में पेड़ पौधों के अवैध कटान से विलुप्त हो रहे पशु-पक्षियों तथा पेड़ों की सुरक्षा की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102-103
जनपद फैजाबाद के अमानीगंज बाजार-मिल्कीपुर-इकौली लोक निर्माण विभाग की सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
जनपद बरेली के भोजीपुरा औद्योगिक इकाई को नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना ..	103
लखनऊ जनपद में राजा बिजली पासी के किला को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
सरयू नहर परियोजना नवम् मंडल सिंचाई कार्य, बहराइच के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104-105
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (जारी) ..	105
नगर विकास बजट पर कटौती हेतु प्रस्तावक को न पुकारे जाने तथा प्रश्नों के सही उत्तर न आने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .	106-109
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक, 1990 ..	109-111
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के किये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 88---सामान्य प्रशासन विभाग (जारी) ..	111-158
जनपद आजमगढ़ को नया मंडल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	158-161
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	162
इक्यूपमेंट आफ साइंस एजूकेशन इन स्कूल योजना के अन्तर्गत हाई स्कूल/इंटर कालेजों के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों के क्रय में घांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	162-166
अंशकालिक नलकूप चालकों को न्यायोचित मांगों की शासन द्वारा उपेक्षा किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	166-167
सप्लिया ..	169-174

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अनिल कुमार सिंह यादव, श्री (एटा)
अरविन्द कुमार, श्री (ललितपुर)
अरिदमन सिंह, श्री (आगरा)
करन चन्द्र सिंह, श्री (नैनीताल)
काजी मो० मोहीउद्दीन, श्री (हरिद्वार)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
गंगाभक्त सिंह, श्री (हरदोई)
गणेश दीक्षित, श्री (कानपुर)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गोपाल रामदास, श्री (अल्मोड़ा)
चन्द्र विजय सिंह, श्री (मुरादाबाद)
चरण सिंह, श्री (मेरठ)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तीरथ राज, श्री (सोनभद्र)
दौलतराम, श्री (बदायूं)
नारायण दत्त तिवारी, श्री (नैनीताल)
निरवेन्द्र कुमार, श्री (खीरी)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री (बरेली)
बलवीर सिंह, श्री (टिहरी गढ़वाल)
बल्देव सिंह, श्री (बिजनौर)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
भगवान सिंह शाक्य, श्री (बदायूं)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
मास्टर कंवर पाल, श्री (सहारनपुर)
मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मोहम्मद अस्लम खां, श्री (सहारनपुर)
मो० रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री (गाजीपुर)
राजा मो० अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेश्वर बंसल, श्री (मुजफ्फरनगर)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
राम सिंह सैनी, श्री (हरिद्वार)
राम सेवक सिंह, श्री (बदायूं)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रेशमा आरिफ, श्रीमती (कानपुर)

विशुन दयाल, श्री	(बहराइच)	सियाराम सागर, डा0	(बरेली)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	(सीतापुर)	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	(गाजियाबाद)
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	(एटा)	हर नारायण सिंह, श्री	(राय बरेली)
वीरेन्द्र सिंह, श्री	(मुजफ्फरनगर)	हरवंश कपूर, श्री	(देहरादून)
श्री राम चौहान, श्री	(बस्ती)	हाजी मो0 वसीम, श्री	(रायबरेली)
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	(खीरी)		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी सेवाओं में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों पर नयी नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

**1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सेवाओं में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों में 5 प्रतिशत की कमी करने तक नयी नियुक्ति पर रोक लगाने के बजाय अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रेणी एक और श्रेणी दो के पदों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने और श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 के पदों से इस प्रतिबन्ध को उठाने के बारे में सरकार पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

सीधी भर्ती से की जाने वाली सभी श्रेणियों की नई नियुक्तियों (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 को सम्मिलित करते हुए) पर लगाई गई सामान्य रोक को हटाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिष्ठान व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । अतः मितव्ययिता की दृष्टि से सभी श्रेणी की नई नियुक्तियों पर 5 प्रतिशत की कमी करने के आदेश लागू हैं । इस प्रतिबन्ध को केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विषय में समाप्त करके स्थिति को एकांगी बनाना उचित न होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, उत्तर में यह कहा गया है कि अधिष्ठान व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है इसलिए इस प्रतिबन्ध को हटाना सम्भव नहीं है । मान्यवर, एक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पर जितना व्यय आता है उतने व्यय में श्रेणी 3–4 के 10 लोगों को नियुक्त किया जा सकता है । अभी बीसियों आई० जी० के पद सृजित किये गये हैं, उनकी जगह श्रेणी 3 व 4 के कई लोगों को नियुक्त किया जा सकता था । इन्हीं विसंगतियों के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । इसलिए इस सुझाव को मानने में क्या कठिनाई है कि संवर्ग 1 और 2 में 5 प्रतिशत की कमी कर दी जाय ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी अर्थ के हिसाब से तो अपनी बात सही कह रहे हैं, किन्तु जो प्रशासनिक ढांचा इस समय है उसमें यह सम्भव नहीं है । कितने आई० ए० एस० और कितने आई० पी० एस० चाहिये, वे आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं और इससे एक प्रशासनिक ढांचा बनता है उस ढांचे में यदि कोई

परिवर्तन किया जाता है तो वह कार्य की दृष्टि से सम्भव नहीं है। इसलिए सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह सम्भव नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी उस मंत्रिपरिषद् की सदस्य हैं जिसमें केवल 13 या 14 सदस्य हैं और पहले इसी मंत्रि परिषद् की संख्या 52 थी। तो 52 की जगह 13 लोगों से ही काम चलाया जा रहा है और जब यह इतने कम लोग काम कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की जो फौज है उसमें हम यदि 5 प्रतिशत की कमी कर दें तो उससे काम चलना कठिन हो जायेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यदि संवर्ग 1 और 2 में 5 प्रतिशत की कटौती की जाती है तो इससे प्रशासनिक ढांचे में कौन सी कठिनाई आ जायेगी ? वह क्यों सम्भव नहीं है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मंत्रिपरिषद् का जहां तक प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। 1 श्रेणी "क" और "ख" में 52 हजार अधिकारी हैं और श्रेणी "ग" और "घ" में 8·3 लाख पदाधिकारी/कर्मचारी हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि 5 प्रतिशत की अगर कटौती कर दी जाय तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकता है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि इसमें परिवर्तन करने से अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर करते भी हैं तो। वैसे प्रशासनिक ढांचे से भी यह सम्भव नहीं है कि इसमें परिवर्तन किया जाय। लगभग ढाई हजार लोगों का फर्क पड़ेगा। एक-एक अधिकारी 4 हजार व 8 हजार तनख्वाह पाता है। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के कुछ पदों को छोड़कर, वेतन में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। इसलिए यह सम्भव नहीं है कि हम ढांचे को भी बिगाड़ें और व्यवस्था भी न हो पाय।

श्री रविवास मेहरोत्रा—

मान्यवर, श्रेणी 1 व 2 की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, जबकि श्रेणी 3 व श्रेणी 4 की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिस प्रकार श्रेणी 3 व श्रेणी 4 की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसी प्रकार श्रेणी 1 व श्रेणी 2 की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्रेणी "क" व श्रेणी "ख" पर चयन तो दिल्ली की सरकार करती है और उसमें भी एक सीमा लगी होती है कि इतने आई० ए० एस० व आई० पी० एस० इस साल चयनित किए जायेंगे। श्रेणी "ग" व श्रेणी "घ" में चयन की दूसरी प्रक्रिया होती है। प्रतिबन्ध तो दोनों पर होता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, श्रेणी 3 व श्रेणी 4 पर रोक लगाकर बेरोजगारी की स्थिति और बढ़ गई है। चुनाव के दौरान आपकी पार्टी ने वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे। तो क्या माननीय मन्त्री जी वायदे के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए श्रेणी 3 व श्रेणी 4 पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

प्रतिबन्ध हटाने पर तो जरूर विचार हो रहा है । कल जब बात आई थी और उसमें माननीय सदस्य ने भी भाग लिया था तो अपने विभाग का बजट मैंने रोजगार सृजन को आधार शिला पर ही रखा था । मैं इतना साफ बता दूं कि सरकारी नौकरी मिलने से ही बेरोजगारी हटने वाली नहीं है । हम कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी को हटाने के लिए दूसरे तरीके निकाले जायं ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, दो सप्ताह पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री अनुग्रह नारायण सिंह के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि हम प्रतिबन्ध हटा देंगे । अब प्रतिबन्ध को न हटाये जाने के क्या कारण हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बी० डी० ओ०, परगना हाकिम, सी० डी० ओ० और इसके अलावा अन्य जगहों पर कहीं-कहीं तो दो आई० ए० एस० रखे जा रहे हैं और पी० सी० एस० कम हो गये हैं । तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से यह सिफारिश करेगी कि कुछ समय के लिए आई० ए० एस० की ट्रेनिंग रोक दी जाय ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जहां तक आई० ए० एस० का प्रश्न है, यह भारत सरकार का विषय है इस पर हम लोग विचार नहीं कर सकते ।

("अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2" पुकारे जाने पर)

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, पहले मेरी बात सुन लें । जैसा कि सभी सम्मानित दल के नेताओं को विदित है, कल रात माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रात को 8 बजे एक बैठक हुई, जिसमें सब सम्मानित दलों के नेता उपस्थित थे । जो निर्णय लिये गये, उसकी प्रतिलिपि पहुंच गयी होगी । उसमें तय हुआ है कि...

(श्री पंचानन राय तथा श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ ।)

यदि आप लोग मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ?

श्री पंचानन राय—

मैंने आपसे प्रारम्भ में अनुरोध किया कि व्यवस्था देने के पूर्व सुन लें, जिस बैठक की चर्चा की, उसमें दो बातें तय हुई थीं । उसमें तय हुआ था कि मन्त्रियों से स्पष्ट उत्तर भी दिलाया जायगा । वह हिस्सा तो आपने कहा नहीं, निर्णय का आधा हिस्सा बता दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीया मन्त्री जी यदि और स्पष्ट कर सकती हों तो कर दें ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

इस पर विचार हो रहा है, 8 जून को एक शासनादेश भी जारी हुआ है जिसमें नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने के आदेश जारी हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित नीति की जानकारी

**2—श्री अनिल कुमार सिंह यादव तथा श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के आदेश से कोई नीति निर्धारित हुयी है ? यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है तथा उसका पूर्णतः अनुपालन कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी वार्षिक स्थानान्तरण नीति का मूल उद्देश्य यह है कि एक ही कर्मचारी सारे ज्ञान का एकल केन्द्र बनकर अन्य कर्मचारियों के अनुभव/संवर्धन के विकास में बाधक न बने, तथा एक ही विभाग अथवा अनुभाग में लम्बे समय तक बने रहने के परिणामस्वरूप निहित स्वार्थ, राग एवं द्वेष की प्रवृत्ति को रोका जा सके । अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक ही विभाग अथवा अनुभाग में लम्बे समय तक बने रहने के कारण सम्बन्धित प्रक्रियाओं आदि के सम्बन्ध में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली जाती है कि कमोवेश उनका उस विषय पर एकाधिकार सा बन जाता है जो प्रवृत्ति आगे चलकर स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन के हित में नहीं होता है, इसके अतिरिक्त इस वार्षिक स्थानान्तरण नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि सचिवालय में कर्मचारियों/अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग बनाया जाय जो सचिवालय में सम्पादित किए जाने वाले समस्त कार्यों को करने की दक्षता एवं क्षमता विकसित कर सके । ऐसा तभी सम्भव है जबकि कर्मचारियों के स्थानान्तरण एक समयबद्ध नीति के अनुसार विभिन्न विभागों में किए जाते रहें ।

उक्त स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है परन्तु कतिपय विभागों की विशिष्ट परिस्थितियों एवं विधान मंडल के बजट सत्र के कारण कुछ विभागों में इन स्थानान्तरण आदेशों का पालन स्थगित रखा गया है । आशा है बजट सत्र की समाप्ति के बाद इन स्थगित स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करा लिया जायेगा ।

श्री पंचानन राय—

नीति जो लिखी है काफी शिक्षाप्रद है, जानना चाहता हूं कि इस नीति के क्रियान्वयन में कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ, कितनों का उनके अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया और कितनों का विधान मण्डल का सत्र चलने के कारण स्थगित कर दिया गया ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माध्यवर, मैंने मूल उत्तर में ही कहा है कि विधान मण्डल का सत्र चलने के कारण स्थानान्तरण आदेशों पर कार्यान्वयन नहीं किया गया है । बजट सत्र समाप्त हो जाने के बाद ही उन आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

श्री पंचानन राय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने संख्या के बारे में पूछा था कि कितनों का स्थानान्तरण कर दिया गया है और कितनों का कार्य के हित में रोक दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर संक्षेप में बताना चाहें तो यह बतला दीजिये कि कितनों का स्थानान्तरण रोक दिया गया है ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

संयुक्त सचिव के चार स्थानान्तरण हुए जिसमें से तीन हट गये हैं ।

श्री पंचानन राय—

आप केवल टोटल संख्या ही बतला दें ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

टोटल संख्या तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अपने मूल उत्तर में आपने कहा है कि कतिपय विभागों को विशिष्ट परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन स्थगित कर दिया गया है । तो कृपया वह कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां हैं क्या एक या दो परिस्थितियां पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

क्योंकि बजट सत्र चल रहा है इस वजह से इन्हें रोका गया है । बजट सत्र के बाद इस प्रश्न के उठाने का औचित्य बनता था ।

श्री मुईद अहमद—

मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि वह कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अभी किया है, एक-दो के बारे में बतला दें ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

यह शासनादेश में लिखा हुआ है । अभी तो बजट सत्र चल रहा है इसलिये वित्त विभाग, गृह विभाग के स्थानान्तरण रोक दिये गये हैं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, सवाल कुछ और जवाब कुछ ?

श्री अकबर हुसैन बावर—

मान्यवर, कल मीटिंग में क्या यह भी तय हुआ था कि मंत्री लोग जवाब स्पष्ट न दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

बतलाया तो कि बजट सत्र के कारण रोक दिये गये हैं ।

श्री मुईद अहमद—

बजट सत्र के अतिरिक्त और कौन से विशिष्ट परिस्थितियां हैं ? यह मैं जानना चाहता था ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में जीप, ट्रक, मोटर साइकिल आदि की बिक्री पर, बिक्री कर की हानि के सम्बन्ध में जानकारी

*1—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के जनपदों नगरों और महानगरों में जीप, ट्रक, मोटर साईकिल आदि की बिक्री पर करीब 11 प्रतिशत बिक्री कर अदा करना पड़ता है जबकि प्रदेश की सीमा से सटे राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जनपदों, नगरों में जीप, ट्रक मोटर वाहन की बिक्री पर सबसे कम बिक्रीकर करीब 3 प्रतिशत अदा करना पड़ता है तथा ग्वालियर मेला में उक्त मोटर वाहन बिक्री पर केवल 1 1/2 प्रतिशत बिक्रीकर देय होता है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के हजारों मोटर वाहन विक्रेता ग्वालियर मेला (म0 प्र0) में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के ग्राहकों को वाहनों की बिक्री करते हैं जिससे प्रदेश को सेल्स टैक्स की भारी हानि होती है ? यदि हां, तो शासन ने इस संदर्भ में क्या कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां। 11 प्रतिशत बिक्रीकर अदा करना पड़ता है। अन्य राज्यों की सूचना उपलब्ध नहीं है जिसे एकत्र किया जा रहा है।

जी हां। यह तथ्य शासन की जानकारी में है। इस समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के नगरों में मोटर वाहन की बिक्री पर सबसे कम बिक्री कर, मेला लगा कर इस प्रकार बिक्री कर में छूट की सुविधा देते हैं और मोटर वाहन की बिक्री पर सबसे कम बिक्रीकर करीब 3 प्रतिशत ही अदा करना पड़ता है तथा ग्वालियर मेला में मोटर वाहन बिक्रीकर केवल 1 1/2 प्रतिशत ही देय होता है जब कि वहां पर उत्तर प्रदेश के लाखों रुपये के मोटर वाहन विक्रेता उक्त मेलों में उत्तर प्रदेश के ग्राहकों को वाहनों की बिक्री करते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का मेलों का आयोजन करके और शरद पूर्णिमा पर आगरा में मेला लगा कर इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगी कि इस तरह के मेले उत्तर प्रदेश में भी लगाये जांय ? आप कहीं पर लगा दें। यह सुविधा आप प्रदान कर दें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मंत्रिपरिषद् की एक उप समिति बनी हुई है, जिसमें प्रदेश के वित्तीय संशोधन बढ़ाने पर समय-समय पर विचार होता रहता है और जो माननीय सदस्य ने कहा है तो इस पर भी उसमें विचार हो जायेगा। लेकिन संसाधन बढ़ाने का जहां तक प्रश्न है, वह मेला लगाकर बढ़ाये जायें या इस प्रकार के और कोई कदम उठाये जायें। यह मंत्रिपरिषद् की उप समिति करती है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिक्री कर लगता है और यह तथ्य उनकी जानकारी में है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और

राजस्थान में 3 प्रतिशत का बिक्रीकर है और यह भी कहा है कि समस्या के निराकरण के लिये शासन द्वारा सक्रिय रुप से विचार किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि कर का रुपया जो अन्य प्रदेशों में जा रहा है और जिस कारण उत्तर प्रदेश का व्यापार चौपट हो रहा है तो क्या बिक्रीकर को अन्य प्रदेशों की भांति 3 प्रतिशत करने पर विचार करेंगी और जो विचार करने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, उस पर कब तक विचार कर लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

बिजली नहीं है, सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप माइक पर बोले ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मैंने बताया कि मंत्रि परिषद् की एक समिति है, जो वित्तीय संशाधनों को बढ़ाने पर विचार करती है और किस प्रकार से..

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कैबिनेट की एक समिति बनी हुई है, संशाधन बढ़ाने के लिये और इसमें वह विचार किया जायेगा । मैं पूंछना चाहता हूं कि बिक्रीकर कम किया जाये और ग्वालियर की तरह का मेला लगाया जाये, इस पर क्या अलग से एक समिति बनाने की कृपा करेगी और वह समिति कितने समय में अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर ग्वालियर के मेले की जानकारी मुझे भी है । वहां पर जो कर कम लगाया जाता है, उससे उनको काफी धन अर्जित होता है, लेकिन प्रत्येक प्रदेश की अपनी अपनी वित्तीय कर की योजना है, या नियमावली है कर लगाने की । अगर उन्होंने एक जगह पर कर कम किया है, तो दूसरी जगह पर कर बढ़ाया होगा । इसलिये फौरन इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री मुईब अहमद—

मैं जानना चाहता हूं कि 11 प्रतिशत की जो बिक्रीकर का नुकसान हो रहा है और उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाकर गाड़ियों की खरीद करते हैं, तो जो नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुये और 3 प्रतिशत का भी कर नहीं मिल रहा है, तो क्या आप 11 प्रतिशत के बिक्रीकर को समाप्त करेंगी ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मध्य प्रदेश सरकार ने कर कम किया है, तो कहीं दूसरी जगह पर तो बढ़ाया होगा ।

श्री मुईब अहमद—

उत्तर प्रदेश सरकार को इतना भी कर नहीं मिल रहा है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुईद अहमद--

माननीय, इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न पर 5 सप्लीमेंटरी प्रश्न हो चुके हैं । इससे ज्यादा मैं अनुमति नहीं दूंगा । अब मैं प्रश्न संख्या 2 ले रहा हूं ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय, इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें । प्रदेश का इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द किये जाने हेतु कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज देते हैं । वह समिति इसको देखेगी । कृपया बैठ जांय ।

मई/जून, 1989 में हड़ताल की अवधि में हड़ताली डाक्टरों तथा सचिवालय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन का भुगतान

*2--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अप्रैल, 1990 में प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संघ के आवाहन पर की गई हड़ताल में हड़ताली डाक्टरों का हड़ताल की अवधि का वेतन काट लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार मई/जून, 1989 में हड़ताल में भाग लेने वाले सचिवालय कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भी वेतन काटने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दिनांक 15 मई, 1989 से 12 जून, 1989 तक, की गई हड़ताल अवधि के सम्पूर्ण वेतन का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था । उक्त अग्रिम के समायोजन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । यथा निर्णय अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या हड़ताली डाक्टरों की तरह जैसे उनका वेतन काट लिया गया है, उसी तरह सचिवालय कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी, उनका भी वेतन काट लिया जायेगा ? मन्त्री जी ने इसे घुमाफिरा कर बताया कि उनको अग्रिम के रूप में वेतन दिया गया था और उसके समायोजन पर सरकार विचार कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आप स्पष्ट उत्तर दें कि वह समायोजन किस प्रकार का होगा, उनका वेतन काटकर होगा या उनकी छुट्टियां को जोड़ते हुये उनका वेतन काटा जायेगा, किस प्रकार का समायोजन करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या हड़ताली डाक्टरों की तरह से समायोजन होगा या दूसरी तरह से होगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्र—

माननीय, जैसा कि मैंने बताया कि उनको अग्रेतर वेतन मिल चुका है और उस पर अभी भी विचार हो रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हो चुकी है और आगे भी जो मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय होगा उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस समय यह हड़ताल हुई थी, मुझे ठीक याद है कि उस समय दोनों पक्षों में यह समझौता हुआ था कि कोई प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं होगी और उसका वेतन भी दे दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जो समझौता हुआ था कि कोई प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं होगी, उसी आधार पर सचिवालय कर्मचारियों को यथावत वेतन देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय, अभी प्रताड़ना का कोई प्रश्न नहीं उठता इस पर अभी विचार हो रहा है और उन्हें अग्रेतर वेतन मिल चुका है।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

माननीय, एक प्रकरण पर विचार हो गया और एक प्रकरण पर अभी निर्णय होना बाकी है। मैं जानना चाहता हूं जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि उन्होंने समझौता करके हड़ताल तोड़ दी थी और इन्होंने अपनी हड़ताल वापस ली। तो इसको देखते हुये क्या डाक्टरों को भी उस समय का वेतन देंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय, जहां तक डाक्टरों का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में फैसला हो चुका है कि उस समय का उनको वेतन नहीं दिया जायेगा।

नगर महापालिकाओं तथा पालिकाओं की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में जानकारी

*3—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को यह ज्ञात है कि नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं को 1974 में भंग करके विकास प्राधिकरणों का गठन करने, नगरीय आवास योजनाओं को संचालित करने आदि का कार्य विकास प्राधिकरणों को दे दिया गया था ? यदि हां, तो अब उपरोक्त स्वायत्तशासी संस्थाओं का पुनर्गठन हो जाने के बाद मकानों के नक्शों को पास करने, शहरों में आवासीय प्रबन्ध करने आदि का कार्य पुनः इन संस्थाओं को वापस करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या मन्त्री जी नगर महापालिकाओं तथा पालिकाओं की आय बढ़ाने का साधन पूर्ववत् उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री विक्रम सिंह)—

जी नहीं।

नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं को भंग करके नहीं अपितु उत्तर प्रदेश नगर योजना तथा विकास अधिनियम, 1973 के अधीन सुनियोजित विकास के उद्देश्य से समय-समय पर विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर महापालिकाओं तथा पालिकाओं के आय के स्रोत बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमानुसार सम्बन्धित नगरपालिकायें एवं महापालिकायें स्वयं सक्षम हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, 1973 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं को भंग कर उनके नगर विकास के काम जैसे मकानों या अन्य योजनायें विकास प्राधिकरणों का गठन कर उनको दे दिया उसके बाद आज तक जितने भी मकान या भूमि आदि के नक्शों सम्बन्धी कार्य हैं वह विकास प्राधिकरण कर रहे हैं । अभी बहुत दबाव के बाद पिछले वर्ष नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं का पुनर्गठन किया गया लेकिन उनके यह जो मुख्य कार्य थे उनको नहीं सौंपा गया । इसी सम्बन्ध में मेरा प्रश्न था कि जब नगरपालिकाओं या महापालिकाओं का पुनर्गठन हो गया है, तो जो उनके पूर्व के कार्य थे...

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न समझ लिया है आप प्रश्न करिये ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

उन्होंने उत्तर में गुमराह किया है उन्होंने कहा है भंग करके नहीं अपितु नगर योजना तथा विकास अधिनियम, 1973 के अधीन सुनियोजित विकास के उद्देश्य से समय-समय पर विकास प्राधिकरणों का गठन किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इनको शक्तिशाली बनाने के लिये पुनः विकास प्राधिकरण और जल संस्थान को जो कार्य दिये गये हैं इनको देने का काम करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने उत्तर में स्पष्ट बात कही है नगर महापालिकाओं को भंग करने और विकास प्राधिकरण बनाने की जो बात है इससे उनका कोई मतलब नहीं है । उत्तर प्रदेश नगर योजना तथा विकास अधिनियम, 1973 में बना हुआ है और नगर पालिकायें बहुत बाद में भंग हुई और अब उनके चुनाव भी हो गये हैं । वह सक्षम हैं अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने के लिये उसमें किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं हुआ है । यह 1973 का अधिनियम है जिसके तहत विकास प्राधिकरण को काम दिये गये हैं और जहां-जहां लागू है वह अलग-अलग समय में अलग-अलग स्थानों में लागू है । नगरपालिकाओं का अपना काम है और इनका अपना काम है । जहां तक इनके विकास सम्बन्धी कार्य हैं नक्शा पास करने का काम विकास प्राधिकरण कर रहे हैं । विकास प्राधिकरण नगरपालिकाओं के क्षेत्र के अन्दर हो उनका कार्य सीमित नहीं है सीमा के अन्दर भी उनका कार्य है और उससे बाहर भी । जहां तक आय के स्रोत बढ़ाने की बात है उनके पास तमाम अधिकार हैं जिनसे वह अपनी आय बढ़ा सकते हैं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में जैसा कहा गया कांग्रेस सरकार के जमाने में बहुत दिनों तक चुनाव नहीं कराये गये लेकिन बाद में महापालिकाओं और

नगरपालिकाओं के चुनाव करा दिये गये । उसके बाद विकास प्राधिकरण और नगर-पालिकाओं के प्रशासनिक अधिकारी और उप-प्रशासनिक अधिकारी एक ही होते हैं । विकास प्राधिकरणों का कार्य उनके अधीन कर दिया गया है । जैसा मन्त्री जी ने कहा विकास प्राधिकरणों का कार्य अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

शासन ने नक्शा आदि पास करने का काम विकास प्राधिकरणों को दे दिया । तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा है विकास प्राधिकरणों को जो कार्य दिया गया है क्या उसको नगरपालिकाओं को देने का काम करेंगे और विकास प्राधिकरणों को महापालिकाओं के अधीन करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी नहीं ।

श्री किशन गोपाल—

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि नगरपालिकायें और महापालिकायें अपनी आय बढ़ाने के लिये खुद ही सक्षम हैं । नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की आय बढ़ाने का जरिया एक ही था और वह थी चुंगी लेकिन वह 1 अगस्त, 1990 से समाप्त हो रही है जिससे नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों का वेतन बंटना मुश्किल हो जायेगा । इसलिए जानना चाहता हूं कि उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, जो अधिनियम है उसके तहत अध्याय 9 धारा 172 के नियम 1 (क) से देखें जिसमें तमाम आय के स्रोत बढ़ाने के लिए साधन दिए गये हैं जिनका उपयोग नगर महा पालिकायें और नगर पालिकायें कर सकती हैं । यदि स्वेच्छा से उपयोग उसका नहीं कर रही है तो शासन इसके लिए किसी तरह दोषी नहीं है । इसलिये उनके पास अधिकार हैं जिसके तहत वह आय का स्रोत बड़ा सकती है । जहां तक चुंगी के लिए कहा तो आपके दल ने भी मांग किया था ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय, उत्तर दिया कि नगर महा पालिकाओं के पास तमाम स्रोत हैं लेकिन वह भी किसी क्षेत्र में रहते होंगे और जानते हैं कि पालिकाओं के पास असीमित अधिकार नहीं है और आय के स्रोत भी कम हो गये हैं जिससे सारी नगर पालिकायें ऐसी स्थिति में आ गयी हैं कि 1973 के भांति अधिकारियों को वह सौंप दी जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय, जैसा श्री विद्यार्थी जी ने कहा कि नगरपालिका और विकास प्राधिकरण की सीमाओं में और कार्य क्षेत्र में अन्तर है लेकिन उप मुख्य नगर अधिकारी और उपा-ध्यक्ष एक साथ काम देखते हैं, इसलिए क्या इनको अलग-अलग करेंगे जिससे नगरपालिकायें अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय, नगर महापालिकाओं के चुनाव हो गये हैं और चुनी हुई बाडी सर्वोच्च है और अधिकारी तो उनके आदेशों का पालन करने के लिये होते हैं, तो इसमें किसी तरह का दुराव आ रहा है यह बात शासन के संज्ञान में नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जनपद के तहसील खजनी के कतिपय गांवों में ओलावृष्टि तथा अहेतुक सहायता के सम्बन्ध में जानकारी

* 1--श्री मारकण्डेय चन्द्र--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील खजनी के 124 गांवों में 20 फरवरी, 1990 को ओला प्रभावित परिवारों को राजस्व अनुभाग-10 के राजाज्ञा सं0 4360/1-10-86, दिनांक 23 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के आधार पर अहेतुक सहायता प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सहायता कब तक दे दी जायेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री राम शरण)--

गोरखपुर जनपद के तहसील खजनी के 124 ग्रामों में 20 फरवरी, 1990 को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को राजाज्ञा सं0-4360/1-10-86, दिनांक 23 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता, मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर अनुमन्य न होने के कारण अहेतुक सहायता नहीं दी गई ।

क्योंकि ओला वृष्टि से किसानों के सम्मुख तत्काल भुखमरी की समस्या नहीं थी।

उपरोक्त स्थिति में सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

माननीय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि शासन जो राजाज्ञा जारी करता है उसको यह अधिकारी कितना तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकालते हैं माननीय, जिस संबन्धित राजाज्ञा की बात की कही गयी है, वह मेरे सामने है, मैं आपकी आज्ञा से इसे पढ़ना चाहता हूं...।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसका सिर्फ सार बता दीजिए, आपकी बात को मान लिया जायेगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

एक लाइन इसमें है--प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता और उस- सहायता के अन्तर्गत अहेतुक सहायता प्रत्येक प्रभावित परिवार को 500 रु0 देनी है । मंत्री जी ने लिखा है कि भुखमरी की समस्या नहीं है । तो यह सहायता सबको देनी थी और उन्हें भी देनी थी, जो विशेष परिस्थिति में कोई पात्र परिवार प्राकृतिक आपदा के कारण भुखमरी की स्थिति में आ जाए । तो उसके लिए भी यह सहायता अनुमन्य है, लेकिन जो प्रभावित परिवार हैं उनमें सबको देनी है । मंत्री जी ने लिखा है कि भुखमरी के शिकार नहीं थे । मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह से अपना प्रश्न करूं कि जो राजाज्ञा का अर्थ का अनर्थ किया गया है, उसमें आप इसका सही अर्थ निकालकर अधिकारियों ने जो गलती की है, उसका सुधार करें । तो इस राजाज्ञा के अनुसार या आप अहेतुक सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री राम शरण—

उन्होंने इसका अलग भाषा निकाल लिया था । अधिकारियों ने निकाल लिया यह तो मुझे पता नहीं । वहां 124 गांवों में ओलावृष्टि हुई और उसमें से 76 गांव ऐसे हैं, जिनमें 75 से 100 प्रतिशत की हानि हुई और 48 गांव ऐसे हैं, जिनमें 50 से 74 प्रतिशत की क्षति हुई । जो 48, 50 से 74 प्रतिशत क्षति वाले गांव हैं, उनका लगान स्टे कर दिया और फिर राजस्व परिषद् को कलेक्टर ने भेज दिया है । अब जब राजस्व परिषद् से आ जाएगा, वह माफ हो जायेगा । इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि जब तक मुखमरी की बात नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

माननीय, मैं मार्कण्डेय चन्द्र जी से कहना चाहूंगा कि जिला हेड क्वार्टर पर पैसे की कोई कमी नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी अब आप बैठ जाएं, ओझा जी का प्रश्न सुन लें ।

श्री राम शरण—

माननीय, उस वक्त फरवरी में भुखमरी की कोई स्थिति नहीं थी । फरवरी माह में यह ओलावृष्टि हुई । उस समय कच्ची फसल रहती है और सबके घर में कुछ न कुछ खाने को रहता है । अब उनके सामने आपकी जानकारी में भुखमरी की कोई स्थिति हो तो जांच करा लूंगा और जो होगा दे देंगे । माननीय, इनके जिले में 98 लाख की धनराशि पहले से दैवी आपदा के लिए दी है, 8 लाख फिर अप्रैल में भिजवा दी और कलेक्टर भी वहां बहुत लायक किस्म के हैं । इसे तो आप भी जानते हैं । ऐसे किसी परिवार के भुखमरी के बारे में, आप नाम दे देंगे तो हम जांच कराकर दे देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी की व्याख्या मैंने सुनी । शासनदेश में इस बारे में बहुत साफ लिखा है । गोरखपुर में और महराजगंज जिले में कितना दिया, यह तो आपके शासन की उदारता रही है और किसको कितना दिया, इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब 1977 में उनकी सरकार थी, तो भी यह प्रकरण इस सदन में आया था . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लम्बा न कीजिये, बहुत संक्षेप में अपना प्रश्न कीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

शासन के द्वारा जो भी प्रभावित लोग हैं, उनको दिया जायेगा और दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक चाहूंगा कि उनकी उदारता की सीमा अनुदारता में कैसे परिवर्तित हो गयी । जो लोग प्रभावित हैं, उनको दिया जाना है, यह शासनादेश कहता है लेकिन प्रतिशत कितना है इसका जिक्र शासनादेश में नहीं है । जो लोग प्रभावित हैं उनका चाहे 5 प्रतिशत या 95 प्रतिशत नुकसान हुआ हो, यह संदर्भहीन है । शासन स्वयं स्वीकार करता है कि 126 गांव के लोग प्रभावित हुये हैं । क्या मंत्री जी अपनी उदारता का परिचय देते हुए उन सभी लोगों को पुनः अनुदान दिलाने का आश्वासन देंगे ।

श्री राम शरण*—

मान्यवर, वह तो मैंने पहले ही कह दिया । जो भी लिस्ट आप देंगे उसकी जांच करा लेंगे । नहीं तो यह किताब है, यदि ज्यादा भ्रम है तो पढ़कर सुना देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी कि अगर आप कहते हैं तो विचार कर लेंगे । इसके अलावा कल मीटिंग हो गयी है, तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मान्यवर, प्रश्न मेरे क्षेत्र के, मेरे तहसील के ओला प्रभावित लोगों का है । मान्यवर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी 26 तारीख को इसी प्रकार का प्रश्न माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी का था । ओला वहां भी पड़ा था । जो यह राजाज्ञा है उसका गलत अनुवाद किया जा रहा है । अनुवाद यह है कि "जब भुखमरी होगी तभी देंगे" । मेरा कहना है कि जो ऊपर का पैराग्राफ है उसमें वाक्य पूरा हो गया । माननीय सदस्य के क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में ऐसा होता रहता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अभी 54 गांवों में 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत की क्षति हुई है तो ऐसी स्थिति में जब केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही सहायता देनी हो तो भुखमरी का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री राम शरण—

मान्यवर, श्री मारकण्डे जी की बात मैंने समझ ली है । गोला तहसील में मैं इनके घर तक हो आया हूं । इनके यहां नाश्ता कर आया हूं । पूरे टाइम मेरे साथ घूमें हैं । यदि इनके ऊपर आपदा आयेगी तो मैं दूर कर दूंगा । मैंने कहा है कि लिस्ट दे दीजिये मैं जांच करा लूंगा ।

[मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न] ।

*1—श्री श्याम देवराय चौधरी दादा, श्री मयंकर सिंह तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[दिनांक 6 जुलाई, 1990 को ता० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित] ।

*2—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[दिनांक 26 जून, 1990 को तारांकित प्रश्न सं० 1 द्वारा उत्तरित] ।

*3—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[दिनांक 26 जून, 1990 को ता० प्र० सं० 7 द्वारा उत्तरित] ।

शिव बिहार सहकारी समिति, गाजियाबाद की भूमि को विकास प्रधिकरण, गाजियाबाद द्वारा अधिग्रहण

*4—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव बिहार सहकारी आवास समिति, गाजियाबाद की लगभग पचास एकड़ भूमि जिसका अनुबन्ध उक्त सोसायटी के हक में किया गया था, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण करके किसानों को सीधे

मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जो अनुबन्ध समिति के हक में किए गए थे उनका विच्छेदन किसानों अथवा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने करा लिया था ? यदि नहीं, तो समिति के सदस्यों को जिन्होंने अनुबन्ध किया था, तो भूमि के एवज में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्या देगा ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

शिव बिहार सहकारी समिति, गाजियाबाद को राजस्व अभिलेखानुसार, 5.297 एकड़ अर्थात 8 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को वैशाली नामक आवासीय योजना के लिए अधिगृहीत की गई थी। राजस्व अभिलेखों में कृषकों के नाम अंकित प्रतिकर का भुगतान कृषकों को किया गया है।

कथित 50 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में यदि उक्त समिति एवं कृषकों के मध्य कोई अनुबन्ध किया गया था तो वह उनका निजी मामला है। कथित अनुबन्ध अथवा अनुबन्ध के विच्छेदन से प्राधिकरण का कोई सरोकार नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त आवास समिति के सदस्यों को कोई सुविधा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर से ऐसा लगता है जैसे कि यह प्राधिकरण की जानकारी में था कि जो सोसायटी है इसके साथ एग्रीमेंट हुआ उत्तर के दूसरे पार्ट में कहा गया है, कथित 50 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में यदि उक्त समिति एवं कृषकों के मध्य कोई अनुबन्ध किया गया था तो वह उनका निजी मामला है, मान्यवर, एक्वायरिंग एजेन्सी जो है क्या उसने अधिग्रहण के पहले उस जमीन की छानबीन की थी कि उस जमीन की क्या स्थिति है ? क्या इन सब चीजों की जानकारी प्राधिकरण करता है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

भूमि अध्याप्ति की एक कार्यवाही होती है यह न्यायिक कार्यवाही है। यह जो कार्यवाही होती है अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति होती है तो वह उस आपत्ति को दाखिल करता है। यह भूमि किसानों के नाम से थी, उनको नोटिस दिया गया था, उनको मुआवजा भी दे दिया गया है। 5.297 भूमि सोसायटी की थी मान्यवर, उसका 8 लाख 87 हजार 548 रु0 48 पैसे का प्रतिकर बनकर रखा है जिसको सोसायटी वाले नहीं ले गए हैं। शेष भूमि जो थी वह किसानों के नाम थी।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि एक्वायरिंग एजेन्सी भूमि का अधिग्रहण करती है भूमि अधिग्रहण के पहले भूमि अध्याप्ति अधिकारी जो भूमि के बारे में छानबीन करता है कि भूमि की क्या स्थिति है, क्या यह जानकारी भूमि अधिग्रहण के पहले की गई थी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

इसकी पूरी प्रक्रिया है। इसमें नोटिस दी जाती है जिसकी भूमि होती है, अखबार में इसको दिया जाता है, उसके बाद अगर किसी को आपत्ति करनी होती तो वह आपत्ति करता है। जो भूमि अध्याप्ति करनी होती है उसकी सूचना अधिकारी के पास भेज दी जाती है।

वह उस भूमि को अध्याप्ति कर लेता है इसी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई है। जो भूमि सोसायटी के नाम से थी वह उसका भुगतान नहीं ले रहे हैं किसानों को पैसा दे दिया गया है अगर भूमि अधिग्रहण अधिकारी के यहाँ इन्होंने दरख्वास्त दी होती तो इसमें कुछ होता लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था।

*5—श्री विजय सिंह—

[दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को अता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

*6—श्री दशरथ सिंह—

[दिनांक 26 जून, 1990 को ता0 प्र0 सं0 18 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के चयनित एवं प्रशिक्षित होमगार्डों से परेड करने, ड्यूटी लिये जाने की मांग

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1989 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिन 63,000 होम गार्डों का चयन करके प्रशिक्षण दिया गया था क्या उन्हें ड्यूटी तथा परेड करने से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उन्हें ड्यूटी देना एवं परेड कराना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

जी हां। 63,000 होमगार्डों को ड्यूटी से इसलिए रोक दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी है। बिना भारत सरकार की स्वीकृति के उन्हें परेड/डयूटी देना संभव नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, भारत सरकार ने स्वीकृति नहीं दी इसलिए 63 हजार होमगार्डों को ड्यूटी से रोक दिया गया। मान्यवर गांव-गांव से गरीब लोग आये होंगे, उन्होंने प्रमाण-पत्र तैयार कराए होंगे, तब कहीं जाकर उनका चयन हुआ होगा, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने भारत सरकार की सहमति लेने का कोई प्रयास किया है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, पूरी जानकारी माननीय गुप्ता जी को नहीं है पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की थी चुनाव के पहले लोकसभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ होने वाले थे, तो केवल चुनाव म कार्य करने के लिए 63 हजार होमगार्ड की भर्ती की गई थी और केन्द्र सरकार ने इस बात की साफ हिदायत दे दी थी कि चुनाव के बाद उनको नहीं रखा जायेगा इसलिए उनको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और यह भी कहा गया कि सात दिन की ड्यूटी दी जायेगी और जब चुनाव समाप्त हो जायेगा तो उनका कार्य समाप्त हो जायेगा। यह कोई पद नहीं है उनको केवल चुनाव के लिए रखा गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि यह कोई पूर्ण कालिक कर्मचारी सरकारी नहीं है लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो इनकी सेवायें ली जाती हैं और यह

अच्छी सेवा करते हैं और दैनिक पगार भी कम पाते हैं । जानना चाहता हूं कि होमगार्ड अनेक जिलों में रखे गये हैं तो क्या यह जो 63 हजार प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं और जिनको पहले चयनित किया गया था तो अब जो रिक्तियां हो रही हैं उनमें इन्हीं लोगों में से चयनित क्यों नहीं किया गया है और भारत सरकार से इस बारे में बातचीत क्यों नहीं की गई है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह जो चयन किया गया है इस चयन के संबंध में काफी शिकायतें आयीं हैं, हर जनपद से आयी हैं । यह भी शिकायतें मिली हैं कि पैसे लेकर इनको रखा गया है । तो इसकी जांच करा रहे हैं डी० जी० से । इसलिए फिर इन्हीं लोगों में से रखना उचित नहीं है । इस समय 1 लाख 12,000 हैं जिसमें 10 फीसदी इजाफा किया जायेगा और 1,23,420 कुल भर्ती किये जायेंगे ।

एक सदस्य--

420 की जगह एक और बढ़ा लीजियेगा । 421 कर दीजियेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जो लोग ईमानदारी काम करना चाहेंगे और जो इस पद हेतु निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति करेंगे उनका चयन किया जायगा । पक्षपात करके पिछली सरकार में जिनको भर लिया है उन्हीं को पुनः भरने का काम हम नहीं करेंगे ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो 63 हजार होमगार्ड चयनित किये गये थे, प्रदेश की बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए क्या भविष्य में जब नियुक्तियां होंगी तो क्या इन लोगों को प्राथमिकता देते हुये इनकी नियुक्ति पर विचार करेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है । लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की फौज खड़ी करना ठीक नहीं है और भी ऐसे कार्य हैं जिनमें रोजगार दिया जा सकता है । जिन लोगों को पहले भर्ती किया गया था, वह अगर फिर से जब चयन होगा उसमें आवेदन देंगे और योग्य पाये जायेंगे तो उनको रखा जायेगा ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि अधिकारियों ने घूस लेकर चयन किया है । मंत्री जी ने यह भी बताया है कि विभिन्न जिलों से शिकायतें मिली हैं तो क्या जिन अधिकारियों ने घूस ली है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जैसा मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, यह शिकायतें मिली है और उनकी हम जांच करा रहे हैं । अगर किसी के खिलाफ जांच रिपोर्ट आयेगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

*8--श्री राजधारी तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

[दिनांक 19 जून, 1990 को ता० प्र० सं० 9 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के पी० एल० ए० खातों के सम्बन्ध में जानकारी

*9—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पी० एल० ए० खाते इस समय खोले गये हैं ? पी० एल० ए० खाते खोलने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागारों में 31 मार्च, 1990 तक 2632 पी० एल० ए० खाते खुले हुए हैं । विकास कार्यों हेतु उपलब्ध संसाधनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष परिस्थितियों में पी० एल० ए० खाते खोले गए हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्ष के निरंतर प्रयास के बाद आज यह कहा गया है कि 2632 पी० एल० ए० खाते प्रदेश में मौजूद हैं । हमारे प्रदेश में संशाधनों की कमी है और काफी पैसा पी० एल० ए० में जमा है विकास के नाम पर जिससे विकास की गति अवरुद्ध हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि 2632 खातों में कुल कितनी धनराशि जमा है ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, माननीय सदस्य पुनः प्रश्न कर दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्योंकि यह पी० एल० ए० 72 से खुले हैं, 74 से खुले हैं और आज तक निकाले नहीं गये हैं, जिस समय भवन बनाने की लागत 25 हजार रुपया थी, आज उस भवन की लागत 2 लाख रु० हो गई है, उन्होंने अपने पी० एल० ए० खाते में रख लिया, वह भवन नहीं बन पाये । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय पी० एल० ए० खाते में कितना रुपया है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, 1989-90 म पी० एल० ए० खातों में 15,39,62,71,781·74 रु० जमा हुआ और उसमें से 14,34,50,64,039·35 रु० भुगतान किया गया । मान्यवर, प्रश्न यह है कि माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जो हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं, वह इस बात को जानते हैं कि जो केन्द्र सरकार से धन आता है वह समय से नहीं आता है, जिससे समय से खर्च नहीं हो पाता है, इसलिए अगर हम पी० एल० ए० में जमा न करें, तो वह धन सरकार के हिस्से से निकल जायगा, तो वह जो हम बाद में खर्च करना चाहेंगे, तो नहीं कर पायेंगे , ऐसा तो नहीं है कि पी० एल० ए० में रखा हुआ धन हम खर्च नहीं कर रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 अरब 39 करोड़ से ज्यादा रुपया पी० एल० ए० में जमा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पब्लिक इक्सचेकर के धन को नियंत्रित करने के लिये या तो संविधान के किसी अनुच्छेद का सहारा लिया जाता है या फाइनेंशियल हैंड बुक का सहारा लिया जाता है । मैं जानना चाहूंगा कि यह पी० एल० ए० के खाते संविधान

के किस अनुच्छेद के तहत या फाइनेंशियल हेंड बुक के किस वॅल्यूम के तहत या किस नियम के तहत खोले जाते हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 1, प्रस्तर 340 (बी0)(11)(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से पी0 एल0 ए0 खोलने का अनुरोध किया जाता है और महालेखाकार द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी करते हुए अपेक्षित कोषागार में पी0 एल0 ए0 खोलने हेतु कोषाधिकारी को निदेश दिया जाता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट में जो विकास के लिए भिन्न-भिन्न मोहकमों में दिये जाने वाली धनराशि समय से खर्च न होने पर जमा की जाती है, जो 31 मार्च तक ये व्यय नहीं कर पाते हैं और उनको आखिरी दिनों में 3 महीने और 1 महीने के अन्दर पूरा खर्च करने की कोशिश करते हैं और उसे पी0 एल0 ए0 में डाल दिया जाता है, क्या सरकार पूर्व सरकार की व्यवस्था को बदल कर यह क्रांतिकारी सरकार सभी मोहकमों में विकास को दी जाने वाली धनराशि को इस प्रकार नियमित करेगी कि हर 3 महीने बाद बजट को स्वीकृत धनराशि उन्हें प्रदान की जाय और उस पीरियड में उसे खर्च करे । इस प्रकार साल में 3 महीनों के हिसाब से 4 किस्तों में पूरे साल के बजट का पैसा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि विकास के कार्य अवरुद्ध न हों और धन पी0 एल0 ए0 में जमा न करना पड़े ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि यह खर्च नहीं हो पाता है, इसलिए उसको पी0 एल0 ए0 में जमा करते हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह इतना लम्बा विषय है, इसके लिए तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस पर चर्चा कराई जाये । मान्यवर, केवल 1989-90 का इन्होंने 15 अरब 39 करोड़ के लगभग बताया, इसको अगर 72 से देखा जाये, तो इसको बहुत बड़ी धनराशि अभी भी पी0 एल0 ए0 खाते में पड़ी है, जो 31 मार्च को जमा करते हैं, उसे दूसरे वित्तीय वर्ष में निकालेंगे । दो करोड़ रुपया बस्ती जिले में पी0 एल0 ए0 खाते में जमा हुआ और 1987-88 में वह रुपया निकाल लिया गया । जब मैं कई वर्षों से यह प्रश्न उठाता रहा कि कितना रुपया पी0 एल0 ए0 खाते में जमा है, तब 1989-90 में 14 अरब के लगभग रुपया निकाल लिया गया ।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह तो चर्चा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई निर्धारित मानक तय करेंगे ? आपको पता होगा कि महालेखाकार ने इस पर टिप्पणियां लिखी हैं अगर आप चाहें तो मैं आपत्तियों को रख सकता हूं । यह बहुत गम्भीर मामला है । मैं इस पर आपके माध्यम से चर्चा तो मागूंगा ही नियम 52 के अन्तर्गत 2 घंटे से कम नहीं लूंगा । मान्यवर, मैं जा[illegible] चाहता हूं कि जो रुपया हर वित्तीय वर्ष में जमा होता

है सभी रुपये को एक निश्चित अवधि में निकालकर जिस काम के लिए जमा है उस पर यह खर्च करने की व्यवस्था करेंगे ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय पाण्डे जी ने 2 करोड़ रुपये की बात कही है पहले ही उसमें शायद कोई गड़बड़ी जरूर हुई थी, उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, और उनकी आशंका भी सही है । मैं पाण्डेय जी को बताना चाहूंगी कि अगर इनको आशंका है कि पी० एल० ए० में पैसा पड़ा है, जो पिछली सरकार खर्च नहीं कर पाई है और पी० एल० ए० में जमा करके छोड़ गई है तो हम उसको निकालकर प्रगति के काम में जल्द से जल्द खर्च करेंगे ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में विकास के नाम पर, कर्मचारियों के वेतन के नाम पर पूरे प्रदेश में आप देखें । कई जगहों पर लोगों को 6–6 माह 7–7 माह और एक–एक साल से वेतन नहीं दिया गया है और पी० एल० ए० एकाउन्ट में पैसा जमा पड़ा हुआ है । आप इसी वित्तीय वर्ष में कुछ महीनों का वेतन पी० एल० ए० एकाउन्ट से निकालकर उनको देंगी । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पी० एल० ए० एकाउन्ट में जो शेष पैसा जमा है उसको निकालकर विकास कार्यों या उनके वेतन आदि पर खर्च करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

कतिपय सहायक लेखाधिकारियों को लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति तथा प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में जानकारी

*10—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक कोषागार द्वारा जारी की गई सहायक लेखाधिकारी संवर्ग की दिनांक 3 फरवरी, 1990 की ज्येष्ठता सूची के 25 वर्षों से कार्यरत 67 अधिकारी, जो लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी के पदों पर वर्षों पूर्व प्रोन्नत हो चुका है, प्रत्यावर्तित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, उत्तर में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है । मुझे आपके माध्यम से जानना है कि 3 फरवरी, 1990 को निदेशक, कोषागार ने अनियमित रूप से आदेश जारी किया और जब मैंने प्रश्न किया तो वह आदेश संज्ञान में आया तो उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई सूची तैयार की गयी अथवा प्रश्न करने के बाद उस सूची को निरस्त कर दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो यह उत्तर आ गया है कोई भी प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, आगे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे प्रश्न का क्या सम्बन्ध है कि आगे कुछ नहीं होगा। आपने पूंछा कि प्रत्यावर्तित हो गये या नहीं उन्होंने कह दिया कि प्रत्यावर्तित नहीं हुए हैं, यह प्रश्न यहीं पर खत्म हो गया।

(व्यवधान)

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मुझे आपने एक भी प्रश्न नहीं करने दिया। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाने दें। मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया है उसके बाद सूची को निरस्त किया गया या सूची तैयार नहीं की गयी। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न करने के बाद सूची नष्ट की गयी या सूची तैयार नहीं की गयी थी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, प्रश्न करने के बाद क्या हुआ, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

*11—श्री ऊदल—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

*12—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

[9वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला स्तर तक की जाने वाली नियुक्तियों की चयन समितियों में स्थानीय विधायकों एवं सांसदों को सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर विचार

*13—श्री चन्द्र विजय सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों के अन्तर्गत अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं रोक लगाये जाने हेतु स्थानीय विधायकों एवं सांसदों को जिला चयन समिति का सदस्य नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं।

जिला चयन समिति व्यवस्था दिनांक 1 जुलाई, 1986 से समाप्त किये जाने के कारण प्रश्नगत प्रस्ताव पर विचार का अवसर नहीं बनता।

श्री चन्द्र विजय सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अमूमन यह देखा जाता है कि जब चयन समितियों का गठन होता है तो अधिकारीगण किसी छोटे-मोटे अखबार में इश्तहार निकलवा देते हैं और बाद में धांधली के आरोप लगते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न कीजिये।

श्री चन्द्र विजय सिंह—

मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार कोई यह विचार कर रही है कि कोई ऐसे आदेश निकलवाने वाली है, जिसके माध्यम से विधायकों एवं सांसदों को उन चयन समितियों में लाएंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, सम्बन्धित विभागों की चयन समितियां बनी हुई हैं, वही चयन करती हैं। माननीय सदस्यों को रखने का कोई विचार नहीं है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है और अनियमितताएं इस सरकार में बढ़ी हैं, क्या उन समितियों में विधायकों को रखेंगी, जिससे कि नियमानुसार चयन हो सके।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, कोई स्थान खाली है तो...

श्री उपाध्यक्ष--

आपस में बात न कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा। कि चन्द्र विजय सिंह जो ने प्रश्न किया है कि...!

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, जरा सी भूमिका बनाने दीजिये। हम लोग नये सदस्य हैं। कुछ सीख रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर समितियों में माननीय सदस्यों को मनोनीत न करें तो क्या चयन के समय विभागों द्वारा माननीय सांसदों और विधायकों को भिजवाने का कष्ट करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, पहले माननीय सदस्य रणजीत सिंह जी के प्रश्न का उत्तर यह है कि जब रिक्त स्थान होते हैं तो सांसदों और माननीय सदस्यों को इसकी सूचना दी जाती है।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

कोई सूचना नहीं आती है, न सांसदों को, न विधायकों को।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न हो गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, यह बिलकुल गलत उत्तर आया है।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

माध्यक्ष, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो रिक्तियां होती हैं उनकी सूचना माननीय सदस्यों और माननीय सांसदों को दी जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुष्टि कराएंगी कि किसी भी सांसद या विधायक को किसी भी रिक्ति की सूचना दी गयी या नहीं ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, वैसे तो सूचना दी जाती है । कहीं कमी होगी तो व्यवस्था कर देंगे कि सूचना दी जाय ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि....

एक सदस्य—

मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया तो प्रश्न की क्या जरूरत है ?

श्री मुईद अहमद—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे सदन के माननीय सदस्य, इधर के हों या उधर के हों, किसी को आज तक कोई सूचना मिली है, या नहीं । यदि सूचना मिली है तो उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दे दिया कि आगे सूचना दी जायगी और इसको देखेंगी । आप बैठिये ।

श्री मुईद अहमद—

चयन समिति की व्यवस्था 10 जुलाई, 1986 से समाप्त कर दी गयी तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी जिलों में भर्ती के लिये जिससे इस पनपते हुए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सके ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

अभी तक नियुक्तियां रुकी हुई थीं, सूचना की कोई आवश्यकता नहीं थी । अब सूचना की व्यवस्था कर देंगे ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, इस तरह से आदेश थे कि माननीय सांसदों और विधायकों को रिक्तियों की सूचना दी जाय । यह आज तक नहीं दी गयी यह मेरी निश्चित जानकारी है । जिन अधिकारियों ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, नियुक्तियों की जानकारी नहीं दी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

अभी तो सूचना नहीं है किसने उल्लंघन किया । आगे उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ।

सहकारी चीनी मिल, बेलरायां व सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी में दोषपूर्ण ढुलाई व्यवस्था से गन्ने का अभाव एवं मिलों का बन्द होना

*14--श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि सरकारी चीनी मिल, बिलरायां व सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी पेराई सत्र 1989-90 में बार-बार गन्ने के अभाव में बन्द हुयी ? यदि हां, तो गन्ने के अभाव के कारण क्या थे ? क्या यह सच है कि क्रय केन्द्रों से ढलाई की दोषपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासनिक कुव्यवस्था के फलस्वरूप यह समस्या पैदा हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण--

सहकारी चीनी मिल, बेलरायां व सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर-खीरी पेराई सत्र 1989-90 में कतिपय तिथियों में कुछ अवधि के लिये गन्ने के अभाव में बन्द हुयी। कुछ तिथियों में पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने तथा मौसम की खराबी आदि कारणों से मिल पर गन्ने का अभाव रहा। बेलरायां तथा सम्पूर्णानगर चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों की गन्ना ढुलाई व्यवस्था व्यवहारिक दृष्टिकोण से ठीक रही। अतः प्रकरण की जांच कराने एवं किसी अधिकारी/कमचारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तदर्थ नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

*15--श्री साहब सिंह, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री हृदय नारायण--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तदर्थ नियुक्तियों पर लगी रोक कब तक हटा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

शासनादेश दिनांक 8 जून, 1990 के अनुसार कतिपय शर्तों के अधीन सीधी भर्ती से तदर्थ नियुक्तियां की जा सकती हैं।

श्री रणजीत सिंह जुदेव--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जो जो उत्तर पढ़ते हैं, वह सुनायी नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हृदय नारायण जी का मूल प्रश्न है, उन्होंने उत्तर सुन लिया।

श्री हृदय नारायण--

मान्यवर, सुनायी नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीया मन्त्री जी कृपया उत्तर पुनः पढ़ दें।

(श्रीमती सुखदा मिश्रा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री हृदय नारायण--

जिस शासनादेश का उल्लेख माननीया मन्त्री जी ने अपने उत्तर में किया है, उसकी शर्तें क्या हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जो दिनांक 8 जून, 1990 का शासनादेश है, इसकी शर्तें हैं—(1) सीधी भर्ती से तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित नियमित वेतनमान में किये जाने के बजाय एक नियत वेतनमान में अनुबन्ध पर की जाय। दूसरा है ऐसी नियुक्ति केवल एक सीमित अवधि के लिये की जाय नियुक्ति के बाद पड़ने वाले फरवरी, मास के अन्तिम तिथि को, यदि उसके पूर्व समाप्त न की गयी हो, स्वतः समाप्त समझी जायेगी। तद्नुसार नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया जाय।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 1986 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

*16—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[9वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव (आजमगढ़) के कतिपय मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति की मांग

*17—श्री यशवन्त—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ में विभिन्न पदों पर कार्यरत 10 कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को शासनादेश के अनुरूप सेवा में लेने के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण न होने के क्या कारण है? इन सब मृतक आश्रितों को कब तक शासनादेश के अनुरूप सेवा में समायोजित किया जायेगा?

श्री राम शरण—

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव (आजमगढ़) के 13 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों में से केवल 8 के आश्रितों ने सेवायोजन हेतु आवेदन-पत्र दिया है, जिनमें से दो मृतकों के पुत्र हैं तथा शेष की विधवायें हैं। इन आश्रितों की अर्हताओं के अनुसार पद रिक्त न होने के कारण इन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है परन्तु इन 8 आश्रितों को दैनिक वेतन पर मिल में तैनात किया गया है।

भविष्य में इनकी अर्हताओं के अनुरूप स्थान रिक्त होने पर इनके नियमित नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

(इस समय 12 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये)

श्री यशवन्त—

क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वस्त करेंगे कि इन 8 लोगों को सेवा से पृथक् नहीं किया जायेगा?

श्री राम शरण—

मान्यवर, यह कह ही दिया है कि जो जिस लायक है उसको लेंगे। मान्यवर, कोई टेक्निकल आदमी की मृत्यु होगी और कोई बिल्कुल अनपढ़ आयगा तो वह जिसके लायक होगा, उसी हिसाब से होगा। 13 में से 5 में तो मांग ही नहीं दी गयी है। केवल 8 ने मांगी है, जिसमें 2 उनके पुत्र हैं, बाकी विधवायें हैं, उनको डेली वेज पर रख दिया गया है। जब जगह खाली होती चली जायेगी, उनको नियमित कर दिया

जायगा। बाकी जो 5 लोग और हैं, वह भी अगर मागेंगे, तो उनकी भी इसी तरह से कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

माननीय, केवल एक प्रश्न पूछ लूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो 5 मृतकों के आश्रित रह गये हैं, उनकी भी नियुक्ति पर विचार करेंगे ?

श्री राम शरण—

यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह भी एप्लाई करेंगे, तो जरूर विचार करेंगे, यह तो उनका हक है।

नोट :—नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के परिचालकों को अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन सुविधा दिलाये जाने की मांग

*18—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (शासन के द्वारा पूर्व में रखे गये) के परिचालकों के राज्य के अन्य कर्मचारियों की भांति शासन पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)—

जी नहीं।

परिचालकों को पेंशन की सुविधा पहले भी अनुमन्य नहीं थी जब वे राजकीय रोडवेज के कर्मचारी थे। ऐसे सभी परिचालक अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी मान लिये गये हैं। परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन अनुमन्य नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

बिक्रीकर को समाप्त किये जाने हेतु समिति के गठन की जानकारी

*19—श्री अमरनाथ यादव—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर को समाप्त किये जाने हेतु विधायकों, व्यापारियों व अधिकारियों तथा सरकारी अधिकारियों की समिति गठित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और उसे कब तक गठित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*20—श्री रविकान्त गर्ग—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर तथा निदेशक, गेंदा सिंह गन्ना परिषद् एवं शोध संस्थान तथा प्रजनन केन्द्र में डा० एच० एन० सिंह की सलाहकार के पद पर नियुक्ति तथा उनके द्वारा की गयी तद्वर्थ नियुक्तियों की जांच

1—श्री ऊबल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मू० पू० अर्थ वनस्पति शास्त्री कानपुर विश्वविद्यालय डा० एच० एन० सिंह को सलाहकार उत्तर प्रदेश गन्ना शोध

परिषद्, शाहजहांपुर तथा निदेशक गेंदा सिंह गन्ना परिषद् एवं शोध संस्थान तथा प्रजनन केन्द्र बनाया गया है और इनकी उम्र भी 63 वर्ष के करीब है ? क्या इन्होंने शाहजहांपुर में तथा गेंदा सिंह गन्ना परिषद् में नवम्बर, 1989 के पूर्व एडहाक नियुक्तियां बड़े पैमाने पर कर दी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री राम शरण—

डा0 एच0 एन0 सिंह को सलाहकार एवं निदेशक गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, सेवरही, देवरिया के पद पर संविदा के आधार पर दिनांक 10 नवम्बर, 1987 को नियुक्त किया गया था । डा0 सिंह की जन्म तिथि 19 जनवरी, 1928 है ।

उक्त नियुक्ति के पश्चात् परिषद् की गवर्निंग बाडी के अनुमोदनोपरान्त, डा0 सिंह द्वारा कुछ तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम सढ़ा एवं अन्य कतिपय गांवों के ग्राम समाज की भूमि का भूमिहीन हरिजनों में आवंटन

2—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम सढ़ा में कितने एकड़ ग्राम समाज की भूमि को कब तक भूमिहीन हरिजनों एवं अल्प भूस्वामियों को आवंटित कर दी जायेगी अभी तक आवंटन न करने का क्या कारण है ?

श्री राम शरण—

कथित ग्राम में ग्राम समाज की 1254-80 एकड़ भूमि है जिसमें से आवंटन योग्य भूमि 258-45 एकड़ शेष है । प्रभारी लेखपाल एवं प्रधान को निदेशित किया गया है कि पात्र हरिजनों एवं अल्प-भू-स्वामियों एवं अन्य भूमिहीनों को भूमि के आवंटन का प्रस्ताव परगनाधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दें । उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रधान, भूमि प्रबन्धक समिति सढ़ा को निदेशित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा रुचि न लेने के कारण आवंटन कार्य रुका हुआ है एवं तत्कालीन लेखपाल दिनांक 26 फरवरी, 1990 से निलम्बित है ।

3—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के अलग-अलग गांवों (नामवार) में प्रत्येक गांव में कितने-कितने एकड़ ग्राम समाज की भूमि अवशेष है ? इस अवशेष भूमि को कब तक भूमिहीन हरिजनों एवं अन्य भूमिहीनों में आवंटित करके आवंटियों को कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

बांदा जनपद की तहसील नरैनी के गांवों में गांववार ग्राम समाज की कृषि योग्य निम्नांकित भूमि आवंटन हेतु अवशेष है :—

ग्राम का नाम	आवंटन हेतु अवशेष भूमि (एकड़ में)
1—पियार	40-00
2—भद्दया	10-00
3—जोबनी	14-00

ग्राम का नाम	आवंटन हेतु अवशेष भूमि
4—कल्याणपुर	5—00
5—महुई	30—00
6—छितौनी	20.00
7—गोखिया	8.51
8—करतल	100.00
9—मुगौरा	25.00
10—बिल्हरका	59.00
11—लहुरेडा	45.00
12—गोरशिवपुर	25.00
13—जरर	20.00
14—परसहर	15.00
15—बरियारपुर	30.00
16—गोपरा	30.00
17—सिघंटी	10.00
18—सढ़ा	258.45
19—बहादुरपुर	86.00
योग ..	831.46

अवशेष भूमि को चालू वित्तीय वर्ष में भूमिहीन हरिजनों व अन्य भूमिहीनों में आवंटित करके आवंटियों को कब्जा दिला दिया जायेगा ।

जनपद जालौन में राजस्व एवं विकास कार्यालयों में दैनिक वेतन पर एवं तदर्थ तौर पर नियुक्त व्यक्तियों की जानकारी

4—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में जनपद जालौन के जिलाधिकारी द्वारा राजस्व एवं विकास कार्यालयों में दैनिक वेतन पर एवं तदर्थ तौर पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ? उनमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कितने–कितने कर्मचारी हैं ? यदि आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी नहीं रखे गये, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार जालौन जनपद के राजस्व एवं विकास कार्यालयों में वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में दैनिक वेतन पर 40 एवं 24 तथा तदर्थ आधार पर 53 एवं 73 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था । इनमें से दैनिक वेतन पर अनुसूचित जाति के 10 एवं 5 पिछड़ी जाति के 20 एवं 9 तथा तदर्थ आधार पर अनुसूचित जाति के 13 एवं 15 तथा पिछड़ी जाति के 21 एवं 23 व्यक्ति थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन विभाग में अनुसूचित जाति के कोटे की पूर्णता की जानकारी

5—श्री फौजदार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त संगठन में कुल कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी की संख्या के औसत के आधार पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ।

किन्तु परिवहन निगम में आरक्षित पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं के अभ्यर्थी वांछित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है ।

जिला लखीमपुर-खीरी में अनुदान-वितरण

6—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी में अनुदान की धनराशि वितरण के समय जिला सहकारी बैंक लि0, पलिया, लखीमपुर खीरी में 3000 रुपया (तीन हजार रुपया) श्री राम बाबू पुत्र झल्लू व 3000 रुपया श्री पुरुषोत्तम पुत्र झल्लू निवासीगण ग्राम विक्रम वन जो वास्तविक रूप में स्थानीय क्षेत्र के नहीं रहते हैं और न काश्तकारी करते हैं, को अनुदान की धनराशि किस आधार पर दी और उस धनराशि को कौन हड़प कर गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

खण्ड विकास अधिकारी, पलिया कला द्वारा निर्गत चेक संख्या-263172, दिनांक 5 फरवरी, 1987 व 263173 दिनांक 5 फरवरी, 1987, जिला सहकारी बैंक लि0, शाखा पलिया कला में प्राप्त होने पर बैंकिंग प्रणाली के अनुसार बैंक के अन्य खातेदार की शिनाख्त के उपरान्त सम्बन्धित व्यक्तियों को चेक का भुगतान नियमानुसार कर दिया गया । स्थानीय क्षेत्र में रहने एवं काश्तकार होने की कार्यवाही विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर की गई । अतः धनराशि हड़प करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा भर्ती कर्मियों की संख्या का विवरण

7—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के अन्तरिम उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रवर वर्ग सहायक के पद पर आयोग द्वारा सीधी भर्ती प्रति वर्ष नहीं हो पाती । दिनांक 30 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 1978 की परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रवर वर्ग सहायकों में से कार्यरत कर्मियों की संख्या 106 थी । इसी प्रकार वर्ष 1981, 1983, 1985 की परीक्षाओं के आधार

पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रवर वर्ग सहायकों को दिनांक 30 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार संख्या क्रमशः 96, 83, 32 थी। विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की प्रति चयन वर्षवार अलग-अलग संख्या की सूची संलग्न हैं। दिनांक 30 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार अनुमोदित अवर वर्ग सहायक, टंकक संवर्ग, जूनियर ग्रेड क्लर्क संवर्ग, टेलेक्स/टेली प्रिन्टर/टेलीफोन आपरेटर संवर्ग से प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत कर्मियों की संख्या क्रमशः 527, 427, 26, 14 थी। विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की उनके मूल पद के अनुसार अलग-अलग संख्या निम्नलिखित है :—

अवर वर्ग सहायक	346
संवर्गदाता	40
लेखाकार	01

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 169 पर)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर कार्यरत गैर अनुमोदित कर्मियों से प्रोन्नति में अपनाये गये मापदण्ड की जानकारी

8—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तरिम उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1978 में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्यरत गैर-अनुमोदित कर्मियों की कुल संख्या 790 थी। शाखाओं में उन्हें ज्येष्ठता के आधार पर स्थानापन्न प्रोन्नतियां दी गई थीं। अनुवर्ती अवधि में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, ऐसे 4 गैर-अनुमोदित प्रवर वर्ग सहायकों को प्रत्यावर्तित किया गया था। गैर-अनुमोदित कर्मचारियों को प्रवर वर्ग सहायक के पद पर अनवरत रूप से कार्यरत रहने की सबसे लम्बी अवधि लगभग 30 वर्ष की है, किन्तु इतनी लम्बी अवधि से कार्यरत सहायकों की संख्या नगण्य है। स्थानापन्न प्रोन्नति अस्थाई/स्थाई रिक्ति उपलब्ध होते रहने के कारण बनी रहती है। दिनांक 30 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत कर्मियों में अनुमोदित अवर वर्ग सहायकों की संख्या 527, टंकक संवर्ग के प्रोन्नत 427, जूनियर ग्रेड क्लर्क संवर्ग से 26 तथा टेलीफोन/टेलेक्स/टेलिप्रिन्टर आपरेटर संवर्ग से 14 थी।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंकक पदों तथा अन्य पदों पर प्रोन्नत टंककों की पदवार संख्या की जानकारी

9—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के छठे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अंतरिम उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 25 नवम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार टंकक के पदों की कुल संख्या 427, तथा कार्यरत टंककों की संख्या 336 थी। उक्त

तिथि को टंकक संवर्ग से स्थानापन्न व्यवस्था में, अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भदाता, लेखाकार आदि के पदों पर प्रोन्नत किये जाने की संख्या क्रमशः 730, 468, 186, 53 थी ।

10—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील सदर की ग्राम सभा सरवट में भूमि स्थानान्तरण में घोटाला

11—श्री मकली सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर, तहसील सदर की ग्राम सभा सरवट में भूमि स्थानान्तरण घोटाले की सही पाकर जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ने ग्राम प्रधान, लेखपाल, कानूनगो आदि को निलम्बित कर दिया है ? क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि स्थानान्तरणकर्ता परगनाधिकारी (सदर) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जी हां, प्रकरण की प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने के कारण ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा भूलेख निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है । इस पूरे प्रकरण पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से विस्तृत जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर तत्काल परगनाधिकारी (सदर) के विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हमीरपुर के कलेक्ट्रेट कर्मचारी श्री कृष्णा मुरारी द्विवेदी के चिकित्सा अवकाश, पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान

12—श्री देव कुमार यादव—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के कलेक्ट्रेट कर्मचारी श्री कृष्णामुरारी द्विवेदी का वर्ष 1988 एवं 1989 में विभिन्न तिथियों का 219 दिन का चिकित्सीय अवकाश वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, हमीरपुर द्वारा प्रदत्त एवं प्रति हस्ताक्षरित करने के उपरान्त भी जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उक्त अवकाश स्वीकृत किया जावेगा ? क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारी के 30 जून, 1989 को सेवा-निवृत्त होने के बाद भी उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उसका भुगतान किया जायेगा ?

श्री राम शरण—

जी नहीं ।

श्री कृष्णा मुरारी द्विवेदी का वर्ष 1988 एवं 1988 में विभिन्न तिथियों का 219 दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करके भुगतान किया जा चुका है । उन्हें अन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जा चुका है । श्री द्विवेदी 30 जून 1989 को सेवा-निवृत हुए थे । उनकी अन्तिम पेंशन, ग्रेच्युटी का प्रकरण विचाराधीन है जिसके आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक (लीड बैंक) द्वारा ब्लाक लोन की धनराशि पर जिला सहकारी बैंक, बांदा से ब्याज की वसूली

13—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में जिला सहकारी बैंक बांदा द्वारा निबन्धक, सहकारिता/विभागीय अधिकारियों के निर्देश से ब्लाक लोन में ब्याज की वसूली रोक दी गयी है जबकि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ (लीड बैंक) द्वारा ब्लाक लोन की धनराशि पर जिला सहकारी बैंक, बांदा से ब्याज की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ उक्त निर्देशों को पाबन्द नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निबन्धक, सहकारिता स्वयं उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ के प्रबन्ध के जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो बांदा जिला सहकारी बैंक जैसे कमजोर बैंक की आर्थिक स्थिति को देखते हुये ब्लाक लोन के ब्याज में छूट उत्तर प्रदेश सहकारिता बैंक, लखनऊ से दिलायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुसार आडिट नोट के आधार पर अशोध्य एवं संदिग्ध दर्शाया गया एवं अशोध्य का कारण गबन, बेनामी लेनदेन अथवा ऐसी धनराशि जिसे बैंक से निकाल कर सदस्यों को वितरित न किया गया हो तथा जिसकी एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई हो पर ब्याज न लिए जाने की व्यवस्था है ।

जिला सहकारी बैंक, बांदा के ब्लाक लोन पर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को ब्याज न लेने के सम्बन्ध में निबन्धक द्वारा कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये ।

जी नहीं ।

नियमानुसार समस्त सहकारी संस्थाओं की भांति उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के प्रबन्ध का दायित्व भी बैंक की प्रबन्ध समिति पर है ।

ब्लाक लोन के ब्याज से बैंक को छूट देने की कोई योजना नहीं है तथापि बांदा जिला सहकारी बैंक सहित प्रदेश के अन्य कमजोर सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु नाबार्ड की पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

बांदा जिलान्तर्गत, तहसील नरैनी के ग्राम सभा बिल्हरका एवं कोलोहां में हरिजन भूमिहीनों को भूमि का पट्टा दिलाये जाने की मांग

14—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम सभा बिल्हरका में कितने हरिजन भूमिहीनों को भूमि का पट्टा मिलने के बावजूद नाप कर कब्जा नहीं दिलाया गया ? उन्हें कब तक पट्टे की भूमि पर कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री राम शरण—

बांदा जनपद की तहसील नरैनी ग्राम सभा, बिलहरका में चकबन्दी क्रियाओं के अभिलेख प्राप्त होने के बाद 26 हरिजन भूमिहीनों को भूमि का पट्टा दिया गया है जिन्हें नापकर मौके पर कब्जा दिया जा चुका है ।

15—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम कोलोहा में कितने एकड़ ग्राम समाज की भूमि भूमिहीन, हरिजन व अन्य भूमिहीनों के आवंटन के लिये बाकी है ? इस गांव में अभी तक कितने भूमिहीनों को भूमि का पट्टा मिल चुका है जिनको नाप करके कब्जा नहीं दिलाया गया ग्राम समाज की शेष भूमि कब तक हरिजन भूमिहीनों को आवंटित करके कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री राम शरण—

बांदा जनपद की तहसील नरैनी वर्तमान नवसृजित तहसील अतर्रा के ग्राम कोलोहा में वर्तमान समय में ग्राम समाज की 40 एकड़ भूमि आवंटन योग्य शेष है । इस गांव में अभी तक 43 पट्टेदारों को भूमि का पट्टा मिल चुका है जिनको नाप करके कब्जा दिया जा चुका है । ग्राम समाज की आवंटन योग्य शेष भूमि का आवंटन हरिजन भूमिहीनों एवं अन्य भूमिहीनों को आवंटित करने की कार्यवाही चल रही है जो शीघ्र पूरी हो जायेगी ।

गांव सभा गम्भीरपुर सिंहपुर तालुका असनांव परगना भदोही, जिला वाराणसी में आबादी हेतु प्रस्तावित भूमि

16—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गम्भीर सिंहपुर तालुका असनांव, परगना जिला वाराणसी के प्रधान तथा चेयरमैन ग्राम समाज गम्भीर सिंहपुर हरिमेन सिंह ने 25 अक्तूबर, 1986 को भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में आराजी नं0-64 मिल जुमला में, मेवा व सेवा व पाखण्डी पुत्र जारिहग हरिजन को 1 बिस्वा 13 धुर के हिसाब से आबादी हेतु प्रस्तावित पारित किया और ता0 21 जनवरी, 1982 को रजिस्ट्री तीनों व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्रार यहां हरिमेन सिंह प्रधान एवं चेयरमैन ने कर दी है ? यदि हां, तो लेखपाल ने उस प्रस्ताव तथा रजिस्ट्री के आधार पर तीनों व्यक्तियों का नाम सरकारी कागजात में अब तक दर्ज क्यों नहीं किया ? क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ?

श्री राम शरण—

जी नहीं ।

दिनांक 18 जनवरी, 1982 को चेयरमैन, ग्राम समाज गंभीरसिंहपुर द्वारा आराजी संख्या-64 रकबा एक बिस्वा 13 धूर का सीरदारी पट्टा, प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम, अधिनियम की व्यवस्था के उल्लंघन में किये जाने के फलस्वरूप उनका नाम सरकारी कागजात में दर्ज नहीं किया गया प्रश्न में उल्लिखितयों व्यक्तियों को आराजी संख्या -53 मि0, 64 मि0 तथा 53 मि0 में एक-एक बिस्वा भूमि आवास हेतु दिनांक 27 दिसम्बर, 1973 को आवंटित की जा चुकी है और आवंटितियों को कब्जा दखल भी दिलाया जा चुका है ।

समता समिति की संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मान पर वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने की मांग

17--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वेतन आयोग द्वारा उन्हीं कर्मचारियों को एक अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि की सुविधा दी गयी है जो केवल दिनांक 1 जनवरी, 1986 का वेतन क्रम आप्ट करेंगे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या वित्त मंत्री उन कर्मचारियों/अधिकारियों को भी समानता के आधार पर एक अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देंगे जिन्होंने 1 जनवरी, 1986 के बाद और 15 जनवरी, से पूर्व नया वेतनक्रम आप्ट किया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

ऐसा समता समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया है । दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का मामला विचाराधीन ।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों के नये वेतनमान के एरियर सम्बन्धी भुगतान की मांगें

18--श्री रविदास मेहरोत्रा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों को शासन द्वारा स्वीकृत 1 जनवरी, 1986 से नया वेतनमान तो प्रदान कर दिया गया किन्तु उसके एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त एरियर का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण--

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को 1 जनवरी, 1986 से दिया गया वेतनमान सहकारी चीनी मिल्स संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं है । संघ ने अपने कर्मचारी/अधिकारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षण के लिए एक कमेटी का विधिवत गठन किया और उसकी अनुशंसा के आधार पर अपने अधिकारियों /कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1990 से स्वीकृत किया है । अतः दिनांक 1 जनवरी, 1986 से एरियर दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

19--श्री रवि कान्त गर्ग--

[7वें सोमवार में अतारांकित पृष्ठ संख्या 115 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

प्रवर वर्ग सहायकों के अस्थायी पदों पर विभागीय प्रोन्नति एवं विनियमितीकरण

20--श्री रविकान्त गर्ग--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के छठें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 15 तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के ग्यारहवें बुधवार अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के सम्बन्ध में श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तत्कालीन

विधायक का पत्र दिनांक 10 मई, 1989 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, तत्कालीन माननीय विधायक श्री विक्रमादित्य पाण्डेय को उनके पत्र का उत्तर दिनांक 28 अगस्त, 1989 को भेजा जा चुका है ।

श्री आर० के० गुप्ता, अवर अभियन्ता, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं पर समुचित कार्यवाही की मांग

21—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर० के० गुप्ता, अवर अभियन्ता, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा की गयी अनियमितताओं के बारे में श्री मंगत राय अग्रवाल, वरिष्ठ महासचिव, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद्, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1989 व 29 नवम्बर, 1989 सचिव आवास को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । श्री आर० के० गुप्ता अवर अभियन्ता के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश दिये गये हैं ।

22—श्री रविकान्त गर्ग—

[6वें मंगल के लिए स्थगित]

जनपद अलीगढ़ के हाथरस क्षेत्र को जनपद बनाये जाने की मांग

23—विजेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ को हाथरस क्षेत्र को जनपद बनाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो हाथरस को कब तक जनपद घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

प्रदेश में नये मंडलों/जनपदों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त तथा दिनांक 30 जून, 1991 तक वर्तमान जनगणना के कार्य के समाप्ति के पश्चात् ही शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा । 30 जून, 1991 तक जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित है ।

अपर जिलाधिकारी (वित्त) श्री जाफर की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र की जांच

24—विजेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 28 फरवरी, 1990 के शिकायती पत्र जो अपर जिलाधिकारी (वित्त) श्री जाफर की अनियमितता के सम्बन्ध

में था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्री जाफर को नियुक्ति एस० डी० एम० तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वित्त) के रूप में किन विशेष कारणों के आधार पर की गयी थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय सदस्य के प्रश्नगत शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से जांच करायी गयी । जांच में आरोप सही नहीं पाये गये । श्री जाफर को जनहित में अपर जिलाधिकारी (वित्त), अलीगढ़ के पद पर नियुक्त किया गया था । अब वह अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) के पद पर तैनात हैं ।

25—डाक्टर दिनेश जोहरी—

[दिनांक 3 जुलाई, 1990 को अता० प्र० सं० 121 द्वारा उत्तरित]

बरेली-हल्द्वानी मार्ग पर कनमन, किछा, एवं लालकुआं में बस स्टापेज बनाये जाने की मांग

26—डाक्टर दिनेश जोहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बरेली-हल्द्वानी मार्ग पर कनमन, किछा, लालकुआं में बस स्टाप न होने से बसें नहीं रुकती हैं जिसके कारण इन क्षेत्रों को बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन स्थानों पर बसों के रुकने व बस स्टाप बनाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बरेली-हल्द्वानी मार्ग पर लालकुआं तथा किछा पूर्व से ही बसों के लिए फेयर स्टापेज घोषित है । कनमन को भी फेयर स्टापेज घोषित कर दिया गया है । उक्त मार्ग से गुजरने वाली बसें यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जगन्नाथ प्रधान ग्राम सभा इब्राहिमपुरी, विक्रमबन, पलिया जिला लखीमपुर खीरी का अनधिकृत के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

27—श्री नरेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगन्नाथ प्रधान ग्राम सभा इब्राहिमपुरी, विक्रमबन, पलिया, जिला लखीमपुर खीरी का उनको सम्बोधित पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 1988 व आयुक्त लखनऊ मण्डल को सम्बोधित पत्र दिनांक 10 मई, 1989 जो सरदार केवल सिंह व सरदार गुरुमेल सिंह पुत्रगण बन्ता सिंह व उनके परिवार निवासी विक्रम बन पलिया, जिला लखीमपुर खीरी के अनधिकृत कब्जे में क्रमशः 78.21 एकड़ एवं 89.00 एकड़ एवं 150.00 एकड़ (ग्राम धेला) एवं सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत कई एकड़ अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों पर जांच कराई गई सरदार केवल सिंह के नाम कुल 28.42 एकड़ भूमि पाई गई, जिसमें उन्हें दी जाने वाली भूमि को छोड़कर शेष 10.382

एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित किए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार सरदार गुरूमेल सिंह के नाम कुल 51.77 एकड़ भूमि पाई गई है, जिसमें से उन्हें दी जाने वाली भूमि को छोड़कर शेष 33.852 एकड़ भूमि अतिरिक्त की गई है।

वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

बिल्हौर व अरौल में बस स्टाप बनाये जाने की मांग

28—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की ओर से फर्रुखाबाद जाने वाली बसें और फर्रुखाबाद की ओर से जाने वाली बसें बिल्हौर व अरौल में पूर्व की भांति नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त बसों के कब से वहां रुकने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बिल्हौर व अरौल में सभी बसों के रोकने के आदेश पूर्व से ही हैं।

वर्तमान में बिल्हौर में सभी बसों को रोकने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु एक कार्मिक की तैनाती कर दी गई है। अरौल में उक्त व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुढ़वल जनपद बाराबंकी के कृषकों के गन्ने के बकाये का भुगतान

29—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुढ़वल जनपद बाराबंकी के कृषकों को गन्ने के वर्ष 1988-89 के बकाये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण—

सहकारी गन्ना समिति बुढ़वल (बाराबंकी) द्वारा वर्ष 1988-89 के गन्ना मूल्य का अधिकांश किसानों को भुगतान किया जा चुका है तथा पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान खुला हुआ है इच्छुक कृषक अपने गन्ने मूल्य का भुगतान उक्त समिति से प्राप्त कर सकते हैं।

30—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[दिनांक 19 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 53 द्वारा उत्तरित]

श्री मुनव्वर इकबाल को लखनऊ विकास प्राधिकरण अलीगंज योजनान्तर्गत प्लाट का आवंटन

31—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री मुनव्वर इकबाल को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी अलीगंज योजना के सेक्टर सी में प्लाट संख्या सी/83

आवंटित किया है ? क्या यह सही है कि अलीगंज योजना के सेक्टर ओ में स्थित प्लाट संख्या सी/83 पर पहले से ही मसीह अराधनालय बना हुआ है ? क्या मंत्री जी लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह निर्देश देंगे कि वह इस विवादित प्लाट संख्या सी/83 सेक्टर ओ अलीगंज के स्थान पर अन्य विवाद रहित प्लाट इसी योजना में एक माह में श्री मुनव्वर इकबाल को आवंटित करें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

जी हां ।

सम्प्रति अलीगंज योजना के अन्तर्गत कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है । यदि किसी का आवंटन निरस्त होने की दशा में भविष्य में कोई भूखण्ड उपलब्ध होता है तो श्री मुनव्वर इकबाल को वैकल्पिक आवंटन पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है ।

32--श्री सुनिल कुमार भारद्वाज--

[5वें मंगल में अता० प्र० सं० 169 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

तहसीलदार अमरोहा जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध आरोप-पत्र की जांच

33--श्री हाजी मोहम्मद हयात--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1990 को एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें तहसीलदार अमरोहा जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध शासन के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच के उपरान्त तहसीलदार अमरोहा पर लगाया गया आरोप सही पाया गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा तहसीलदार अमरोहा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जनपद के पिछड़े क्षेत्रों एवं पक्के मार्गों पर रोडवेज की बसों को चलाये जाने की मांग

34--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 5 अप्रैल, 1990 का पत्र जो बांदा जनपद के पिछड़े क्षेत्रों एवं पक्के मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां तो कौन-कौन से मार्गों पर बस चलाने के लिए पत्र में मांग की गयी है और वह कब तक चला दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1990 में पांच मार्गों पर संचालन आरम्भ करने की मांग की गयी है । इनकी मार्गवार स्थिति निम्नवत् है ।

1--करतल से इलाहाबाद--

इस मार्ग पर करतल से नरैनी-अतर्रा एवं अतर्रा से इलाहाबाद के लिए पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं । करतल के यात्री उक्त सेवाओं का लाभ

प्राप्त कर रहे हैं। करतल से सीधे पर्याप्त यात्री न मिलने के कारण सीधी बस सेवा का संचालन लाभप्रद नहीं है।

2—बांदा-कालिंजर बघेलावारी होकर कर्वी तक—

इस मार्ग पर बांदा से बघेलावारी वाया कालिंजर सेवा संचालित की जा रही है। बघेलावारी से कर्वी तक मार्ग का सर्वे करने से निदेश निगम स्तर से क्षेत्रीय प्रबन्धक झांसी को भेजा गया है।

3—बांदा से बदौसा हो कर फतेहगंज—

इस मार्ग पर एक बस सेवा का संचालन किया जा रहा है।

4—बांदा से बदौसा होकर चौहारगांव तक—

बांदा से बदौसा तक बस सेवायें उपलब्ध हैं। बदौसा से चौहारगांव तक 14 कि0मी0 मार्ग संचालन योग्य न होने के कारण बस संचालन सम्भव नहीं है।

5—नरैनी-अतर्रा-अनथुवा होकर देवरार से होकर नरैनी—

वर्तमान में नरैनी-देवरार-बांदा, अतर्रा-अनथुआ-बांदा एवं नरैनी-अतर्रा मार्ग पर निगम सेवायें संचालित की जा रही हैं। प्रस्तावित चक्रिय सेवा में अनथुआ देवरार के मध्य पड़ने वाला 13 कि0मी0 का मार्ग बस संचालन के योग्य नहीं है।

जनपद बाराबंकी के क्षेत्र रामनगर के कतिपय गांवों में अग्निकाण्ड से पीड़ितों को सहायता के सम्बन्ध में जानकारी

35—श्री शिव करन सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के कितने गांवों में पिछले एक वर्ष में अग्निकाण्ड के पीड़ित लोगों को राहत नहीं मिली है? क्या सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम शरण—

पिछले वित्तीय वर्ष 1989-90 में जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर/रामनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रामनगर से कुल 114 ग्राम अग्निकाण्ड से प्रभावित हुए। अग्निकाण्ड से प्रभावित 574 व्यक्तियों में नियमानुसार अहेतुक सहायता रु0 2,86,700 दी गयी, 660 व्यक्तियों को आंशिक मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1,32,000 रु0 गृह अनुदान दिया गया। 7 व्यक्तियों की मृत्यु पर रु0 35,000 तथा 21 पशुओं की मृत्यु होने पर रु0 12,750 अनुग्रह अनुदान दिया गया। कोई भी पात्र व्यक्ति सहायता पाने हेतु अवशेष नहीं है।

जनपद बाराबंकी की नयी तहसील रामनगर में बस स्टेशन

36—श्री शिव करन सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की नयी तहसील रामनगर में बस स्टेशन में कितनी बसें रुकती हैं? क्या सरकार रामनगर बस स्टेशन से गुजरने वाली रोडवेज की सभी बसों को वहां रोके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बाराबंकी की नई तहसील रामनगर में लखनऊ क्षेत्र की 34 अप तथा 34 डाउन सेवायें रुकती हैं ।

जी नहीं ।

रामनगर में रुकने वाली 34 अप एवं 34 डाउन सेवायें ही वहां की जनता को देखते हुए पर्याप्त हैं । अतः सभी सेवाओं को रोकने का कोई औचित्य नहीं है ।

कानपुर देहात के अन्तर्गत रसूलाबाद नाम से बनायी गयी नई तहसील के भवन निर्माण तथा रजिस्ट्रार की व्यवस्था की मांग

37—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत रसूलाबाद नाम से बनायी गयी नयी तहसील का भवन निर्माण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो भवन किस स्थान पर और कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? तहसील घोषित किये जाने के बावजूद वहां अभी तक रजिस्ट्रार की व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है और वह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रामशरण दास—

नयी तहसील रसूलाबाद के भवन निर्माण हेतु ग्राम रसूलाबाद में ही भूमि किया जाना प्रस्तावित है । भवन निर्माण हेतु राजस्व परिषद् से आगणन सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जायेगी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार सब-रजिस्ट्रार की व्यवस्था की जा चुकी है तथा दिनांक 19 मई, 1990 से सब रजिस्ट्रार कार्यरत हैं ।

गन्ना विभाग द्वारा कीटनाशक दवाइयों का क्रय तथा उसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी

38—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग द्वारा कीटनाशक दवाइयों की खरीद के आधार क्या हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है ?

श्री राम शरण—

गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में कीटनाशक एवं कृषि रक्षा यंत्रों की एक क्रय समिति गठित है, जो प्राप्त मांगों की उपयुक्तता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग निदेशक द्वारा जारी दर अनुबन्ध एवं आई० एस० आई० मार्क गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की आपूर्ति करने का निर्णय लेती है ।

क्रय समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर गन्ना आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि० द्वारा पूर्ति आदेश प्रसारित किए जाते हैं ।

39—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 मार्च, 1990 को गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में हुई क्रय समिति की बैठक में 88.475 मैट्रिक टन

अंण्डेन 60 प्रतिशत ग्रेन्थूल, उद्योग निदेशक के द्वारा निर्धारित दरों, आई0 एस0 आई0 मार्क, युक्त गन्ना समितियों के द्वारा भेजी गयी मांगों के आधार पर क्रय प्रस्ताव पारित हुआ था तथा गन्ना आयुक्त/गन्ना संघ ने सम्बन्धित फर्म को उक्त दवा की पूर्ति करने के आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो माल आपूर्ति होने के आदेश रद्द क्यों किये गये ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

आदेश रद्द नहीं किए गए बल्कि यह कीटनाशक नया होने के कारण, इसका परीक्षणार्थ क्रय करने का ही निर्णय लिया गया तथा तद्नुसार आदेश की मात्रा संशोधित की गयी ।

आजमगढ़ जनपद के बन्दोबस्त कार्यालय को स्थानान्तरित किए जान सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

40—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बन्दोबस्त का कार्यालय बलिया के स्थान पर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम शरण—

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1990 राजस्व विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की नीति तथा विज्ञापन धनराशि के विवरण की जानकारी

41—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की सरकार की नीति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि पीलीभीत के अखबार "रूदादे चमन" को वर्ष 1987–88, 1988–89 व 1989–90 में कुल कितनी धनराशि के सरकारी विज्ञापन दिए गए हैं ? क्या सरकार उन्नाव जनपद के स्थानीय सरकारी विभागों द्वारा स्थानीय साप्ताहिकों को कैलेण्डर वर्ष 1989 व 90 में दी गयी विज्ञापन धनराशि का विवरण साप्ताहिक अखबारों के विवरण सहित सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राम शरण—

समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की सरकारी विज्ञापन नीति यह है कि सरकार की नीतियों व दृष्टिकोण का ग्रामीण स्तर तक समुचित प्रचार हो सके ।

सूचना निदेशक द्वारा पीलीभीत के समाचार पत्र "रूदादे चमन" को कुल रु0 17,52,829.20 के विज्ञापन दिए गए हैं, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :—

	रु0
वर्ष 1987–88	5,14,350.00
वर्ष 1988–89	7,69,500.00
वर्ष 1989–90	4,68,979.20

कैलेण्डर वर्ष 1989 व 1990 के दौरान उन्नाव जनपद के स्थानीय निम्नलिखित साप्ताहिक समाचार पत्रों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि के विज्ञापन जारी किये गये हैं :—

क्रम सं0	पत्रिका का नाम	कैलेन्डर वर्ष 1989	कैलेन्डर वर्ष जून, 1990 तक
1	सा0 अद्वितीय	20,772.00	30,122.00
2	सा0 जय बजरंग	900.00	1,202.00
3	सा0 पथिक	5,858.00	..
4	सा0 निदामत	..	250.00
5	सा0 अपराजित	..	100.00

प्राविधिक शिक्षा परिषद् के उड़ाका दल के अल्मोड़ा पालीटेक्निक जाते समय कार की दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त अध्यापकों एवं छात्रों के विवरण की मांग

42—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 मई, 1990 के प्राविधिक शिक्षा परिषद् के उड़ाका दल के अल्मोड़ा पालीटेक्निक जाते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के परिणामस्वरूप महमूदाबाद (सीतापुर) पालीटेक्निक के जो अध्यापक तथा छात्र दुर्घटनाग्रस्त हुये उनका विवरण क्या है तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को क्या आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा कब तक दे दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

महमूदाबाद (सीतापुर) पालीटेक्निक के श्री लाल जी यादव, अनुदेशक दुर्घटनाग्रस्त हुये थे, कोई छात्र दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। दुर्घटना में श्री एम0 एल0 विश्वकर्मा, व्याख्याता, फिजिक्स, संजय गांधी पालिटेक्निक, जगदीशपुर, सुल्तानपुर, श्री लाल जी यादव, अनुदेशक, जवाहर लाल नेहरू पालिटेक्निक, महमूदाबाद, सीतापुर, श्री जी0 के0 पोरवाल, अनुदेशक स्टेनो, फिरोज गांधी पालिटेक्निक, रायबरेली तथा श्री एम0 के0 तिवारी, कलानुदेशक, संजय गांधी पालिटेक्निक, जगदीशपुर, सुल्तानपुर घायल हुए थे। इनमें से श्री एम0 एल0 विश्वकर्मा तथा श्री एम0 के0 तिवारी की बाद में मृत्यु हो गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से मृतकों के आश्रितों को 10-10 (दस-दस) हजार रुपयों तथा घायल लोगों को पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रश्न नहीं उठता है।

आर0 एस0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, सर्वोदय नगर, कानपुर के सचिव श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव का शिकायती-पत्र

43—श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एस0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी 117/106, के0 ब्लाक, आर0 एस0 पुरम्, सर्वोदयनगर,

कानपुर के सचिव श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, 15/11, विजय नगर, कानपुर का शिकायती-पत्र श्री शिव कुमार सिंह बेरिया, सदस्य, विधान सभा के परिपत्र के साथ आवास आयुक्त को दिनांक 10 अप्रैल, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र पर जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? दोषी सचिव के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री राकेश कुमार गुप्ता, सचिव, आर0 एस0 कोआ0 हा0 सो0 लि0, कानपुर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 398 स्थित बिसायकपुर बागर, परगना व जिला कानपुर को बिना छान-बीन किए क्रय कर लिया गया, जबकि खसरा संख्या 398 की भूमि विवादित थी। इस भूमि पर भूखण्ड बनाकर कानपुर विकास प्राधिकरण से बिना भू-विन्यास स्वीकृत कराये सदस्यों को भूखण्डों की रजिस्ट्री कर दी, जिससे सदस्यों के भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकते हैं। समिति सचिव ने उपविधियों के विपरीत कार्य किया।

समिति के सचिव द्वारा की गई अनियमितता के लिए उन्हें सचिव के पद से हटाने के लिए निबन्धक, सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रशासक, आर0 एस0 कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0, कानपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये मण्डलों को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

44—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से नये मण्डल स्थापित करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री राम शरण—

प्रदेश में नये मंडलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त तथा दिनांक 30 जून, 1991 तक वर्तमान जनगणना के कार्य के समाप्ति के पश्चात् ही शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। 30 जून, 1991 तक जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित है।

होमगार्ड संगठन लखनऊ जनपद में कम्पनी कमाण्डर एवं सहायक कम्पनी कमाण्डरों के सम्बन्ध में जानकारी

45—श्री अतीक अहमद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974-75 में लखनऊ जनपद में होमगार्ड संगठन में जिला कमाण्डेन्ट के अधीन कम्पनी कमाण्डर एवं सहायक कम्पनी कमाण्डर के कुल कितने पद थे और उन पर कौन-कौन व्यक्ति कार्यरत थे ? उक्त पदधारकों में से कितने अवैतनिक थे और कितने नियमित रूप से वेतन आहरित करते थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 1974-75 में लखनऊ जनपद के अन्तर्गत होमगार्ड्स संगठन में जिला कमाण्डेंट के अधीन 26 अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर तथा 6 अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर नगरीय कम्पनियों के लिए एवं 8 अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर व 8 अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर ग्रामीण कम्पनियों के लिए स्वीकृत थे। प्रश्नगत वर्ष में अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर के पद पर सर्वश्री एस0 एन0 चतुर्वेदी, हरीशंकर मिश्रा, जे0 एन0 कपूर, नरेश चन्द्र, आर0 डी0 भटनागर, कौशल कुमार, हरिश्चन्द्र भट्ट, सी0 बी0 मिश्रा, आई0 डी0 पाण्डेय, रामगोपाल मिश्रा, परमात्मा राम, अशोक कुमार तिवारी, के0 सी0 सक्सेना, तारा जोशी (महिला), धर्मेन्द्र सेन, एस0 सी शुक्ला, जे0 एन0 मेहरोत्रा, सत्यानन्द शर्मा, जे0 पी0 शुक्ला, जे0 एन0 शुक्ला, एन0 सी0 मिश्रा, मुरलीधर मिश्रा, एस0 एन0 पाण्डेय, के0 डी0 पाण्डेय, एम0 एस0 मोहन, टी0 एन0 शुक्ला, नगरीय कम्पनी में एवं शारदा बख्श सिंह, बाबू सिंह, शंकर लाल, ए0 के0 सिंह, राम जीवन सिंह, गंगा बख्श सिंह, राम लखन सिंह, राम गोपाल दीक्षित ग्रामीण कम्पनी में कार्यरत थे। इसी प्रकार सहायक कम्पनी कमाण्डर के पद पर सर्वश्री महावीर प्रसाद, वीरेन्द्र सिंह, सुरेश चन्द्र जायसवाल, मदन मोहन मिश्रा, एस0 एम0 आलम, महेन्द्र राम, सुरेश चन्द्र वर्मा, अवधेश नारायण, पान सिंह भण्डारी, ए0 मसी, आर0 एन0 शर्मा, मधुकर मिश्रा, देवीदीन वर्मा, निशीथ कुमार श्रीवास्तव, सुरेश बहादुर सिंह, एन0 एच0 पठकनियां, शिव चरन लाल वर्मा, ओम प्रकाश, मायाराम कुरील, नगर कम्पनियों में तथा उमेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, एस0 एन0 तिवारी, जे0 एन0 श्रीवास्तव, बचाराम यादव, फजल अब्बास, ओम प्रकाश सिंह, राजेन्द्र कुमार ग्रामीण कम्पनियों में नियुक्त थे। उपरोक्त सभी पदधारक अवैतनिक थे।

लखनऊ जनपद के लिए वैतनिक कम्पनी कमाण्डर के 3 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध वर्ष 1974-75 में सर्वश्री तुलाराम पाठक, तुलसीराम मिश्रा एवं एस0 पी0 श्रीवास्तव तैनात थे।

ग्राम देवकली, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के कतिपय भूमि-हीन हरिजनों को भूमि का आवंटन

46-श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देवकली तहसील रामसनेही-घाट, जिला बाराबंकी के भूमिहीन हरिजन श्री अवधान पुत्र श्री लखनऊ सहित 18 व्यक्तियों को वर्ष 1981 में भूमि आवंटित की गई थी ? क्या सम्बन्धित मूल काश्त-कार ने उक्त आवंटन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका सं0 323/82 दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1984 को आवंटियों के पक्ष में निर्णय दिया था ? यदि हां, तो अब आवंटियों को भूमि पर कब्जा न दिलाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम शरण--

जी हां।

मूल काश्तकार द्वारा कथित याचिका दायर की गई थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवंटियों के पक्ष में निर्णय नहीं दिया गया है।

पट्टेदारों को कब्जा देने का प्रश्न मण्डलायुक्त फैजाबाद के आदेशों के अन्तर्गत स्थगित है ।

तहसील मऊ, जनपद मऊ में भूमिहीनों को आवासीय भूमि का पट्टा तथा उनके कब्जे के सम्बन्ध में जानकारी

47–श्री मोबिन अहमद [आजमी]––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मऊ जनपद मऊ में जितने भूमिहीनों को वर्ष 1986–87 में पट्टा किया गया है उन भमिहीनों में से कितने लोगों को कब्जा दिला दिया गया है ? जिन लोगों को कब्जा नहीं मिला है उनके सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास––

तहसील मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ में वर्ष 1986–87 में कुल 111 व्यक्तियों को 16·595 हे० कृषि भूमि का पट्टा तथा 84 व्यक्तियों को 0.989 हे० आवासीय भूमि का पट्टा किया गया है तथा सभी आवंटियों का कब्जा दिला दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली जनपद में ईंट की कीमत की औसत दर तथा उनका कर निर्धारण

48–डा० दिनेश जोहरी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री कर विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 1985–86 में ईंट भट्ठों पर बरेली जनपद में ईंट की कीमत की औसत दर क्या पायी और उनका कर निर्धारण किस दर पर किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

वर्ष 1985–86 में बरेली जनपद में ईंटों की कीमत की औसत बिक्री दर रु० 330 प्रति हजार पाई गई ।

कर निर्धारण औसत बिक्री दर रु० 330 प्रति हजार पर किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

49––श्री कुंवर सिंह नेगी––

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में 1 मई, 1990 तक कुल कितने मामले निस्तारण हेतु लम्बित पड़े हैं ? पांच वर्षों से अधिक अवधि से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में कर्मचारी सर्विस ट्राइब्यूनल्स में लम्बित मामलों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

50—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कर्मचारी सर्विस ट्राइब्यूनल्स में 1 मई, 1990 तक कितने मामले निस्तारण हेतु लम्बित पड़े हैं ? पांच वर्षों से अधिक अवधि से लम्बित मामलों की कुल संख्या कितनी है ? निस्तारण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सन्दर्भित तिथि को 13248 वाद निस्तारण हेतु लम्बित थे।

3980 मुख्यतया दायरे में वृद्धि तथा प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण।

51—श्री हृदय नारायण—

[7वें सोम में अता0 प्र0 सं0 114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक लि0 उन्नाव की शाखा औरास की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

52—श्री गनपत सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 उन्नाव की शाखा औरास की जांच व एफ0 आई0 आर0 जुलाई 1989 में बैंक अधिकारियों द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या जांचकर्ता बैंक अधिकारी हटा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

इस प्रकरण में दो बैंक कर्मी श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक एवं श्री खलील अहमद, लिपिक निलम्बित किये गये। श्री खलील अहमद लिपिक को आरोप पत्र निर्गत किया जा चुका है तथा श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी को आरोप-पत्र दिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

जी नहीं।

नियोजन सचिव शाखा के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन वृद्धि दिलाये जाने की मांग

53—श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि राज्य कर्मचारियों को समता समिति उत्तर प्रदेश (989) के प्रत्यावेदन पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या वे0 आ0-1-1763/दस-39 (एम)/89, दिनांक 3 जून, 1989 के प्रस्तर (9) के अन्तर्गत अनुमन्य दस वर्ष की सेवा पर एक वेतन वृद्धि दिये जाने का लाभ नियोजन सचिव शाखा के कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो यह कब तक दे दिया जायेगा तथा विलम्ब

के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नियोजन सचिव शाखा में कार्यरत समूह "ग" के तीन तथा समूह "घ" के पांच कर्मचारियों को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 3 जून, 1989 के अनुसार दस वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ विभिन्न तिथियों को अनुमन्य था। उक्त आठ कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका से दस वर्ष की अनवरत सेवा की शर्त की पुष्टि करके जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है तथा दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में मोहम्मदी-पुवायां मार्ग एवं पुवायां-निगोही मार्ग पर बसों को चलाये जाने की मांग

54—श्री बेतराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में मोहम्मदी-पुवायां मार्ग एवं पुवायां-निगोही मार्ग पर उ0 प्र0 रा0 परिवहन निगम की बसें न चलने के कारण जनता को आवागमन की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्गों पर शीघ्र परिवहन निगम की बसें चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में मोहम्मदी-पुवायां एवं पुवायां-निगोही मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण परिवहन निगम की बसें उक्त मार्ग पर संचालित नहीं हो रही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

यह मार्ग पूर्णतया अराष्ट्रीयकृत है।

जनपद गोण्डा के बलरामपुर मुन्सिफ न्यायालय तथा न्यू मुन्सिफ कोर्ट में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की मांग

55—श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू—

क्या न्याय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि लगभग 3 माह से जनपद गोण्डा के बलरामपुर मुन्सिफ न्यायालय तथा न्यू मुन्सिफ कोर्ट, बलरामपुर में विगत तीन वर्षों से कोई भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उपरोक्त न्यायालयों में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति शीघ्र करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां जून, 1990 में अधिकारी उपलब्ध होने पर नियुक्तियां कर दी गई हैं।

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव

56—श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तुलसीपुर, जनपद गोण्डा में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना किए जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि

हाँ, तो उक्त न्यायालय कब तक खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या न्याय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोण्डा की तुलसीपुर तहसील में मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो अब तक न्यायालय न खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद गोण्डा की तहसील करने का प्रस्ताव बार-एसोसियेशन तुलसीपुर से प्राप्त हुआ था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति मांगी गयी थी । जनपद न्यायाधीश, गोण्डा ने सूचित किया है कि तुलसीपुर में न्यायालय कक्ष, आवासीय भवन, हवालात एवं मालखाना आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

तुलसीपुर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित

प्रदेश में मुन्सिम मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

57—श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मुन्सिम न्यायालय ऐसे हैं जिसमें 30 अप्रैल, 1990 तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरण हो जाने के कारण पद रिक्त थे ? क्या मंत्री जी उपर्युक्त रिक्त मुन्सिफ न्यायालयों में शीघ्र मुन्सिफ मजिस्ट्रटों की नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुन्सिफ के 92 पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्तियां किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

58—श्री मोबीन अहमद्र आजमी—

[4थे बुध० में अता० प्र० सं० 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली जनपद में चक्रवात एवं ओलावृष्टि से फसलों को क्षति तथा उनकी क्षतिपूर्ति की मांग

59—डा० दिनेश जौहरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में इस वर्ष चक्रवात व ओला वृष्टि से फ[illegible] को भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं व कितनी राशि प्रति काश्तकार दी गई है ? क्या मंत्री जी काश्तकारों की क्षति को देखते हुए इनके देयों की वसूली स्थगित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जनपद बरेली में माह मार्च, 1990 के अन्तिम सप्ताह में ओलावृष्टि एवं चक्रवात से जनपद की तहसील बरेली, बहेड़ी, आवला, फरीदपुर एवं नवाबगंज प्रभावित हुई । ओलावृष्टि से फसलों की तहसील बरेली के 108 ग्रामों में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक, बहेड़ी के 85 ग्रामों में 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक, आंवला के 85 ग्रामों में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक, फरीदपुर के 10 ग्रामों में 10 प्रतिशत तक एवं नवाबगंज के 92 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की क्षति हुई । तहसील नवाबगंज के 130 ग्रामों में 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की क्षति हुई । तहसील नवाबगंज में 38 ग्रामों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति हुई, वहां पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में रु० 500, गृह अनुदान के रूप में

33 पात्र व्यक्तियों को रु0 7,800 एवं 12 मृतक पशुओं के स्वामियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में रु0 5,250 की आर्थिक सहायता वितरित की गई ।

तहसील नवाबगंज के 92 ग्रामों में, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अति फसलों को हुई है मू–राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

बरेली जनपद के रामनगर स्थित प्रसिद्ध जैन मन्दिर को विकसित करने का प्रस्ताव

60––डा0 दिनेश जोहरी––

क्या सरकार बरेली जनपद के रामनगर स्थित प्रसिद्ध जैन मन्दिर को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर कितना धन निर्धारित किया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना कृषकों द्वारा फ्यूराडान कीटनाशक दवा की मांग

61––श्री हनुमन्त सिंह––

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रैलिस इण्डिया कम्पनी की फयाराडान कीटनाशक दवा गन्ना कृषकों के द्वारा लगातार मांग करने के बावजद उन्हें उत्तर प्रदेश के स्थानीय गन्ना समितियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम शरण––

फ्यूराडान कीटनाशक का तकनीकी नाम कार्बोफ्यूरान 3 जी है । यह इसी नाम से उद्योग निदेशक के यहां दर अनुबन्ध पर है । इसके लिये (1) रेट रैलिस इण्डिया कम्पनी तथा (2) पेस्टीसाइड्स इण्डिया, दो ही फर्म समान दर पर अनुबन्धित हैं ।

समय–समय पर सहकारी गन्ना समितियों द्वारा प्राप्त मांगों के आधार पर इन्हीं दोनों फर्मों से इस कीटनाशक की आपूर्ति करायी जाती है ।

62––श्री हनुमन्त सिंह––

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद गोण्डा के गन्ना विकास समिति तुलसीपुर में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षकों एवं गन्ना ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण की मांग

63––श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू––

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गन्ना विकास समिति तुलसीपुर में क्रमशः कितने गन्ना पर्यवेक्षक एवं गन्ना ग्राम सेवक 5 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी उल्लिखित कर्मचारियों को जो 5 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं का स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण––

जनपद गोण्डा के गन्ना विकास समिति तुलसीपुर में कुल 34 गन्ना पर्यवेक्षक 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत थे । गन्ना ग्राम सेवक का पद अब विभाग में नहीं रह

गया है । इनमें से 8 गन्ना पर्यवेक्षकों को जनपद के बाहर स्थानान्तरित करके कार्यमुक्त किया जा चुका है । चूंकि इस समय गन्ना सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हो गया है, अतः शेष का अभी स्थानान्तरण करना उचित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विभिन्न तहसीलों में अग्निकाण्ड एवं दी गयी सहायता की जानकारी

64—श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विभिन्न तहसीलों में 1 जनवरी, 1990 से 6 अप्रैल, 1990 तक कितने गांवों में अग्निकाण्ड हुए हैं तथा उसमें कितनी जन, पशु एवं धन की हानि हुयी है ? क्या अग्निकाण्ड से पीड़ितों की राहत हेतु धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित हो गयी है ? आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि अब तक वितरित नहीं की गयी है ?

श्री राम शरण—

जनपद गोण्डा के विभिन्न तहसीलों में 1 जनवरी, 1990 से 6 अप्रैल, 1990 तक 531 ग्रामों में अग्निकांड की घटना घटित हुई थी, जिसके फलस्वरूप 4 मनुष्यों व 107 पशुओं की मृत्यु हो गयी । कुल अनुमानित क्षति 58,71,740 रुपये की हुई ।

अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के सहायतार्थ तहसील गोण्डा में 68,250 रुपये उतरौला में 51,550 रु0, बलरामपुर में 63,700 रु0, तरबगंज में 2,25,000, रु0, तुलसीपुर में 75,000 रु0, करनैलगंज में 71,800 रु0 तथा मनकापुर में 84,250 रुपये अर्थात् कुल 6,39,550 रुपये आवंटित धनराशि का वितरण किया जा चुका है । कोई धनराशि वितरण हेतु अवशेष नहीं है ।

ग्राम रहिवार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का अन्तिम अभिलेख व नक्शा रिकार्ड कम से गायब होने के सम्बन्ध में पत्र

65—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहिवार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का अन्तिम अभिलेख का नक्शा रिकार्ड कम से गायब है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 फरवरी, 1990 जिला अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र दिनांक 6 फरवरी, 1990 का नहीं बल्कि 3 फरवरी, 1990 का प्राप्त हुआ था । लेखपाल के पास जिल्द बन्दोबस्त में उपलब्ध नक्शे को अभिलेखागार में सुरक्षित कर उसकी प्रतिलिपि लेखपाल को प्रयोग हेतु दे दी गई है ।

ग्राम चिलबिनी, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के गलत नक्शे के सम्बन्ध में पत्र

66— श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चिलबिनी, तहसील, सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का नक्शा गलत बनने संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 फरवरी, 1990

जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गयी । जांच से शिकायतकर्ता के नम्बरान के रकबों में अभिलेखों में अंकित क्षेत्रफल से कुछ अन्तर पाया गया । इस त्रुटि के दुरुस्ती के लिए आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी को दे दिय गये ह । जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 के उद्धरण संबंधित कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है ।

लखनऊ शहर में सिंगार नगर से रैदास मन्दिर तक चलने वाली सिटी बसों की संख्या तथा समय की जानकारी

67—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में सिंगार नगर से रैदास मन्दिर तक कितनी सिटी बसें प्रतिदिन चलायी जाती हैं और उनके छूटने-पहुंचने के क्या-क्या समय निर्धारित किय गये हैं ? क्या यह सही है कि माह जनवरी, 1990 से बसें निर्धारित समय से नहीं चल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच कराकर मंत्री जी दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्तमान समय में लखनऊ शहर के सिंगार नगर से रैदास मंदिर तक कोई भी सीधी नगर बस सेवा संचालित नहीं की जा रही है । ऐसी स्थिति में माह जनवरी, 1990 से बसों के निर्धारित समय से न चलने एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद में कार्यरत श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक की अनियमितता तथा गबन के सम्बन्ध में जानकारी

68—श्री समीउल्ला खां—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि गोण्डा जिले में कार्यरत श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक वर्ग 1 इसी जनपद की भगवतीगंज सहकारी क्रय विक्रय समिति बलरामपुर के सचिव पद पर कब से कब तक कार्यरत रहे हैं ? क्या श्री श्रीवास्तव ने अपने पद का समस्त चार्ज दे दिया है और वे अब भी उसी संस्था के भवन में रह रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69—श्री समीउल्ला खां—

क्या यह सही है कि बैंक की ऋण सीमा का लगभग 3 लाख रुपया तथा समिति को शासन से प्राप्त कई लाख रुपये अंशदान तथा निजी पूंजी का गबन/अपहरण श्री श्रीवास्तव के कार्यकाल में हो गया है ? यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? ऐसे दोषी/उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के विकास खंड फतेहपुर मण्डाव की ग्राम सभा दुबारी में चकबन्दी

70—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खंड फतेहपुर मण्डाव की ग्राम सभा दुबारी की चकबन्दी कब से हो रही है ? इसे कब तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ?

श्री राम शरण—

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव की गाँव सभा दुबारी की चकबन्दी प्रक्रिया वर्ष 1976 से चल रही है ।

अंतिम अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं जिसके पश्चात् यथाशीघ्र धारा 52(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जायेगा ।

जनपद मऊ की मुख्य शहीद भूमि मधुबन में शहीद स्मारक बनाने की योजना

71—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजादी की लड़ाई में 1942 में जनपद मऊ की मुख्य शहीद भूमि मधुबन में शहीद स्मारक बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके कब तक बन जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जिलाधिकारी, मऊ से नक्शा एवं आगणन मांगे गये हैं ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम सभा सुल्तानपुर बारह गांवा की चकबन्दी

72—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के वि0 ख0, फतेहपुर मंडल के अन्तर्गत ग्राम सभा सुल्तानपुर बारह गांवा की चकबन्दी कब से हो रही है और उसके कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

श्री राम शरण—

जनपद मऊ के विकास खंड फतेहपुर मन्डाव के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर बारह गांवा की चकबन्दी प्रक्रिया वर्ष 1975 से चल रही है और माह दिसम्बर, 1991 में अन्तिम अभिलेखों की तैयारी कराकर धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन कराये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

लोक सेवा अधिकरण को मंडल स्तर पर गठित किये जाने की मांग

73—श्री अमर मणि—

क्या सरकार बतायेगी कि लोक सेवा अधिकरण में वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार कुल विचाराधीन वादों की संख्या क्या है ? क्या सरकार लोक सेवा अधिकरण को मंडल स्तर पर गठित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक गठन का निर्णय लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्षवार विचाराधीन/लम्बित वादों की संख्या इस प्रकार है :—

1980	157
1981	306
1982	449
1983	459
1984	892
1985	1416
1986	1532
1987	2016
1988	2410
1989	2246
1990 (1 मई, 1990 तक)	1111

लोक सेवा अधिकरणों के संगठनात्मक ढांचे में संशोधन के प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये सुझाव विचाराधीन हैं। इनमें अधिकरणों के विकेन्द्रीकरण का बिन्दु भी निहित है।

74—श्रीमती सिया दुलारी—

[7वें सोम0 में अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम आलमपुर, परगना खेड़ा बघेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में अग्निकाण्ड से पीड़ितों की सहायता

75—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को पता है कि 22, 23 अप्रैल, 1990 को ग्राम आलमपुर, परगना खेड़ा बघेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में भयानक आग लगी, जिससे ग्रामीणों की लाखों की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो शासन द्वारा अग्नि-पीड़ितों को क्या सहायता दी गयी ?

श्री राम शरण—

दिनांक 24 अप्रैल, 1990 को दिन के लगभग 12 बजे ग्राम आलमपुर, परगना खेड़ा-बघेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के खलिहान में अचानक आग लग गयी थी, जिससे 33 परिवारों को लगभग 78,140 रुपये की अनुमानित क्षति हुयी थी।

सबस्त 33 अग्निपीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता के रूप में कुल 13,202 रुपया की सहायता वितरित की गयी ।

ग्राम सभा महमंदपुर, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा

76--श्री इन्द्र प्रताप सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा महमंदपुर, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद की ग्राम सभा की भूमि सं0 1406 पर ग्राम प्रधान द्वारा एक व्यक्ति को अवैधानिक रूप से कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निक कब्जे को हटवाकर उक्त भूमि हरिजनों में आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण--

जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत ग्राम की भूमि सं0 1406 के 1 बीघा 4 बिस्वा क्षेत्रफल पर श्री राम कुमार पुत्र महावीर, निवासी मोहम्मदपुर द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा दिलाने की बात सिद्ध नहीं हुई है ।

अनधिकृत अध्यासी के विरुद्ध धारा 122-बी ज0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है जिसके निर्णयोपरान्त इस भूमि का आवंटन नियमानुसार पात्र व्यक्तियों में किया जा सकेगा ।

77--श्री अतीक अहमद तथा श्री मंजूर अहमद--

(माननीय सदस्यों द्वारा वापस लिया गया ।)

78--श्री हृदय नारायण--

(7वें सोम0 में अता0 प्र0 सं0 116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

79--श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री गोमती यादव तथा श्री अमर मणि--

(दिनांक 3 जुलाई, 1990 को अता0 प्र0 सं0 22 द्वारा उत्तरित)

ग्राम बरवाखास ताल्लुका आसगांव, परगना मदोही, जनपद वाराणसी के चौत चकबन्दी नक्शों का अभिलेखागार से गायब होने के सम्बन्ध में जानकारी

80--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरवाखास, ताल्लुका आसगांव, परगना मदोही, जनपद वाराणसी के चौत चकबन्दी के समस्त नक्शे क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसील ज्ञानपुर के रिकार्ड रूम से वर्ष 1981 से गायब हैं ? यदि हां, तो नक्शों का पता लगाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई और कब तक नक्शे उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री राम शरण--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत तैयार किया गया पुष्टिकृत नक्शा अभिलेखागार में दाखिल नहीं किया गया और जिल्द बन्दोबस्त चकबन्दी के साथ उपलब्ध मू-चित्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । तहसील ज्ञानपुर के रिकार्ड रूम में भी बन्दोबस्ती नक्शा उपलब्ध नहीं है और वर्तमान लेखपाल को भी बन्दोबस्ती नक्शा

चार्ज में नहीं मिला है । बन्दोबस्ती नक्शे की प्रति प्राप्त करने अथवा अभिलेखों के आधार पर पुनः बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 की सहकारी निरीक्षक वर्ग 1 में पदोन्नति का मामला

81--श्री नकली सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के 1ले मंगल के अरा0 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चरित्र प्रविष्टियां देन अथवा भेजने का किसका कर्तव्य है ? किस शासनादेश के 1439, 1462, 1463 कोटिक्रमों को पदोन्नति से छोड़ा गया ? यदि उक्त कोटिक्रमों का दोष नहीं है तो पदोन्नति का आर्थिक लाभ क्या कनिष्ठ कोटिक्रम 1465 को दी गई पदोन्नति के दिनांक से मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत प्रश्न सहकारी निरीक्षक वर्ग 2/सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित है । इन कर्मचारियों को वार्षिक प्रविष्टियां देने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी/जिला सहायक निबन्धक/जिला विकास अधिकारी/क्षेत्रीय उपनिबन्धकों में निहित है । इन्हीं अधिकारियों का दायित्व होता है कि वे वार्षिक प्रविष्टियां पूर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी को समय से भेजें ।

शासनादेश नहीं है । उस वर्ष की चरित्र प्रविष्टियां चयन समिति की बैठक दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 व 7 अक्तूबर, 1988 पर उपलब्ध न होने पर नाम, आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया और आगामी बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 1989 को हुई जिसमें निरीक्षक वर्ग 1 के पद पर चयन किया गया ।

प्रोन्नति का लाभ, पद पर योगदान की तिथि से मिलेगा । कोटिक्रम संख्या 1439, 1462 तथा 1463 की ज्येष्ठता, कोटिक्रम संख्या 1465 के ऊपर यथा स्थान रहेगी ।

उन्नाव मिर्री कला बस सेवा बंद किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

82--श्री हृदय नारायण--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र को उन्नाव मिर्री कला बस सेवा क्यों बंद कर दी गई है ? बिना किसी कारण के बस सेवा बंद करने के लिये दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग का पुरवा से मिर्री कला तक का 9 किमी0 भाग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण यह सेवा बन्द कर दी गई है । उन्नाव-पुरवा मार्ग पर परिवहन निगम की बस संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की शिकायत

83--श्री हृदय --

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करने की शिकायत से युक्त शिकायती-पत्र, दिनांक 11 मई, 1990 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो राजस्व अभिलेखों में कटिंग हेर फेरी करने की गलती व अपराध के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या गलती का संशोधन कर दिया गया है ?

श्री राम शरण—

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 11 मई, 1990 का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण राप्ती नगर योजना में करोड़ों रुपया जमा करने तथा अभ्यर्थियों को भूमि पर कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

84—श्री राजमणि पांडेय—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने राप्ती नगर योजना में करोड़ों रुपये जमा करा लिए हैं, परन्तु अभी तक किसी को भी भूमि का कब्जा नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जमा धनराशि पर ब्याज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की राप्ती नगर आवासीय योजना हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपया जमा कराये गये है । अभी तक इन व्यक्तियों को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ।

योजना की केवल आंशिक भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है । अवशेष भूमि के प्रतिकर के निर्धारण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन (द्वितीय) द्वारा की जा रही है । जी हां । जमा धनराशि पर 1 जनवरी, 1990 से ब्याज दिये जाने का प्राविधान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा नेत्रहीन विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवास का आवंटन

84—श्री राजमणि पांडेय—

(अ) क्या आवास मन्त्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा लखनऊ में सन् 1987-88 चरण में सुरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत भवन हेतु पैसा जमा कराया गया था, परन्तु उक्त श्रेणी में अब तक कोई आवंटन नहीं हुआ है ? क्या उक्त श्रेणी में नेत्रहीन, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें भवन आवंटन प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

वर्ष 1987-88 के चरण में सुरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों में से कुछ पंजीकृत क्रेताओं की उनकी सहमति के आधार पर भवन आवंटित किये गये हैं ।

नेत्रहीन/विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पंजीकृत व्यक्तियों को उनके लिए परिषद् नियमों के अन्तर्गत किये गये आरक्षण के अनुसार आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है ।

नया गांव माधोगंज मार्ग, जनपद हरदोई में पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा अध्यप्ति भूमि का मुआवजा

85—श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नयागांव माधोगंज मार्ग, जनपद हरदोई में 1973 में पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा बनी सड़क का मुआवजा किसानों को अभी

तक नहीं दिया गया जबकि मुआवजा अधिकारी (अध्यर्पित अधिकारी) को रुपया हस्तान्तरित हो चुका है ? यदि हां, तो क्यों ? किसानों को मुआवजे का भुगतान कब तक हो सकेगा ?

श्री राम शरण—

नयागांव माधोगंज के निर्माण के सम्बन्ध में भू-अर्जन का अभिनिर्णय 1986 में घोषित हुआ और प्रतिकर के भुगतान हेतु रु0 6.94 लाख की धनराशि के विरुद्ध अध्याप्त निकाय द्वारा मात्र रु0 3,05,712.35 ही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन), हरदोई को उपलब्ध कराया गया है जिसमें रु0 1,23,085.56 का वितरण हो चुका है । शेष रु0 1,82,626.79 की धनराशि का भुगतान कार्य अधीक्षक, अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग), लोक निर्माण विभाग, बिलग्राम, हरदोई द्वारा कतिपय त्रुटियों के सुधार हेतु रोक दिया गया है । प्रतिकर की शेष धनराशि रु0 3,88,287.65 अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

बरेली में सहकारी आवास समितियों के तलपट मानचित्र स्वीकार किये जाने की मांग

86—डाक्टर विनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में कितनी सहकारी आवास समितियां हैं जिन्होंने अपने तल पट मानचित्र स्वीकृत होने के लिये गत वर्ष बरेली विकास प्राधिकरण को दिए थे ? उनके स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी बरेली महानगर में आवास की कमी को देखते हुए सभी सहकारी आवास समितियों के तल पट मानचित्र स्वीकार करने के आदेश बरेली विकास प्राधिकरण को देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1989-90 में बरेली विकास प्राधिकरण में तीन सहकारी आवास समितियों के तीन तलपट मानचित्र प्राप्त हुये थे, जिन्हें सीलिंग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व0 अमीर जमां खां पुत्र अशरफ खां, ड्राइवर, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, रानीखेत की पत्नी गुलनिशा बेगम की नियुक्ति की मांग

87—डाक्टर विनेश जौहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री अमीर जमां खां पुत्र अशरफ खां, ड्राइवर, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम' रानीखेत की वर्ष 1983 में मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो उनके स्थान पर इनकी पत्नी गुलनिशा बेगम की नियुक्ति न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री जी अनुकम्पा के आधार पर अमीर जमां खां की पत्नी को नियुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

श्री अमीर जमा खां पुत्र अशरफ खां की मृत्यु दिनांक 11 अप्रैल, 1983 को हुई। श्री खां को दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 को ही चालक पद से पृथक किया जा चुका था, अतः वे मृत्यु के समय सेवा में नहीं रहे ।

चूंकि श्री अमीर जमां खां की मृत्यु सेवारत रहते हुए नहीं हुई थी, अतः मृतक आश्रित को नियमानुसार नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा दिये गये जेल प्रवास प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

88—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6 मार्च, 1987 को आदर्श कारागार, लखनऊ के अधीक्षक के हस्ताक्षर से किन–किन लोगों को उनके जेल प्रवास के प्रमाण–पत्र दिये गये थे ? क्या अधीक्षक द्वारा श्री हनुमान प्रसाद कुरील को भी उक्त प्रमाण–पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो प्रमाण–पत्र में श्री कुरील के वल्दियत व सकूनत में क्या लिखा गया है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

दिनांक 6 मार्च, 1987 को आदर्श कारागार, लखनऊ के अधीक्षक के हस्ताक्षर से कोई प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया । उक्त तिथि को केवल श्री हनुमान प्रसाद नाम के व्यक्ति को कारापाल श्री जे0 एन0 शर्मा के हस्ताक्षर से प्रमाण–पत्र दिया गया था ? इस प्रमाण–पत्र में श्री हनुमान प्रसाद की वल्दियत व सकूनत अंकित नहीं है ।

आदर्श कारागार, लखनऊ में श्री हनुमान प्रसाद कुरील के साथ बन्दी व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

89—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि 14 अप्रैल, 1947 को आदर्श कारागार, लखनऊ में धारा 147/448 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत श्री हनुमान प्रसाद कुरील के साथ कुल कितने और कौन–कौन बंदीगण जेल में प्रविष्ट हुये थे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

दिनांक 14 अप्रैल, 1947 को आदर्श कारागार, लखनऊ में श्री हनुमान प्रसाद कुरील नाम का कोई बन्दी प्रविष्ट नहीं हुआ था । अतः उनके साथ किसी अन्य बन्दी के उक्त तिथि को जेल में प्रविष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

आदर्श कारागार (केन्द्रीय कारागार), लखनऊ में श्री हनुमान प्रसाद कुरील को बन्दी बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

90—श्री मोती लाल देहलवी—

द्वितीय सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 68 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सत्याग्रही

की संख्या न बताये जाने का कारण क्या है ? इसी प्रसंग में क्या यह भी बतायेंगे कि क्या श्री हनुमान प्रसाद कुरील धारा 147/448 के तहत अकेले सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार किये गये थे ? यदि हां, तो धारा 147/448 आई० पी० सी० श्री हनुमान प्रसाद कुरील के विरुद्ध किस आधार पर लगाई गई ? यदि नहीं, तो सत्याग्रहियों की संख्या क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

द्वितीय सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-68 का उत्तर देते समय संख्या उपलब्ध नहीं थी ।

आदर्श कारागार (तत्कालीन केन्द्रीय कारागार), लखनऊ के बन्दी मुक्ति रजिस्ट्रार सं० 7 के अनुसार श्री हनुमान प्रसाद का धारा 147/448 के अन्तर्गत जेल से मुक्त होना अंकित है । उक्त कारागार के प्रवेश रजिस्टर सं० 1 के अनुसार दिनांक 9 मई, 1947 को बन्दी संख्या 14127 पर हनुमान प्रसाद पुत्र प्रभुदयाल (जाति कुरील), निवासी मोमनगर, जिला कानपुर को भा० द० वि० की धारा 117/448/353 के अन्तर्गत जेल में दाखिल किया गया था । उक्त तिथि को उपरिलिखित धाराओं के अन्तर्गत 22 अन्य बन्दी भी दाखिल हुए थे ।

दि सहकारी चीनी मिल लि०, घोसी, जनपद मऊ की आजमगढ़ स्थित गोदाम के निर्माण में अनियमितता

91--श्री पंचानन राय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, घोसी, जनपद मऊ की अजमतगढ़ स्थित गोदाम के निर्माण में अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मार्च, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम शरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास सचिव द्वारा जारी विभागीय तबादलों की सूची में अवकाश प्राप्त अभियन्ता का नाम दर्ज होने की शिकायत

92--श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

क्या सरकार को पता है कि दिनांक 5/6 मई, 1990 को आवास सचिव ने अपने विभाग के तबादलों की जांच सूची जारी की उसमें एक अवकाश प्राप्त अभियन्ता के तबादले का आदेश भी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

दिनांक 4 मई, 1990 को जारी स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूची में लिपिकीय त्रुटिवश एक सेवानिवृत अधिशाशी अभियन्ता का नाम सम्मिलित हो गया था। इस त्रुटि का दिनांक 5 मई, 1990 को निराकरण कर दिया गया।

अधीक्षक, जिला जेल, गोरखपुर के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों को नये वेतनमान की अवशेष धनराशि का भुगतान कराने की मांग

93—श्री राम करन आर्य—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक, जिला जेल, गोरखपुर के कार्यालय में कार्यरत किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों को नये वेतनमान की अवशेष धनराशि नहीं दिया गया है? इन्हें कब तक उसका धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक शिक्षाध्यापक के नये वेतनमान की अवशेष धनराशि का भुगतान अवशेष है। इसका भुगतान शीघ्र ही करा दिया जायेगा।

94—श्री राम करन आर्य—]

[5वें मंगल में अता0 प्र0 सं0 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव जिले की अवध ग्रामीण बैंक हिलोली में भ्रष्टाचार एवं घांधली

श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की अवधि ग्रामीण बैंक, हिलोली के द्वारा काश्तकारों को ठगने, रिश्वत लेने आदि के सम्बन्ध में क्या जनता दल विधान सभा क्षेत्र पुरवा उन्नाव के अध्यक्ष/संयोजक आर0 पी0 यादव का शिकायतों-पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित माह मई, 1990 में उनको लिया है? यदि हां, तो पत्र की जांच किसने की है तथा दोषी को क्या दण्ड दिये गये हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सन्दर्भ में जांच करने हेतु अध्यक्ष अवध ग्रामीण बैंक से अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष अवध ग्रामीण बैंक से जांच आख्या प्रतीक्षित है।

उन्नाव के ए0 आर0 एम0 द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

96--श्री हृदय नारायण--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव के ए0 आर0 एम0 के द्वारा बरती गयी तमाम अनियमितताओं आदि के संबंध में प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र, जिसकी प्राप्ति विधायक कोष्ठक से पत्र संख्या सी0 एम0 वि0 को एम-1-ल/30-218/90, के द्वारा स्वीकार की गई है, की जांच के क्या निष्कर्ष हैं ? दोषी को क्या दण्ड दिए गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय विधायक का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है । मामले की जांच कराई जा रही है ।

स्व0 श्री पद्म सिंह, गन्ना ग्राम सेवक, बहेड़ी, जनपद बरेली के स्थान पर उनके पुत्र की नियुक्ति की मांग

97--डाक्टर विनेश जौहरी--

क्या गन्ना मन्त्री को जानकारी है कि श्री पद्म सिंह, गन्ना ग्राम सेवक, बहेड़ी, जनपद बरेली का देहान्त 30 जुलाई, 1988 को सेवाकाल में हो गया था ? क्या अभी तक उनके पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर उनके स्थान पर नियुक्ति नहीं मिली है क्या मन्त्री जी मृतक के पुत्र को नियुक्ति दिलाने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम शरण दास--

जी हां ।

मृतक के पुत्र श्री ओमपाल सिंह को गन्ना विराई सत्र 1988-89 में ही अनुकम्पा के आधार पर गन्ना समिति बहेड़ी में सामयिक लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर नगर महापालिका तथा विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा की गई धनराशि के विवरण की मांग

98--श्री शिव प्रताप शुक्ल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर महापालिका तथा विकास प्राधिकरण ने पिछले 4 वर्षों में विभिन्न बैंकों में कितना पैसा जमा कराया था ? क्या उक्त निकायों द्वारा पैसा उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी बैंक में भी जमा कराया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

नगर महापालिका, गोरखपुर की सूचना अप्राप्त है किन्तु गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1986-87 से वर्ष 1989-90 तक विभिन्न बैंकों में 6060.562 लाख 0 की धनराशि जमा करायी गयी, जिसमें से 60 लाख रु0 की धनराशि राजस्थान स्थित

पंजाब नेशनल बैंक की राजगढ़ (अलवर) तथा जरवारा (जयपुर) शाखाओं में जमा करायी गयी ।

पंजाब नेशनल बैंक भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है ।

99—श्री भोला पाण्डेय—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

श्री एस० आर० एस० यादव, तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी विधायन एवं शीतग्रह संघ लि० (फैक्स पैड़) द्वारा अनियमितता

100—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मन्त्री उ० प्र० को संबोधित श्री हर्षवर्धन एम० एल० ए०, महामंत्री तत्कालीन जनता पार्टी, उ० प्र० का पत्र सं० 1123/ज० पा०/88, दिनांक 21 सितम्बर, 1988, जिसमें श्री एस० आर० एस० यादव, तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि० (फैक्सपैड) द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करके संस्थान को लाखों रुपये की हानि पहुंचाने की शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता उ० प्र० के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा को आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो शिकायत और अब तक की जांच परिणाम का विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां ।

शिकायत-पत्रों में अधिकांश प्रकरण जनपद लखनऊ से सम्बन्धित होने के कारण विशेष अनुसंधान शाखा, सह० उ० प्र०, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है । पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान शाखा, सह० उ० प्र०, लखनऊ द्वारा जांच त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर में कार्यरत कानूनगो एवं चपरासियों के स्थानान्तरण की मांग

101—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर में ऐसे कितने कानूनगो के साथ सम्बद्ध चपरासी हैं जो कि अपने निजी ग्राम के हल्के में विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी चपरासियों का स्थानान्तरण उक्त तहसील के दूसरे परगना में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर में किसी कानूनगो के साथ ऐसा कोई चपरासी सम्बद्ध नहीं है जो अपने निजी ग्राम के हल्के में विगत 10 वर्षों से कार्यरत है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, एडवोकेट को कानपुर रोड, योजनान्तर्गत भवन का आवंटन

102—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, एडवोकेट को कानपुर रोड योजना का भवन संख्या ए-1/5 सेक्टर सी आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो उसका कब्जा उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। श्री अग्रवाल, एडवोकेट को आवंटित भवन सं0 1/5 के विरुद्ध 30 अगस्त, 1988 तक उन्हें कुल रु0 2,17,518.75 प्राधिकरण के खाते में जमा करना था जिसे उन्होंने अत्यन्त विलम्ब से 25 मई, 1990 को जमा किया। फलस्वरूप दिनांक 30 अगस्त, 1988 से 25 मई, 1990 तक की अवधि के लिये उक्त देय धनराशि रु0 2,17,518.75 पर रु0 60,389 दण्ड ब्याज देय हो गया है। इस दण्ड ब्याज की धनराशि को जमाकर देने तथा भवन की रजिस्ट्री करा लेने के पश्चात् ही भवन का कब्जा श्री अग्रवाल को दिया जा सकेगा।

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट एवं नोटरी का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भू-खंड के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

103—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट एवं नोटरी का लखनऊ विकास प्राधिकरण की नैथियर रोड, भाग-2 योजना के अन्तर्गत भू-खंड संख्या 69 के हस्तान्तरण की अनुमति के समय लिए गये हस्तान्तरण शुल्क की वापसी का कोई प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शुल्क वापसी में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

हस्तान्तरण शुल्क वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार श्री अग्रवाल को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 21 जून, 1986 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

सरौला स्टेट, जनपद हमीरपुर को तहसील बनाये जाने की मांग

104—श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरौला स्टेट, जनपद हमीरपुर को कब तक तहसील बनाया जायेगा ? क्या इससे सम्बन्धित सभी कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो इसमें देरी का क्या कारण है ?

श्री राम शरण—

प्रदेश में नये मंडलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

गया है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त तथा दिनांक 30 जून, 1991 तक वर्तमान जनगणना के कार्य के समाप्ति के पश्चात ही शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा । 30 जून, 1991 तक जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित है ।

जनपद गोरखपुर की सदर तहसील में ग्राम सुरसर डेउरी को सम्मिलित करने की मांग

105—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराने जनपद गोरखपुर की सदर तहसील का एक ग्राम सुरसर डेउरी बटवारे के बाद किसी भी तहसील में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सुरसर डेउरी नाम का कोई ग्राम तहसील सदर अथवा जनपद गोरखपुर में नहीं है । किन्तु सुरसरि डेउरी नाम का एक ग्राम तहसील सदर गोरखपुर में है व पूर्व में भी तहसील सदर में था ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम उफरौली, परगना नाथूपुर, तहसील घोसी, जनपद मऊ के ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम प्रधान सूर्यबली द्वारा अवैध कब्जा

106— श्री केदार नाथ सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा उफरौली तिवारी, तहसील घोसी, जनपद मऊ की चकबन्दी के पश्चात् ग्राम समाज की समस्त नवीन भूमि वर्तमान ग्राम प्रधान श्री सूर्यबली द्वारा अपनी पत्नी के नाम गलत ढंग से दर्ज करा ली गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री राम शरण—

ग्राम उफरौली, परगना नत्थुपुर, तहसील घोसी, जनपद मऊ में नियम 109 के अन्तर्गत ग्राम सभा की भूमि पर चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 26 फरवरी, 1990, वाद संख्या 897 द्वारा 0.252 एकड़ पर, सूर्यबली पुत्र शिव शंकर, प्रधान ग्राम सभा उफरौली तथा वाद संख्या 96 ता0 फैसला 30 मई, 1988 द्वारा चकबन्दी अधिकारी, 4-390 एकड़ भूमि पर श्रीमती चन्द्रावती पत्नी सूर्यबली का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया गया है। यह अमलदरामद चकबन्दी विभाग के सहायक चकबन्दी अधिकारी ने स्वयं तहसील के रजिस्टर मालिकान में अंकित किया है। चूंकि ग्राम सभा की भूमि पर श्री सूर्यबली प्रधान एवं उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती के नाम भूमि चकबन्दी विभाग के सक्षम न्यायालय द्वारा अंकित है। अतः प्रशासनिक तौर पर कोई आदेश नहीं किये जा सकते ।

ग्राम आराजी नौबरार करखिया किला अब्बल, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

107—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आराजी नौबरार करखिय किला अब्बल, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की ग्राम समाज की भूमि पर कुछ

सीरदारी दर्ज किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र माह फरवरी, 1990 में जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम शरण—

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1990 प्राप्त हुआ है।

पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कराई गई। जांच से यह पाया गया कि पाटा संख्या 1258/-160, 1263/-672, 1285/-500 कुल तीन गाटा क्षेत्रफल 1-332 एकड़ वर्तमान खतौनी 1396 फ0 से 1401 फ0 में बंजर के खाता संख्या 502 में गांव सभा सम्पत्ति के रूप में अंकित है। उक्त भूमि खातेदार श्री त्रिवेनी पुत्र राम नाथ के नाम सीरदारी अंकित नहीं है।

ग्राम रौनापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में चकबन्दी तथा भूमि की पैमाइश

108—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रौनापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की पैमाइश से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1990 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम शरण—

जी हां।

ग्राम रौनापार की चकबन्दी उपरान्त पैमाइश न किए जाने के कारण किसानों को होने वाली असुविधा विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1990 पर जांच करवाई गई। जांच से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश काश्तकारों को चकबन्दी प्रक्रिया के समय ही गाटों की पैमाइश करके कब्जा दे दिया गया था। जिन काश्तकारों द्वारा रकबे की कमी को मौखिक रूप से शिकायत की गई थी उनके गाटों की पैमाइश करा दी गयी है। सम्प्रति उक्त ग्राम का रकबे की कमी की पैमायशी बाबत कोई शिकायती-पत्र या लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत हदबन्दी का वाद लम्बित नहीं है।

लालकुंआ, जनपद नैनीताल में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बस स्टेशन बनाने की मांग

109—डाक्टर दिनेश जोहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि लालकुंआ, जनपद नैनीताल में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बस स्टाप कुछ माह से हटा दिये जाने के कारण नागरिकों को बेहद परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लालकुंआ में बस स्टेशन खोलने एवं यहां से आने-जाने वाली सभी बसों को रोके जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

लालकुंआ जनपद नैनीताल पर पूर्व से ही समस्त बसों का फेयर स्टापेज है। इस स्थान से होकर गुजरने वाली सभी बसें वहां पर रुककर यात्रियों को उतारती-चढ़ाती हैं।

बांदा जनपद की तहसील बांदा के ग्राम रामपुर की प्रबन्धक समिति द्वारा हरिजन एवं निर्बल लोगों को आवासीय पट्टों का प्रस्ताव

110—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद की तहसील बांदा अन्तर्गत ग्राम रामपुर की भूमि प्रबन्धक समिति, रामपुर ने दिनांक 4 फरवरी, 1990 को प्राथमिकता प्राप्त हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को आवासीय पट्टों का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो क्या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्ताव में कुछ प्राविधिक कमियां होने के कारण दिनांक 30 जून, 1990 को परगनाधिकारी द्वारा तहसीलदार, बांदा को स्वयं जांच करने तथा आख्या एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं ।

ग्राम सभा बली पट्टी रानी गांव के मजरा रतनपुर रमौआ परगना अमृतपुर तहसील सदर, जनपद फर्रुखाबाद के बचत भूमि की पैमाइश

111—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बली पट्टी रानीगांव के मजरा रतनपुर रमौआ परगना अमृतपुर तहसील सदर, जनपद फर्रुखाबाद में बचत भूमि की पैमाइश एवं चकरोड खुलवाने के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मार्च, 1990 अपर जिलाधिकारी (वित्त), फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह पैमाइश कराई गई एवं चकरोड खुलवाये गये ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

मौके पर बचत भूमि की पैमाइश करा दी गई है तथा चकरोडों की भी जांच करा ली गई है । अब तक कुल 5 मुकदमें अवैध कब्जों के दायर हो चुके हैं जिनमें से दो मुकदमों में निर्णय भी दिनांक 15 जून, 1990 को हो चुका है । इनमें से एक वाद चकरोड पर अनाधिकार कब्जा का भी दायर हुआ था । निर्णीत दो मुकदमों में जुर्माना भी हो चुका है । शेष अवैध कब्जों को हटाये जाने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है । विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बिजनौर में नई चीनी मिल खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

112—श्री सुखवीर सिंह—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में कोई और नई चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जनपद बिजनौर में अभी चीनी मिल स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा उफरौली, तहसील घोसी, जनपद मऊ में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा

113—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा उफरौली-तिवारी, तहसील घोसी, जनपद मऊ की ग्राम सभा की समस्त भूमि गलत ढंग से विक्रमा सिंह ने अपने नाम करा लिया है और परगनाधिकारी घोसी एवं आयुक्त (राजस्व), गोरखपुर द्वारा ग्राम सभा के पक्ष में निर्णय दिए जाने के बावजूद अब तक उक्त भूमि पर ग्राम सभा का नाम दर्ज नहीं हो सका ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम शरण—

ग्राम उफरौली, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी जनपद मऊ के ग्राम सभा के 16 गाटा, जिनका कुल रकबा 3—499 एकड़ है, चकबन्दी न्यायालय द्वारा विक्रमा पुत्र बल्देव, सा0 भानपुर दुबारी के नाम बन्दोबस्त चकबन्दी में श्रेणी 'क' संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित होकर जिल्द बन्दोबस्त तहसील में प्राप्त हुआ है । तहसील स्तर पर श्री विक्रमा के नाम ग्राम समाज की भूमि अंकित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । परगनाधिकारी, घोसी एवं आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । तहसील अभिलेखों में उपरोक्त इन्द्राज अब भी श्री सिंह के नाम भूमिधरी के रूप में अंकित है ।

जिल्द बन्दोबस्त चकबन्दी एक बन्दोबस्ती अभिलेख है, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं होता उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की मांग

114—श्री चेतराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1986 सी0 एम0 वी0 को0 एम-4/10-64/ब/86 बाबत पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किए जाने के सन्दर्भ में अब तक शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में शीघ्र पुवायां में एक मुंसिफ कोर्ट खोलने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति मांगी गई थी । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27 अगस्त, 1987 को सूचित किया था कि जब तक पुवायां में न्यायालय कक्ष, आवासीय भवन, हवालात एवं माल मालखाना आदि का निर्माण नहीं हो जाता है, वहां पर न्यायालय की स्थापना करना संभव नहीं है ।

ग्राम हंसपुर, परगना खुटार, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर में चकबन्दी की मांग

115--श्री चेतराम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24 फरवरी, 1989/486, बी0 आई0 पी0 एम0 आर0/89, जो तत्कालीन राजस्व मंत्री जी को सम्बोधित बाबत ग्राम हंसपुर, परगना खुटार, जनपद शाहजहांपुर की चकबन्दी प्रक्रियाओं से सम्बन्धित स्थगन आदेश निरस्त कराकर जनहित में शीघ्र उक्त ग्राम में चकबन्दी पूर्ण कराने विषयक था, के सन्दर्भ में आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जनहित में शीघ्र उपरोक्त ग्राम में चकबन्दी पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण--

ग्राम हंसपुर, परगना खुटार, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर में तीन बड़े खातों की कई एकड़ भूमि के स्वत्व सम्बन्धी मामले की निगरानी में जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध तीन रिट याचिकाएं दायर हुई हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रमशः दिनांक 3 फरवरी, 1982, 8 जून, 1983 तथा 3 दिसम्बर, 1986 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। फलस्वरूप उक्त ग्राम की चकबन्दी प्रक्रियायें स्थगित हैं। उक्त रिट याचिकाओं का विरोध करने और स्थगन आदेश निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

उक्त रिट याचिकाओं म माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त हो जाने पर ही उक्त ग्राम में चकबन्दी क्रियायें पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा।

बांदा जनपद की तहसील बांदा के ग्राम रामपुर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा

116--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के तहसील बांदा अन्तर्गत ग्राम रामपुर के गांव सभा के गाटा संख्या 2331, 2398 एवं 1725, 1700 में एक दर्जन लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा को रोकने व हटाने बाबत प्रधान गांव सभा, रामपुर ने जिला अधिकारी, बांदा को टेलीग्राम, दिनांक 17 जुलाई, 1989 शिकायती-पत्र 17 अक्टूबर, 1989 व 21 अक्टूबर, 1989 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गांव सभा की सार्वजनिक रास्ता एवं सुरक्षित भूमि का अतिक्रमण हटाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण--

जी हां।

प्रकरण की जांचोपरान्त 13 व्यक्ति अवैध रूप से काबिज पाये गये जिनकी बेदखली के बाद धारा 122 बी0 ज0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिनके निर्णयोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

117--श्री राम प्रसाद सिंह--

(6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के ग्राम बलीदपुर आदि में चकबन्दी

118--श्री फौजदार--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के ग्राम बलीदपुर, भीरा, कमालपुर एवं कोठिया लगभग 25 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं ? उक्त ग्रामों में चकबन्दी कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? उक्त ग्रामों में अब तक चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त न होने का क्या कारण है ?

श्री राम शरण--

जी हां ।

ग्राम बलीदपुर में चकबन्दी कार्य मार्च, 1992 तक तथा ग्राम कमालपुर एवं कोठिया का चकबन्दी कार्य मार्च, 1991 में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

प्रश्नगत ग्रामों के अभिलेख जीर्णशीर्ण होने एवं भू-चित्रों के अस्पष्ट होने के कारण अन्तिम अभिलेखों की तैयारी में विलम्ब हो रहा है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा की अनोगी साधन सहकारी समिति के तत्कालीन सचिव, श्री प्रेमनाथ कुरील के सम्बन्ध में शिकायती-पत्रों की जांच

119--श्री फौजदार--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मछरेहटा की अनोगी साधन सहकारी समिति के सचिव, श्री प्रेम नाथ कुरील, जो इस समय भिठौरा समिति पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध श्री अंगन पुत्र नरायन, निवासी लीलाखेड़ा पो0 काकोरी, जिला लखनऊ द्वारा श्री प्रेम नाथ कुरील के इन्टर परीक्षा के फर्जी प्रमाण-पत्र तथा अन्य गम्भीर अनियमितताओं के विषय में रजिस्टर्ड डाक रसीद क्रमांक 4292, 4293, दिनांक 28 अक्टूबर, 1987, 0948, दिनांक 30 अक्टूबर, 1987, 438, 439, 440, 441, दिनांक 30 मार्च, 1988, 685, दिनांक 18 जुलाई, 1988, 1966, 1967, 1968, 1969, दिनांक 19 जून, 1989 तथा 2503, दिनांक 8 फरवरी, 1990 द्वारा जिला सहायक निबन्धक सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, सीतापुर निबन्धक, उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा सहकारिता मंत्री एवं मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन तथा जिलाधिकारी, सीतापुर को प्रेषित शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां । श्री अंगन पुत्र नरायन, निवासी लीलाखेड़ा, जनपद लखनऊ के शिकायती-पत्र, दिनांक 27 अक्टूबर, 1987, 30 मार्च, 1988, 7 जुलाई, 1988, 16 जून, 1989 व दिनांक 8 फरवरी, 1990 प्राप्त हुए, जिसमें श्री प्रेम नाथ कुरील, सचिव, अनोगी साधन सहकारी समिति, सीतापुर के विरुद्ध चार आरोप लगाये गये थे । शिकायती-पत्रों की जांच करायी गयी । तीन आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । चौथे आरोप के विषय में सम्बन्धित प्रधानाचार्य, गिरधारी सिंह इन्दर कुंवर इन्टर कालेज, लखनऊ से पुष्टि की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहननिगम द्वारा मिनी एम0 डिलक्स बस स्वराज माजदा व डी0 सी0 के लिये रोड परमिट की मांग

120—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मिनी एम0 डिलक्स बस स्वराज माजदा व डी0 सी0 के लिए रोड परमिट को संस्तुति किए जाने के बाद भी अभी तक रोड परमिट जारी नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त रोड परमिट न दिए जाने से भू0 पू0 सैनिकों का भविष्य अधर में है ? यदि हां, तो उक्त गाड़ियों के लिए रोड परमिट कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

नये मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1988 के अधीन इन वाहनों के परमिट हर वर्ग के आवेदकों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त उदारतापूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

चकबन्दी अभिलेख कार्यालय अकबरपुर, जिला फैजाबाद में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री गोपाल रामदास स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

121—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपाल रामदास, तत्कालीन सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समिति एवं वर्तमान विधायक का दिनांक 11 जुलाई, 1986 का पत्र, जो चकबन्दी अभिलेख कार्यालय अकबरपुर, जिला फैजाबाद में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच कराई गई । जांच में यह पाया गया कि श्री राम अवध के पक्ष में नियम 109(अ) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत संदर्भ निर्मित किये जाने की कार्यवाही भ्रष्ट इरादों से नहीं की गई थी और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा नन्दगंज शिहोरी चीनी मिल, गाजीपुर में हुये अग्निकाण्ड की न्यायिक जांच की मांग पर कृत कार्यवाही

122—की खुर्शीद—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 24 मार्च, 1990 को पत्र द्वारा नन्दगंज शिहोरी चीनी मिल, गाजीपुर में हुए अग्नि कांड की न्यायिक जांच कराने की मांग प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम शरण--

जी हां।

वर्ष 1988 में अधिशासी निदेशक, नन्दगंज खोनी मिल द्वारा इस मामले की विस्तृत जांच की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत दोषी पाये गये दो कर्मचारियों को दण्डित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1987 से सम्बन्धित अग्निकांड के प्रकरण पर न्यायिक जांच पुनः कराने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री योगराज गुलाटी, प्रधानाचार्य, चन्दौली पालीटेक्निक, वाराणसी द्वारा आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के उल्लंघन तथा अनियमितता किये जाने के संबन्ध में प्रश्नकर्ता व अन्य सांसदों के पत्र पर की गयी कार्यवाही

123--श्री श्याम देव राय चौधरी बादा--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगराज गुलाटी, प्रधानाचार्य, चंदौली पालीटेक्निक, वाराणसी द्वारा आरक्षण संबंध विभिन्न शासनादेशों का खुला उल्लंघन, कार्य के प्रति लापरवाही, पद के दुरुपयोग एवं संस्था में गम्भीर भ्रष्टाचार फैलाने की शिकायत सांसद श्री कैलाश नाथ सिंह यादव के शिकायती-पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1990 एवं 3 मार्च, 1990 विधायकगण श्री छन्नूलाल शास्त्री के शिकायती पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1989 व दिनांक 13 जनवरी, 1990, विधायक श्री रंजित यादव के शिकायती-पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1990 विधायक श्री सत्य प्रकाश सोमकर के शिकायती-पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1990, विधायक श्री गंजी प्रसाद के शिकायती-पत्र, विधायक श्री ओम प्रकाश सिंह के शिकायती पत्र, दिनांक 8 मार्च, 1990 एवं विधायक श्री पारसनाथ यादव के शिकायती-पत्र दिनांक 13 मार्च, 1990 और प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र, दिनांक 21 फरवरी, 1990 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित हैं और जिसमें श्री गुलाटी को जबरदस्ती अवकाश पर भेजकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

श्री सत्यप्रकाश सोनकर का शिकायती-पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1990 का था।

चन्दौली पालिटेक्निक, चन्दौली एक अनुदानित संस्था है, जिसके प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, आयुक्त, वाराणसी मण्डल हैं, अतः शासन द्वारा आयुक्त, वाराणसी मण्डल को मामले की जांच करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

124--श्री मोती लाल वेहलवी--

[दिनांक 26 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 116 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव में चन्द्रशेखर आजाद कालोनी में आवास एवं विकास परिषद् के अभिलेखों में दर्ज निर्मित पार्कों की संख्या एवं विवरण

125--श्री हृदय नारायण--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव में चन्द्रशेखर आवास विकास कालोनी, जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित है, कितने पार्क आवास विकास परिषद

के अभिलेखों में निर्मित दर्ज हैं ? मौके पर कितने निर्मित हैं तथा कितने अर्द्ध निर्मित हैं? क्या सरकार इस अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उन्नाव में चन्द्रशेखर आजाद कालोनी में पांच पार्क आवास एवं विकास परिषद् के अभिलेखों में दर्ज हैं। इन 5 पार्कों को लोहे की ग्रिल लगाकर उनका विकास किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर की फर्म जे0 के0 सतच एग्रीकल्चरल्स मशीन्स लि0 में हुई राजस्व की हानि के लिये दोषी उपायुक्त (शा0) को दंडित करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधान परिषद् सदस्य खान अब्दुल वदूद खां के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांचोपरान्त कृत कार्यवाही

126--श्री मूल चन्द--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर की फर्म जे0 के0 सतच एग्रीकल्चरल्स मशीन्स लि0 में वर्ष 81-82 में राजस्व की हानि के लिये दोषी उपायुक्त (शा0) को दंडित करने के बारे में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 2633/90 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में ता0 8 मई, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? कितने रुपया के राजस्व की हानि हुयी और दोषी उपायुक्त (शा0) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही करायी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश को जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

जांच के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

127--श्री मूल चन्द--

क्या वित्त मंत्री जी को ज्ञात है कि फर्म नेशनल इण्डस्ट्रीज में राजस्व की हानि के सम्बन्ध में तत्कालीन विधान परिषद् सदस्य, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 292/90 आयुक्त, बिक्री कर कार्यालय में तारीख 16 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी भी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जांचोपरान्त जानकारी मांगी गई थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जांचोपरान्त निम्न बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी :

1--कि करदाता ने तीनों वर्षों में खरीद पर कितने रुपयों का लाभ उठा लिया, जबकि इस लाभ को उठाने का अधिकारी की राय में वह करदाता पात्र नहीं था।

2--कि जिस अधिकारी ने मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र जारी किया था, उसको क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तब क्यों ?

3--कि अधिकारी ने अर्थदण्ड के आदेश किस तारीख को पारित किये थे ? क्या उसको ज्ञात था कि वह कानूनन अर्थदण्ड नहीं लगा सकता ? मान्यताप्राप्त प्रमाण-पत्र को रद्द कराने अथवा संशोधित कराने के लिए स्ट्रेट रिवीजन क्यों और कैसे दायर नहीं किया गया ?

4--कि क्या उपायुक्त (शा0) व सहायक आयुक्त (शा0) ने अपने निरीक्षण में अधिकारी के गलत कार्य को देखा । यदि नहीं, तब क्यों ?

5--कि क्या उपायुक्त (शा0) व सहायक आयुक्त (शा0) अपने निरीक्षण में इस गलती, कार्य को देखते, तब क्या परिणाम होता ?

6--कि सहायक आयुक्त (शा) व उपायुक्त (शा0) ने राजस्व की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कार्यवाही की । यदि नहीं की गई है तब उसके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में *सूचना संलग्न है ।

ओसियन टाइम एजेन्सी, आगरा को विक्रय धन बढ़ाने की अपील के सम्बन्ध में भूतपूर्व विधान परिषद् सदस्य, खान अब्दुल वदूद खाँ के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

128--श्री मूलचन्द--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि ओसियन टाइम एजेन्सी, आगरा का वर्ष 82-83 में अपील में विक्रय धन बढ़ाने के बारे में तत्कालीन विधान परिषद सदस्य खान अब्दुल वदूद खाँ का पत्र सं0 291/90 आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय में ता0 16-1-90 को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ ।

सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख बिक्रीकर आयुक्त द्वारा प्राप्त हो गये हैं । परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच एवं निन्दनीय प्रविष्टि

129--श्री मूलचन्द--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आरोपित कर में से कितना वसूल हुआ ? कर के वसूल न होने का क्या कारण है ? दोषी अधिकारियों को क्या दंड दिया गया ? दोषी अधिकारियों की तैनाती वर्ष 87-88, 88-89, व 89-90 में किस-किस स्थान पर रही ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कोई वसूली संभव नहीं हो सकी है ?

जांच करने पर फर्म के वास्तविक स्वामी श्री बी0 के0 अग्रवाल, राजेन्द्र नगर, लखनऊ पाये गये । इनका नाम वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 के लिये

---

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 170 पर ।

पारित, धारा 21 के कर-निर्धारण आदेशों में सम्मिलित करने हेतु उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा धारा 10-बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

तीन दोषी अधिकारियों सर्वश्री—आर0 बी0 यादव, बिक्रीकर अधिकारी, श्री एस0 पी0 सिंह, बिक्रीकर अधिकारी, श्रेणी 2, एस0 एस0 भोटिया, बिक्रीकर अधिकारी, श्रेणी 2 को निन्दनीय प्रविष्ट दी गई है ।

श्री आर0 बी0 यादव, बिक्रीकर अधिकारी—

1987-88 मण्डल कार्यालय, देवरिया ।
1988-89 जाँच चौकी मेहरौना, (देवरिया) ।
1989-90 मण्डल कार्यालय, देवरिया ।

श्री एस0 पी0 सिंह, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी 2—

1987-88 मण्डल कार्यालय, खीरी ।
1988-89 जांच चौकी, मेहरौना, देवरिया ।
1989-90 जांच चौकी, टी0 पी0 नगर, गाजियाबाद ।
1987-88 मण्डल कार्यालय, बरेली ।
1988-89 जांच चौकी, मोपुरा, गाजियाबाद ।
1989-90 मण्डल कार्यालय, रुद्रपुर ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में विलम्ब से अर्थदण्ड आदेश पारित करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व स0 वि0 प0, खान अब्दुल वदूद के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी

130—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में वर्ष 1988-89 में विलम्ब के अर्थदण्ड आदेश पारित करने के बारे में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खाँ का पत्र सं0 290/89 आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय में ता0 2 दिसम्बर, 1989 को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जांचोपरान्त जानकारी मांगी गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ ।

निम्न बिन्दुओं पर जांचोपरान्त जानकारी मांगी गयी है :—

(1) किन-किन अधिकारियों ने 1988-89 में देयकर विलम्ब से जमा करने के अपराध में किस-किस तिथि को करदाताओं के अपर अर्थदण्ड आदेश पारित किये हैं, जबकि आदेश पारित करने की तारीख से पूर्व ही करदाताओं ने देयकर व ब्याज नोटिस मिलने से पूर्व जमा कर दिया है और अपना देयकर नियमित रूप से जमा करना प्रारम्भ कर दिया ?

(2) कितने मामलों में अधिकतम अर्थदण्ड किन आधार पर और कितने मामलों में अपनी सीमा से अधिक लगाया ?

(3) क्या विभाग ऐसे आदेशों के विरुद्ध धारा 10-बी के अन्तर्गत कार्यवाही करके करदाताओं के साथ न्याय करेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) कितने आदेश उल्लंघन तिथि से एक माह की अवधि के बाद पारित किये गये ? पारित करने का क्या आधार था ? क्या ऐसे आदेश राजस्व के हित में पारित किये गये अथवा करदाताओं को सबक सिखाने के लिए पारित किये गये थे ?

(5) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

जनपद नैनीताल में नैनीताल से कोटाबाग वाया लालडूंगी मार्ग पर चार बसें नियमित रूप से चलाने की मांग

131—डा0 दिनेश चोहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि नैनीताल जनपद में नैनीताल से कोटाबाग वाया लालडूंगी रूट पर रोडवेज की बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं जिससे नागरिकों को बेहद परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस रूट पर 4 बसें नियमित रूप से चलाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रस्तावित मार्ग पर वर्तमान में निगम की दो बसों द्वारा दो अप व दो डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं । अपरिहार्य परिस्थितियों में कभी-कभी उक्त सेवायें स्थगित हुयी हैं ।

उक्त सेवाओं को नियमित संचालन हेतु पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त परीक्षण के तौर पर एक बस द्वारा दो डिपो का संचालन बढ़ा दिया गया है । किन्तु इन सेवाओं का लोडफैक्टर संतोषजनक प्राप्त नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में और बसें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

132—श्रीराज किशोर सिंह—

[6ठें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद जौनपुर के खुटहन क्षेत्र के दोनों चकबन्दी अधिकारी श्री के0 एन0 सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

133—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 एन0 सिंह, चकबन्दी अधिकारी, खुटहन, क्षेत्र जनपद जौनपुर के कार्यकलाप एवं किसानों के साथ अभद्र व्यवहार आदि आरोपों के सम्बन्ध में गत वर्ष चकबन्दी विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच की गयी थी तथा जांच में वे दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

श्री के0 एन0 सिंह यादव का स्थानान्तरण जनपद जौनपुर से आजमगढ़ किया जा चुका है । उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं ।

ह्वीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ के शिक्षकों द्वारा परीक्षा बहिष्कार किये जाने तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा से हुई वार्ता का विवरण

134—श्री राज किशोर सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ह्वीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ के शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के लिए माह मई, 1989 में परीक्षा का बहिष्कार किया था ? यदि हां, तो क्या 15 मई, 1989 को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा एवं शिक्षकों के मध्य वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो उसमें किन-किन बिन्दुओं पर विचार हुआ एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राविधिक शिक्षा परिषद् का दिनांक 15 मई, 1989 को प्रयोगात्मक परीक्षाओं का संस्था के चार शिक्षकों ने बहिष्कार किया था ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने 15 मई, 1989 को संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के प्रतिनिधियों से वार्ता की ।

*सूची संलग्न है ।

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के नेशनल इन्टर कालिज, कासिमाबाद की जमीन के फर्जी ट्रान्सफर को रद्द करने की मांग

135—श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद तहसील के नेशनल इण्टर कालेज, कासिमाबाद की बहुमूल्य भूमि एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने परिवार के नाम फर्जी ढंग से तहसील कर्मचारियों से ट्रान्सफर करा ली है ? क्या जमीन के फर्जी ट्रान्सफर को रद्द करने सम्बन्धी कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री राम शरण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कालिन्जर किले को पर्यटन केन्द्र घोषित करने की मांग

136—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ऐतिहासिक किले कालिंजर को कब तक पर्यटन केन्द्र घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पर्यटन विभाग की नीति के अनुसार किसी पर्यटक स्थल को पर्यटन केन्द्र घोषित नहीं किया जाता है । पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की दृष्टिकोण से विकास कार्य किया जाता है । इसी दृष्टिकोण से कालिन्जर दुर्ग में विकास कार्य किया जा रहा है ।

खाद्य नियंत्रक, मेरठ पर आरोपित बिक्री कर की ब्याज सहित वापसी की मांग

137—श्री मूल चन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पांचवे संगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि

---

*देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 172 पर) ।

तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् जनाब अब्दुल वहीद खां के पत्र सं0-171/89, जो आयुक्त विक्रीकर कार्यालय में 19 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हुआ था पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद व उसकी खण्ड पीठ लखनऊ में कतिपय अधिवक्ताओं के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी विशेष आदेश के कार्य लिया जाना

138—श्री धर्मपाल (बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद व उसकी खण्ड पीठ लखनऊ में कुछ शासकीय अधिवक्ताओं व स्थायी अधिवक्ताओं के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी तथा शासन द्वारा उनकी सेवाओं के नवीनीकरण आदेश के बिना ही न्याय विभाग उनसे कार्य करा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

कार्यहित में शासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक कार्य लिया जा रहा है ।

मुख्य मन्त्री द्वारा 1 मई से 14 मई, 1990 तक की गयी यात्राओं एवं उस पर हुये व्यय का विवरण

139—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 1 मई से 14 मई, 1990 तक कहां-कहां यात्रायें की गईं ? इन यात्राओं पर कितना धन सरकारी कोष से व्यय हुआ ? इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण संलग्न है । इन हवाई यात्राओं में ईंधन पर कुल रु0 71,919 व्यय हुआ । सभी यात्राएं जनहित में की गईं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. . .पर ।)

श्रीमती रामा देवी निगम, विधवा श्री प्रकाश चन्द्र निगम, हेड कापिस्ट, सिविल कोर्ट, हरदोई के पारिवारिक पेंशन प्रार्थना-पत्र को निस्तारित न किये जाने पर कृत कार्यवाही

140—श्री अरुण तथा श्री अमर मणि—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासनादेश संख्या सा0-3-969/बस-923-85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के तहत श्रीमती रामा देवी निगम, विधवा श्री प्रकाश चन्द्र निगम, हेड कापिस्ट, सिविल कोर्ट, हरदोई द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 1988 को जिला जज, हरदोई को दिया गया पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना-पत्र अब तक निस्तारित नहीं

किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक उसे निस्तारित न किए जाने हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जिला जज, हरदोई में प्रार्थिनी को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया था । चूंकि प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र राजकोष प्रतिभूति अथवा प्रामिजरी नोट तथा 5,000 रु0 तक की धनराशि से सम्बन्धित था और पेंशन के प्रयोजन के सम्बन्ध में नहीं था, इसलिए जिला जज, हरदोई ने अस्वीकार कर दिया । जिला जज, हरदोई को निर्देशित किया गया है कि वे शासनादेश में दिये गये विकल्प का अनुसरण करते हुए पारिवारिक पेंशन अविलम्ब स्वीकृत कर दें ।

गोरखपुर के लेजार महादेवा, मुन्दिल सिंहपुर, अयोध्या आदि गांवों के सीलिंग भूमि के हेराफेरी करने से सम्बन्धित प्रदनकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

141—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1990 में उनके गोरखपुर दौरे के समय प्रदनकर्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, जो लेजार महादेवा, मुन्दिल सिंहपुर, अयोध्या आदि गांवों की सीलिंग भूमि की हेरा-फेरी करने से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम शरण—

जी हां ।

पत्र पर जांच की गयी । आवंटन में कोई हेरा-फेरी नहीं हुई है ।

सहकारिता विभाग में कार्यरत राजकीय कृषि पर्यवेक्षक सहकारी ग्राम सेवकों के स्थायीकरण एवं चयन वेतनमान शासनादेश के अनुरूप दिया जाना

142—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में कार्यरत राजकीय कृषि पर्यवेक्षक, सहकारी ग्राम सेवक एवं राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों का स्थायीकरण एवं चयन वेतनमान शासनादेश के अनुरूप किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा वह कब तक स्वीकार कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

सहकारिता विभाग में कार्यरत 102 सहकारी कृषि पर्यवेक्षकों, 41 ग्राम सेवकों तथा 102 राजकीय सहकारी पर्यवेक्षकों का स्थायीकरण किया जा चुका है ।

स्थायीकरण हेतु राजकीय कृषि पर्यवेक्षक के 3 सहकारी, ग्राम सेवक के 4 तथा राजकीय पर्यवेक्षक के 74 पद रिक्त हैं जिन पर स्थायीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

रिक्त पदों पर कोटे के अनुसार चयन कर नियुक्त करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की परीक्षा विषयक कार्यवाही प्रगति है। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों की भर्ती पर शासन द्वारा रोक लगी है।

उपरोक्त कर्मचारियों को शासनादेश के अनुरूप वेतनमान दे दिया गया है।

श्री भोला सिंह, ग्राम छपरा सुल्तानपुर, जनपद आजमगढ़ का चकबन्दी अनियमितताओं सम्बन्धी-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

143—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोला सिंह, ग्राम छपरा सुल्तानपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का पत्र चकबन्दी की अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 मई, 1990 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम शरण—

जी हां।

कथित-पत्र प्राप्त होने पर अभिलेखों की छानबीन कराई गई जिसमें पाया गया कि चक संख्या 281 में शिकायतकर्ता की 5-82 आना की मालियत कम प्रविष्ट की गई है।

मालियत की पूर्ति हेतु चकबन्दी अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत संदर्भ प्रस्तुत किया गया है जिसमें आदेश पारित होने के पश्चात् अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ के निबन्धन कार्यालय सगड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

144—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के निबन्धन कार्यालय सगड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1990 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच से माननीय सदस्य के पत्र में उल्लिखित शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई।

उ0 प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों को देय समस्त सुविधाओं का दिया जना

145—श्री सुन्दर लाल कुरील—

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ, जिसकी वर्ष 1976-77 में स्थापना की गई थी और जिसमें मात्र छः कर्मचारी हैं, को राज्य कर्मचारियों को देय समस्त सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं तो यह सुविधायें उन्हें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

उ0 प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ, जो एक स्वशासी संस्था है, के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन के साथ महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया है। अन्य सुविधायें अनुमन्य कराये जाने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है।

जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के ग्राम पटखौली की भूमि संख्या 79 व 113 पर अवैध कब्जा करने के विरुद्ध हुई कार्यवाही

146—श्री बाबू लाल सरोज—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के ग्राम पटखौली की भूमि संख्या 79 व 113 तथा 170 पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके प्रभावशाली लोगों ने पक्का निर्माण कर लिया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हीं लोगों ने ग्राम समाज की भूमि सं0 143 व 146 को भी अपनी जमीन में मिलाकर जोत रखा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

कथित ग्राम में ग्राम सभा की भूमि सं0 79 क्षेत्रफल 0-12-0 बिस्वा एवं भूमि सं0 170, क्षेत्रफल 0-4-0 बिस्वा पर श्री राम कठोर तथा भूमि सं0 113 के क्षेत्रफल 0-4-0 पर श्री रामयश, 0-2-0 पर श्री रामकिशुन, 0-3-0 पर श्री पुदई और 0-5-0 पर श्री राम नाथ द्वारा पेड़ लगाकर तथा कच्चे मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है।

जी नहीं, भू-खण्ड संख्या 143 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। भू-खण्ड संख्या 146 के क्षेत्रफल 0-0-12 पर श्री हीरा लाल, 0-1-0 पर श्री सोमनाथ तथा 0-0-11 पर श्री रामफेर द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।

अवैध रूप से काबिज उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत दायर किये गये वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में मोदी जीरक्स द्वारा आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण करने के विरुद्ध चल रही अभियोजन की कार्यवाही का पूरा किया जाना

147—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर में मोदी जीरक्स द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा सीमा से अधिक भूमि रखने के बारे में उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही राजस्व विभाग में चल रही है ? यदि हां, तो कार्यवाही किस स्तर पर लम्बित है ? कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राम शरण—

मेसर्स मोदी जीरक्स लिमिटेड, रामपुर द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) का उल्लंघन करके जनपद रामपुर में क्रय की गयी 97.42 एकड़

भूमि में से 12.50 एकड़ की अनुमन्य सीमा से अधिक भूमि का संक्रमण निष्प्रभावी होने के कारण शेष 84.92 एकड़ भूमि उक्त अधिनियम की धारा 167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हो गयी थी। राज्य में निहित हुई इस भूमि में से 79.61 एकड़ भूमि उक्त कम्पनी द्वारा ओरावस मशीनों का कारखाना लगाने के प्रयोजनार्थ उद्योग विभाग को उनकी संस्तुति के आधार पर हस्तान्तरित कर दी गयी थी और उद्योग विभाग द्वारा प्रश्नगत 79.61 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण विलेख का निष्पादन उक्त कम्पनी के नाम कर दिया गया था। शेष 5.31 एकड़ भूमि अब भी राज्य में निहित है। इस प्रकार कम्पनी के विरुद्ध कोई अभियोजन की कार्यवाही नहीं की गयी है।

परगनाधिकारी, तहसील जलालपुर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

148—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनांक 31 मई, 1990 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी अब्दुल्लापुर अकबरपुर, फैजाबाद का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें परगनाधिकारी, तहसील जलालपुर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत की गई है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम शरण—

प्रश्नकर्ता के दिनांक 31 मई, 1990 का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के सहायक आयुक्त (न्याय) बिल्हौर द्वारा अपीलों में कर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद्, श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर कृत कार्यवाही

149—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि कानपुर के सहायक आयुक्त (न्याय) बिल्हौर द्वारा अपीलों में कर बढ़ाये जाने के बारे में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद्, श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 138/89, आयुक्त, बिल्हौर के कार्यालय में 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

सम्बन्धित पत्र पर जांचोपरान्त यह पाया गया कि केवल 3 मामलों में व्यापारियों द्वारा द्वितीय अपील दाखिल की गई, जो अभी अनिस्तारित हैं। वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में केवल चार अपीलों में कर वृद्धि की गई। कर निर्धारण के आधार पर किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड-4 बिक्रीकर बकायेदारों के बारे में भूतपूर्व स0 वि0 परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर कृत-कार्यवाही

150—श्री मूल चन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड-4 बिक्रीकर बकायेदारों के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-74/89 आयुक्त बिक्रीकर के कार्यालय में 16 सितम्बर, 1989 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

श्री अब्दुल वदूद खान तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् के पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1989 द्वारा 2 बिक्रीकर बकायेदारों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है जिसके सम्बन्ध में उत्तर श्री खान को शीघ्र ही भेजा जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के उपायुक्त (शा0) के यहां वर्ष 1987-88, 1988-89 में दाखिल रिवीजन के सम्बन्ध में भूतपूर्व स0 वि0 परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर कृत-कार्यवाही

151-श्री मूल चन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के उपायुक्त (शा0) के यहां वर्ष 1987-88, 1988-89 में दाखिल रिवीजन के सम्बन्ध में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-173/89 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में 24 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

सम्बन्धित प्रश्न में उठाये गये बिन्दु अत्यन्त विस्तीर्ण एवं अव्यवहारिक होने के कारण सूचना/विवरण देना सम्भव नहीं है ।

कानपुर के उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर के यहां वर्ष 1987-88, 1988-89 में दाखिल रिवीजन्स के सम्बन्ध में भूतपूर्व स0 वि0 परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां के पत्र पर कृत-कार्यवाही

152—श्री मूल चन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर के यहां वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में दाखिल रिवीजन्स के बारे में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-174/89 आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय में 24 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

माननीय सदस्य के संबंधित पत्र में उठाये गये बिन्दु अत्यन्त विस्तीर्ण एवं आनुषांगिक होने के कारण सूचना/विवरण देना सम्भव नहीं है।

जनपद बिजनौर में शुगर मिल के विस्तार का प्रस्ताव

153—श्री सुखवीर सिंह—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में शुगर मिल बिजनौर के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई बिजनौर की पेराई क्षमता आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2500 टी० सी० डी० से 4000 टी० सी० डी० तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

शुगर मिल बिजनौर की पेराई क्षमता का विवरण

154—श्री सुखवीर सिंह—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल बिजनौर की पेराई क्षमता कितनी है ? क्या यह मिल नई तकनीकी से विस्तार होने के उपरान्त से अपनी क्षमता के अनुरूप पेराई कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई बिजनौर की विस्तारोक्त पेराई क्षमता 2500 टी० सी० डी० है।

जी नहीं।

विभिन्न तकनीकी खराबियों के कारण मिल अपनी विस्तारोक्त क्षमता से पेराई करने में सक्षम नहीं हो सकी।

प्रदेश के पर्यटन विभाग में लैब टेक्नीशियनों की संख्या तथा उनके वेतनमान का पुनरीक्षण

155—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पर्यटन विभाग में लैब टैक्नीशियनों की कितनी संख्या है ? क्या सरकार वेतन समता समिति द्वारा अन्य विभाग में कार्यरत लैब टैक्नीशियनों के समान पर्यटन विभाग में कार्यरत लैब टैक्नीशियनों को भी वेतन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पर्यटन विभाग के अधीन राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून में लैब टैक्नीशियन के 5 अस्थायी पद सृजित हैं। इनके वेतनमान के पुनरीक्षण का मांग मुख्य सचिव समिति के विचाराधीन है।

जनपद फर्रुखाबाद में ग्राम सभा पिथनापुर, परगना अमृतपुर, तहसील सदर में बन्द बकरोड़ों की नाप एवं उन्हें खुलवाने के संबन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

156—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पिथनापुर, परगना अमृतपुर, तहसील सदर, जनपद फर्रुखाबाद में बन्द बकरोड़ों की नाप एवं उन्हें खुलवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मार्च, 1990 परगनाधिकारी, तहसील सदर, जनपद फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा तथा इस ढिलाई के लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम शरण—

जी हां।

बन्द बकरोड़ों की सही नाप करा दी गई है एवं उन्हें खुलवाने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है तथा यह कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा। मामले में विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के संग्रह अमीन श्री मुन्नेलाल शुक्ला के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

157—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने श्री मुन्नेलाल शुक्ला, संग्रह अमीन, तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर के संबंध में उनको दिनांक 6 अप्रैल, 1990 को एक पत्र वास्ते उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण नम्बर (1) लखनऊ के निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 1990 का अनुपालन करवाने के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त निर्णय को लागू होने में विलम्ब किसके कारण हुआ और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? सरकार कब तक उक्त निर्णय का अनुपालन करायेगी ?

श्री राम शरण—

जी हां, माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने पत्र दिनांक 23 मई, 1990 के साथ श्री मुन्ने लाल शुक्ला का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1990/ 23 मई, 1990 प्रस्तुत किया। लोक सेवा अधिकरण दिनांक 25 जनवरी, 1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 5 फरवरी, 1990 को प्राप्त हुई। प्रतिलिपि प्राप्त होने पर सरकारी अधिवक्ता (दीवानी) का परामर्श दिनांकित 20 फरवरी, 1990 को प्राप्त हुआ। परामर्श प्राप्त होने पर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 825/ सी0 आ0 ए0, दि0 13 मार्च, 1990 के अन्तर्गत कार्मिक अनुभाग से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त किये।

कार्मिक अनुभाग से निर्देश दिनांक 14 मार्च, 1990 प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के कार्यालय के पत्र दिनांक 27 मार्च, 1990 द्वारा शासन के राजस्व अनुभाग-7 से निवेदन किया गया कि प्रश्नगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करने हेतु निर्देश दिये जायें।

राजस्व अनुभाग-7 के पत्र दिनांक 1 जून, 1990 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय, लखनऊ को निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण में रिट याचिका दायर करें। मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 3 जुलाई,

1990 द्वारा आवश्यक प्रतियों सहित सम्पर्क करने हेतु लिखा है। निर्देशानुसार प्रतियां तैयार कराई जा रही हैं तथा शीघ्र ही रिट याचिका दायर कर दी जायेगी। इस मामले में किसी भी स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मामले में न्यायालय का निर्णय होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

158—श्री शारदा नन्द अंचल—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम मैसोड़, तहसील सगड़ी के चकमार्गों पर अवैध कब्जे के संबंध में ग्राम प्रधान तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

159—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मैसोड़, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के चकमार्गों पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित ग्राम प्रधान का पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1990 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 मई, 1990 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम शरण—

जी हां।

पत्रोल्लिखित ग्राम मैसोड़, तहसील सगड़ी के चकमार्गों को पैमाइश प्रधान की उपस्थिति में करके अवैध कब्जा हटा दिया गया है।

160—श्री पंचानन राय—

[5वे सोम0 में अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रुद्रपुर नगर पालिका (नैनीताल) की नजूल भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा चलाये जा रहे भवन निर्माण कार्य को रोका जाना

161—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर नगर पालिका (नैनीताल) की नजूल भूमि में सिंचाई विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त निर्माण कार्य रोकने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

उक्त निर्माण कार्य रोकने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रश्नगत भूमि सिंचाई विभाग की कालोनी निर्माण हेतु दी गई है और भवनों का निर्माण आवश्यकतानुसार कालोनी बनाने के लिए ही किया जा रहा है।

जनपद गढ़वाल में कोटद्वार नगरपालिका के अन्तर्गत झुग्गी, झोपड़ियों में रहने वाले आवासहीन लोगों को मकान हेतु प्लाट आवंटित किये जाने की मांग

162—श्री भारत सिंह रावत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में कोटद्वार नगर पालिका के अन्तर्गत आमपड़ाव में झुग्गी, झोपड़ियों में रहने वाले निर्धन आवासहीन लोगों

को बसाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक आवासहीन लोगों को मकान देने के लिए प्लाट आवंटित किये जायगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

1977 में 137 परिवारों को भूखण्ड आवंटित किये गये थे। 120 परिवारों को भूखण्ड आवंटन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

163—श्री सत्य प्रकाश विकल—

[5 वें बुध के अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र के शक्ति नगर विशेष विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार सर्वेयर, अभियन्ता के सेवा कार्य का विवरण

164—श्री विजय सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शक्तिनगर विशेष विकास प्राधिकरण जनपद सोनभद्र को उ0 प्र0 (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशंन) ऐक्ट, 1958 द्वारा शक्तिनगर विशेष विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मानचित्रकार सर्वेयर, अभियन्ता को भवन मानचित्र करने हेतु लाइसेन्स दक्षता के आधार पर दिया गया है ? उनमें से कितने लाइसेन्सधारी ऐसे हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी तथा अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 शहरी विकास अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित 'सलाहकार समिति' के गठन की मांग

165—श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को यह ज्ञात है कि उ0 प्र0 शहरी विकास अधिनियम के अन्तर्गत एक "सलाहकार समिति" के गठन का प्राविधान है ? यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत प्राधिकरण के सुझाव पर शासन द्वारा "सलाहकार परिषद्" के गठन का प्राविधान है। किसी प्राधिकरण का इस आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फैजाबाद शहर के अमीनगंज मुहल्ले के गाटा संख्या 1334 चक नं0 5 में 15 फुट चौड़ी सड़क पर अवैध कब्जे को हटाया जाना

166—डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद शहर के अमानीगंज मुहल्ले के नजूल के चक नं0 5 गाटा संख्या 1334 में 15 फुट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता छोड़ा गया है, जिस पर अवैध कब्जे को लेकर मुहल्ला वासियों ने कई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को दिया है ? यदि हां, तो अवैध कब्जा हटाने में सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पाटा संख्या 1334 चक नं0 5 स्थित मोहल्ला अमानीगंज में तत्कालीन जिलाधिकारी फैजाबाद के आदेश दिनांक 17 मार्च, 1985 के अन्तर्गत 15 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है । रास्ता बन्द किये जाने के सम्बन्ध में मोहल्ला वासियों का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

लखनऊ नगर महापालिका को मलिन बस्तियों के सुधार हेतु वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में आवंटित धन तथा व्यय का विवरण

167-श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में लखनऊ नगर महापालिका को मलिन बस्तियों के सुधार हेतु कितना धन आवंटित किया गया ? उस धन को किन-किन मलिन बस्तियों में खर्च किया गया ? इस वर्ष मलिन बस्तियों के सुधार हेतु क्या प्रयास किए जायेंगे ? क्या मलिन बस्तियों के सुधार हेतु विशेष अनुदान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

शासन द्वारा उ0 प्र0 नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ नगर महापालिका को मलिन बस्तियों के सुधार हेतु प्रश्नगत वर्षों में निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई है :—

वर्ष 1987-88	रु0 16.00 लाख
वर्ष 1988-89	रु0 24.53 लाख
वर्ष 1989-90	रु0 79.78

उक्त धनराशि का बस्तीवार विभाजन तथा व्यय की स्थिति निम्नलिखित है :—

क्र0 सं0	बस्ती का नाम	बस्तीवार स्वीकृत धनराशि (रुपये लाख में)	बस्तीवार व्यय की स्थिति
1	2	3	4
1	जुगौली	5.38	कार्य पूर्ण
2	पूर्वी खेड़ा	7.50	"
3	जलालपुर कुद्दो	5.20	"
4	फैजुल्लागंज	5.36	कार्य प्रगति पर है ।
5	खदरा		
6	मवइयागंज	9.03	"
7	इन्दिरानगरी		

1	2	3	4
8	गढ़ी कलौरा	4.59	कार्य पूर्ण
9	बड़ी जुगौली	5.40	कार्य प्रगति पर है
10	दीन दयाल नगर	0.86	कार्य पूर्ण
11	बरौलिया	1.65	,,
12	राम की बगिया	3.20	,,
13	बाबा की बगिया	3.13	,,
14	सरफराज गंज	0.69	,,
15	मल्लाही टोला	0.84	,,
16	छोटी पकरी	0.84	कार्य आरम्भ नहीं हुआ
17	बलविरहा खेड़ा	1.96	कार्य प्रगति पर है
18	दामोदर नगर	2.11	
19	नई बस्ती मौसम बाग	1.93	
20	रही नगर	3.58	,,
21	बसेला	2.04	कार्य पूर्ण
22	पुरानी आबादी (रामगंज)	4.23	कार्य प्रगति पर है
23	बस्तौली	2.68	कार्यादेश जारी हो चुके है
24	इस्माइलगंज	6.81	
25	सम्मोउद्दीनपुर	3.23	कार्यादेश जारी हो चुके है
26	मुंडापुरवा	1 91	,,
27	राजीव गांधी नगर	2.38	,,
28	सुभानी खेड़ा	2.64	,,
29	नेपालगंज	1.79	,,
30	कुम्हार मण्डी	3.40	,,
31	नटखेड़ा (लोगा खेड़ा)	6.62	,,
32	गाजीपुर (इन्दिरा नगर)	2.90	,,
33	मड़ीयाव	13.32	,,
34	ममौसी	10.81	निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है
35	त्रिलोचा	7.00	

इस वित्तीय वर्ष 1990-91 में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में स्वीकृत योजना के अन्तर्गत, मलिन बस्तियों के सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयास किया जायेंगे ।

1—आवागमन हेतु मार्गों तथा गलियों का पक्का किया जाना ।

2—पानी को निकासी हेतु नालों का निर्माण ।

3—मार्ग-प्रकाश हेतु विद्युत् स्तम्भों का रोपण ।

4—पेय जल हेतु हैण्ड पम्प का लगाया जाना ।

5—मल निस्तारण हेतु सस्ते जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण ।

मलिन बस्तियों के सुधार हेतु उक्त योजनाओं के अन्तर्गत विशेष अनुदान दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आगरा में अविकसित कालोनियों को विकसित करने की योजना

168—श्री किशनी गोपाल—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में दस साल से लेकर बीस साल तक पुरानी अविकसित कालोनियों को विकसित करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

अविकसित कालोनियों को विकसित करने की आगरा विकास प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है ।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में आई० आर० डी० ऋणों में ही रहे घपले की जांच किए जाने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

169—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में आई० आर० डी० ऋणों में हो रहे घपले के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र जिनको प्राप्ति सं० सी० एम० (वि० को०) एम-1-ल/6-215/90, दिनांक 19 जनवरी 1990 द्वारा की गई है, की जांच किसने की ? क्या जांच अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता से भेंट की ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच निष्कर्ष क्या है ? पूरे प्रकरण में दोषी पाये गए अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से एक पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 का माननीय विधायक महोदय का प्राप्त हुआ था इस पत्र में लगाये गए आरोपों की प्रारम्भिक जांच संस्थागत वित्त एवं सर्वेक्षण बोर्ड निदेशालय के माध्यम से कराई गई । प्रारम्भिक जांच के पूर्ण निष्कर्ष न निकल पाने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि मामले में जांच सतर्कता विभाग के माध्यम से कराई जावे । सतर्कता विभाग के माध्यम से जांच कराने हेतु टीम सचिवों की सतर्कता समिति के विचारार्थ रहा, हेतु सतर्कता विभाग को उपलब्ध करा दी गई है ।

170—श्री हृदय नारायण—

[5वें बुध में अता० प्र० सं० 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आवास विकास परिषद् के अन्तर्गत निर्मित उन्नाव शहर के एम० आई० जी० व एच० आई० जी० के विक्रय मूल्य कानपुर महानगर की आवास विकास योजना के तहत निर्मित आवासों से अधिक होना

171—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आवास विकास परिषद् के अन्तर्गत निर्मित उन्नाव शहर के एम० आई० जी० व एच० आई० जी० भवन को कोई खरीदने को तैयार नहीं है? क्या यह सच है कि उन्नाव जैसे छोटे शहर में शहर से बाहर निर्मित यह आवास कानपुर जैसे महानगरों में निर्मित इसी कोटि के आवासों की तुलना में अत्यधिक महंगे हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार कानपुर महानगर की आवास विकास योजना के निर्मित समान क्षेत्रफल के आवासों और उन्नाव शहर के आवासों की कीमत का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

उन्नाव शहर में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ-कानपुर मुख्य मार्ग पर चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना के अन्तर्गत एम० आई० जी० के 129 निर्मित भवनों में से 74 भवनों को आवंटित करके कब्जा दे दिया गया है। उक्त शेष 55 भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। एच० आई० जी० श्रेणी का कोई भवन निर्मित नहीं किया गया है।

जी हां, उन्नाव योजना की भूमि दर के सम्बन्ध में न्यायालय से भू-स्वामियों के पक्ष में निर्णय होने के कारण भूमि के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई तथा उन्नाव योजना की विकसित भूमि कानपुर की योजना की विकसित भूमि की दर से 170 रु० प्रति वर्ग मीटर अधिक आयी है। जिसके फलस्वरूप उन्नाव योजना में निर्मित एम० आई० जी० भवनों का विक्रय मूल्य कानपुर की तुलना में अधिक हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटियों से पुनरीक्षित मूल्य प्राप्त करने हेतु दिये गये नोटिस को वापस करने की मांग

172—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी प्रियदर्शनी नगर में वर्ष 1987 में कतिपय भवनों को स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्ण भुगतान लेने के बाद आवंटित किया गया था और वर्ष 1988 में कब्जे भी दिये गये थे? यदि हां, तो वर्ष 1990 में उन आवंटियों को 30 से 70 हजार रुपया फिर से जमा करने के पुनः नोटिस दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त नोटिस वापस लेने के निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के अनुमानित व्यय का भुगतान करने पर वर्ष 1988 में कब्जा आवंटियों को दिया गया।

भवन निर्माण पर वास्तविक व्यय तथा विकास कार्यों पर व्यय पर आधारित भवन का पुनरीक्षित मूल्य प्राप्त करने हेतु आवंटियों को नोटिस दी गयी हैं ।

जी नहीं, क्योंकि नोटिसें उचित आधार पर दी गयी हैं ।

नगर विकास प्राधिकरण में 10 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी का स्थानान्तरण

173—श्री कवल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नगर विकास प्राधिकरण, वाराणसी में बहुत से अधिकारी व कर्मचारी ऐसे हैं जो करीब 10 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वाराणसी विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण केन्द्रियत सेवा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का सेवाकाल एक ही स्थान पर 10 वर्ष नहीं हुआ है । लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने पर यथा-समय विचार कर लिया जायेगा ।

श्रीनगर सहकारी आवास समिति लिमिटेड, आगरा को दो तरह के मानचित्र स्वीकृत किये जाने की जांच

174—श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पटवान मौजा कमला नगर विस्तार योजना में दिनांक 6 मई, 1985 को श्रीनगर सहकारी आवास समिति लिमिटेड, आगरा को दो तरह का मानचित्र अलग-अलग रूपों में स्वीकृत किया गया है ? क्या सम्बन्धित पत्रावली में केवल एक मानचित्र उपलब्ध है एवं विक्रय पत्र पर दूसरा मानचित्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता की जांच करायी गयी और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्रीनगर सहकारी आवास समिति लिमिटेड, आगरा का विन्यास एक ही मानचित्र दिनांक 30 मई, 1985 को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया ।

आगरा विकास प्राधिकरण की सम्बन्धित पत्रावली में केवल एक स्वीकृत विन्यास मानचित्र उपलब्ध है । प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा की गई शिकायत की आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जांच कराई जा रही है । जांच के परिणाम प्राप्त होने पर इस विषय पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा मथुरा में प्रस्तावित विद्युत् शवदाह गृह योजना का क्रियान्वयन

175—श्री रविकान्त गर्ग—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा मथुरा में विद्युत् शवदाह गृह बनाये जाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित की गई

थी, जिसके सन्दर्भ में शासन द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण पत्र संख्या 327/म0 वृ0 वि0 का0/89-90, दिनांक 5 अक्टूबर, 1989 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो योजना क्या थी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? मथुरा के धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए योजना का क्रियान्वयन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। प्राधिकरण का पत्र दिनांक 5 अक्टूबर, 1989 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को प्रेषित किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत दो विद्युत शवदाह भट्ठियां लगाने का प्रस्ताव है। योजना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के परीक्षण में है। परीक्षणोपरांत योजना के औचित्य पूर्ण तथा विधि संगत पाये जाने की दशा में उसका क्रियान्वयन कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के आरक्षित पद पर कार्यरत अभ्यर्थी की संख्या एवं रिक्त पदों को भरा जाना

176—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित जगहें उपलब्ध हैं ? यदि हां तो कितनी हैं तथा उसके विरुद्ध कितने अभ्यर्थी कार्यरत हैं ? तथा जो आरक्षित पद रिक्त थे वे कब तक भरे जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

कुल पद	भरे पद	रिक्त पद
103	68	35
14	5	9
7	..	7

इनमें से अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु अभियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता के पदों को भरने हेतु प्रोन्नति के समय विचार किया जायेगा।

177—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक—

[6वें शुक्र0 में अता0 प्र0 सं0 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ मास्टर प्लान का रिवाइज्ड प्रकाशन

178—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान जो रिवाइज्ड हो चुका है जो अन्तिम रूप से कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

लखनऊ महायोजना का पुनरीक्षण विचाराधीन है। विचारोपरान्त इसे प्रकाशित किया जायेगा।

179—श्री केदार नाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

180—श्री ऊदल—

[आश्वासन समिति के कोई विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद नैनीताल के रुद्रपुर नगर की सारी भूमि फ्री होल्ड घोषित किये जाने की मांग

181—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के नगर रुद्रपुर में वर्ष 1948 के आस-पास नागरिकों को 99 वर्ष की लीज पर जमीन देकर नगर बसाया गया था और अब 33 वर्ष के उपरान्त लीज रिन्यू करने में अड़चनें पैदा हो रही हैं? क्या मंत्री जी उक्त नगर की सारी भूमि फ्री होल्ड घोषित करके सभी कब्जेदारों को दिलाने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आवासीय/वाणिज्यिक उपभोग हेतु भूखण्ड विकसित कर वर्ष 1952-55 के बीच 90/99 वर्षीय पट्टे पर नजूल भूमि 30/33 वर्ष के नवीनीकरण के प्राविधान के साथ दिये गये थे। लगभग 80 प्रतिशत पट्टेदारों ने पट्टे की शर्तों के विपरीत हस्तान्तरण/विक्रय किया है जिसके फलस्वरूप जिन नजूल भूमि का अवैध हस्तान्तरण/विक्रय किया गया है उनका नवीनीकरण (वर्तमान शासनादेशों के अन्तर्गत) किया जाना सम्भव नहीं है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि फ्री होल्ड किया जाना सम्भव नहीं है।

182—श्री अमरेश चन्द पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

छटनीशुदा जनगणना कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में खपाया जाना

183—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 1982 में जनगणना कर्मचारियों की छटनी की गयी थी तथा उन्हें अन्य विभागों में खपाये जाने के शासनादेश दिए गए थे? यदि हां, तो अभी तक कितने लोगों को पुनः नियुक्ति मिल सकी है? क्या यह सत्य है कि 90 प्रतिशत से अधिक छटनीशुदा कर्मचारी अभी भी बेरोजगार हैं? यदि हां, तो उनको खपाये जाने हेतु क्या उपाय किये गये?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

छटनीशुदा कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में खपाये जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा से कतिपय छूट तथा चयन समितियों में उनके अभ्यर्थन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त सुविधाएं अन्तिम बार दिनांक 11 फरवरी, 1990 तक अनुमन्य करायी गयी थी।

वर्ष 1989 में उपलब्ध सूचना के अनुसार 930 में से 190 कर्मचारियों को समूह "ग" में सेवायोजित किया गया है।

जी नहीं।

अद्यतन स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त उक्त सुविधाओं की अनुमन्यता की अवधि बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

जूनियर हाई स्कूल अनेई, जिला वाराणसी की जमीन को चकबन्दी अधिकारियों द्वारा मतरूफ बिखाकर दूसरे के नाम चक काट दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

184--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल अनेई, जिला वाराणसी की कई एकड़ जमीन जो सन् 34 फ0 56 फ0 व 59 फ0 में अनेई स्कूल तथा जिला बोर्ड वाराणसी के नाम थी, उसको चकबन्दी अधिकारियों ने मतरूफ बिखाकर दूसरों के नाम चक काट दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान सोनपुरवा के प्रधान परगना पन्द्रह त0 व जिला वाराणसी के प्रार्थना-पत्र मय इंतखाब के साथ माननीय राजस्व मन्त्री को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ 10 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है और राजस्व मन्त्री ने कमिश्नर चकबन्दी को जांच करने तथा अन्य कार्यवाही को रोकने का आदेश भी दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण--

जूनियर हाई स्कूल अनेई के नाम कोई भूमि खतौनी 1334, 1356 व 1359 फ0 में दर्ज नहीं पायी गई। मदरसा के नाम निम्नलिखित भूमि अंकित है :--

खतौनी 1334 फ0 :--

मालकान-आराजी मकबूजह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नं0 4

195--मदरसा--443		0.31
	444	2.50
	2	
	464	3.50
	2	6.31

खतौनी 1356 फ0

मालकान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मु0 खेवट नं0 4--

209--मदरसा--443		0.31
	444	2.70
	3	
	464	3.50
	2	6.51

खतौनी 1359 फ0
जिमन--10
215--मदरसा--

444	
3	2.50
443	0.31
464	3.50
2	6.31

आधार वर्ष की खतौनी 1377 से 1379 फ0 की प्रविष्टियों के आधार पर चकबन्दी कार्यवाही की गयी ।

चकबन्दी अधिकारी तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने मतरूक के बारे में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वत्व सम्बन्धी आदेश पारित किया । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश के विरुद्ध निगरानी दायर की गई है जो विचाराधीन है, जिसका न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निस्तारण होना है ।

संदर्भित पत्र, दिनांक 10 जनवरी, 1990 को चकबन्दी आयुक्त को भेजा गया था परन्तु वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा, हुसेनपुर सकरवारी की भूमि पर नाजायज कब्जों की जाँच करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

185--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री को सम्बोधित श्री नाटा, ग्राम प्रधान ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के आवेदन-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 27 अप्रैल, 1987 जिसमें ग्राम सभा हुसनपुर सकरवारी की लाखों रुपयों की भूमि गाटा संख्या 506 रकबा डेढ़ बीघा गाटा संख्या 431, रकबा 2 बीघा तथा गाटा संख्या 419 व 341 पर कुछ लोगों द्वारा नाजायज तौर से कब्जा करने का उल्लेख था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण का किसी जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला फैजाबाद के चक रोडों को खुलवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

186--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री रघुनाथ सिंह यादव, जिला फैजाबाद का कोई शिकायती-पत्र चक रोडों को खुलवाने के सम्बन्ध में दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण--

जी हां ।

कथित शिकायती-पत्र की जांच चकबन्दी अधिकारी से करायी गयी । प्राप्त सूचनानुसार चक् रोड को खुलवाये जाने के सम्बन्ध में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के आदेश जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा दे दिये गये हैं ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा दुढिहा के मौजा चमरारी ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि पर अवैध कब्जा

187--श्री अफजाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा दुढिहा के मौजा चमरारी में ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि व आबादी की भूमि व चकरोड बड़े-बड़े भू-स्वामियों द्वारा कब्जा करके जोत ली गई है ? क्या मंत्री जी मौजा चमरारी से मौजा फतुलहा के बीच की चकरोड की पैमाइश कराकर चकरोड साफ करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण--

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्दाबाद के ग्राम सभा ढुडिया के ग्राम चमरारी में कृषि योग्य भूमि गाटा सं0 33/0·013 हेक्टेयर एवं चकरोड, गाटा सं0 13/0·021 हेक्टेयर, 99/0·095 हेक्टेयर, 138/0·019 हेक्टेयर, 154/0·055 हेक्टेयर, 156/0·034 हेक्टेयर, 172/0·033 हेक्टेयर तथा 225/0·063 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकार कब्जा हटवा दिया गया है । आबादी भूमि पर कोई अनाधिकार कब्जा नहीं है । कृषि योग्य भूमि सं0 33/0·013 पर अनाधिकार काबिज व्यक्ति के विरुद्ध धारा 122-बी में बेदखली का वाद विचाराधीन है ।

188--श्री ऊदल--

[दिनांक 3 जुलाई, 1990 को अता0 प्र0 सं0 35 द्वारा उत्तरित ।]

189--श्री अमर मणि तथा श्री श्याम नारायन तिवारी--

[दिनांक 3 जुलाई, 1990 को अता0 प्र0 सं0 162 द्वारा उत्तरित ।]

सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी चपरासी स्व0 नजीर की विधवा को उनके देयों का भुगतान

190--राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नजीर, चपरासी सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी का देहान्त सेवा काल में ही हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्व0 नजीर की विधवा को उनके देयों का भुगतान अनेक प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? स्व0 नजीर के देयों का भुगतान उनकी विधवा को कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नजीर, चपरासी को वर्ष 1971 में मैनपुरी से स्थानान्तरित किया गया था और अवमुक्त भी कर दिया गया था परन्तु नई तैनाती के स्थान पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । सम्भवतः वह अपने गृह बाराबंकी चले गये जहां पर उनकी मृत्यु हो गयी । बार-बार उनकी विधवा पत्नी व पुत्र से सम्पर्क करने पर भी वे उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि तथा अन्तिम तैनाती का स्थान आदि बताने में असमर्थ रहे और मृत्यु का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध न करा सके ह । इस कारण मृत्यु की सही तिथि की जानकारी नहीं हो पा रही है । जिसके कारण अभी भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद सोनभद्र के ग्राम मुर्धवा में दि इन्डियन रेयान कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम समाज की पुनर्ग्रहण की गयी भूमि तथा मुआवजे की जानकारी

191—श्री विजय सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ग्राम मुर्धवा में दि इन्डियन रेयान कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम समाज की कितनी भूमि अर्जित की गयी है तथा उस भूमि का कितना मुआवजा कब भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण—

जनपद सोनभद्र के ग्राम मुर्धवा में ग्राम समाज की 15 बीघा 10 बिसवा 8 धूर (9.700 एकड़) भूमि का पुनर्ग्रहण कर उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई गयी । निगम द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा मे0 इण्डियन रेयान कारपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है और कारपोरेशन से ग्राम समाज की भूमि के लिए 25,191.00 रुपया वसूल किया गया है । पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि का नियमानुसार नजराना राजकीय कोष में जमा कराने के लिए जिलाधिकारी, सोनभद्र को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद देवरिया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र, कुशीनगर के विकास हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास

192—श्री अकबर हुसैन खाबर तथा श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन-केन्द्र, कुशीनगर के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कुशीनगर में वर्ष 1982-83 में इन्डो-होक्के होटल का शिलान्यास हुआ था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद देवरिया में स्थित पर्यटन केन्द्र, कुशीनगर के विकास के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर में पर्यटक आवास गृह तथा बौद्ध संग्रहालय के निर्माण की योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

कुशीनगर में इन्डो-होक्के होटल का नहीं बल्कि कुशीनगर से 13 कि0 मी0 की दूरी पर कसया-तमकुही मार्ग पर घाघी नदी के तट पर दिनांक 22 नवम्बर, 1981 को सेन्टोर-होक्के होटल का शिलान्यास हुआ था, किन्तु अभी तक सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कृपा करके रात को कल एक बैठक बुलाई, जिसमें माननीय कल्यान सिंह जी ने एक गम्भीर बात कही कि किस प्रकार हल्के-फुल्के ढंग से उत्तर दे दिया जाता है, जो अनुचित है, इससे सदस्यों के हितों की रक्षा नहीं होती और न ही जनहित की रक्षा होती है। मैं आपका ध्यान आज के एजेन्डा की तरफ आकृष्ट करते हुये आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, आप अतारांकित प्रश्न संख्या 148 को देखें, यह श्री अकबर हुसैन बावर का प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनांक 31 मई, 1990 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी अब्दुल्लापुर, अकबरपुर, फैजाबाद का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें परगनाधिकारी तहसील जलालपुर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत की गयी है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? मान्यवर, इसका जो जवाब माननीय राजस्व मन्त्री जी की ओर से आया है, उसको भी देख लें कि किस तरह हल्के-फुल्के ढंग से गैर-जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया जाता है। जवाब दिया गया है, प्रश्नकर्ता के दिनांक 31 मई, 1990 का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता, जबकि मान्यवर, माननीय राजस्व मन्त्री जी के कार्यालय पत्र प्राप्ति की रसीद उपलब्ध है। जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि अकबर हुसैन बावर का पत्र प्राप्त हुआ। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जब कल्यान सिंह जी ने आपके समक्ष बात रखी थी, तो आपने कहा था कि इस पर व्यवस्था देंगे। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को उनके प्रश्नों पर माननीय मन्त्रीगण उत्तर जो दें, उसको गम्भीरता से दें, ताकि सदस्यों के हितों की रक्षा हो सके, इसी पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक इसका प्रश्न है, आपको पूरा उत्तर मिले। उस सन्दर्भ में कल जो बैठक हुयी थी, उसमें माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी भी उपस्थित थे और उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि इस सम्बन्ध में यदि कोई कमी है, तो उसकी ओर विशेष ध्यान देंगे। जहां तक आपके इस प्रश्न का सम्बन्ध है, वह रसीद आप मेरे पास कृपया भेज दें, मैं उस पर निर्णय दे दूंगा।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी वरिष्ठ और योग्य सदस्यों में से हैं और नियमावली में सभी तरह के प्राविधान हैं, जिसमें माननीय सदस्य अपनी बातों को ठीक तरह से रख सकें, जिससे परेशानी का निराकरण भी हो सके। आपकी पीठ से भी तमाम व्यवस्थायें हैं, प्रश्नों के सम्बन्ध में, कि कोई व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्नों के सम्बन्ध में नहीं उठाया जा सकता। इसके लिये नियम 49 है, प्रश्न सन्दर्भ समिति है। अगर किसी सदस्य को कहीं से मालूम होता है कि प्रश्नों का उत्तर सुसंगत नहीं है, तो वह माननीय अध्यक्ष से नियम 49 में चर्चा की मांग कर सकते हैं, प्रश्न सन्दर्भ समिति को भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक व्यवस्थायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, प्रश्नों के सम्बन्ध में, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और न कोई औचित्य का प्रश्न ही उठाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने भी निर्णय सुरक्षित रखा है, कोई निर्णय नहीं दिया है ।

*श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 141 को देखने का कष्ट करें । इस प्रश्न में कहा गया है कि क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी को मार्च, 1990 में मेरे द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ है । इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया है "जी हां ।" प्रश्न के दूसरे भाग में मैंने पूछा था कि लेजार महावेदा, मुन्दिम सिंहपुर अयोध्या आदि गांवों में सीलिंग भूमि की हेराफेरी की गयी है । इसका जवाब मन्त्री जी ने दिया है "आवंटन में कोई हेरा-फेरी नहीं हुयी है ।" ग्राम लेजार महावेदा में चतुर्भुज चौधरी ने सीलिंग की सैकड़ों बीघा जमीन की वसीयत अपने भांजे के नाम पर कर अपने को मृत घोषित किया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है ।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, जिन्दा आदमी अपने को मृत घोषित कहकर सैकड़ों बीघा सीलिंग की जमीन पर कब्जा किये हुये हैं । जवाब में मन्त्री जी कहते हैं कि आवंटन में कोई हेरा-फेरी नहीं हुयी है । संविधान की नवीं अनुसूची का भी उल्लंघन हो रहा है, अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, सार्वजनिक महत्व की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैंने नियम 49 में भी दिया है । इसे आप प्रश्न एवम् सन्दर्भ समिति को सुपुर्द कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप लिखकर भेज दें ।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा नियम 301 लिये जाने पर ।)

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि बिहार के मुख्य मन्त्री श्री लालू प्रसाद यादव को नवीं संतान के पैदा होने पर यह सदन उन्हें बधायी दे ।

श्री अध्यक्ष--

आप स्वयं भेज दें ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 10 जुलाई, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु 301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुयी । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी ; पहली सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी की जनपद बांदा के अतर्रा कस्बे में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में है; दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी को वन विभाग में विलुप्त हो रहे पेड़ों तथा जानवरों की सुरक्षा के सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में है, तीसरी सूचना डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी जी की बाजार अमानीगंज जनपद फैजाबाद के लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डाक्टर दिनेश जौहरी जी की अनियमित विद्युत् आपूर्ति से भोजीपुरा जनपद बरेली के औद्योगिक इकाइयों की बन्दी के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की लखनऊ जनपद में राजा बिजली पासी के किले की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह (रायबरेली) की सरयू नहर परियोजना नवम् मंडल सिंचाई कार्य बहराइच के अधीक्षण अभियन्ता की अक्षमता एवं भ्रष्ट कारनामों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री किशोरी श्याम जी की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयो में रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है।

ये सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी जायं ?

(उक्त सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मान ली गयीं।)

जनपद बांदा के अतर्रा क़स्बे में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[मान्यवर, जनपद बांदा के कस्बे अतर्रा में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन न होने से सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है, मौजूदा समय में विद्यालय किराये के भवन में चल रहा है जहां एक कमरे में सौ से अधिक छात्रायें बैठती हैं जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तथा सैकड़ों छात्राओं का प्रवेश स्थान न होने से नहीं हो पाता है। साथ ही भवन मालिक को करीब दस वर्षों से किराया व मिलने से आये दिन भवनों में ताला डालने की धमकी भी देता रहता है। भवन की छत एवं इमारत छत-विछत होने से बरसात के दिनों में अक्सर अवकाश बना रहता है इस विद्यालय के लिये सरकारी भवन बनवाने की मांग कस्बे में निवासियों के द्वारा करने के बावजूद भी अभी तक शासन द्वारा भवन का निर्माण नहीं कराया गया है जिससे निवासियों में भी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है। स्थायी प्राचार्या न होने से विद्यालय में प्रशासन एवं कार्य बन्द है तथा विज्ञान टीचर न होने से छात्राओं का विज्ञान में प्रवेश रोक दिया गया है।

अतः मांग करता हूं कि इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण को ध्यान में रखते हुये अविलम्ब उपरोक्त विद्यालय के भवन का निर्माण शासन द्वारा करवाया जाय तथा स्थायी प्राचार्या एवं विज्ञान टीचर की नियुक्ति की जाय।]

जनपद शाहजहांपुर में पेड़ पौधों के अवैध कटान से विलुप्त हो रहे पशु-पक्षियों तथा पेड़ों की सुरक्षा की मांग के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[मान्यवर, हमारे यहां अनेक प्रकार के पेड़-पौधे थे लेकिन अवैध कटान के कारण वह सब समाप्त हो गये, जनपद शाहजहांपुर में अवैध कटान जोरों पर है और रोजाना ट्रकों, लकड़ी, पुलिस व वन विभाग के मदद से बाहर आ रही है। शाहजहांपुर की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तहसील जलालाबाद व तिलहर के ग्राम उपरखंड मलरिया, मिर्जापुर, डोवेपुर आदि ग्रामों के पास हजारों की तादाद में काले हीरन, लोमड़ी, भेड़िया आदि थे लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, दुधवा नेशनल पार्क के निदेशक ने जुलाई, 1990 में मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो उनको कुछ गिने-चुने ही पशु-पक्षी नजर आये ।

अतः मेरा शासन से अनुरोध है कि उन विलुप्त हो रहे पशु-पक्षियों की रक्षा का प्रबन्ध यथा शीघ्र करें तथा दुधवा नेशनल पार्क के जो निदेशक ने 4 जुलाई, 1990 को मौके पर जाकर जानकारी दे दें कि राम ग्राम और बदगुल नदी के बीच 17 कि0 मी0 में नदियों के किनारे जो जानवर, चिड़िया रहती हैं उनकी सुरक्षा दें ।]

जनपद फैजाबाद के अमानीगंज बाजार, मिल्कीपुर-रुदौली लोक निर्माण विभाग की सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अमानीगंज बाजार, मिल्कीपुर रुदौली लोक निर्माण विभाग की सड़क पर स्थिति है उक्त बाजार में सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि जिससे कीचड़ और पानी भरा हुआ है । आवागमन अवरुद्ध है । पानी और कीचड़ से बचने के लिए लोग किनारे-किनारे चलते हैं । चार पांच माह पूर्व इसी से एक हरिजन लड़के को ट्रैक्टर और ट्राली से दबकर मृत्यु भी हो गई है । इसके निर्माण के लिए 80 हजार रुपये की गिट्टी का टेन्डर भी हुआ है । विभाग की लापरवाही से काम नहीं हो पा रहा है इसको लेकर क्षेत्र में घोर असंतोष व्याप्त है । आवागमन अवरुद्ध है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न हर तुरन्त विचार करने का कष्ट करें ।]

जनपद बरेली के मौजीपुरा औद्योगिक इकाई को नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

[मान्यवर, गत तीन माह से बिजली की गड़बड़ी व अनियमित आपूर्ति के कारण बरेली जनपद की मौजीपुरा औद्योगिक पट्टी में स्थित सभी लघु उद्योग बन्दी के कगार पर आ गये हैं । नियमित बिजली न मिल पाने के कारण दिन-दिन भर काम बन्द रहता है । मजदूर मजदूरी तथा अन्य खर्चे के लिए तरस रहे हैं किन्तु उत्पादन नहीं हो पा रहा है । जिससे इकाइयां दिनों दिन भारी घाटा उठा रही हैं ।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि मौजीपुरा औद्योगिक इकाई को बिजली आपूर्ति यथा शीघ्र ठीक की जाय एवं इकाइयों को बन्द होने से रोका जाये ।]

नोट—[-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लखनऊ जनपद में राजा बिजली पासी के किले को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[मान्यवर, जनपद लखनऊ बंगला बाजार के निकट मोहम्मदी नगर परगना जिनौर में पासी बंसज के राजा बिजली पासी का किला टीले के रूप में कई एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 3 वर्ष पूर्व विकास प्राधिकरण में उक्त किले को अधिग्रहण करके किले पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया था। मैंने इस प्रश्न को विधान सभा मे उठाया था। तत्कालीन सरकार ने एल0 डी0 ए0 पर रोक लगाकर पुरातत्व विभाग को इसको वास्तविकता के लिए सौंपा था।

खेद है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह देख कर सरकार बदल गयी है बिना सरकार के सूचना दिये पुनः 3 वर्ष बाद कब्जा करने का प्रयास कर रही है जिससे जनपद लखनऊ ही नहीं वरन् प्रदेश के पूरे दलित समाज एवं पासी समाज में जन आक्रोश से गंभीर परिणाम की सम्भावना है।

अतः सरकार से अविलम्बनीय प्रश्न पर तुरन्त हस्तक्षेप को तथा किले के सम्बन्ध में पुरातत्व विभाग को सौंपे गये रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की मांग करता हूं।]

सरयू नहर परियोजना नवम् मंडल सिचाई कार्य, बहराइच के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कुमार सिंह (रायबरेली)--

[मान्यवर, उक्त मंडल के अन्तर्गत सरयू नहर खंड 2 द्वारा कपूरपुर व हरदो-रजबहे का कार्य लगभग पूर्ण कराया जा चुका है। मात्र उन स्थानों पर कार्य अपूर्ण है, जहां पर यह रजबहे मराव में हैं। संबन्धित ग्रामों के कृषक निर्धन व इनके पास बहुत ही थोड़ी कृषित भूमि है। उक्त अपूर्ण कार्यों को बाहर से मिट्टी ला करके पूरा करने के लिए कई बार निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं। परन्तु उक्त अधीक्षण अभियन्ता की हठधर्मी एवं स्वार्थ लिप्सा के कारण कार्य नहीं हुए, जिससे नहर न बनने के कारण जहां एक ओर राजस्व की हानि हुई है, तो दूसरी ओर दरें बढ़ जाने के कारण इस पर लगभग दुगुना व्यय होगा। कृषकों के पास बहुत थोडी जमीन व नसीबो क्षेत्र होने के कारण वे चाहते हैं कि मिट्टी अन्यत्र से लाकर के नहर पूरी की जाये। ताकि जल भराव के कारण उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना न करना पड़े तथा कृषित भूमि भी न बेकार हो। परन्तु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के माध्यम से गरीब कृषकों से भी सौदेबाजी की जा रही है। उक्त अधीक्षण अभियन्ता इससे पहले टिहरी बोर्ड में डिपुटेशन पर थे और वहां से इसलिए हटाये गये क्योंकि उनके रहते टिहरी बांध में तोड़-फोड़ हो सकती है। उनके पास 11/89 से उक्त मंडल का चार्ज है, परन्तु इनकी ठेकेदारों से हर कार्य में सौदेबाजी की प्रवृत्ति से परियोजना का कार्य ठप्प है, जिस मकान में यह रह रहे हैं उस पर 25,000 रु0 खर्च किया है, जबकि इसकी मरम्मत पिछले वर्ष हो चुकी थी। इससे पहले कलीघारा स्थित डाक बंगले में रहते थे, रजिस्टर न भरने के कारण राजस्व की हानि हुई। मात्र स्वार्थलिप्सा में इन्होंने एक सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण स0 न0 ख0 7 से स0 न0 ख0 4 में तथा एक का स0 न0 ख0 4 से स0 न0 ख0 7

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मे किया है, जिसके लिए यह सक्षम भी नहीं थे । जब अधीक्षण अभियन्ता ऋषिकेश में नियुक्त थे, तब विभाग की एक फोटोस्टेट मशीन चोरी करवा ली थी, जिसकी जांच विभाग में लम्बित है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोरी श्याम---

[मान्यवर, प्रदेश के सैकड़ों राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में गत लगभग 6 वर्षों से चिकित्साधिकारी नहीं हैं । चिकित्साधिकारियों के चयन का दायित्व वर्ष 1984-85 में ही उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को सौपा गया । 1984-85 से आज तक शासन स्तर से बराबर शीघ्रातिशीघ्र "चयन" हेतु आयोग से अनुरोध किया जा रहा है । किन्तु आज भी अनिश्चितता की स्थिति पूर्ववत बनी हुई है । चिकित्साधिकारियों की प्रबल मांग जन-साधारण माननीय जन प्रतिनिधिगण व विभागीय अधिकारियों द्वारा अनवरत की जा रही है । 6 वर्ष अन्तराल के बाद भी "आयोग" पर ही निर्भर रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है । ऐसे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को "जनउपयोगी" बनाने के लिए व बेरोजगार होम्योपैथिक चिकित्सकों को "रोजगार" मुहैय्या कराने के लिए सरकार के पास "तदर्थ नियुक्ति" के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है ।]

अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस मामले को आपकी "अनुज्ञा" से सदन के संज्ञान में लाते हुए जनहित में होम्योपैथिक-चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तत्काल "तदर्थ नियुक्ति" मांग करता हूं ।]

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं लगातार एक हफ्ते से अपने क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस सदन में उठाना चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठ जांय । मैं आपको अनुमति इसलिए नहीं देता हूं कि इसमें केवल शालाका का नियम है और उसका पालन हो रहा है ।

(श्री मुईद अहमद के खड़े होने पर)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, दूसरी सूचना श्री मुईद अहमद जी की है तीसरी सूचना (डा0) दिनेश जौहरी जी की है, चौथी सूचना श्री राज किशोर सिंह जी की है, पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है छठी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की है और सातवीं सूचना श्री इम्तियाज मोहम्मद खां जी की है ।

इन सूचना में मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को सुनना चाहूंगा

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नगर विकास बजट पर कटौती हेतु प्रस्तावक को न पुकारे जाने तथा प्रश्नों के सही उत्तर न आने क सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, यह सूचना मैंने व श्री सत्यप्रकाश विकल जी ने मिलकर दी है। हम इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से बिना किसी बाधा के चलनी चाहिए लेकिन इसमें जहां माननीय सदस्यों का और दलीय नेताओं का सहयोग अपेक्षित है वहां अध्यक्ष पीठ का भी मार्गदर्शन और सहयोग आवश्यक है। अगर नियमों के विरुद्ध कार्यवाही होगी स्वाभाविक ह कि सदस्यों में भी उत्तेजना होगी। उदाहरण देना चाहता हूं यह 6 जुलाई, 1990 की कार्यवाही ह, अंत म व्यवधान हुआ। जो व्यवधान हुआ उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। सदस्यगण "वैल" में आ गये, हल्ला गुल्ला मचने लगा सदन अव्यवस्थित हो गया, लेकिन अध्यक्ष पीठ का अधिकार है, उसको बड़ी भारी शक्ति दी गयी है, अव्यवस्थित सदन में सदन की कार्यवाही चलती रहे यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। माननीय सदस्यों की गलती हो सकती है लेकिन उसके निस्तारण का अधिकार भी है। दिनांक 6 जुलाई, 1990 को जब नगर विकास विभाग का बजट चल रहा था, कार्यवाही के पृष्ठ 85 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने अनुदान प्रस्तुत करने के लिए माननीय नगर विकास मन्त्री को बुलाया।

माननीय नगर विकास मन्त्री ने कहा कि मैं क्या प्रकाश डालूं, ऐसी स्थिति में घोर व्यवधान हो रहा था, आपने तत्काल कटौती के प्रस्ताव का प्रश्न उपस्थित कर दिया। इसमें कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए किसी को न तो अवसर दिया गया और न किसी का नाम पुकारा गया। श्री सत्यप्रकाश विकल जी को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। आपको सम्भवतः जानकारी नहीं होगी कि श्री सत्य प्रकाश विकल जी को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है लेकिन फिर भी नम्बर 1 पर जिनका नाम था, उनको पुकारना चाहिए था। हो सकता है कि उनका नाम पुकारा गया होता तो जो सदस्य व्यवधान कर रहे थे, अपने स्थान पर बैठ जाते लेकिन किसी को बुलाया नहीं गया कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। श्री अध्यक्ष ने तत्काल कटौती का प्रश्न उपस्थित कर दिया, जो कि अस्वीकृत भी हो गया। यही औचित्य का प्रश्न यह है कि जब कटौती का प्रस्ताव एजेण्डा पर था तो उसको न पुकार कर तत्काल कटौती का प्रश्न प्रस्तुत कर देना क्या सही है? कल आदरणीय नेताओं की बैठक हुई, आपने निर्णय लिया कि प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यकारिणी सदन के प्रति उत्तरदायी है और सदन प्रश्नों के द्वारा उसको नियंत्रित कर सकता है। चार ही प्रश्न हम कर सकते हैं, हमको केवल 4 बाण छोड़ने का अधिकार है। नियमावली का नियम 38 (1) है, इसमें है कि उत्तर सही आने चाहिए और प्रश्नों से संगत उत्तर आने चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि उत्तर सही नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे चार प्रश्नों के दायें-बायें उत्तर दे दिये जायं तो हमारा अधिकार तो समाप्त हो गया जब प्रश्न पूछने की सीमा निर्धारित कर दी तो अध्यक्ष पीठ का दायित्व बढ़ गया है कि सही और संगत उत्तर दिलाये जायं।

मैंने अपने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से तो बिन्दुओं को उठाया है एक तो 6 जुलाई, 1990 की कार्यवाही के बारे में कि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य को नहीं बुलाया गया और तत्काल प्रश्न उपस्थित कर दिया गया। दूसरी यह कि प्रश्नों के सही और संगत उत्तर आने चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय, माननीय गुप्ता जो इस सदन को नियमों से और परम्पराओं से चलाने की जो अपेक्षा कर रहे हैं, वह सर्वथा उचित है लेकिन माननीय गुप्ता जी कभी-कभी हम लोगों को भ्रम में डालने की भी कोशिश करते हैं। नियमों में कहीं पर भी यह प्राविधान नहीं है कि माननीय सदस्य को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाना आवश्यक है। जिस माननीय सदस्य को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना था उनकी जिम्मेदारी थी कि खड़े होकर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते। यदि खड़े नहीं हुए तो यह समझा जायगा कि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। और माननीय, कटौती का प्रस्ताव के अतिरिक्त आपने आरोप लगाया है कि प्रश्नों के उत्तर सुसंगत नहीं आते हैं यद्यपि यह बात औचित्य के प्रश्न में नहीं उठायी गयी है, यह अलग से आरोप लगाया है। माननीय, अगर उस दिन कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश हुआ तो यह किसकी जिम्मेदारी थी? सत्ता पक्ष की या विरोध पक्ष की। उस समय माननीय, व्यवधान इतना अधिक था कि वह कार्यवाही में नहीं लिखा जा सका और आपने इसी लिए मतदान करवा कर उसे पास कराया, यह बात कार्यवाही में अंकित है। यदि कटौती के प्रस्ताव के लिए नहीं पुकारा गया था तो फिर उसके प्रस्ताव पर मतदान कैसे हुआ? यह सब कार्यवाही व्यवधान के बीच में हुई, उस समय इतना व्यवधान था, आप लोगों ने इतना व्यवधान पैदा कर दिया था कि हमारे रिपोर्टरस् उसको लिख नहीं पाये न सुनने की वजह से। माननीय, इस संबंध में आप उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्षपीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का सर्वाधित संहत संकलन जो कि मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक का है देखने का कष्ट करें। इसके पृष्ठ 47 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी मद संख्या 7 पर लिखा हुआ है कि किसी को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता 23 जून, 1970 को कटौती प्रस्ताव के लिए बिना अनुदानों पर मतदान कराने पर आपत्ति के संबंध में जब श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि कोई कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के यह कहने पर कि कटौती के प्रस्तावक को श्रीमन् बुला लें, श्री उपाध्यक्ष ने कहा मैं विवश हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं लाना चाहता था तो हम बाध्य नहीं कर सकते थे।"

इसका मतलब है कि उस दिन विरोध पक्ष कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता था लेकिन आपने फिर भी पुकारने के बाद उस पर मतदान करवाया कटौती के प्रश्न पर। इसीलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और यह एक तरह से उन्होंने विरोध पक्ष के लिए एक सबक जरूर दे दिया है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलावें और हर कार्य को नियमानुसार ही होने दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय अध्यक्ष जी, इस औचित्य के प्रश्न पर मेरा भी नाम है, मैंने भी उसमें हस्ताक्षर किये हैं। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी का उत्तर जो आया है यह भ्रमात्मक है। मान्यवर, 6 जुलाई, 1990 की कार्यवाही को पृष्ठ 85 जो है, कृपया उसे देखें इसमें लिखा हुआ है कि जब अध्यक्षपीठ से नगर विकास मन्त्री जी का नाम पुकारा गया, यह कार्यवाही में लिखा है कि माननीय नगर विकास मन्त्री ने कहा कि मान्यवर, मैं क्या प्रकाश डालें ऐसी स्थिति में? जब यह सब चल रहा था तो मैं खड़ा हुआ था, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये उस व्यवधान के बीच में मैंने अपनी बात को कहने का प्रयास भी किया था पर सुना नहीं गया। और न उसका कोई उत्तर ही दिया गया न मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुलाया गया । केवल कटौती पर मतदान प्रस्तुत कर दिया गया जो गलत चीज हुई है उसे स्वीकार करना चाहिये । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल रहे हैं । यह सही है कि उस समय सदन व्यवस्थित नहीं था परन्तु मैं तो खड़ा हुआ मेरे खड़े होने पर मुझे बोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई और प्रश्न उपस्थित कर दिया गया था । मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष--

अब आप क्या कहेंगे, आप तो कह चुके हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री जी ने मुझे धन्यवाद दिया है और बधाई भी दी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । अभी माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने जो रूलिंग दी है वह संगत नहीं है । माननीय सदस्य तो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्होंने नया नहीं किया था आप इस बात को ध्यान मे रखकर कृपया अपना निर्णय दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैंने तो धन्यवाद तो इसलिए दिया है, कि उनके इस तरह के प्रश्न उठाने से माननीय सदस्यों को शिक्षा मिलेगी कि वह सदन की कार्यवाही में बाधा न डाले और व्यवधान न डालें । आपने कहा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन व्यवधान में विकल जी सुन नहीं पाये । जब वह नहीं खड़े हुये और व्यवधान उपस्थित हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है । जब वह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, तो आपको बजट पास कराना पड़ा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने कहा कि माननीय सदस्य को बुलाया गया । मैं तो यह कहता हूं कि माननीय सदस्य को बुलाया ही नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहस करने का औचित्य क्या है । आपको अवसर मिला, भूल से उनका नाम मैंने नहीं पढ़ा और आप बार-बार उत्तर दे रहे हैं । तो इनका क्या औचित्य है । इस प्रकार से कोई इसका अन्त नहीं होगा । इस पर कोई बहस नहीं होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आखिरकार इसका अंत कैसे होगा । मुझे इस पर निर्णय देना है । इस पर नहीं सुनूंगा । यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा सिवाय मेरे निर्णय के ।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ठीक है, आप बोलते रहें । मुझे नहीं सुनना है, आप कृपया बैठ जायें । आपकी बात को नहीं लिखा जायेगा और वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । मैं नहीं सुनूंगा । अभी कल ही मीटिंग हुई थी कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चले और आप लोगों ने आज ही यह प्रारम्भ कर दिया है । औचित्य के प्रश्न को लिया और उसपर सुना और उसपर संसदीय कार्य मन्त्री ने अपनी बात कही, अब आप मेरे निर्णय को सुन लें । अगर आपको अनुमति दूंगा, तो 6 और आदमी खड़े हो जायेंगे । तो यह नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी ।

(व्यवधान)

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आप की जो भावना है और उस भावना के अन्तर्गत जो नियमों की और कर्तव्य की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया है, उससे पूरा सदन और मैं स्वयं सहमत हूं कि सदन में व्यवस्थित ढंग से कार्यवाही होनी चाहिये । किसी विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ है और उसपर कटौती का प्रस्ताव पेश होना है, तो आप को अवसर मिलना चाहिये। मन्त्री जी द्वारा जब बजट पेश करने के उपरान्त व्यवधान हुआ और इतना अधिक व्यवधान हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा । दुबारा जब मैं आया तो आकर मैंने मन्त्री जी से कहा कि क्या आप को बजट पर विचार प्रकट करने हैं । माननीय मन्त्री जी बोलना चाहते थे इधर की तरफ से, किन्तु इतना अधिक शोर और व्यवधान हुआ कि कुछ सुनाई नहीं दिया । मैंने 4-5 बार यह कहा था कि यदि कटौती के प्रस्ताव को अपना प्रस्ताव रखना है तो रखें । व्यवधान और शोर होने के कारण कार्यवाही में वह आया या नहीं किन्तु उसी व्यवधान में मुझे प्रश्न रखना पड़ा और कटौती के प्रस्ताव के बारे में मैंने प्रश्न रखा । इस कारण यह सब हुआ । मैं समझता हूं कि मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । इसलिए मैं इसे 300 के अन्तर्गत अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

माननवर, आज पूरा प्रदेश भ्रमित है और पूरे सदन के सदस्य भ्रमित हैं । प्रदेश के जो वित्त सचिव हैं वे विदेश चले गये हैं । उन्होंने ने केन्द्र से और न कहीं से विदेश जाने की परमीशन ली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बगैर कोई परमीशन के मुख्य सचिव विदेश जा सकते हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माननीय मुईद अहमद की सूचना है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा था कि फैजाबाद कताई मिल की कालोनी में रहने वाले मजदूरों को निकाला नहीं जायेगा किन्तु उन्हें निकाला जा रहा है। इसमें मुझे यह कहना है कि यदि माननीय मन्त्री जी ने कोई आश्वासन दिया था और उसके विपरीत कार्य हो रहा है तो आश्वासन भंग करने की आप सूचना दें और यदि आपका कोई आपत्ति है कि गलत सूचना है तो आप विशेषाधिकार की सूचना दे दें। फिर भी मैं आपकी इस सूचना को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजता हूं। यह 300 में नहीं आता है।

डाक्टर विनेश जौहरी ने सूचना दी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के बावजूद अधिकारीगण जनता से मिलने का समय निर्धारित नहीं कर सके हैं और पत्रों के उत्तर नहीं देते। इसमें मुझे कहना है कि इसमें हमारी नियमावली या प्रक्रिया या संविधान जिसके अन्तर्गत हमारी प्रक्रिया नियमावली बनी है, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

राज किशोर सिंह का कहना है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के 100 इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। यह कोई औचित्य का विषय नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण 20 तारांकित प्रश्न के उत्तर सदन में नहीं आते, इसकी सूचना दी है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि माननीय खन्ना जी, कल माननीय नेताओं, सचेतक, मुख्य सचेतक, सचिव और अन्य लोगों को जिनको मैंने उचित समझा, बुलाकर एक नीति निर्धारित की है जिसके अन्तर्गत यह किया है कि प्रश्नकर्ता केवल दो अनुपूरक प्रश्न करेगा और उसके अलावा दो अनुपूरक प्रश्न और होंगे जिसका उद्देश्य यह है कि 20 तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन में आ जायेंगे। इसलिये यह नीति निर्धारित की गई है। नेताओं से कहा गया है कि वे अपने सदस्यों को इससे अवगत करा दें। मैं निवेदन करूंगा कि पूरे प्रश्नों के उत्तर शासन द्वारा सदन में आ जायें, यह विरोध-पक्ष का अधिकार है। इसको आप सभी सुनिश्चित करें। इसलिए आपकी यह सूचना 300 में अस्वीकृत हुई।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय की सूचना है कि नियम 301 के प्रश्नों के उत्तर समय से प्राप्त नहीं होते। इस ओर मैं शासन का ध्यान दुबारा आकर्षित करता हूं।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां ने संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 में टकराव होने की बात कही है। यह बिलकुल अस्पष्ट है। घटना नहीं लिखी है। इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

डाक्टर निवेश जौहरी--

माध्यवर, मेरी भी एक सूचना यह थी कि आज परिवार नियोजन पर कुठाराघात हो रहा है। बिहार के मुख्य मन्त्री लालू प्रसाद यादव का नवां बच्चा हुआ है। इस सरकार की ओर से ब्रा० ज० पी० को ओर से बधाई जानी चाहिये

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अपनी

दिनांक 22 जून, 1990 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश- विधान सभा ने अपने दिनांक 5 जुलाई, 1990 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 जुलाई, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं। बिहार के मुख्य मंत्री जी को 9वें पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या हमारे मुख्य मंत्री जी कुछ कमजोर पड़ रहे हैं। मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली है मैं अपने ज्ञान वर्धन के लिये जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरी कामना है कि आप 12 पुत्रों के पिता हों।

श्रम विकास एवं राजस्व मंत्री (श्री राम शरण)--

[× × ×]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 10 जुलाई, 1990 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई --पहली श्री सुन्दर लाल(बाराबंकी) की, दूसरी डा0 ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी की, तीसरी श्री शिवदर्शन की, चौथी श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी की, पांचवीं श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की, छठी श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की और सातवीं श्री प्रभु लाल अहिरवार जी की। जैसा कल निर्णय हुआ उसके अनुसार आज नियम 56 की सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या--27 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 88 सामान्य प्रशासन विभाग

* मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,37,49,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की शिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--88 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,33,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण अनुदान प्रस्तुत करने की अनुमति दी। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं और सामान्य प्रशासन, गृह और पुलिस विभाग के कार्यों से सरकार की दिशा नीति और मोयती, जनता और सरकार के बीच के रिश्ते और सरकार प्रदेश में क्या करना चाहती है इसका ज्ञान होता है, इसका बोध होता है। इसके साथ ही मुख्य रूप से प्रशासन की कार्यकुशलता और प्रदेश की जनता के प्रति सरकार की छवि का पता चलता है। इसलिए हमारी सरकार बनते ही इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है और परिवर्तन करने की कोशिश की गयी है। इसलिए स्वीकार करता हूं कि आजादी के बाद सरकारें बदलीं, सरकारें चली गयीं और कई सरकारें बदलीं यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन जहां तक हमारे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तौर तरीकों में बदलाव नहीं आया, इसको हम सभी स्वीकार करते हैं सदन में और बाहर भी इसकी चर्चा करते हैं कि कर्मचारियों में बदलाव नहीं आया है। इसका नतीजा यह निकला कि जो सरकारी तंत्र जिसको नौकर-शाही कहते हैं राजनीतिज्ञों पर हावी हुआ है और बहुत कुछ पुलिस के अधिकारियों का शिकंजा कस गया है, इसकी शिकायतें आ रही हैं और रही हैं।

माननीय, इसीलिए इस सरकार ने जहां पुलिस अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता के जानमाल की रक्षा के लिये थी और वहीं कुछ अधिकारी कुछ नेताओं का संरक्षण पा करके यहां तक देखा गया है कि वह अपराधियों के सहयोग से चुनावों में बूथों पर कब्जे कराये गये हैं और इसके सम्बन्ध में इसी सदन के अन्दर कहा भी है और कहीं कहीं पर जांच करने पर साबित हुआ है और कई प्रदेशों में चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया है। तो इस स्थिति में यह जो व्यवस्था चली आ रही थी इसको बदलने के लिये यह पहली सरकार है और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। इसीलिए कहा है कि यह खुली सरकार है, इसलिए स्वीकार किया है कि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस के तौर तरीके नहीं बदले हैं, इसीलिए आम तौर पर कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारियों में बदलाव तो अब आया है लेकिन अभी थानेदारों, तहसीलदारों, बी0 डी0 ओज0, डी0 एस0 ओज0 के दफ्तर में और जिला विद्यालय निरीक्षक, तथा बेसिक शिक्षा में बदलाव नहीं आया है, इसको हमने आम जनता में स्वीकार किया है। लेकिन यह नहीं कि नीचे के स्तर में पूरी तरह से बदलाव नहीं आया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पहले नहीं जाते थे लेकिन कल की बैठक में कहा कि अब कुछ अध्यापक जाने लगे हैं सरकार के प्रयास से। तो माननीय, नीचे तक हम चाहते हैं कि बदलाव हो और आया है।

माननीय, आम तौर पर यह कहा गया है कि ऊपर के स्तर पर तो काम हो रहा है लेकिन नीचे के स्तर पर नहीं हो रहा है और इसीलिए हमने कहा है और इसमें विचार भी किया है, यह सरकार की कोशिश भी है कि पुलिस के प्रति, आम अधिकारियों के प्रति जो जनता की छवि और शहर की जनता की छवि एवं विश्वास होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि यह साम्प्रदायिक दंगों, माफिया विरोह और दबंगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाये, इसमें असफल रहे। उसका ही नतीजा है कि आज कहा जा रहा है कि यह पुलिस अंग्रेजी राज्य से भी ज्यादा खूंखार, जालिम और अत्याचारी हो गयी है। हम उसकी इस भावना को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और इस अत्याचार और खूंखारपन को मिटाने के सिलसिले में मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 दिसम्बर को यह सरकार बनी और 8 दिसम्बर से आरक्षण विरोधी आन्दोलन प्रदेश में शुरू हो गये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का विरोध कोई भी दल, राजनैतिक दल नहीं कर सकता है और मुझे विश्वास है कि जितने यह सदस्य सदन में

बैठे हैं, वह उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद छात्रों को आगे रखकर कुछ तत्वों ने इस आन्दोलन को कराया, और यह वही तत्व थे, जो कि इस नई सरकार के आने से किसी न किसी रूप में पछाड़ खाये थे, परेशान थे। उन तत्वों ने आन्दोलन कराने की साजिश की और छात्रों को आगे कर दिया। छात्रों ने जब आन्दोलन किया तो वह हिंसा पर भी उतारू हुए, बसें भी जलीं, रेलें भी जलीं और रास्ता जाम भी खूब हुए। कई प्रकार से विरोध हुआ। साथ ही पहले जिस प्रकार ऐसे विरोधों को पुलिस कुचला करती थी, उसने इस बार भी कुचला। लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा मैंने किया और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में आदेश किया गया कि छात्रों पर गोली नहीं चलेगी और जो आन्दोलन के पीछे लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जायेगा। उसके बावजूद जनपद जौनपुर के सिंधरामऊ में गोली चल गई। इसपर सरकार ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उनको जेल भेजा। उस समय हमारे सामने यह बात आई---हमारे मित्रों और अधिकारियों ने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल गिरा है। यह क्यों कहा गया? क्योंकि यह पहले भी सरकार के समय से चला आ रहा था, बार-बार हर अवसर पर कहा जाता था कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी, तो पुलिस का मनोबल गिरेगा। किन्तु हमारी और हमारी सरकार की राय है कि यदि प्रदेश की जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ गया तो फिर सरकार और पुलिस के मनोबल का क्या होगा। इसलिए हमने कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की और यही प्रयास है। और कई उदाहरण अभी इस बात के देंगे और हम तो चाहेंगे और आशा करते हैं कि जब माननीय नेताओं को सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर बोलने का पूरा मौका मिलेगा, तो उसमें उनके सुझाव भी आयेंगे।

इस सरकार ने अपने को खुली सरकार कहा है। इसीलिए हमने वहां पर पुलिस कर्मियों को बन्द किया और इसीलिए किया कि जो पुलिस की छवि है कि वह खूंखार पुलिस है और अंग्रेजी राज्य से भी ज्यादा अत्याचारी हो गई है, उसको जनता के मन से मिटाया जा सके। यहां साम्प्रदायिक तनाव भी है। यह हम जानते हैं। पुलिस से बहुत कुछ काम लेने हैं। आज बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का झगड़ा है, जो शान्ति व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यह चुनौती एक बार नहीं कई बार सरकार के सामने आ चुकी है। माननीय आपको पता ही है, पहली चुनौती आई 14 फरवरी, को जिस दिन से मन्दिर निर्माण होना था, और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और समाधान करने का प्रयास किया। फिर नए शिलान्यास को लेकर हमारे सामने चुनौती आई, जिसमें हमें स्वामी स्वरूपानन्द जैसे शंकराचार्य को गिरफ्तार करना पड़ा। यहां तक शंकराचार्य जी के प्रति सम्मान का प्रश्न है, उन पर हमारी पूरी श्रद्धा है और सरकार की भी है। हम उनका पूरा आदर करते हैं और यह भी जानते हैं कि देश की आजादी के लिये उन्होंने काम किया, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे और उस लड़ाई से उनका गहरा सम्बन्ध रहा है। लेकिन जहां तक उनका कार्यक्रम था उसमें हमने और हमारी सरकार ने पूरी तरह से सोचा कि देश सर्वोपरि है। शंकराचार्य देश से बड़े नहीं हैं। इसलिए न चाहते हुए भी सरकार के सामने उनको गिरफ्तार करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था। यह समस्या इसलिए हमने रखी है कि यह एक गम्भीर समस्या है। यह केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय बन गई है। और अन्तरराष्ट्रीय समस्या का भी सवाल उठाया जा रहा है। हम समझते हैं कि माननीय सदस्यों के सुझाव इस विषय पर आयेंगे इसलिए इस सवाल को जानबूझकर रखा है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पूरी तरह इस समस्या का समाधान करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने इसके लिए समिति भी गठित की है और उनका सम्पर्क भी बराबर बना हुआ है। हमें विश्वास है कि वे इस प्रयास में सफल होंगे। यह मामला अदालत में भी है। यह तो अदालत तय करे या माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रयासों से कोई समाधान निकले। तो सरकार की यह नीति स्पष्ट रूप से मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी काम कर रहे हैं, यदि उनका प्रयास सफल नहीं होता, जब तक अदालत फैसला नहीं करती है तब तक इस सरकार की पूरी नीति है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के झगड़े को जो मामला विचाराधीन है, वहां पर कोई नया काम करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

यह मामूली सवाल नहीं है। सरकार की जो नीति है बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के बारे में इसे हमें इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखना था। हमारे माननीय सदस्य जो कई विचारधारा के हो सकते हैं, उनके महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे तो सरकार को शान्ति-व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। यह एक बड़ी चुनौती है। इसके कारण कई जगहें झगड़े भी हुए हैं, फ़साद भी हुए हैं। यह एक बड़ी कठिनाई है शासन के सामने और सरकार के सामने। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार की स्पष्ट नीति है। किसी भी मुद्दे पर सरकार की राय स्पष्ट है कहीं पर भी भ्रम नहीं है। कई मुद्दे हैं सरकार के सामने और उसकी स्पष्ट नीति है व्यवस्था परिवर्तन की। यहां व्यवस्था परिवर्तन का सवाल है।

सरकार की तरफ से कई कदम उठाये गये हैं। 'चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, खुलकर कहा गया है कि जो सक्षम अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाही की गई, मुअत्तल भी किया गया और जबरन छुट्टी भी दी गई। इसी तरह से जो अधिकारी सक्षम हैं उनके लिए सरकार ने फैसला किया है कि उनका मनोबल ऊपर उठाया जायेगा। पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे अधिकारी थे, चाहे कर्मचारी थे तो एक तरफ जहां दण्ड देते हैं, सजा देते हैं, उनकी नौकरियां भी लेते हैं तो केवल नकारात्मक रवैया नहीं चलेगा, सकारात्मक भी चलेगा। जो अच्छे अधिकारी हैं उनका मनोबल ऊंचा उठाया जायेगा और सम्मानित किया जायेगा। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि आगे आने वाले 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिल्ली की भांति अच्छे अधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

सामान्य प्रशासन के लिए और प्रदेश की जनता के लिए व्यवस्था परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुवात है हम यह नहीं कहते कि इससे बहुत सी यह समस्यायें हल हो गईं या जो बड़े-बड़े अधिकारियों ने गांव में रात बिताई हैं उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया हो। यह हमारा एक प्रयास है। मई जून के गर्मी के दिनों में अधिकारियों को यह आदत बन गई थी कि पहाड़ों की ठंडी हवा लगे, यह पहली सरकार है कि मई जून की गर्मी में गर्म हवा में गांव में अधिकारियों को भेजा गया है चीफ सेकेट्री और बड़े-बड़े अधिकारियों को भेजा गया है। एक दो अपवादों को छोड़कर कि कोई बीमार हो, सारे सचिवों को गांव में भेजा गया, उन्होंने गांव के लोगों से सम्पर्क किया है, उनकी रिपोर्ट आ रही है और आएगी। यहां के सभी सदस्य गांव की समस्याओं के बारे में जानते हैं, हम सभी वहां की समस्याओं से अवगत हैं

इनको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिक लोग फाइलों पर सदस्यों को देखते हैं, उनको यह मालूम नहीं रहता है कि बरसात में पांव में पानी रुक जाता है, यहां कहा जाता है कि हरिजनों के रास्ते रोके जाते हैं लेकिन उनको यह मालूम नहीं रहता है। चीफ सेक्रेट्री ने स्वयं लिखा है कि हरिजनों के रास्ते रोके जा रहे थे तो उन्होंने तत्काल रास्ते खुलवाने का प्रयास किया।

यहां पर लोगों का कहना होता है कि मुख्य मंत्री जी के यहां कोई चिट्ठी जाती है तो उसका उत्तर आ जाता है, लेकिन विभाग के लोग चिट्ठी का उत्तर नहीं देते हैं कि उन्हें चिट्ठी प्राप्त हुई या नहीं ? सी विभाग के लोग जल्दी से जल्दी उत्तर दें, इस बात का प्रयास किया जाएगा, इस बारे में हमने सचिवों से पूछा है। इससे एक नया परिवर्तन आया है। अगर कोई चाहे वह नेता हो चाहे वह अधिकारी हो, जनता से दूर चलेगा, जनता से कटेगा तो समझा जाएगा कि उसके मन में तानाशाही की प्रवृत्ति जन्म ले रही है अधिकारियों के साथ जनता की निकटता होनी चाहिए इसीलिए यह किया गया है कि अधिकारियों को एक रात गांव में गुजारनी पड़ेगी। डी० एम० और एस० पी० जो हैं उनको भी एक रात गांव में गुजारनी पड़ेगी। यह भी सुनने में आया कि डी० एम० अपने दफ्तर में दस बजे नहीं बैठते हैं यह आमतौर से माननीय सदस्यों की शिकायत है, तो इसमें यह सख्त हिदायत कर दी गई है कि डी० एम० दस बजे अपने दफ्तर में उपस्थित रहें। हम यह नहीं कहते कि सब जगह बैठने लगे हैं कहीं-कहीं शिकायत भी हो सकती है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है। अगर माननीय सदस्यों को कहीं शिकायत हो तो वह शिकायत करें, मुझे उससे लाभ मिलेगा और सुविधा होगी। यह भी कहा गया एस० एस० पी० दफ्तर में दस बजे नहीं बैठते हैं तो कि एस० एस० पी० को और डी० एम० को दस बजे दफ्तर में बैठना होगा ऐसा कह दिया गया है। जिलाधिकारी अब समय से दफ्तर में बैठने भी लगे हैं। पहले कलेक्टर आज तक अपने दफ्तर में कोई नहीं बैठे। उनके कमरों में जाले तक दिखाई दिए। यह स्थिति प्रधान मंत्री जी रह चुके हैं उनके क्षेत्र की भी है। सुल्तानपुर के विधायक होंगे उनसे आपको पता चलेगा कि प्रधान मंत्री के जिले की भी ऐसी स्थिति रही है।

श्री मुईद अहमद—

ऐसी बात नहीं है पंक्चुअल्टी की बात हो सकती है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप दोनों बातें न करें एक तरफ तो अधिकारियों की चापलूसी करते हैं और एक तरफ शिकायत करते हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

आपको मौका मिलेगा बता देना।

श्री मुईद अहमद—

आप आरोप लगा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

हमारा आरोप किसी पर नहीं है। यह सही है, आम तौर पर पूरे प्रदेश के अन्दर डी० एम० और एस० पी० पिछली सरकारों में समय पर दफ्तर में नहीं बैठते थे। पहली

बार यह मौका आया है तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं । मैं अपनी पुलती को छिपाता नहीं हूं, आप लोग छिपाते रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, पहले स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं थी । यह पहली सरकार है जिसने स्थानान्तरण की नीति बनायी और उसके अन्तर्गत ट्रांसफर हुये हैं । प्रशासनिक दृष्टि से तो कभी भी हटाया जा सकता है, शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी होगी तो कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन यह कुछ अपवाद हो सकते हैं । यह पहली सरकार है जिसने स्थानान्तरण की नीति बनायी है और पहले जो पूरे साल स्थानान्तरण चलते थे वह अब नहीं चलेगा । इसका लाभ मामूली नहीं हुआ है, इससे अधिकारी खुश हैं । पहले वे दुविधा में रहते थे कि अगर ट्रांसफर हो गया तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम कैसे होगा । स्थानान्तरण करने या रोकने के बारे में पहले जो शिकायतें थीं वह दूर हो गयी हैं, बहाने दूर हो गये हैं ।

यह पहली सरकार है जिसने यह नीति बनायी और कड़ाई के साथ उसको लागू किया । जिन्होंने ज्वाइन करने में देर की है, अपने स्थान पर नहीं पहुंचे हैं उनको सजा भी दी है, मुअत्तल भी किया है । इसका आपके सामने सबूत है कि पहले पहाड़ों पर कोई अधिकारी जाता नहीं था । हमारे पहाड़ के माननीय विधायक शिकायत करते थे कि हमारे यहां अधिकारी जाते नहीं हैं लेकिन इस सरकार ने पहली बार पहाड़ों पर अधिकारियों को जाने के लिये मजबूर किया है और जो अधिकारी नहीं गये हैं उनको मुअत्तल किया गया और उनको जाना पड़ा है । तो जो स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है इससे अधिकारी भी खुश हैं ।

माध्यवर, अभी तक सेवा सम्बन्धी विवादों को निपटाने के सम्बन्ध में बहुत सारी शिकायतें थीं और हड़तालें हो जाती थीं । अब एक स्थायी समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी है । जो भी सेवा सम्बन्धी कठिनाइयां होंगी वह तत्काल स्थायी समिति उनको निपटायेगी जिससे आगे वाली तमाम शिकायतें दूर होंगी और जो हड़तालें हो जाती थीं वह मौका अब नहीं दिया जायगा । जो यह सुधार प्रशासन में किया गया है । इसके अलावा जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसको और मजबूत किया गया है । बेसी-3 के चयन के लिये जो बोर्ड था वहां पर काम ठीक से नहीं हो रहा था । इसमें प्रयास किया गया है कि प्रभावशाली ढंग से काम किया जाय जिससे यह शिकायतें दूर हों । जो चयन वर्षों लटका रहता था उसको शीघ्र निपटाया जायगा । जो पुराना गठन था और जो निष्क्रिय हो गया था उसे सक्रिय बनाने के लिये काम किया गया है । अब माध्यवर, साम्प्रदायिक दंगों की शिकायत बहुत रहती है । हमने अब कार्यवाही बनाया तो हमारे सी० पी० आई०, सी० पी० एम० के माननीय नेता ने कहा था कि पुलिस को प्रशिक्षित किया जाय । कभी-कभी पी० ए० सी० पहुंचती है तो अविश्वास हो जाता है, माइनारिटीज कहती हैं कि यह वहां पर जुल्म करती है, निष्पक्षता से काम नहीं करती हैं । इसलिए यह फैसला लिया गया है कि एक विशेष साम्प्रदायिक दंगों के समय उनके क्या कर्तव्य हों, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में, पुलिस और पी० ए० सी० काम करे, कहीं पर किसी को शिकायत न हो, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जायगा, मुरादाबाद और सीतापुर में । इसके अलावा सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है कि अगर इससे भी काम नहीं चलेगा, तो नेताओं से सलाह करनी पड़ेगी, और दंगा रोकने के लिए एक दस्ता होगा, जो अलग से गठित किया जाय जिसमें सभी वर्ग के लोग होंगे, सभी धर्म के लोग होंगे । इस पर भी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और अगर इस तरह के मौके आयेंगे, तो अलग कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत पड़ जायगी ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

असामाजिक तत्व देखने में आम नागरिक लगते हैं, गांव-गांव में किस तरह से आम नागरिकों ने, गांव वालों ने उनका मुकाबिला किया। पुलिस अगर मुकाबिला करती है तो उसको इनाम दिया जाता है और अगर आम नागरिक ऐसा मुकाबिला करते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है, अभी तक लोगों को 50 रु0 इनाम के रूप में दिया जाता रहा है और अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि आम नागरिक आतंकवादियों और उग्रवादियों का मुकाबिला करेंगे तो उनके सम्मान के लिए कम से कम 5 हजार रुपया एक मुश्त उनको भी इनाम दिया जायगा। यह 50 रु0 एक बार कचेहरी से वह लाने के लिए आता है तो उसको अगर खाना भी खाना पड़ता है और किराया-भाड़ा भी देना पड़ता है तो उससे 60 रु0 खर्च हो जाते हैं। इसलिए उनकी बहादुरी के लिए उनकी वीरता के लिए कम से कम 5 हजार रु0 उनको दिया जायगा। जहां पर और गति को कोई प्राप्त होंगे, तो और ज्यादा रकम देने पर विचार किया जायगा। पुलिस के आचरण और व्यवहार को कुशल बनाना है। पुलिस में सबसे बड़ी कमी क्या है? व्यवहार की, तहजीब की। अच्छे लोगों में, भले नागरिकों में और अपराधियों के बीच उनको समझ लेना चाहिए कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी तहजीब करनी चाहिए; पुलिस को सिखाने पर विचार किया जायगा। कई हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि कहीं-कहीं पर पुलिस की भी मजबूरी हो जाती है, जब कहीं पर जनता का सहयोग नहीं मिलता है तो जो सूचना देने वाले होते हैं या पुलिस के दलाल होते हैं, तो उन्हीं से सहारा लेने की कोशिश करते हैं। आम शरीफ आदमी थाने की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता, बचकर निकलता है, यह तो जनता का स्थान है लेकिन जनता थाने में आने के लिए डरती है और दलाल और असामाजिक तत्व सीना तान कर चलते हैं। अब कोशिश यही की जायगी कि जो असामाजिक तत्व हैं या आतंकवादी हैं, वे सिर झुका कर चलें और थाने से छुपकर चलें। इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत समय नहीं लगेगा। मैंने आपके सामने, प्रदेश की जनता के सामने, पत्रकार बन्धुओं के सामने 6 माह की बात कही है। हमें आपके कार्यों को नहीं दुहराना है, अब उस पर बात नहीं चलानी है, अब हमें क्या करना है, यह करना है, यह सूची सरकार है। इसलिए सूची सरकार है कि जो अपने में कमजोरी होगी उसको छिपाना नहीं है। जनता पार्टी के लिए आप रोते रहते हैं, ऐसा यह सरकार नहीं करेगी, अब सरकार को 6 माह हो गये हैं। आपने जो किया या जनता ने उसका जवाब आपको दिया है, आने वाले दिनों में हम अगर कुछ करेंगे तो जनता हमको भी जवाब देगी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, अब हमें अपने कार्यक्रमों को चलाना है और अपने तरीके से पुलिस के आचरण में सुधार लाना है। अगर कहीं व्यवहार की कोई शिकायत मिलेगी तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जायेगी, इस तरह की एक योजना बनाने पर सरकार ने विचार किया है।

माननीय, अभी तक लगातार यह आदेश रहा कि डिप्टी एस0 पी0 और एस0 डी0 एम0 को अपने मुख्यालय तहसील पर जाना चाहिए, तहसील के मुख्यालय पर रहना चाहिए लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। इस सरकार ने निर्णय ले लिया है कि या तो कोई घोषणा करेगी नहीं या कानून बनायेगी नहीं, उसका मजाक नहीं उड़वाना है, खिल्ली भी नहीं उड़वानी है। 31 अगस्त तक सारे एस0 डी0 एम0 और डिप्टी एस0 पी0 को तहसील मुख्यालय पर रहना पड़ेगा जिससे जनता को जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं वह हल हों। वह जिला स्तर पर डी0 एम0 और एस0 पी0 के यहां जाता है, कहीं भी जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। एक यह भी कारण है और इसके साथ-साथ सरकार ने फैसला लिया है कि महीने में 3 महीने में एस0 पी0 शांति-व्यवस्था के नाम पर बैठक बुलाते हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि यह मुख्यालय पर नहीं होगी, तहसील स्तर पर होगी। डी0 एम0 और एस0 पी0 जनप्रतिनिधियों से जिला ब्लाक के प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके बीच बात करेंगे जिससे

तत्काल वहां की क्षेत्रीय लोगों को भी पता चले । अगर क्षेत्रीय जनता को भी कोई शिकायत है, उनको समस्या है तो वह तहसील स्तर पर ही जनप्रतिनिधियों से सामने अपनी बात को रखेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि भी तहसील स्तर पर आयेंगे । हम लोगों की भी आदत खराब हो गयी है । गांव को छोड़ कर हरदोई आये तो गांव जाने की आदत बिगड़ गयी और हरदोई से लखनऊ आ गये तो हरदोई जाने की इच्छा नहीं होती और दिल्ली पहुंच गये तो उनको लखनऊ की याद नही आती है ।

इसलिए यह प्रयास किया है और निर्णय लिया गया है कि जनप्रतिनिधियों को तहसील पर जाना होगा । डी० एम० और एस० पी० को तहसील पर जाना होगा और प्रतिनिधियों के सुझाव और राय माननी होगी और लोगों की शिकायत सुननी होगी । हमारे मित्रों को कभी-कभी व्यवस्था परिवर्तन नजर नही आती है तो यही व्यवस्था परिवर्तन है । हम जनप्रतिनिधियों पर आरोप नहीं लगाते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि हमारे जन-प्रतिनिधि भी गांव में जाना बहुत पसन्द नहीं करते हैं मैं सब के बारे मे नही कहता हूं, कुछ के बारे में कहता हूं, हम तो आपके साथी हैं, मुख्य मन्त्री बाद में हैं, एम०एल० ए० पहले हैं । तो जहां अधिकारियों की आदत खराब हो गयी है वही हमारे जनप्रति-निधियों की आदत भी खराब है । तो वह केवल जिला हेडक्वार्टर पर नहीं रहेंगे तहसील स्तर पर जायेंगे । इससे तत्काल जनता की शिकायतें डी० एम० और एस० पी० के सामने रखी जायेगी । यह निर्णय लिया गया है । आपके सुझाव आयेंगे कि दो महीने में चाहते हैं, 3 महीने में चाहते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बाद में अपना निर्णय दूंगा लेकिन आपके सुझाव चाहता हूं कि तहसील स्तर पर डी० एम० एस० पी० आये 2 माह में, एक माह में या जो भी सुझाव आयेंगे, उसके अनुसार सरकार निर्णय लेगी ।

मान्यवर, यह आम तौर पर सभी माननीय सदस्यों को, कई चिट्ठियां भी आयी हैं, आज जनता दल विधान मण्डल दल की बैठक में भी मांग हुई कि फोर्स की कमी है, कान्स्टेबिलों की कमी रहती है । इसका कारण यह है कि जब वह रिटायर हो जाता है, सेवा से अलग हो जाता है, उसके बाद भर्ती की जाती है, तो भर्ती करने के समय तक फोर्स की कमी रहती है । इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि 5 हजार सिपाहियों की पहले से भर्ती कर लेंगे, और यह 5 हजार हमेशा भर्ती रहेंगे जिससे कि कांस्टेबिलों की संख्या में कभी-कभी न आए । जनसंख्या की बाढ़ को देखते हुए शासन व्यवस्था की स्थिति जो बदली है, वह ठीक तरह से नहीं कही जा सकती । इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है इस अभाव को दूर करेंगे और पहले से ही 5 हजार सिपाहियों की भर्ती कर लेंगे । प्रदेश की जो समस्यायें हैं और जो पुलिस के सामने मजबूरी है, इनको हमें सभी महसूस करते हैं । एक तो जीप और गाड़ियों की कमी है और वायरलेस सेट की कमी है कि तत्काल सूचना मिले और तत्काल पुलिस पहुंच जाय । दूसरे सूबों में यह व्यवस्था है और वहां क्राइम होता है, अपराध करता है अगर पुलिस के पास गाड़ी है, वायरलेस है । यह पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है कि हर थाने पर गाड़ी हो और वायरलेस हो । आधुनिक हथियारों की बड़ी मांग चल रही है । जनप्रतिनिधियों ने कई बार कहा कि जो आतंकवादी हैं, या जो बहुत बड़े उग्रवादी हैं उनके पास आधुनिक हथियार पहुंच गये हैं । उनके पास पुलिस से अच्छे हथियार हैं । इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार पुलिस को दिये जायेंगे और वायरलेस सेट दिये जायेंगे गाड़ियों में और हर थाने पर जरूरत के अनुसार जीपों का इन्तजाम किया जायगा, जिससे कि शांति व्यवस्था को तत्काल नियन्त्रित किया जा सके ।

मान्यवर, हम सब महसूस करते हैं कि पुलिस आवास की बहुत कमी है । इससे थानों को कठिनाई होती है । थानों पर आवास नही है । यह भी शिकायत मिलती है

कि थानेदार थाने में न रह कर कस्बे में किसी के घर पर रहते हैं, तो उसकी निष्पक्षता पर उंगली उठती है। उसका भी समाज होता है, उसमें भी मनुष्यता रहती है। थोड़ा बहुत हमदर्दी हो जाती है। इसलिए पुलिस आवास की भी व्यवस्था की जायेगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि पुलिस आवास की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये जिससे कि उनको काम करने में आसानी हो और उनकी निष्पक्षता पर उंगली न उठे। इसलिए पुलिस आवास की व्यवस्था करने का सरकार ने निर्णय लिया है। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है और इसलिए लिया है कि धीरे-धीरे गांव की सभ्यता और संस्कृति नष्ट होती जा रही है। खिलाड़ी सबसे ज्यादा गांव में होते हैं और हो सकते हैं। अभी एक कार्यक्रम में गया था तो निषाद जाति के लोगों ने कहा अनुग्रह नारायण सिंह अपने क्षेत्र में ले गये थे, तो एक निषाद ने कहा कि उनको नदियों में तैरने के लिए, खेलने के लिये कभी मौका नहीं दिया जाता। यह सही है कि जो समुद्र के, नदियों के किनारे केवट या मल्लाह हैं, उनसे बढ़कर तैराक दुनिया में कोई नहीं है और इनकी तादाद भी कम नहीं है। समुद्र में मल्लाह और केवट जाति के 12-14 साल के लड़के 6-6 किलोमीटर समुद्र में तैरते हैं और लौट कर वापस आते हैं और 16-20 साल तक उनकी तन्दुरुस्ती और स्वास्थ्य देखने के लायक होता है और लोग देखते हैं कि नौजवान स्वस्थ्य है। लेकिन जब मौका आता रहा खेलने तैरने का कोई महत्व नहीं दिया गया कहीं पर, इसलिए सरकार कोशिश करेगी कि यह सभ्यता गांव की संस्कृति जो मिटती जा रही है, यह कैसा है खेलने के लिए कैसे लोग जाते रहे हैं अगर उनको तैरने के लिए तालाब में डाला जाय तो बिना तैरे ही तैर जायेंगे। ऐसे लोगों को भेजा जाता रहा है।

इसलिये पुलिस में भी यह कोशिश की गयी सरकार ने निश्चय किया, कांस्टेबिल सिपाहियों की भर्ती में लिखित पर्चा जो होता है उसके ज्यादा नम्बर रख दिये, आज माननीय शंकर सिंह जी ने जनता दल विधान मण्डल की बैठक में बात कही। जब डाकुओं का हम पीछा करते हैं तो कागज में लिखना काम नहीं देता है, खिलाड़ी होगा चुस्त दुरुस्त होगा तो अपराधी को पकड़ेगा। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि जब शारीरिक का जो इम्तहान है उसमें नम्बर ज्यादा रखे जायेंगे, लिखित में कम रखे जायेंगे। अभी कांस्टेबिलों की भर्ती में 55 सैकड़ा शारीरिक और लिखित था 33 मौखिक 12 नम्बर का था। अब 55 की जगह 65 सैकड़ा कर दिया है शारीरिक, 33 जो था लिखित कर दिया है 25 और मौखिक 12 की जगह कर दिया है 10। इस तरह से शारीरिक दृष्टि से और खेल में ज्यादा प्रोत्साहन मिले इसलिए सिपाहियों की भर्ती में यह परिवर्तन किया गया है कि लिखित में नम्बर कम और शारीरिक में नम्बर ज्यादा। अभी तक मान्यवर, आरक्षण पर यह कहा जाता था, बहाना किया जाता था, यह हरिजन और अनुसूचित जातियों के आरक्षण की पूर्ति नहीं हो रही थी इस सरकार ने निर्णय लिया, पहले क्या होता था बहाना करके कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी मिले ही नहीं और सामान्य लोगों से भर्ती कर ली जाती थी, सरकार ने निर्णय लिया है कि जो इनके पद हैं स्थान रिक्त हैं उनके रिक्त बने रहेंगे उसमें सामान्य से भर्ती नहीं होंगी। जब भी लिये जायेंगे उन्हीं से लिये जायेंगे। यह बहाना करते हैं कि उन्हें मिले ही नहीं। अगर मिलेंगे ही नहीं तो अलग से विज्ञापन निकालेगी सरकार।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

यह आदेश पहले से है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आवेश बहुत से हैं, आदेश होते हुए भी क्या था, अभी हमारे सामने पत्रावली आती है तो यह कहा कि सामान्य से भर जाने दें, आपके यहां सामान्य में भरा गया है क्यों छिपाते हैं जानते हुए। छिपाते-छिपाते गल्तियों को तो यह नतीजा मिला है। अभ्यर्थी उनमें से मिले ही नहीं यह कहकर के भर दिये, यह है। यह किया गया है। अगर वह होता तो हमें इसे करने की जरूरत भी नहीं होती, क्यों सदन में लाते। आदेश दे दिये गये हैं जब तक आरक्षण के रिक्त स्थान हैं, रहेंगे। जब तक उनको अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं मिलते उनकी जगह सामान्य से भर्ती नहीं की जायगी।

प्रविष्टियों के बारे में कहूंगा, समय से बहुत नहीं होती थीं, कर्मचारियों, अधिकारियों में असन्तोष रहता है। किसी से कोई नाराज हो गया घरों नहीं 3-3 साल तक जब पद छोड़ कर जाने को हुआ तो भर दी। सरकार ने निर्णय लिया कि तीन महीने के अन्दर आने वाले इसी अक्तूबर तक उनकी प्रविष्टियां लिख दें। अगर प्रविष्टियां नहीं लिखते हैं तो फिर उनको प्रविष्टि लिखने का अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि लगातार प्रविष्टियां लिखी नहीं जातीं। तो इस तरह से प्रशासनिक सुधार के लिये सोचा गया। ऐसी शिकायतें हमारे सामने आती रहती थीं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि जैसे प्रमोशन का इन्टरव्यू होने जा रहा है, आप उससे नाराज थे, तो जो दिन पहले उसके खिलाफ प्रविष्टि कर दी। इसी तरह अभी तक कोई काम ठीक कराता रहा, आप उससे किसी बात पर नाराज हो गये, तो पहले उसकी प्रविष्टि नहीं की, 6 महीने बाद प्रविष्टि कर दी। ऐसी बहुत सी पत्रावलियां सामने आ रही हैं। इसलिये हमने कहा है कि 3 महीने में प्रविष्टि दे दी जाय, नहीं तो प्रविष्टि देने का अधिकार नहीं है। इस तरह से जो असंतोष रहता था, पक्षपात होता था, उसको दूर करने की कोशिश की गयी है। पुलिस के वेतनमान में भी विसंगति थी, अब हमने किया है कि सब इंस्पेक्टर किसी भी जगह हो, उन सबका वेतनमान एक सा होगा, चाहे पी० ए० सी० में सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं और चाहे अन्य कहीं भी सब-इन्सपेक्टर हैं, सरकार ने सभी उपनिरीक्षकों का वेतनमान एक कर दिया है और इस विसंगति को दूर कर दिया गया है।

माननीय, भाषा नीति के सम्बन्ध में भी मुझे बहस सदन में कहनी थी, इसलिये कहनी थी कि सरकार की जो भाषा नीति है, वह स्पष्ट हो जाय। मैं इसलिये भी भाषा नीति के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं कि हमारे कुछ मित्र हैं, जो भाषा नीति के सवाल पर या तो दबी जुबान हैं; या मौन हैं। उसे जो समर्थन मिलना चाहिये था, उस पर कुछ नहीं बोले। इसलिये मैं यहां पर इस बात को, इस सवाल को छेड़ना चाहता हूं। सरकार ने फैसला किया है कि अंग्रेजी में कामकाज नहीं होगा। अब कुछ शिकायतें आई हैं कि कहीं पर अधिकारी अब भी कार्ड, दावतनामा, पत्र आदि अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं। इस पर आज से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और मैं सदन में घोषणा करता हूं कि सार्वजनिक स्थान पर कोई सरकारी अधिकारी, मंत्रियों को, विधायकों को या कहीं पर भी अंग्रेजी में अगर लिखेगा, तो उसको सजा देने का प्राविधान किया गया है। भाषा नीति मजबूती के साथ चलेगी और भाषा नीति के बारे में जो तरह-तरह की बातें पैदा हो गयी थीं, उनको साफ कर देना चाहता हूं। जो अंग्रेजी अखबार लिखने वाले हैं, वह कुछ भ्रम में पड़े हुये हैं, कुछ दक्षिण-उत्तर की बात कहते हैं, कुछ देश की एकता की बात कहते हैं कि इससे एकता पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा, दक्षिण के लोग नाराज हो जायेंगे। सरकार की नीति अंग्रेजी हटाओ की

हूं । हमने कभी यह नहीं कहा हूं कि अंग्रेजी मिटाओ । हम चाहते हैं कि अंग्रेजी हटे, वहां से हटे, सरकारी कामकाज से हटे, अंग्रेजी पढ़ाई का माध्यम न हो, कानून अंग्रेजी में न बनें, यह कोई मामूली बात है ।

यह दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि हिन्दुस्तान में जो संविधान लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी है और संविधान लिखा है, अंग्रेजी में । अभी 2 साल पहले उसका अनुवाद हुआ है, उस अनुवाद के बाद मैं उसमें आप देखेंगे, कितनी विडम्बना की बात है, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी और हिन्दी में अगर कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाय, कोई विवाद हो जाय, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ सही माना जायगा और हिन्दी वाला नहीं माना जायगा । इससे ज्यादा धोखाधड़ी और क्या हो सकती है, मैं इस सिद्ध के साथ विश्वासघात मानता हूं कि जो हिन्दी में लिखा जायगा, उसे गलत माना जायगा, इसीलिये आज भी अंग्रेजी हमारी पटरानी बनी हुयी है और हिन्दी दासी बनी हुयी है । इसलिये इस सरकार ने फैसला किया है कि अब पटरानी दासी की तरह तो रह सकती है, लेकिन दासी पटरानी की तरह नहीं रहेगी । इसलिए जहां तक प्रश्न रहा दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का तो इस सरकार ने फैसला किया है कि 8 भाषाओं को पढ़ाया जायेगा । 4 भाषायें दक्षिण की होंगी और 4 भाषायें अन्य सूबों की होंगी । हमारे साथियों ने कहा कि इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि एक आकस्मिकता निधि भी होती है । यदि हम कहीं पुलिस खोलेंगे तो उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे । यह नहीं, यदि किसी विदेशी भाषा की जगह पर किसी देशी भाषा को चलाया जायेगा तो हम उसके लिए अगर एक करोड़, दस करोड़ या बीस करोड़ भी खर्चा करना पड़ेगा तो हम उसे करेंगे । परन्तु विदेशी भाषा हटे और उसकी जगह पर देशी भाषा चले । हम मलयालम भी चलायेंगे, कन्नड़ भी चलायेंगे, गुजराती भाषा भी चलायेंगे आदि । इसके साथ ही साथ इसके प्रोत्साहन के लिए अगर जो लड़का यहां पर दक्षिण की भाषा सीखता है तो उसे हम 15 दिन के लिए दक्षिण भेजेंगे । उसका खर्चा सरकार ही वहन करेगी । छात्र पर उसका बोझ नहीं डाला जायेगा । दक्षिण के लोगों को भी निमंत्रण देंगे । दक्षिण के जो छात्र हैं, जो हिन्दी सीख रहे हैं या हिन्दी सीखना चाहते हैं, उनको भी हम सम्मान देने के लिए तैयार कर रहे हैं । उन छात्रों को हम क्या नकद कर सकते हैं, उसे भी हम करेंगे ।

परन्तु जब तक विदेशी भाषा में काम-काज होगा, तब तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है । इससे एक वर्ग विशेष की स्थापना होती है और समाज में एक विसंगति होती है । एक अंग्रेजी बोलने वाला, चाहे वह गलत ही अंग्रेजी बोल रहा हो, उसे काबिल समझा जाता है, दूसरी ओर जो क्षेत्रीय भाषा बोलता है या हिन्दी बोलता है, तो उसे नाकाबिल समझा जाता है । इसी भाषा के मसले में डा० राम मनोहर लोहिया जी के एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर लोहिया की बात मान ली जाय तो देश में नालायक बच्चे पैदा हो जायेंगे । कहने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लायक और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नालायक होंगे । नेहरू जी ने देश की आजादी के लिए जो कुर्बानी दी, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण आज देश बरबादी के कगार पर पहुंच गया है । अगर दोहरी शिक्षा नीति समाप्त हो जायेगी और अंग्रेजी हट जायेगी तो क्या हमारे देश में बच्चे नालायक पैदा होंगे । इसका मतलब तो यह हुआ कि हम सब जो यहां बैठे हैं, नालायक हैं । हमारे समाजवादी आन्दोलन के नेता सभी इस बात को जानते हैं ।

हिन्दी के बारे में भी मेरी राय है कि हम हिन्दी को चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रभुत्व भी नहीं चाहते हैं। अगर अंग्रेजी की जगह पर हिन्दी भाषा का प्रभुत्व हो जायेगी तो यह भाषा भी शोषण करेगी। इसलिए हमारी सरकार की यह राय है कि देशी भाषा भी चले। हमारे कुछ साथियों का भी यह कहना है कि अगर हम दक्षिण में जायेंगे तो अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो तामिल में बात कैसे करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन अंग्रेजी हटेगी, उसी दिन से उत्तर भारत के लोग दक्षिण की भाषा को, अपने आप सीखने लगेंगे। चूंकि बोलने से काम चल जाता है, इसलिए लोग दक्षिण की भाषा नहीं सीखते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि देशी भाषा चले। जब तक अंग्रेजी रहेगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। रूस ने विदेशी भाषा में तरक्की नहीं की, जापान ने विदेशी भाषा में तरक्की नहीं की है, फ्रांस और जर्मनी ने विदेशी भाषा में तरक्की नहीं की है। चीन, जो हिन्दुस्तान के दो साल के बाद आजाद हुआ, हर मामले में आगे निकल गया। अन्न वहां पर हमारे यहां से ज्यादा पैदा होता है। इसी प्रकार लोहा और कोयला भी हमारे यहां से ज्यादा होता है। हमारी जनसंख्या 80 करोड़ है, वहां की 100 करोड़ से ऊपर है लेकिन हिन्दुस्तान से साढ़े तीन गुना ज्यादा अन्न वहां पर होता है, चार-पांच गुना लोहा ज्यादा होता है और बस बारह गुना कोयला ज्यादा निकलता है। क्या चीन ने विदेशी भाषा में तरक्की की है? यह कहकर कि डाक्टरी और इन्जीनियरी नहीं पढ़ी जा सकती है हिन्दी में, इस ओर ईमानदार प्रयास भी नहीं किये गये। अगर ईमानदार प्रयास किये गये होते तो देशी भाषाओं में किताबें तैयार हो जातीं। जिन देशों का मैंने नाम लिया है, क्या उन्होंने विदेशी भाषा में डाक्टरी और इन्जीनियरी पढ़ाई है? अपनी मातृभाषा में जो विचार व्यक्त किये जा सकते हैं वह विदेशी भाषा में व्यक्त नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये सरकार ने इसे कड़ाई के साथ लागू किया है। कुछ लोगों को एतराज हो सकता है। हम तो कहते हैं कि उर्दू में काम चलाइए, गुरुमुखी में चलाइए। अगर हिन्दी का विरोध है कि उत्तर प्रदेश में चल रही है तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश में हिन्दी नहीं चलेगी, दिल्ली में हिन्दी नहीं चलेगी तो फिर कहां चलेगी लंदन में चलेगी?

(हंसी)

अगर हिन्दी को राष्ट्रभाषा संविधान ने माना है तो हम तो तैयार हैं कि या तो राष्ट्रभाषा मानो या संविधान से निकाल दो। महात्मा गांधी ने जब राष्ट्रभाषा को स्वीकार किया, सारे नेताओं ने मिलकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया। राजा गोपालाचारी ने विरोध किया, मैं उस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। कहना सिर्फ यह है कि हिन्दी को ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सका। मेरा तो साफ कहना है कि वह नेतृत्व कायर था, ऐसे नेतृत्व को मैं नपुंसक मानता हूं। इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है।

इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता से और उत्तर भारत के मुख्य मन्त्रियों से अपील करना चाहूंगा कि अंग्रेजी में काम-काज सार्वजनिक जीवन में न हो। इसके लिये प्रयास भी कर रहे हैं एक सम्मेलन भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में इन्दौर में सम्मेलन हो रहा है। अभी तक तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने अध्यक्षता करने की स्वीकृति दे दी है। पहली बार इस देश की जनता अंग्रेजी के खिलाफ खड़ी होने जा रही है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि "मिटाओ" की बात नहीं कहता हूं। किसी भी साहित्य को मिटाने की बात, भाषा को मिटाने की बात कोई मूर्ख ही कर सकता है। अंग्रेजी का माध्यम पढ़ाई का न हो, सरकारी काम-काज और न्यायालय में अंग्रेजी न चले। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा है कि अगर एक जगह एक भाषा जानने वाले लोग

हों और अंग्रेजी में या विदेशी भाषा में बात करें तो कम से कम उनको 6 महीने की सजा होनी चाहिये । अभी मैं इलाहाबाद गया था, माननीय रेवती रमण सिंह जी साथ थे, गोविंद बल्लभ पंत संस्थान देखने गये, पुराना बयान था कि हिन्दुस्तान में जो भी कानून बने हिन्दी या देवनागरी लिपि में होना चाहिये ।

मुझे भी पता है कि राष्ट्र भाषा के नाम पर पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त बहुत लड़े, जो कभी झुके नहीं लेकिन राष्ट्रभाषा के नाम पर पता नहीं क्यों पंडित जवाहर लाल नेहरू के सामने झुक गये । यद्यपि उनका बयान है कि कानून हिन्दी भाषा में और देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस सदन का इस बात में मुझको समर्थन मिलेगा और मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि वे मौन न रहें बल्कि इस विषय में खुल करके बोलें, यह मेरी प्रार्थना है ।

माननीय, अन्त में हमें एक बात और कहनी है कि इस सरकार को बड़ी चुनौतियां मिली हैं, इतनी ज्यादा चुनौतियां किसी भी सरकार को लोकतंत्र में नहीं मिलीं । आरक्षण के सम्बन्ध में कहा गया कि 5 दिसम्बर को सरकार बनी, 8 दिसम्बर को एकदम आरक्षण के विरोध में आन्दोलन शुरू हो गये । 14 फरवरी को फिर शिलान्यास के बाद कुछ कर्मचारियों की हड़ताल और उसके बाद श्री शंकराचार्य की गिरफ्तारी । लेकिन हमारी सरकार की नीति जो थी, हमारी सरकार का जो संकल्प था उससे यह डिगी नहीं । हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में बड़ी बहादुरी से, ईमानदारी से और स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए काम किया है ।

हमारे बड़े-बड़े अधिकारियों ने भी बड़ी सूझ-बूझ से काम लिया है । हमने उनसे परामर्श लिया और उन्होंने भी अपने साथियों से बहुतों से परामर्श लिया और श्री शंकराचार्य गिरफ्तार हुए । जिन्होंने मुझको यह राय दी, सलाह दी, उनकी मैं सराहना करता हूं उनकी राय की जिसकी वजह से यह देश गम्भीर संकट का सामना करने से बच गया । यदि श्री शंकराचार्य को गिरफ्तार न किया गया होता तो स्थिति क्या नहीं क्या होती ? मेरा मानना है कि देश सर्वोपरि है, सामाजिक नेता, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता उसके बाद है और कानून सबके लिये समान होता है । कानून सबके लिये बराबर है । अगर कोई कानून को तोड़ता है या कानून तोड़ने की कोशिश करता है तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सबके लिये कार्यवाही समान रूप से होगी । अभी जो मैंने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर अपनी बात रखी है, माननीय सदन में हमारे सभी विद्वान नेता हैं मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्यगण यह सोच करके नहीं कि पार्टीबन्दी या दल के आधार पर बात कहें बल्कि शान्ति-व्यवस्था और जान-माल की सुरक्षा के लिये जिसके लिये हम और आप सभी चिन्तित हैं, उस पर अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दें । हमें विश्वास है कि इस पर जो सुझाव आप लोगों की तरफ से आयेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार पक्ष और विपक्ष के नाम पर नहीं बल्कि आपके जो ठोस सुझाव आयेंगे, उनको पूरा करने के लिये यह सरकार प्रयास करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खतम करता हूं और आप लोगों से रचनात्मक सुझावों की अपेक्षा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसके पूर्व कि माननीय उप नेता जी को मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहूं, एक मेरा निवेदन है सभी नेतागणों से कि माननीय नये सदस्यों ने बड़ी अधिक रुचि दिखायी है, मेरे पास आये हैं कि इसमें उनको बोलने का अवसर दिया जाय। मेरा आग्रह है कि जो आप सूची दें उसमें आप स्वतः ध्यान रखें कि हमारे जो नये सदस्य आये हैं उनको अधिक अवसर मिले ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88—सामान्य प्रशासन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, सबसे पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी को, जो आज गृह और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया है, पहली बार उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर जो अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनकी भावनाओं को और उनके विचारों को सुन रहा था। आपने डा० लोहिया का उल्लेख किया है। डा० लोहिया का उल्लेख आपने राज्यपाल के अभिभाषण में किया, बजट भाषण में किया और अपने घोषणा-पत्रों में किया, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह का उल्लेख करने से भूल गये। आज गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर वह आपको याद नहीं आये। डा० लोहिया को तो याद किया, लेकिन उनको भूल गये।

सिंचाई लघु उद्योग तथा पर्यावरण मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

माननीय उप नेता जी ने याद दिलाया है, चौधरी चरण सिंह की, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति तो विधान भवन के सामने लगाई गयी है, जिससे आते-जाते सभी लोग उनके दर्शन कर सकें। आपने कहा कि भूल गये, लेकिन उसी का परिणाम है कि उनकी मूर्ति लगाई गयी है।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, मैं सिंचाई मन्त्री जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुख्य मन्त्री जी की रक्षा की। आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलते समय उनको भूल गये, वह इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री रहे हैं, देश के प्रधान मन्त्री रहे और उनके अपने विचार रहे हैं और उनके अपने सुझाव रहे हैं और उनके स्वप्नों के तहत अपने को जोड़ने का प्रयास किया है, इसलिये मैंने इसका जिक्र कर दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं एक बात कहने को भूल गया था। चौधरी चरण सिंह को नहीं भूला हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी मूर्ति लगाई जायेगी, इसका भी सरकार ने निर्णय कर लिया है।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, यह तो शासन का फैसला है, जिस बात को आपने कहा है। उसकी मूर्ति लगायेंगे।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि 1954 में बालूपट्टम पिलाई की सरकार थी और एक मजदूर गोली से मारा गया था, लोहिया जी उस समय जेल के सीकचों में थे, उनमें से उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की सरकार को हट जाना चाहिये, लेकिन आज खूनी क्रान्ति हो रही है, अगर उनका अनुसरण करना है, तो कथनी और करनी का उपहास न करें। आज प्रदेश में हत्यायें हो रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, लूट हो रही है, हरिजनों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, महिला बलात्कार बढ़ रहा है, यह सारी

चोरी बढ़ रही है । पापाचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है । इसलिये नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री बाबू राम यादव—

माननीय, एक बात कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

बाबू राम जी आप बैठ जायें । आप के खड़े होने पर यदि माननीय उप चेता बैठ जाते तो आप कह सकते थे । वह बैठे नहीं, इसलिये आप बैठ जायें और परम्परा को बनाये रखें । मान्यवर, वे इधर बैठा करते थे और हम उधर बैठा करते थे, उन्हें यही आदत पड़ी हुई है । हमसे प्रश्न करते, इधर से यह प्रश्न पूछना चाहिए था, उधर से पूछ रहे हैं । उनको भी मौका मिलेगा बोलने का, यदि वे मेरी बात से इत्तफाक न कर रहे हों तो अपनी बात कह सकते हैं ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो कि नेता सदन भी हैं, बजट में 17 फरवरी को कहा था कि यदि वह व्यवस्था परिवर्तन न कर सके तो इस कुर्सी पर एक दिन भी नहीं बैठेंगे । व्यवस्था परिवर्तन के सभी मानदण्डों को आपने दर्शाया । उसी दिन आपने खेकड़े में कहा था कि चौधरी चरण सिंह के दो सपने हैं एक तो आपके मुख्य मंत्री बनने का सपना और दूसरा व्यवस्था परिवर्तन का सपना है। मैंने इस विषय में आपके विचार सुने, आपको व्यवस्था परिवर्तन की तमाम चीजें सुनीं । उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने और माननीय मुख्य-मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा है, इसलिये मैं उनकी बात कह रहा हूं । चौधरी साहब ने हमेशा इस बात के लिये कहा है कि नेता विरोधी दल के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए । उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी के बारे में उनकी राय थी कि यदि ब्यूरोक्रेसी अच्छी है तो प्रशासन भी अच्छा होगा और स्वच्छ प्रशासन देगा । लेकिन अगर उसको डेमोरलाइज किया जायेगा तो स्वच्छ प्रशासन की कैसे कल्पना की जायेगी । मान्यवर, जब वे नेता विरोधी दल की हैसियत से यहां पर थे तो 23 अगस्त, 1989 को मंडौली का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये उन्होंने कहा था कि विरोधी दलों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए । आज उनके ऊपर आप लाठियां चला रहे हैं । इसका प्रमाण आपने इलाहाबाद में देखा है चौधरी साहब ने और डाक्टर लोहिया ने जब प्रशासन को स्वीकार किया था, जब प्रशासन की मान्यता स्वीकार की थी और आप लाठी चला रहे हैं और कहते हैं कि आप उनके अनुयायी हैं ।

सत्याग्रह आन्दोलन की पृष्ठ भूमि में जय प्रकाश नारायण, आचार्य, नरेन्द्र देव और डाक्टर लोहिया ने जन-प्रशासन को स्वीकार किया था और कहा था कि यह जनतन्त्र और जनहितैषिता के लिये आवश्यक है । आपने उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है, इलाहाबाद में लाठियां चलवाई हैं, यह वहां पर चर्चा का विषय बन रहा है ।

मुख्य मंत्री जी ने मितव्ययिता की बात कही । हेलीकाप्टर की बात है । मान्यवर, यह हेलीकाप्टर वाइसिकिल नहीं है कि जहां आप चाहें ले जांय । इसके बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि उस पर कितना खर्चा आता है । हम जानते हैं कि प्रदेश बड़ा है । मुख्य मंत्री प्रवेश का अनुभवी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह प्रदेश को देखे । लेकिन चौधरी साहब ने कहा था कि इसको इस ढंग से इस्तेमाल न करें । उन्होंने बराबर से तत्कालीन मुख्य मंत्री बहुगुणा जी से कहा कि इसका चुनाव में प्रयोग हुआ है । मान्यवर, मेरा आरोप है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में मुख्य

मंत्री जी ने हेलीकाप्टर का प्रयोग किया है। आप खुले बिल के हैं। जितनी भी आपकी मीटिंग हुई है, इसका प्रयोग पार्टी प्रचार में किया है।

मेरे जनपद में जब आप गये, मैं विधायक था, आपका भाषण भी मेरे पास टेप है, उसमें आपके विचार भी टेप हैं आपने पूरे प्रदेश में सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया है, मान्यवर मैं कुछ मोटी-मोटी बातें कह रहा हूं। आपको मैं सुझाव भी दूंगा। मान्यवर, प्रमोशन और ट्रान्सफर के बारे में चौधरी चरण सिंह और डा० लोहिया जी की एक स्पष्ट नीति थ लेकिन आपकी कोई नीति नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपके पास गृह विभाग है, मुझे आंकड़े मिल नहीं पा रहे हैं लेकिन मोटेतौर पर बताना चाहूंगा मेरी संख्या जो है उससे संख्या उसकी ज्यादा हो सकती है आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्स का जो आपने ट्रान्सफर किया है वह मेरे अनुसार 126 है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने और आई० पी० एस० आफिसरों का आपने ट्रान्सफर किया है और मनमाने ढंग से किया है आप क्या करना चाहते हैं कुछ पता नहीं है।

प्रदेश के निर्माण में प्रशासनिक अधिकारियों का सबसे बड़ा दायित्व है इस बात को चौधरी साहब ने स्वीकार ह जिनके आप अनुयायी बनते हैं। आप कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा पूरे आंकड़े मुझे नहीं मिल पाये हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी ट्रान्सफर की कोई नीति नहीं है आपने मनमाने ढंग से ट्रान्सफर किये हैं इस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, प्रदेश का पुलिस विभाग डिमोरलाइज हो गया है। आपके जिले में 3 महीने तक कोई एस० पी० नहीं रहा आप मुख्य मंत्री हैं तो यह बात अच्छी नहीं होती है और वहां पर एडीशनल एस० पी० से काम लेते हैं। फिर एक हरिजन बेचारा गया उसकी भी पूरी कुंडायत कराई गयी फिर वह भी गायब हो गया। आपने जो ट्रान्सफर किये हैं उसमें आपकी क्या नीति थी उसको उत्तर भाषण में स्पष्ट करें। आप प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते आपने जो मनमाने ढंग से ट्रान्सफर किये हैं उसी का अनुसरण आपके मंत्रियों ने किया। इससे प्रदेश पर जो वित्तीय भार आया है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ट्रान्सफरों में आपने गुण अवगुण की बात नहीं की।

अगर कहीं किसी अधिकारी में कोई कमी है, कोई दोष है तो उसको जरूर दण्डित कीजिये। लेकिन ट्रान्सफर में व्यक्तिगत लगाव, जाति, धर्म या पक्षपातपूर्ण बर्ताव करना हमेशा स्वच्छ प्रशासन को गन्दा करता है। जो आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब ट्रान्सफर नहीं होंगे लेकिन मैं कहता हूं कि यह बराबर करते रहेंगे क्योंकि आपने दूरदृष्टि से नहीं देखा है क्योंकि आपने यह नहीं सोचा कि किस अधिकारी से क्या काम लिया जाय। प्रदेश में इतने सीनियर आई० ए० एस० पड़े हैं जो प्रदेश में विभिन्न जगहों में काम कर चुके हैं और जिनको प्रदेश की पूरी जानकारी है जिन्होंने 20-20 और 25-25 साल सेवा की है उनका मूल्यांकन आप एक ज्वाइंट सेक्रेटरी से कराते हैं तो इससे सारी फाइलें आलमारियों में कैद हो जाती है, इससे अधिकारियों में इनिसियेशन एवं इनसिपेटिव खतम होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन को बताना चाहता हूं कि जिला मुख्यालयों तक इनिशियेटिव न लेने की बात पहुंच गयी है। आज जिले में कोई अधिकारी इनिशियेटिव नहीं ले रहा है इसी तरह से डिविजन के अधिकारियों में भी इनिशियेटिव लेने की इच्छा नहीं रह गयी है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि उनकी राय मानी जायेगी। यह भी हमारे सहयोगी अंग हैं, प्रदेश के निर्माण में उनका भाग है तो जब तक उनकी राय नहीं ली जायेगी तब तक आपकी फाइलें मंत्रियों की अलमरियों में कैद रह जायेंगी। उनमें आप विश्वास पनपाइये, उनको स्नेह दीजिये और अगर कोई दोषी है तो उसे दंडित करने का आपको अधिकार है।

मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि विद्युत विभाग जो आपके पास है, जो गलत है उनको दंडित करिये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर

आज विद्युत उत्पादन की क्या स्थिति है, आपने क्या तरक्की उसमें की। आपने घोषणा की है कि 14 घंटे बिजली हमें देंगे लेकिन जो उत्पादन हो रहा है उसमें 14 घंटे आप बिजली नहीं दे सकते हैं। जब आप जवाब दें तो इसका भी मूल्यांकन करेंगे। आपके संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि यहां से बिजली गयी और सब-स्टेशन पहुंचा दिया। तो यह एक बहाना है, प्रशासन घोसे और नारों से नहीं चलता है, इसके लिये काम करना पड़ता है और नीति बनानी पड़ती है और मन बनाना पड़ता है। लेकिन आज उस मन और नीति की कमी है। मान्यवर, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी उसी बड़े मन का वह अहसास करें और स्वीकार करें कि ट्रान्सफर नीति क्या है, इसका जवाब दें। अभी कुछ दिन पहले श्री कल्याण सिंह ने कहा था कि ट्रान्सफर नीति क्या है, तो आपने कहा था कि चिट्ठी बतायेंगे, तो चिट्ठी क्या आप नीति बतायें ? इसलिये आज हर स्तर पर जो डिमोरलाइजेशन हो रहा है उसको आप रोकें।

मान्यवर, आपने पुलिस के बारे में कहा है कि 5 हजार भर्ती कर देंगे एडवांस में, तो वह कहां रहेंगे ? एडवान्स भर्ती के बाद ट्रेनिंग क्या होगी ? पूर्व डी० जी० श्री जी० एन० चतुर्वेदी ने पुलिस व्यवस्था पर कहा था कि पढ़े लिखे लोग इसमें आने चाहिए और मैं भी इससे सहमत हूं कि शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन होना चाहिए वरना कमी-कमी शैक्षिक योग्यता के अभाव में उनका आचरण ठीक नहीं रहता है और उनमें कान्फ्लेक्स रहता है, इसलिये जब पुलिस की भर्ती करें तो योग्यता का ध्यान रखें। इसके अलावा जब आप पुलिस से राजनीतिक कार्य लेंगे और उनको बदले की भावना से प्रेरित किया जायेगा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता में उनको खींचा जायेगा तो पुलिस अच्छा काम और आचरण कैसे करेगी ? इसलिये पुलिस जिस व्यवस्था के लिये बनी है उसका उपयोग उसी में करना चाहिए। आज पुलिस का मनोबल गिरा है लेकिन मुनाफाखोरों का मनोबल नहीं गिरा है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल नहीं गिरा है। आज असामाजिक तत्वों के रुतबे में कमी नहीं आई है किन्तु कर्मचारियों के रुतबे में कमी आई है। इसलिए जब अपराधियों को बड़े-बड़े राजनीतिक नेता संरक्षण प्रदान कर रहे हैं हृदय परिवर्तन के नाम पर और आपसे जब पत्रकार इस सम्बन्ध में पूछते हैं इंडिया टुडे और नवभारत टाइम्स के पत्रकारों ने पूछा तो आपने कहा कि अपराधियों का हम हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं और उसी परिधि में वह एक बैंक में अतिक्रमण करते हैं जिसके बारे में भी अखबारों में छपा था। तो मान्यवर, आप हृदय परिवर्तन में अपनी तुलना लोकनायक जय प्रकाश नारायण से करते हैं और इस तरह हृदय परिवर्तन के नाम पर सारे अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और कहा जाता है कि पुलिस नकारी हो गई है, इसलिए इसको आप राजनीति से अलग रखें और अपनी व्यक्तिगत मीमांसा तथा राजनीतिक लाभों को पूरा न करें। मान्यवर, आज जगह जगह राजनीतिक प्रतिपक्षी कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है और उनकी सही रिपोर्ट एवं एफ० आई० आर० तक नहीं लिखी जा रही है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा था कि ऐसा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि श्री अनिल कुमार विधायक की एफ० आई० आर० एक बजे तक क्यों नहीं लिखी गई ? मान लीजिए वह फंसे थे और एफ० आई० आर० लिखाने नहीं गए तो कितनी दूरी है जो प्रशासन को पता नहीं चला ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करें और इस सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी घोषणायें किया है जिनके में सिलसिलेवार जिक्र करना चाहता हूं। चौधरी साहब ने हरिजन उत्पीड़न, हरिजन समस्या के बारे में कहा था। उन्होंने इसके तीन स्वरूप रखे थे, उनके (समय 2

बजकर 20 मिनट) पिछड़ेपन के बारे में । एक उनका आर्थिक पिछड़ापन, एक सामाजिक पिछड़ापन और एक तीसरा शैक्षिक पिछड़ापन । आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का तो वह मूल्यांकन कर लेता है, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन उसे बहुत दुखता है, और इसे दूर करने के लिए अपने आप में मजबूर रहता है । उस पर भी निरीह ढंग से आपके शासनकाल में पनवारी आगरा की घटनाएं उसकी शहादत दे रही हैं, वह उसकी गवाह है । आज आपने उनकी भावना का कितना मूल्यांकन किया है, यह देखने की बात है ।

आज आपके राज्य में प्रदेश का हरिजन अपने को सुरक्षित नहीं मान रहा है । महिलाओं को आपने कमजोर कहा है, और उन्हें बराबरी का दर्जा देने की बात आपने महिलाओं के बारे में शौचालयों की व्यवस्था कर दी है, और इसे बार-बार कहते भी हैं, किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने महिला एम0 एल0 सी0 आपकी पार्टी से जीती हैं । आपने स्थानीय निकाय के चुनाव में कितनी महिलाओं को समायोजित किया है ? आपने नौकरी में 25-30 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है, लेकिन यह सब तो पहले भी होता था । इसमें आपने कौन सी नई बात कर दी है । आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है । आपके राज्य में न महिला सुरक्षित है और न हरिजन सुरक्षित है । इसका आप मूल्यांकन कीजिए ।

(व्यवधान)

माननीय, चौधरी साहब ने यह भी कहा था, आपने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात कही है और उसी प्रयास में लगे हैं । आपने उसे कमिटेड टू गवर्नमेन्ट और कमिटेड टू पार्टी किया है । किन्तु ब्यूरोक्रेसी को सरकार या पार्टी के प्रति कमिटेड न होकर अपने कार्यों के लिए कमिटेड होना चाहिए । उसे अपने दायित्वों के लिए कमिटेड होना चाहिए । उन्होंने भी यही कहा था ब्यूरोक्रेसी नाट कमिटेड टू गवर्नमेन्ट, बट कमिटेड टू दि जाब होना चाहिए । उनका दलीय उपयोग आप न करें, यह सर्वथा गलत है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर भी अपने विचार रखें । आपने बीच के दिनों में स्वतः अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, उसमें मोटी बात यह है । आपने एक बार कहा है कि सारे अधिकार आई0 ए0 एस0 अधिकारी अपने हाथों में समेटते जा रहे हैं, पी0 सी0 एस0 वालों का मनोबल गिरता जा रहा है । इस समय आपने उनके लिए 50 प्रतिशत करने की बात कही है, अब आप अपने उत्तर भाषण में बताएं कि आप इसे कितना बढ़ाने जा रहे हैं । डी0 एम0 के लिए 10 साल की सर्विस की जो बात है, उसका आपने कितना परिपालन किया है, इसको आप देखेंगे । आपने अपने बजट भाषण में 23 अगस्त, 1985 को कहा था, जब एक जे0 ई0 को मारा गया था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जो गलत पैमेन्ट चाहते थे उससे, किन्तु आज आपके राज्य में कुर्सी पर बैठते ही एक जे0 ई0 को हत्या कर दी गई और पूरे प्रदेश के जे0 ई0 आन्दोलित हुए आपने उसकी भर्त्सना की है और यह विश्वास दिलाया है कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला । उसी जगह पर जो सक्षम अधिकारी तफ्तीश कर रहे थे, जो हमारे पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, श्री रंजन दुबे थे उनका ट्रांसफर कर दिया । माननीय, यह आपका दायित्व है, यह आपका अधिकार है कि जिसे आप रखना चाहें रखें, जिसका तबादला करना चाहें, तबादला करें । लेकिन उसके पीछे बदले की भावना या प्रताड़ित करने की भावना नहीं होनी चाहिए ।

माननीय, जिनसे आपका विरोध था, मुख्य मंत्री होते ही आपने उनसे सारे बदले ले लिए । आप प्रदेश के जाने माने योद्धा हैं चरखारी के । महारत हासिल उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य पाठक जी हैं जो कि हमेशा आपके साथ रहते हैं, मैं कई बार आपके कार्यालय गया लेकिन मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब नेता विरोधी दल थे, तो जो बातें उन्होंने कही थी वह अब उसका कम से कम अनुसरण तो करें। मान्यवर, जो जे0 ई0 मारा गया है, उसका कातिल घूम रहा है और आपके संज्ञान में भी यह बात है। प्रशासन कहता है कि इसकी जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल सी0 आई0 डी0 के नाम पर घटना को खाना पूर्ति करने का प्रयास न करें।

मान्यवर, राजनीतिक आचरण की चर्चा आपने की थी उस समय जब आप 85 में नेता विरोधी दल की हैसियत से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तत्कालीन मुख्य मंत्री जो आज प्रधान मंत्री हैं उनके आचरण की व्याख्या आप कर रहे थे। उन पर आपने सामूहिक हत्या और फर्जी मुठभेड़ तथा एक क्षेत्र को दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का आरोप लगाया था। लेकिन आज वह प्रधान मंत्री हैं, आपके सहयोगी हैं। हम भी आपके कायल हैं। मान्यवर, निजी आचरण की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, आपने पहले भी कहा था कि हम अपने को लोक आयुक्त की परिधि में रखेंगे। इस बारे में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, विधेयक तो कोई आया नहीं। आपने कहा था कि आने वाले सत्र में हो जायेगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तो कुछ समय इस सत्र का बाकी है, देखा जायेगा कि आता है या नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

विधेयक आ रहा है।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—!

अच्छी बात है, आ रहा है तो। आपने सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में चार राय दी थीं। हम तो अपने सुझाव बाद में देंगे। पहले आपके सुझाव का मूल्यांकन करना चाहते हैं। जो आपने कहीं वह बड़ी अच्छी बात थी। आपने कहा कि रिपोर्ट सदन में पेश होनी चाहिए। आपने कहा कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा निगम की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए, यह एक अच्छी राय है। निगमों को वित्तीय विभाग से सम्बद्ध हो जाना चाहिए, मानीटरिंग होनी चाहिए, यह जरूरी है इससे वित्तीय अनियमितता पर कन्ट्रोल बना रहेगा। सबसे बड़ी चीज यह कही थी कि जो एम0 डी0 और चेयरमन होते हैं।

इनके विलोपीकरण की बात कही आप बहुतों को हटा रहे हैं, लेकिन जो रह गये हैं, उनका विलोपीकरण कर रहे हैं? एम0 डी0, चेयरमैन जो हैं इनके लिए आपने कहा था कि निगम के अन्दर विलोप हो जाना चाहिए, तो क्या आप इनका विलोपीकरण कर रहे हैं? उत्तर भाषा में इसको आप बता दीजएगा। आपने पहले नेता विरोधी दल की हैसियत से कहा था इन्काउन्टर के बारे में, उस वक्त ऊपल जी के साथ उनके एक साथी बैठा करते थे, इस वक्त ऊदल जी नहीं हैं, तो वह चिल्लाया करते थे कि मेरा इन्काउन्टर कर दिया जाएगा और मेरी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए। मान्यवर, जब कोई इन्काउन्टर होता था और कहा जाता था कि इन्काउन्टर हुआ है तो संसदीय कार्य मंत्री जी कहते थे कि कई अपराधों में तल्लीन थे। नेगी जी ने इलाहाबाद में किसी का इन्काउन्टर हुआ था उसके बारे में जिक्र किया था, कोई मेरठ में मारा गया था उसके बारे में कहा गया था तो उसमें कह दिया गया कि कई अपराधों में तल्लीन था, तो आपको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, न्यायालय जो बने हैं, आप यहां किस लिये बने हैं? न्यायालयों में ताला बन्द करा दें। पुलिस आपके पास है, असामाजिक तत्वों का जखीरा आखीरा आपके पास है मरवा दें। घरों से लोगों को जबरदस्ती बुलाकर मारा जा रहा है।

श्री सरदार सिंह--

नाम जना दें।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

जो आप चाहते हैं उसके पूरे दस्तावेज भेज दिये जायेंगे। मान्यवर, मैं इन्काउन्टर के बारे में कह रहा था, तो जो फर्जी इन्काउन्टर हो रहे हैं यह नहीं चाहिए, इसको आप भी गलत मानते हैं लेकिन आपके प्रधान मंत्री जो इन्काउन्टर के मालिक रहे हैं जैसा कि आप मुख्य मंत्री जी ने जब वह नेता विरोधी दल थे, तो कहा था। इन फर्जी इन्काउन्टरों को रुकवायें। हरिजन व्यक्ति जो मारे जा रहे हैं निःसहाय व्यक्ति जो मारे जा रहे हैं इसको रुकवाइए आप इन फर्जी इन्काउन्टरों को रुकवायें मान्यवर, जो आपके सोच का स्वरूप है, उसको बताना चाहूंगा जो मोर्चे का घोषणा-पत्र है उसमें दस मर्तबा भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी का नाम है। बात भी सही है बगैर उनका नाम लिए आपका कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। एक मर्तबा आपने इसमें बोफोर्स का भी जिक्र किया है। मान्यवर, 10 बार आपने उनके नाम की स्तुति की है और एक मर्तबा बोफोर्स का जिक्र किया है। मान्यवर, इस पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है जैसे एक जादूगर की जान तोते के अंदर थी वैसे ही इस पार्टी और इस सरकार की जान बोफोर्स के अंदर है। जैसे तोते की गरदन ऐंठ दी जाय तो जादूगर मर जाय और उसका सारा तिलिस्म-जादू गायब, हो जाएगा ठीक वही स्थिति प्रदेश और देश की सरकार की है। संसद के अंदर हमारे दल के नेता और सांसदों ने इस बात की पुरजोर मांग की कि बोफोर्स की रिपोर्ट सदन के पटल पप रखी जाय। लेकिन 7 महीने हो गये हैं आपकी रिपोर्ट कहां गयी। आपने इसके बारे में बड़ी घोषणायें की लेकिन आज तक वह रिपोर्ट नहीं पेश की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार केवल नारों के ऊपर चल रही है और आक्रोश तथा द्वेष की भावना से जुड़ी है।

आपने घोषणा-पत्र में कहा था और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति पर अत्याचार कर रही है और सम्प्रदायिकता बढ़ा रही है और आपने वादा किया था कि इसको दूर करेंगे आपने वादा किया था कि मोर्चा सरकार मूल्यवृद्धि, हिंसा, सम्प्रदायिकता से जनता को मुक्त करायेगी। लेकिन क्या आपने जो वादे किये थे वह आपने पूरे किये मंहगाई पर कंट्रोल किया। पूरे देश और प्रदेश का जनजीवन आज यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि आपने मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण कर पाये हैं आपके वाद मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मूल्यवृद्धि हुयी है। तो उसी ढंग से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी गिरती हुयी कानून व्यवस्था को स्वीकार करेंगे और आप कहें कि सरकार गिरती हुयी कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हुयी है, कमजोर हुयी है। दूसरी बात आपने यह कहा था कि सत्ता हस्तानान्तरण के बाद व्यवस्था परिवर्तन किया जायगा और उसके अंतर्गत स्वच्छ प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक और सामाजिक न्याय जिम्मेदार प्रशासन, सूचना देने और और पाने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आपने वादा किया था। जनता को आप चीजों को आप कितना दे पाते हैं। आपने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात तो कही, उसने सोचा कि आप इस पर बल देंगे। मैंने सोचा था कि जिले की जो इकाइयां हैं, जिला परिषदें और स्थानीय निकाय हैं उनको आप अधिकारी देंगे। अभी आपने घोषणा किया है कि जिला परिषदों किया है जिला परिषद संवैधानिक अधिकार के तहत लाना चाहते हैं। लेकिन जब हम संविधान के अन्दर जिला परिषदों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो आपने उसका विरोध किया था।

मैं जानना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण के नाम पर आप कहां बल देना चाहते हैं। आपने और आपके प्रधान मंत्री जी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया है

आपके प्रधान मंत्री जी जब बैंक की शाखा का उद्घाटन करने आये थे तो उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर कह दिया था। आपने भी अपने निवास से लेकर ऐनेक्सी सचिवालय के अंदर विभिन्न गोष्ठियों में पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुये कहा है कि मैं अपना मंत्रिमंडल बढ़ाऊंगा। चौधरी साहब ने एक मर्तबा कहा था कि "विभाग का मंत्री कौन है तो कहते हैं कि मुख्य मंत्री हैं"। आप काबिल हैं इसमें कोई परहेज नहीं है लेकिन इतना बड़ा दबाव लेकर प्रदेश को जनता के साथ आप न्याय नहीं कर पायेंगे।

प्रदेश के शासन को आप नहीं देख पायेंगे, सारे विभाग जो हैं मुखरित नहीं हो पायेंगे उन पर नियंत्रण नहीं हो पायेगा। आज आपके दल में तमाम समाजवादी साथी हैं और सब आपके सामने उठापटक लगाये रहते हैं, उसके पीछे भी मंशा है, आप उनको बना सकते हैं, आपके पास गुन्जाइश है और मैं भी सिफारिश करता हूं कि उनको शासन में जोड़े, क्योंकि इस शासन का काम सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। हम पर तो आरोप लगाते कि दिल्ली से इशारा नहीं मिल रहा है, आपने तो वादा किया था कि निकाय के चुनाव के बाद इसको करेंगे।

आपने वादा कर दिया कि इसके बाद और मंत्री बना देंगे और बजट के पहले बना देंगे, लेकिन कोई न कोई भेद होगा वह घटकों की बात होगी। आपने दूसरी बात कही थी आर्थिक समिति के बारे में। आर्थिक के बारे में कौन सा माडल पेश किया? सामाजिक न्याय कहां मिल रहा है? आज जातिवाद तेजी से प्रज्वलित हो रहा है। प्रदेश की जनता का मन बनाया है कि आज जाति वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। आज शिक्षा सुधी का संघर्ष 13 साल बाद फिर हो गया। इस पर आपकी पूरी निगरानी होनी चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। नियत यह होनी चाहिए कि ऐसी ताकतों को दफनाया जाय। इसलिए मैं यह कह रहा था कि आपने जो यह बात कही सामाजिक न्याय पाने की, प्रदेश शासन तभी चलेगा, जब आप सूचना विभाग को सुदृढ़ रखेंगे। सूचना विभाग का बजट और मूल्यांकन बिना किये हुए ही पास हो गया। प्रदेश के विकास के कार्यक्रम क्या हैं। खेती के विकास के कार्यक्रम का प्रसार और प्रचार होना चाहिए। आप सूचना विभाग का मूल्यांकन करें। ये पत्रकार हमारे आगे हैं। जनतंत्र में इसको परिभाषा अपने आप में उदीयमान है। कमी तो उनको आप इज्जत दे देते हैं, फिर गाली दे देते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि माफ कर दीजिए। अब माफी बढ़कर कोई चीज है नहीं, तो मैं भी चुप हो जाता हूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, उप नेता सदन अभी मुख्य मंत्री की आलोचना करते हुए पत्रकारों के बारे में कुछ कहा है। मैं श्रीमन् उन्हीं को स्मरण कराना चाहता हूं कि जो बात जिस रूप में सदन से कही उसकी रिपोर्ट में भिन्न रूप में छपा कि मैंने उपनेता पर शराबी होने का आरोप लगाया।

आप माननीय स्मरण कर लें, मैंने कहा था इन्हें हर बात में शराब, कबाब, ताश के पत्ते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि यह पूरे दो संस्कृति का है—एक कांग्रेसी संस्कृति है, दूसरी जनता दल की संस्कृति। दृष्टिकोण है—माननीय, जनता दल की संस्कृति में "श" शब्द आता है, तो शर्बत पढ़ते हैं लेकिन कांग्रेस की संस्कृति में "श" शब्द आया तो शराब समझते हैं। मैंने कहा था कि कांग्रेस की संस्कृति में "क" शब्द आता है तो कबूतर समझते हैं और जनता दल की संस्कृति में "क" शब्द से कबूतर समझते हैं, 52 को हम 52 हफ्ते समझते हैं लेकिन इन्होंने 52 पत्ता समझ लिया। तो मैंने यह कहा था और पत्र में छाप कुछ और दिया तो इस तरह की पत्रकारिता का समर्थन शायद आप भी नहीं करेंगे।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी ने अपने विचार व्यक्त किये, वह बात अपनी जगह है, इसका मूल्यांकन तो हमारे पत्रकार बन्धु करेंगे । सदन में कैसी कार्यवाही हो रही है, यह सभी जानते हैं उसका किस तरह से मूल्यांकन होना चाहिये, यह उनका दायित्व है सदन में जो कहा गया है उसका अनुपालन होना चाहिए, आपने जो कहा वह कोई ऐसी बात नहीं है । वह जो छापते हैं उनकी गलती को आपने पकड़ लिया । मान्यवर, जन-भावना का आदर करना चाहिये । मैं भी डा० लोहिया का पुजारी हूं, मैं उनका आदर करता हूं, उनकी खुली बातों का पुरजोर समर्थक हूं । व्यक्तिगत चरित्रहनन और क्षेत्रानुवेधन की परिभाषा राजनीति में नहीं है । मैं चाहता हूं कि उसका राजनीतिक आधार पर मूल्यांकन न हो उसका मूल्यांकन विचारों से, कार्यों से और मन से होना चाहिये । राजनीतिक चरित्रहनन के आधार पर लिए गए मूल्यांकन को कोई मान्यता मैं नहीं स्वीकार करता ।

मान्यवर, आपने कहा है अपने बारे में और यह घोषणा-पत्र में दूसरी चीज कही है कर्मचारियों के प्रति श्रद्धा पैदा करने वाला एक वर्ग कल्चर बना रहे हैं । जो वर्ग कल्चर प्रदेश का दिखाई पड़ रहा है, अधिकारी इतना प्रताड़ित हैं कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हैं । मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि कौन सा वर्ग कल्चर तैयार किया गया है अधिकारियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका है । यह आपके बिन्दु हैं प्रशासन जनसामान्य के अनुरूप होगा । आपने मान्यवर, अभी शुरुवात में कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनता के बीच में दूरी कम करने का प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह जो आपका प्रयास है हमने देखा है, अधिकारियों के बारे में बड़े-बड़े उल्लेख हैं कि चीफ सेक्रेट्री साहब हमारे गये थे, अच्छी बात है, जाना चाहिये, प्रशासन की मानीटरिंग होनी चाहिये, मूल्यांकन होना चाहिए लेकिन उसकी नौटंकी नहीं होनी चाहिए । अभी प्रश्न आया था और आपके ग्राम्य विकास मंत्री के पास उसका जवाब नहीं है कि कौन अधिकारी गया और कितना प्रशासन का व्यय आया । मान्यवर, मैं इस राय का हूं कि जाना चाहिये लेकिन इसका मूल्यांकन अपने स्तर से करें । आज जरूरत है जिला लेविल पर, डिवीजन कमिश्नर लेविल पर और मुख्यालय लेविल पर समीक्षा हो, समीक्षाएं बराबर होती रहें ।

अधिकारियों को यहां पर सुझाव है कि जिलों पर जायं, समीक्षा करें और उनके जाने की बात वह स्वयं घोषित करें कि जिले के अन्दर सचिव आयें हैं ताकि जिनको मिलना हो वह मिल सके और जब मिलें तो अपना मूल्यांकन मानीटरिंग करें कि जो अधिकारियों ने बताया है वह सही बात है या गलत बात है । तो यह बात है जब तक इस पर बल नहीं देंगे तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं । जब सचिव जायेंगे तो पूरा जिला प्रशासन आपकी बन्दनवार में लग जाता है और गरीब आदमी किसान की हिम्मत नहीं करती है । आप चाहते हैं कि गांव की चौपाल चले और वहां चलती है अधिकारियों की चौपाल । मान्यवर, प्रदेश के अधिकारी सचिव के पास हैं, जब चाहे तब बुलायें । तो मान्यवर, इस पर प्रशासनिक व्यय आयेगा । यह पहले भी किया गया है । इसका प्रचार इतने जोरों से किया है, इसके पीछे मानसिकता अधिकारियों के दिल में पैदा कीजिए कि जिला मुख्यालय और कमिश्नरी स्तर पर इसका मूल्यांकन हो और उसका आकलन करने के लिए सरप्राइज विजिट करें । उनका नोटिस होना चाहिये । जिलों और मण्डलों में जो जन-प्रतिनिधि हैं या जो जन-जीवन है, वह अपनी बात करता है, उस पर सरप्राइज विजिट करें, उस पर खर्च नहीं लगेगा और सारा नियंत्रण वहां से हो जायेगा । आपने कहा कि जनता को करीब लायेंगे, तो करीबी नहीं आयी, प्रशासनिक व्यय बढ़ गया । आपने तो और बोझ डाल दिया । आपने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाया जाय, तो मान्यवर, हम आपको सारे कागज मुहैया करायेंगे, आई० पी० एस०

अधिकारियों के ट्रान्सफर रोज हो रहे हैं, 5-6 महीने बाद फिर करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी-जल्दी क्यों ? हम जानते हैं कि आप अपनी नियत से ऐसा नहीं करना चाहते, कहीं-कहीं प्रशासनिक कारणों से करना चाहते हैं, लेकिन आप पर जो घटकों का दबाव है, जो आपके बीच में दल और दलदल की तरह से बन गया है, उनकी सूचना पर कोई परिधि नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे विभागों में ट्रान्सफर के नाम पर जखीरीबाजी हो गयी।

प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी कह रहे हैं कि खुली लूट हो रही है। आप शासन में हैं, खुली बात कहते हैं तो इसका मूल्यांकन कीजिए। सचिवालय के सारे अधिकारी, कर्मचारी कह रहे हैं कि ट्रान्सफर के कोई नार्मस नहीं हैं। आपके घोषणा-पत्र में है, लेकिन आपने इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया है, आपने कौन सा सुधार कर दिया है, आपने कौन से कदम उठाए हैं। कोई दिखाई नहीं पड़ते। आपने जो 10-12 प्वाइन्ट कहे, उसमें पुलिस में सुधार की बात कही। यह ठीक है कि पुलिस को अच्छे अस्त्र दिये जायं। तो पहले भी उनको तेज जिप्सी दी गयी थी। बाकी टाकी और वायरलेस दिये गये थे। आपने एक बार डी0 जी0 और आई0 जी0 के पदों के बारे में कहा, आपका वादा था, क्या आप प्रोन्नतियों को नियंत्रित कर रहे हैं। प्रोमोशन रोक रहे हैं। मैं इस राय का हूं कि नीचे की पुलिस बढ़नी चाहियें, क्योंकि अपराध बढ़े हैं। अपराधों का संज्ञान आज की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता के बारे में कहा और कहा था कि सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता में गिरावट आयी है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आपके पास भ्रष्ट आई0 पी0 एस0 अधिकारियों की सूची है, 7 महीने हो गये, उस सूची का क्या किया। आपका वक्तव्य है। मैं तारीख और अखबार दोनों दे दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, जो नेता सदन हैं, उन्होंने कहा था। आपने उनके बारे में चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी बनाई थी। उनकी रिपोर्ट आ गयी होगी, उसका हवाला दें कि आपने निगमों और उपक्रमों में सुधार के लिए क्या किया है। क्या सुझाव आया है ? मान्यवर, आपने भ्रष्टाचार और कालेधन को समाप्त करने की बात कही थी। आपने यह जिक्र किया था कि इसके प्रशासनिक उपाय किये जायेंगे कालेधन की उगाही के लिए कौन-कौन से उपाय हुए हैं कृपया वह बतायें सदन भी जान सके। जो पहले प्रशासनिक उपाय हुए हैं उसके अलावा यदि कोई नये उपाय हुए हों तो बतायें। यह कहा था कि सार्वजनिक उद्यमों में जो काम कर रहे हैं दैनिक वेतन भोगी उनको नियमित करेंगे।

मान्यवर, उनको नियमित करने की बात तो दूर रही, स्थिति कुछ दूसरी ही हो रही है। चलचित्र निगम और हार्टिको को बंद किया गया, कहा गया कि उन कर्मचारियों को एब्जार्व करेंगे। मेरी सूचना के मुताबिक उनको एब्जार्व करने का कोई प्रयास शुरू नहीं किया गया है। हो सकता है आपने कोई प्रक्रिया शुरू की हो, तो बतायें। पहले आपने कहा था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमित करेंगे और अब निगमों को बंद करके उनको एब्जार्व करने की बात आ रही है। जो आप निकाल रहे हैं कर्मचारियों को, निगमों को बंद कर रहे हैं, उन लोगों को कहां एब्जार्व कर रहे हैं उसको आप सदन में बतायें, उत्तर भाषण में उसकी बाबत कहें। आपने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति सामाजिक न्याय के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के बारे में आपने कहा था। मुख्यमंत्री जी, अनाचार, दुराचार सब नहीं है बाबू साहब के यहां, प्रधानमंत्री के सब रिश्तेदार बनते हैं। आप करना चाहते हैं नियंत्रण। लेकिन, [× × ×] नहीं करने देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं।

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक सदस्य—

आप नाम क्यों ले रहे हैं।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

चलिए प्रधान मंत्री जी का क्षेत्र कह रहा हूं। मैं आपकी बात मान रहा हूं यह व्यवहारिक बातें हैं नाम नहीं लेना चाहिये। वह विशेष अदालतें कहां हैं उन विशेष अदालतों के माध्यम से आप कितने लोगों को न्याय दिला पाये हैं? इस पर भी जरा बताये। कितने लोगों की मानव अधिकारों की सुरक्षा हो पायी है; उसका जिक्र कहीं नहीं है। उसको बजटरी प्राविधान किया गया है नहीं। आपके बजट साहित्य में या सामान्य प्रशासन के बजट में कहीं उसका जिक्र नहीं है। जब आप मुख्य मंत्री हुए थे तो पुलिस प्रशासन के बारे में आपने कहा था। सबसे पहले तो जब आप मुख्य मंत्री हुए थे तो आपने प्रेस कल्ब में 6 माह का समय मांगा। निश्चय ही इतना बड़ा प्रदेश है इसको सजाने संवारने के लिए समय चाहिए। मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आने के बाद समय दिया गया।

हमारे नेता विरोधी दल जो इस समय यहां नहीं हैं उन्होंने कहा था, रचनात्मक विरोध की भाषा दोहराने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आपको समय देंगे। आज 6–7 महीने का समय हो गया आप मूल्यांकन कीजिये कि आप कहां पहुंचे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद कौन सा दूसरा परिवर्तन जन्म लिया है। उसका मूल्यांकन आप स्वतः कीजिये प्रदेश की जनता अपने ढंग से कर रही है। नवभारत टाइम्स में आया है 12 दिसम्बर को, आप बाराबंकी में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे आपने कहा था पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रणाली से जनता का विश्वास उठ गया, यह रक्षक कम भक्षक बन गयी है। यह भी कहा है यह व्यवस्था ब्रिटिश ढर्रे पर आधारित है। उसी दिन आपके सहयोगी मंत्री पर बातें आयी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप की बात आयी। यह आपने एक जगह कहा, मान्यवर, दूसरी जगह कहा था प्रदेश पुलिस सेवा संघ की बैठक में 3 जनवरी, स्वतन्त्र भारत में आया है, पुलिस की ऐसी छवि बनायें कि अपराधी और समाज विरोधी तत्व पुलिस से डरे। इंडिया टुडे से इंटरव्यू में कहा आपने कि हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। जब आपके बगल में अपराधी बैठा रहेगा तो वह पुलिस से कैसे डरेगा। जब अपराधी मुख्य मंत्री के बंगले में बैठेगा तो पुलिस क्या करेगी, आप हृदय परिवर्तन की बात कह रहे हैं, उसका मूल्यांकन कीजिये। पहले तो आप मंत्रिमंडल का हृदय परिवर्तन कीजिये, गुस्से हो जाते हैं नाराजगी में आ जाते हैं यह लोग बड़ी नाराजगी और गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि आपके जो विचार हैं, वह ठीक हैं।

आपकी घोषणाओं का तो अम्बार लगा हुआ है। सेन्ट्रल बार एसोसियेशन के अन्दर आपने पुलिस के डिमरोलाइजेशन की बात कही, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको उनकी गोष्ठियों में, पुलिस वीक में उनकी मारल बूस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन जहां–जहां उनके आयोजन हुये हैं आपने उनको डिमरोलाइज किया है। आपने कोई नया पुलिस कानून बनाया सुधार के लिये, या उत्तर प्रदेश शासन कोई पुलिस आयोग बना रहा है, तो उसके उत्तर में जिक्र कर दीजियेगा। इसी तरह कोई आयोग आप उनके लिए बना रहे हैं? लालफीताशाही की बात कही है, इसी तरह के सारे नारे, सारे स्लोगन जो हैं वह आपकी कथनी और करनी के अन्तर को आज स्पष्ट किये दे रहे हैं। आप जनता को कथनी और करनी का विश्वास दिलाइये, कुछ करने का मन बनाइये। आपने कहा कि डी0 एम0, एस0 पी0 जनता को 3 घंटे का समय देंगे, उनके विवादों को हल क,वेया आपने उसकी मानीटरिंग कराई। आप उसका मूल्यांकन कराइये और देखिये

कि कौन इसको आपरेट कर रहा है, कितनी समस्याओं का निपटारा हो गया, कितने मसले हल हो गये, इसलिए इसका नियंत्रण तभी होगा, जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे, केवल घोषणा से नियंत्रण नहीं होगा ।

मान्यवर, आपने सचिवालय के विभागीय सचिवों की बैठक में कहा था कि सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, वह सारा स्वरूप आज दिखाई पड़ रहा है, आज भी खुलेआम भेदभाव हो रहा है, इस बात को आप स्वीकार कीजिये । दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 को आपने सतर्कता विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में जांच करने और दंडित करने के बारे में कहा था । आप बता दीजिये कि कितने अधिकारियों की जांच हुयी, कितने भ्रष्ट पाये गये और कितने दंडित किये गये । आपने यह भी कहा कि हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट है, तो फिर आप बता दीजिये । नये वर्ष में भी आपने कहा था कि शासन को चुस्त बनाने के लिए, सरकारी दायित्वों का निर्वाह करेंगे, मंत्रिमंडल को बढ़ायेंगे अच्छे लोगों को अपना सहभागी बनायेंगे । इसी तरह 3 जनवरी को कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को दंड देंगे और उनको दंड देने में अगर कहीं कोई कानून आड़े आता है, तो हम उसमें भी परिवर्तन करेंगे । लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, या तो भ्रष्ट अधिकारी नहीं हैं, या कोई परिवर्तन नहीं है । अगर भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो आप कौन सा नया कानून लाये हैं, उनको दंडित करने के लिये । जो कानून पहले था, वह पर्याप्त नहीं था तो कौन सा नये कानून का सृजन आपने किया है ।

जब आप उत्तर देते हैं तो कहते हैं कि आप पढ़कर नहीं आये हैं । ठीक है । आप हमारे नेता सदन हैं, मैं इसका प्रतिकार नहीं करता । जब आपने बजट भाषण की टिप्पणी तैयार कराइये, तो आप अपने अधिकारियों से दिखवा लीजियेगा, उसमें भी कहा है कि आप पढ़कर नहीं आये हैं । आपकी बातें ठीक हैं, क्योंकि आपकी कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी है, आपने यह भी कहा कि आप नारायण दत्त तिवारी दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं । वह हमारे नेता हैं, नेता विरोधी दल हैं, हम उनकी संसदीय मर्मज्ञता, संसदीय चिन्तन, संसदीय विद्वता के आगे बहुत छोटे हैं, अकिंचन हैं, वह केवल प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के संसदीय प्रक्रिया के प्रकांड पंडित हैं, हमें उनसे सीखना है । उस कुर्सी पर बड़ी विनम्रता होनी चाहिये, बड़ा समता और समान आदर होना चाहिए, इस कुर्सी पर बैठकर बिरादरी नहीं देखी जाती, दल नहीं देखा जाता है, बल्कि इस कुर्सी पर बैठकर न्याय देखा जाता है, प्रदेश का जनजीवन देखा जाता है, प्रदेश के अन्दर सारे लोगों का मूल्यांकन किया जाता है । वहां से विरोध पक्ष दिखाई पड़ता है, सारे विरोधी दल दिखाई पड़ते हैं । हम तो नाराज हो सकते हैं .... हमें गुस्सा भी आ सकता है । हमारे ऊपर गोलियां चलेंगी, लाठियां चलेंगी तो हम कराहेंगे, परन्तु आप तो सर्वसत्ता सम्पन्न हैं, आपको तो संयम बरतना चाहिये । आपको राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए । यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसे आपको देखना चाहिए । हमारी शैक्षणिक योग्यता को न देखते हुए हमारे कार्यों का आपने मूल्यांकन नहीं किया । बस यह देखा जा रहा कि इस जाति का यह अधिकारी है ।

यदि हमारे अधिकारी इस तरह से बिरादरी, जाति व धर्म में बांट दिये जायेंगे तो प्रदेश के विकास व निर्माण की जो कल्पना की गई है वह अधूरी रह जायेगी । जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी वहां पर बैठे हैं, आज वह स्वर्गीय हो गये हैं, उन्हीं के आदर्शों को मैंने आपसे कहा है । आप रक्षा कीजिए और विरोध पक्ष की भावना को स्वीकार कीजिये । पुलिस रेडियो प्रशिक्षण के दिवस पर भी आपने पुलिस के तरक्की की बात कही । आपने 8 मास में ही 8 दिन के अन्दर बड़े-बड़े अधिकारियों को कई बार इधर से उधर कर दिया, जैसे आप शतरंज की मुहरें खोल रहे हों । कुछ तो आप गरिमा रखें । कुछ तो आपने नीति का पालन किया हो । आपने सरासर अन्याय

किया है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विधान मंडल दल से आप ट्रांसफर नीतियों का मूल्यांकन करा दें तो सरकार का पर्दाफाश हो जायेगा । विधायकों की समिति बनाकर परीक्षण करा लें ।

आपने यह भी कहा था कि निचले स्तर पर प्रशासनिक कमियों को तीन माह का समय दिया जा रहा है । वह समय निकल चुका है । उनमें कितनी सोच समझ आई है, वह कितने कार्यशील हुए हैं, उसका आपने मूल्यांकन कराया । जब आप स्वतंत्र भारत को इन्टरव्यू दे रहे थे तो उस समय कहा था कि प्रदेश के प्रशासन को चुस्त करेंगे मंत्रिमण्डल बढ़ायेंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करेंगे , ये सारे उद्घोष आपने किए, परन्तु उसमें से आप कुछ नहीं कर पाये । आप क्यों खोखली घोषणायें करते हैं। आपकी क्या न सुनने की एलर्जी हो गई है ।

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय, हम एक नेता विरोधी दल की बातों को सम्मानपूर्वक सुन रहे हैं । विभिन्न अखबारों में जो विभिन्न तिथियों में समाचार छपे हैं, उन्हीं को यह बारबार पढ़ रहे हैं । कोई नयी बात कहें, यही हमारा उनसे आग्रह है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

माननीय, मेरी कोई बात नहीं है । मुख्य मन्त्री की हैसियत से, नेता सदन ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन्हीं को मैं कह रहा हूं । बोलने के सिवाय आपने कौन सा काम कर दिया ? कौन सा किला फतेह कर दिया ? कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसका मूल्यांकन किया जाय । आप खड़े होकर कहिये कि इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं । क्या आप अपनी घोषणाओं से बिजली उत्पादन को बढ़ा सकते हैं ? अपनी बातें आप सुनना ही नहीं चाहते हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी सुनना चाहते हैं लेकिन उनके साथी, सदन के अन्दर तो ऐसा शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता हूं लेकिन बाहर उन्हें "बमचा" कहते हैं, वे नहीं सुनना चाहते हैं । वे समझते हैं कि उनका नम्बर आ जायगा लेकिन नम्बर उन्हीं का आयगा जो कड़ी-कड़ी बात कहने के आदी हैं । मैंने औपचारिक बधायी का निर्वाह किया है, दूसरी कोई बधाई देने के लिये शब्द नहीं थे, बजट रखा है उस बात की बधाई देता हूं । आपसे कहना चाहूंगा कि आज पुलिस प्रशासन और कानून और व्यवस्था में सामान्य प्रशासन में गिरावट आने के पीछे सरकार की नीयत और मंशा में भी खोटापन है ।

मैं किसी दबाव के कारण माननीय मुख्य मन्त्री जी की आलोचना नहीं करता हूं लेकिन किसी कारण से कुप्रभाव आया है । ट्रान्सफर की पालिसी में लोहिया साहब की नीतियों से हट गये हैं । केवल सदन में और बाहर नाम का उच्चारण होता है लेकिन कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है । प्रदेश का शासन अविरल गति से चलता रहेगा, शासन बना रहेगा और इस शासन पर तमाम लोग आते रहेंगे और प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त करते रहेंगे जैसे आपने किया है । इसलिये मुझे शंका है कि पहले भी परिवर्तन हुआ था 1977 में जिसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि 1977 में कुछ भूल हुयी जिसकी वजह से 9-10 साल पनप नहीं सका । हम चाहते हैं कि जैसे आप ढाई साल में चले गये थे 27 महीने में छुट्टी हो गयी थी, मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सेवा कीजिये और पूरे 5 साल तक सेवायें कीजिये । आपने एक भूल स्वीकार किया है, आपने उस भूल के बारे

में कहा। उसी के तहत एक बात कहना चाहूंगा। जे० डी० सक्सेना साहब की कमीशन रिपोर्ट है 1986 की, आयोग ने कानून और व्यवस्था की स्थिति का विवरण देते हुये कहा है कि 1980 में जब कांग्रेस को जनता पार्टी से सत्ता मिली तो उस समय उससे पहले 1979 में डकैती, राहजनी, हत्या, नकबजनी और दंगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो कांग्रेस शासन में बहुत कम हुयी। यह रिपोर्ट जे० डी० सक्सेना आयोग जो बना था, यह उसकी रिपोर्ट है। 1979 में 3,650 डकैतियां हुयी और उसके बाद जब शासन हमारे हिस्से में आया तब यह रिपोर्ट आयी। मैं आपको आंकड़े बताऊं कि आपके समय में राहजनी के 2,225 मामले हुये जबकि हमारे समय में यह घटनायें केवल 6 हजार तीन हुयी, यह हमारे शासन काल के बाद का मूल्यांकन है कि हत्या की घटनायें 5,539 हुयी जो कि बाद में घट कर 5,503 आयीं। इसी तरह से नकबजनी की घटनायें 3,864 हुयी जो कि हमारे समय में घटकर 2673 रह गयी। दंगे के मामले 11,175 हुये जो कि घटकर 7,948 रह गये। यह आंकड़े वे हैं जो कि आपकी सरकार से विरासत में हमें मिले थे यह बतलाते हैं कि आपके जमाने में इनकी संख्या अधिक थी।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

यह दस साल पहले के आंकड़े आप बतला रहे हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'--

जी हां, दस साल पहले के यह आंकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो इसका औचित्य क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

इसका औचित्य यह है कि अब आप इस व्यवस्था को भंग न करें कि जब हमें आकर इसके दायित्व का बोझ उठाना पड़े। क्या बताऊं मुझे तो सारे आंकड़े उपलब्ध हो नहीं हो पाये, गृह विभाग दे नहीं पाया क्योंकि यह माननीय मुख्य मन्त्री जी का विभाग है और आपका पुस्तकालय भी इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दे पाया। गृह विभाग तो सीधे मुख्य मन्त्री जी के नियन्त्रण में है।

माननीय, अभी आपने कहा कि मैंने दस साल पहले के आंकड़े बताये हैं तो लीजिये मैं आज की तारीख तक के आंकड़े आपको बतलाये देता हूं कि 1 जनवरी, 1990 से लेकर 30 अप्रैल, 1990 तक चार महीने में जो आंकड़ा उपलब्ध रहा। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि 1 जनवरी, 1979 से लेकर 30 अप्रैल, 1979 तक चार महीने में आपके आंकड़े यह हैं कि डकैतियां जो 602 थीं वह इस अवधि में 617 हुयी। लूट की घटनायें 1,640 थीं जो कि चार महीने में 18,060 हुयीं। हत्या 2,164 की संख्या में हुयी थीं जो कि चार महीने में 2,183 तक पहुंच गयी। दंगा 2,599 हुये थे वह चार महीने में 2,050 हो पाये। यह बात जरूर आपके कार्यकाल में 4,417 हुये जो कि हमारे कार्यकाल में 4,213 तक ही रहे। म०प्र० सं० के अन्तर्गत मामले 6,034 दर्ज हुये, जो कि 4 महीने के अन्दर 53,905 दर्ज हुये। यह चार महीने के आंकड़े हैं। यह बतलाते हैं कि अपराध जगत में वृद्धि हुयी है।

जबसे आप शासन में मोहर लगा कर कब्जा करके आये हैं तब से यह और बढ़े हैं। वैसे नवम्बर, दिसम्बर में तो खुली छूट थी उसका संज्ञान हम नहीं कर

पाये हैं। जब आप अपना उत्तर दें तो इसके आंकड़े के सम्बन्ध में बताइयेगा कि प्रदेश का मानचित्र क्या है, अपराध जगत में वृद्धि हुयी है, इसे रोकने का काम इस सरकार को करना चाहिये। मैंने कहा कि अपराध की परिभाषा क्या है, यह तभी रुकेंगे जब स्वस्थ्य समाज बनेगा, स्वैस्थ्य समाज की स्थापना होगी जिसमें निर्धन, गरीब, बेसहारा आदमी और मुफलिसों को आप उठाने का प्रयास करेंगे। शैक्षणिक योग्यताओं के साथ आप प्रदेश को बढ़ाने का प्रयास करें। पुलिस की जिम्मेदारी का सही मूल्यांकन करें। इस सम्बन्ध में समय-समय पर सिफारिशें भी होती रही हैं। समय-समय पर जे0 एन0 चतुर्वेदी के बारे में कहा गया है। मुझे धर्मवीर कमीशन से कुछ चीजें मिली हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन पर कुछ सोचें। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विदेशों के बारे में कहा है। समाचार-पत्रों में लेख निकले हैं, ह्वाइट पेपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है, उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बहुत लम्बा हो जायेगा। उसमें कहा गया है कि क्राइम का नया मूल्यांकन किया जाना चाहिये कि वह क्यों बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। आपने कह तो दिया कि धर्मवीर कमीशन बहुत पुराना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अच्छी बातें हैं, उनका आप को मूल्यांकन करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित—

मैं पूंछना चाहता हूं कि पुलिस रिफार्म कमीशन धर्मवीर कमीशन के बाद कोई बना ही नहीं है।

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'—

मान्यवर, मैंने तो पहले ही निवेदन किया है, मुख्य मन्त्री जी क्या कोई नया कमीशन बनाने जा रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि पुलिस घटनायें पुरानी हैं, उन्होंने पुलिस के मनोबल को नहीं गिराया है, बल्कि आज पुलिस का मनोबल गिर रहा है। दूसरी चीज यह कही गई है कि आप पुलिस के रहन-सहन और उनके स्वास्थ्य के सुधार के बारे में प्रयास करेंगे। आप मान्यवर, उनकी परिस्थितियों को देखिये आप उनको राजनैतिक उपयोग में न लावें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने उसका आप ही के लिये उपयोग किया था।

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'—

आप उपयोग कर रहे थे, आप गृह मन्त्री थे, किया होगा। आप अगर फिर मन्त्री बनना चाहते हैं, तो एक जगह गलती किया है और कमिटमेंट किया, उसको दुबारा न करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी आप ऐसे लोगों पर कृपा न करें। इनको यह नहीं कहना चाहिये। इन्होंने अपने नैतिक दायित्व से गिर कर काम किया है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जो भी काम किया होगा, वह शासन के लिए किया होगा। मैंने अपने नैतिक दायित्व से गिर कर न काम किया है और न कहूंगा।

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'—

आपने कहा कि राजनैतिक कार्यों के लिये किया है, मान्यवर, आज समाज बदल रहा है आप उसके परिवेश्य में सारी चीजों को देखिये। उसके परिपेक्ष्य में कमीशन की रिपोर्ट देखिये। नये कमीशन को लाने का प्रयास करें, तभी पुलिस में सुधार हो सकता है। पुलिस में सुधार लाने के लिए पुलिस के मनोबल की आपको रक्षा करनी पड़ेगी,

भेदभाव हटाना पड़ेगा, वह हमारी सुरक्षा का एक अंग है। आज प्रदेश का पूरे का पूरा प्रशासन पंगु हो गया है, जर्जर हो गया है, नपुंसक हो गया है और आप तालियां बजा रहे हैं। हर तरफ से आज अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ा है, राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। आपने माफिया की बात कही। माननीय, अभी तक तो माफिया ठेकेदारी में मिलते थे और अब आपके कार्यकाल में राजनीतिक माफिया दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसका आप सही ढंग से मूल्यांकन करें, ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

मैं कह रहा हूं कि आज राजनैतिक अपराधीकरण हुआ है। इसको आप स्वीकार कीजिये। आज अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़े हैं, वे संरक्षण पाये हैं आपके शासन में, यह नहीं होना चाहिये। इस पर हमेशा प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसको आप स्वीकार करें कि आपके शासन में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है। आप दफाओं की बात कहते हैं। जिसको इन्काउन्टर करते हैं, दफा बता देते हैं।

इस सदन में कुछ ऐसे लोग हैं, कितनी दफायें उनके ऊपर हैं। मैं सुझाव के तौर पर निवेदन करूंगा कि यह सामान्य प्रशासन, आपकी पुलिस व्यवस्था के लिए, प्रदेश के विकास के लिये, प्रदेश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इस बजट को आप बड़ी गम्भीरता से लीजिये। यह अत्याक्षरी नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं इस विषय में चिन्ता व्यक्त की है, उसका आप मूल्यांकन कीजिये। यदि नहीं करेंगे तो प्रदेश की स्थिति और बिगड़ेगी, प्रदेश की विकास की योजनायें रुकेंगी, प्रदेश में शांति व्यवस्था नहीं रहेगी और यदि सामाजिक शांति नहीं रहेगी तो आपकी सारी योजनायें धरी की धरी रह जायेंगी, सारे निर्माण कार्य रुक जायेंगे, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं लेकिन यहां कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है।

(व्यवधान)

अगर दिखाई दे रहा है तो यही दिखाई दे रहा है कि नेता सदन यहां से उधर चले गये, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सारी योजनायें पुरानी हैं। कोई नई योजना नहीं दिखाई दे रही है। हम बजट दे रहे हैं, कोई नई योजना आप बताइये लेकिन सारी योजनायें यथावत हो हैं। उन सारी योजनाओं को आप प्रभावी ढंग से लाइये कोई नई नीति बनाइये और उसको प्रभावी ढंग से लागू कीजिये। मात्र घोषणाओं के आपके पास कोई नया कार्यक्रम नहीं है।

हमारा जो नियोजन विभाग है, बड़ा अच्छा विभाग है, उसकी एक मशीनरी है, बहुत मजबूत है उसको और मजबूत बनाइये और उस मशीनरी का प्रतिफल आप पाइये, उससे कुछ काम आप लीजिये। मशीनरी तो बहुत है लेकिन जो आपका प्लानिंग इंस्टीट्यूट है वहां इवेल्यूयेशन होता है, उसके अन्दर जो मूल्यांकन करते हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वह कितनी आयी हैं और कितनी रिपोर्ट्स पर मन्त्रि-परिषद् में विचार हो रहा है। मन्त्रि-परिषद् में उसकी समीक्षा हुई होगी। यह प्रदेश के विकास के लिये प्रदेश के निर्माण की योजनाओं के सृजन के लिये, भावी योजनाओं के लिए यह विभाग बड़ा बलशाली है बशर्ते कि उससे काम लिया जाय, उसे दफनाइये नहीं उसका सही इस्तेमाल कीजिये उसके प्रतिफल से आप भी प्रतिफलित होंगे और प्रदेश का विकास भी होगा। आप मन्त्री हैं उससे काम लीजिये वही जो पढ़ लिख कर दे रहे हैं उसी का उपयोग कर लेंगे तो काफी फायदा होगा।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कंप्यूटरों के बारे में कहा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर हमारे यहां आये हैं वह काम कर रहे हैं या नहीं। पिछले

शासन में बुनियादपूर्ण स्थिति ही कहिये कुछ मंगाये थे लेकिन उसके बाद आप आ गये तो वह काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी परिभाषा क्या है उनका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, उनसे काम लेना चाहिये । कंप्यूटरों को बढ़ाने की बात कही थी वह बढ़े हैं या नहीं । कंप्यूटरों के डाटा प्रोसेसिंग से हमें बल मिलता है उससे प्रदेश की स्थिति का सही मूल्यांकन होता है । वह काम कर रहे हैं या नहीं या वह कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालों में बंद पड़े हैं क्योंकि आप अंग्रेजी शब्द पकड़ कर उसे बंद कर दिये होंगे ।

(व्यवधान)

उनकी संख्या क्या है ।

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

वह हिन्दी में काम कर रहे हैं, माननीय उप नेता जी वहां आना चाहें तो उनका स्वागत है वह चल कर देख सकते हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'—

माध्यवर, इसकी संख्या का ज्ञान नहीं है वह इस विभाग के मन्त्री हैं पता नहीं है कि कितने कंप्यूटर हमारे यहां आये हैं । वही बात है जैसा कल यह जवाब दे रहे थे कुछ मालखाने में जमा है कुछ कहां है । तो इतने हल्के से इसे मत लीजिये, गलत बयानी मत करिये, इस सदन को हल्के से मत लीजिये अब आप मन्त्री हैं विधायक नहीं हैं, सरकार साहब यह कह सकते हैं, लेकिन वह जानते हैं, उनको काफी ज्ञान है मुख्य मंत्री जी की कृपा होगी तो वह भी हो जायेंगे । तो मैं कह रहा था उनको मालूम नहीं कि कितने कंप्यूटर हैं, एक दो या चार । आज वैज्ञानिक युग है टेक्नोलाजी का ऐसा है, उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अगर यह वैज्ञानिक दौड़ में पीछे रह गया तो दुनिया की वैज्ञानिक दौड़ में हमारा देश पीछे रह जायेगा (व्यवधान) यह अंग्रेजों से परहेज करते हैं तो यह भी एक नौटंकी चल रही है ।

दूसरी जो आपकी कठिनाई है जिला मुख्यालय और कमिश्नरी इनमें मानेटरिंग कीजिये । उद्योग विभाग के जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे पिकअप या फाइनेंशियल कारपोरेशन इनको मजबूत कीजिये उससे प्रशासनिक ढांचे में भी मजबूती आयेगी और प्रदेश का विकास भी होगा । कर्मचारियों की विश्वसनीयता जोतिये और उनको इनिसियेटिव लेने के लिये तैयार कीजिये । आपके दल के सहयोगियों से सहयोग करने के लिए कहिये और जो इस समय जिलों में प्रताड़ना हो रही है उससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी । हमने कोई बात कह दी तो उसको न माने यह पूर्वाग्रह की स्थिति होनी चाहिये ।

आपके जो ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं जैसे मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर है, इसी तरह से सीतापुर में है और नैनीताल में सर्विसेज के लिये ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं इनके सिलेबस को रिव्यू कीजिये और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाइये पिछले शासन ने आज के परिपेक्ष में इसका रिव्यू कराया था । जहां से हमारे अधिकारी और कर्मचारी निकल रहे हैं उनमें यह मनोभावना विकसित हो कि वह गांव की ओर जायें वहीं से इस बात की कोशिश कीजिये यहां 20 साल से सेक्रेटेरियेट में रहने के बाद जायेंगे तो वही बात होगी कि बुड्ढा तोता राम-राम नहीं करेगा । इसी लिये माध्यवर, जहां ट्रेनिंग सेन्टर हैं वहां देखें ।

माध्यवर, आपने कहा कि पहाड़ पर कोई अधिकारी जाता नहीं है, इसके माने पिछली सरकार के समय में पहाड़ पर कोई अधिकारी ही नहीं थे । इसलिये पहाड़ पर नहीं जाते हैं तो आप सख्ती करें कि वह पहाड़ में जायें । जो पहाड़ पर गये हैं उनके

साथ न्याय करें कि वह मैदान में आयें। लेकिन यह कह देना कि पहाड़ पर कोई जाता नहीं है यह ठीक नहीं है। इसलिए आज ट्रेनिंगों को मजबूत करने की जरूरत है।

मान्यवर, जो आयोग आप के यहां हैं जैसे सेवा अधीनस्थ आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं इनमें नियुक्तियों में जो कठिनाई आती है शासन में मन्त्री होने के नाते हमारे सामने भी कठिनाई थी, कभी-कभी विभागीय चयन हो जाते हैं जो सर्वथा गलत है, इसलिए इनमें आप सुधार लायें और प्रभावी बनायें।

मान्यवर, ट्रिब्युनल जो हैं उसको आप देखें, उसमें कोई जाना नहीं चाहते हैं और जो जाते हैं वह सोचते हैं कि हमें दण्ड मिल रहा है। इसलिए जब आप सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे तभी प्रदेश को आप स्वच्छ प्रशासन दे पायेंगे। जब तक आप इसके बारे में बड़ा मन नहीं बनायेंगे तब तक प्रदेश में पापाचार, अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार बढ़ते रहेंगे, हरिजनों की हत्याएं होती रहेंगी, निर्धनों के साथ उत्पीड़न बना रहेगा और राजनैतिक कार्यकर्ता प्रताड़ित किये जायेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह—

उपनेता जी लगता है कोई धार्मिक प्रवचन कर रहे हैं।

श्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना'—

मान्यवर, धर्म के बारे में हमारे नेता सदन ने अपनी इमान सुनिश्चित कर लिया है। उन्होंने प्रदेश की बड़ी-बड़ी चुनौतियों को क्या स्वीकार किया है, जैसे मूल्य वृद्धि की चुनौती को स्वीकार किया, विद्युत् उत्पादन की चुनौती की, हरिजन उत्पीड़न की, महंगाई और काले धन की, पेयजल की और सामाजिक न्याय दिलाने की चुनौती को क्या स्वीकार किया है? मैं समझता हूं नहीं। इसमें से एक भी चुनौती को स्वीकार किया हो तो बता दें? मान्यवर, इन्होंने तो केवल आचार्य शंकराचार्य की चुनौती को स्वीकार करके उन्हें जेल भेज दिया। यह इसलिए मैंने कहा है कि नेता सदन ने जो कहा है यह उसका मूल्यांकन है। जिसको मैंने बताया। इसलिए आज उन सारी चीजों का मूल्यांकन राजनीति से ऊपर उठ कर करने के लिए सोचना होगा। इसलिए पुनः मैं नेता सदन को बधाई देता हूं कि इन आस्थाओं और विश्वास के साथ प्रदेश के विकास के लिए आपकी दोहरी मानसिकता नहीं होगी, आप के यहां दोहरे विचार नहीं होने चाहिये। तभी यह पुलिस प्रशासन मजबूत होगा, तभी यह सामान्य प्रशासन सही होगा। यह नहीं कि हमारा एम० एल० ए० मारा जाए तो थानाध्यक्ष भी मुश्किल से हटाया जाय और आपके सहयोगी मित्रसेन पर जब आक्रमण हो तो एस० एस० पी० को भी हटा दें। यह दोहरी मानसिकता आपको खत्म करनी चाहिए। तो दोहरी मानसिकता छोड़ें और राजनैतिक भेदभाव की भावना से ऊपर उठें और ऊपर उठकर प्रदेश को देखने का संकल्प लें।

प्रदेश के अन्दर गिरती हुई कानून व्यवस्था पर नियन्त्रण पाएं। इसमें हम आपके साथ हैं, आपको हर तरह का रचनात्मक साथ और सहयोग देंगे। हम विरोध, विरोध के लिए नहीं करते हैं। हमारा विरोध रचना और निर्माण के लिए होगा, प्रगति और विकास के लिए होगा। मैं केवल विरोध के लिए विरोध की बात नहीं करता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो जातीय और वर्गीय संघर्ष हो रहे हैं, उन पर आप नियन्त्रण पाएं। आपको अपनी संकुचित भावना और संकीर्ण विचारधारा छोड़कर बड़े चश्मे से इसको देखना चाहिए और जब आप यह करेंगे तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। प्रदेश की सब जनता को आप समभाव से देखें। यह चौधरी साहब का विचार है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप उस तरह से देखिये जिस तरह से उन्होंने

देखा है । डाक्टर लोहिया जिस विचारधारा से विरोध पक्ष को देखते थे, वैसे ही आप भी देखिये, अलग से न देखिये । मान्यवर इनके वायदे दूसरे हैं, इरादे दूसरे हैं । नारों पर आपने बड़ी भारी दुकान लगाई है, वक्तव्यों और आश्वस्तों को अपने नुमाइश लगाई है और में मुख्यमंत्री जी की इज्जत में उनके अदब में कहना चाहूंगा । मुख्य मंत्री जी उस पर भी गौर करने की कृपा करें बड़े दिलचस्प वायदे थे, बड़े रंगीन धोखे थे, गुलों के आरजू में जिन्दगी शोले उठा लाये । माइनारिटीज की आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और उन्हें सब्जबाग दिखाकर ही आप कुर्सी पर आए हैं, लेकिन आप अब उनके लिए क्या कर रहे हैं । मैं तो इस सन्दर्भ में उनसे कहना चाहता हूं फजल फरोश के नेगाहों (आंसू) का एतबार न कर, यह कुतबहिस्त भी दे दें तो एतबार न कर। धोखे एवं जालसाजी से यह चाहे जितनी नारे लगा दें ।

(व्यवधान)

प्रदेश को यह स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकते हैं । देंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कल्याण सिंह जो अब आप बोलेंगे ।

श्री कल्याण सिंह—

नहीं, मैं कल बोल लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप उसपर पहले मुझसे वार्ता कर लें ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, जो पुलिस क्रियाकलापों की हम लोगों को पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है, इसमें जो गग नहीं है, उनकी उपलब्धियां की तो इसमें चर्चा की गई है, किन्तु मुख्य मन्त्री जी का जो गंग है उसकी उपलब्धियों की कोई चर्चा नहीं है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा, उसको भी उपलब्धियों की चर्चा इसमें कराई जाए ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत रहूंगा जो आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का समय दिया ।

(इस समय 3 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री संत बख्श रावत पीठासीन हुए ।)

मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उपनेता विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती का विरोध करता हूं । क्यों विरोध करता हूं, इसके

बारे में 2--3 वाक्य में ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस वक्त तो वह मूल्यांकन के आगाश में फंस गये हैं। शायद उनका ही यहां मूल्यांकन हो रहा है। शायद राजाव गांधी या प्रमोद तिवारी उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसलिए हर बात में लगभग 1 हजार बार उन्होंने अपने भाषण में इस शब्द का प्रयोग किया है। "मूल्यांकन" शब्द के प्रयोग का भाव क्या होगा इसको आप कार्यवाही में देख लेंगे। श्रीमन् आपका जो भी रूप है, पूरी पुलिस की व्यवस्था पर आपका, शासन का दारोमदार निर्भर करता है। आज की पुलिस ब्रिटिश ढर्रे पर चल रही है इसके लिए माननीय उपनेता विरोधी दल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। लार्ड कार्नवालिस ने 1793 ई0 में कहा था जो एक जरनल में प्रकाशित हुआ था, जो कि अंग्रेजी में है कहिये तो इसका हिन्दी में अनुवाद कर दूं या अंग्रेजी में ही पढ़ दूं :—

हो गेव इण्डिया होल टाइम प्रेड पुलिस आफिसर्स ऐट ऐट द टाइम ह्वेन सच ऐजेन्सीज अननोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट डर्वलिंग

1793 ई0 में पुलिस की जो व्यवस्था देश को दी गयी उसमें भारत को नियंत्रण में रखने की व्यवस्था थी। उसका जो स्वरूप था वह तब से चलता चला आया है। क्या आपको याद नहीं रहा कि 1960 में पुलिस कमीशन बना था। जिसमें माननीय नारायण दत्त तिवारी सदस्य थे। उन्होंने सदस्य होने के नाते जो बातें कही थीं उसमें कोई ऐसी कार्यवाही उन्होंने अपने मुख्य मंत्री काल में कर दी होती तो उनकी प्रशंसा में कुछ कहने का अवसर मुझे मिलता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। 1970-71 में उत्तर प्रदेश में पुलिस आयोग बना। इसमें भी चिन्ता व्यक्त की गयी, अभी माननीय उपनेता बोल रहे थे क्या उन्होंने यह चिन्ता दूर कर दी। पुलिस आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ-17 पर कहा गया है कि "मिनिमाइजेशन आफ क्राइम" (अपराधों में कमी) करके लिखा जाता है। 70, 71, 74, 75 से यही बातें चलती रही हैं। लेकिन हमारे जमाने में रिपोर्ट लिखे जाने लगी है इसलिए आप कहते हैं कि क्राइम में बढ़ोतरी हुई है माननीय मुख्य मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं जो अपराध अब नहीं छिपते। पहले जमाने में अपराध लिखे नहीं जाते थे अपराध होते थे। मैं स्मरण करना चाहूंगा माननीय उपनेता को जौनपुर दिखाई नहीं पड़ता है, फतेहपुर दिखाई पड़ता है। उन्होंने "इण्डिया टुडे" का जिक्र किया है। उसका दूसरा पन्ना उन्हें दिखाई नहीं पड़ा है जिसमें वर्णन है एक घटना में 12 हरिजनों को मारा गया। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप स्वयं पढ़ लीजिए। आप मुख्य मंत्री के हृदय परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से राजनीति का अपराधीकरण न हो। इसके लिए आप भी दोषी हैं, इसके लिए समाज दोषी है, इसके लिए वोट की राजनीति दोषी है। मान्यवर, मैं चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण न हो और अपराध को राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कुछ उपयोगी कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, पहले की पुलिस और आज की पुलिस में फर्क है। आज पुलिस विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले पुलिस का प्रयोग प्रजा व स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हथियार की तरह होता था। 1947 में आजादी मिली लेकिन आई0 पी0 सी0, सी0 आर0 पी0 सी0 जो 1860-61 में बने हैं, वही रहे नये समाज में उसी पूरे ढांचे को आपने अंगीकार किया। 1987, 57, 62 तक निरन्तर यह प्रक्रिया चलती रही तब बना 1960 का पुलिस कमीशन जिसके अध्यक्ष थे स्व0 अजित प्रसाद जैन जिनसे चिन्ता व्यक्त की गई थी पुलिस फोर्स को नेतृत्व, साधन व प्रशिक्षण की महती आवश्यकता थी।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा—

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--
माननीय नेता सदन आप सुन लें, आपकी जय-जयकार कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

हम तो आपकी जय-जयकार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है। जब पुलिस बल का जन्म हुआ, पुलिस का रूप बना तब एक सामाजिक व राजनैतिक परिस्थिति दूसरी थी जिसमें अब परिवर्तन हुआ, इसमें कुछ सुझाव मेरे हैं कृपया देखें कि क्या पुलिस को पूरा का पूरा भुगतान मिलता है? उसको सुविधायें मिलती हैं? उसका स्वरूप अच्छा होना चाहिए अच्छे साधनों से उसको अच्छे रूप में बदलना चाहिए। पुलिस जो कार्य करती है उसकी वजह से उसको सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, विपक्षी सदस्य पुलिस विरोध की बात करते हैं लेकिन कहते हैं कि हमें पुलिस का संरक्षण दे दो, जब कोई परेशानी की बात होती है तो यह पुलिस का संरक्षण चाहते हैं लेकिन पुलिस के बजट पर यह कटौती का प्रस्ताव लाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके यह देखें कि जो पूरा बजट प्रस्तुत हुआ है इसका स्वरूप क्या बना है।

(लाल बत्ती जलने पर)

माननीय, लाल बत्ती न जलायें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश में अपराध का स्वरूप बढ़ा है। अपराधी बढ़ते जा रहे हैं जितना विज्ञान बढ़ा है उतने अपराध भी बढ़े हैं। आज अपराध रिमोट कन्ट्रोल से हो रहा है। पहले बम विस्फोट रिमोट कन्ट्रोल से होते थे लेकिन आज अपराध रिमोट कन्ट्रोल से हो रहे हैं असली अपराधी बैठे रहते हैं और 16-17 साल के बच्चों से अपराध कराते हैं छोटी-बड़ी बहनों और छोटे-बड़े लड़कों से स्मगलिंग कराते हैं। राजनीतिक हिंसा का एक नया अपराध आया है। आतंकवाद का एक नया अपराध आया है। इनके नियंत्रण का आप कोई स्वरूप बनायें। जो अपराध हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अच्छाईयों को तारीफ करना जरूरी है वरना अच्छाईयां समाज से विलुप्त हो जाएंगी। सामाजिक सौहार्द जनता दल के राज्य में 6 महीने में बढ़ा है। हिन्दू मुसलमान में एकता बढ़ी है। कटुता कम हुई है। मेरठ की माइनारिटीज को खोया विश्वास वापस मिला है जो लोग वहां जाने से डरते थे वह लोग वहां जाने के लिए उन्मुख हैं। इस पूरे के पूरे बजट में खर्च में भी कमी आई है आप चार साल के आंकड़े देखें। कब कितना खर्च हुआ है इसको अगर देखेंगे तो लगेगा कि 1989-90, 1988-89, 1987-88 का परिव्यय कितना है। उस वक्त पुलिस पर इन्होंने ज्यादा खर्च किया है इन्होंने 4 अरब, 98 लाख 96 हजार खर्च किया है और हमारा जो बजट है यह 3 अरब कुछ हजार का है। तो इसमें धन बढ़ाया जाना चाहिए या इसमें और धन बढ़ाने की आवश्यकता है।

मान्यवर उप नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। भाषण उसमें कहा है कि पुलिस कमीशन अपराधों को रोकने के लिए बैठाएंगे, इस पर मेरा सुझाव है इंगलैंड की तरह पहले की भ्रष्टाचार के नये रूप पुलिस बल की जोखिम और व्यवस्था परिस्थिति में इसकी भूमिका पर नया पुलिस कमीशन बनाकर उसके सुझाव लें।

सामान्य प्रशासन पर सुझाव हो कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी को सर्वशक्ति सम्पन्न बनावें।

श्रीमन्, एक बात आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था में न्याय व्यवस्था कहीं आड़े आ रही है। अपराधियों को दंड न्याय व्यवस्था से दिलाया जा सकता है लेकिन न्याय व्यवस्था कागजी सबूत, इंडियन एवीडेंस ऐक्ट पर आधारित है। इसलिये आप इसमें केन्द्र सरकार से सलाह मशविरा करके कोई नया स्वरूप बनायें। जिस प्रकार एक-एक बेटे दो मां के झगड़े की बात आपने सुनी होगी, उसका जो हल निकाला गया था उसमें शब्द वही थे पर निर्णय था। तो इसमें भी कोई ऐसा स्वरूप बने तो उचित न्याय व्यवस्था होगी। समय की कमी के कारण कुछ विचार नहीं आ सके हैं लेकिन जो कुछ आपकी कृपा से कह सका हू उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हू। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

मान्यवर, आज की कार्यवाही में गृह सामान्य बजट पर बोलने के लिये आपने मुझे मौका दिया उसके लिये मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने आज बजट प्रस्तुत करते समय कानून और व्यवस्था में सुधार लाने का संकल्प व्यक्त किया है। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जिले के पुलिस बल में जो कमियां हैं, साधनों में जो कमियां हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था में गिरावट आयी है। आज जो पुस्तिका मिली है उससे स्पष्ट हो रहा है कि नयी सरकार के आने के बाद कानून और व्यवस्था में गिरावट आयी है। पिछले 5 महीनों में डकैती 75 बढ़ी है, लूट 453 बढ़ी है, हत्यायें 267 बढ़ी हैं, चोरी 573 बढ़ी हैं, गृह भेदन 1030 बढ़े हैं। आई० पी० सी० से सम्बन्धित अपराध 9888 बढ़े हैं। मान्यवर, मेरठ की संवेदनशीलता की विशेष स्थिति है। वहां 1986-87 में स्थिति बिगड़ गयी थी। उसके बाद तत्कालीन प्रशासन द्वारा मेरठ की पुलिस को दुरुस्त करने के लिये शासन को सुझाव भेजे गये थे। लेकिन उन सुझावों पर पिछले शासन ने और वर्तमान नयी सरकार ने विचार नहीं किया और वहां के संशोधनों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। मेरठ में 5 थाने बढ़ाये जाने की बात कही गयी थी। 1987-88 से सोहरा रोड, पल्लवपुरम, किदवई नगर, लक्ष्मीपुरा थाने बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मान्यवर, सितम्बर, 1986 में मेरठ में एक बैठक हुयी थी। यह तय हुआ था कि नेशनल कैपिटल रीजन में आने के कारण मेरठ की पुलिस को दिल्ली के पैटर्न पर बनाना चाहिये। यह प्रस्ताव बनाकर शासन को 29 सितम्बर, 1986 को भेजा गया था जिसमें मेरठ के लिये 31 जीपें, 73 मोटरसाइकिलें, 90 मोबाइल्स वायरलेस सेट तथा फोर्स में 10 निरीक्षक, 73 उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक 67, हेड कांस्टेबिल 422, कांस्टेबिल 1576, ड्राइवर 45 मांगे गये थे। मेरठ को जो मौजूदा सिविल फोर्स है उसके स्वीकृति के मुकाबले 4 इंसपेक्टर कम हैं 72 उप निरीक्षक कम है, 107 हेड कांस्टेबिल कम हैं, 402 कांस्टेबिल कम हैं। इतनी कमी फोर्स में है और सरकार मेरठ की कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करती है। मेरठ में 4 महीनों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आयी है। मेरठ में सिटी कंट्रोल रूम की व्यवस्था का प्रावधान है। इसको पुराने पुलिस बल संख्या के आधार पर चलाया जा रहा है।

मेरा निवेदन है कि गृह विभाग के बजट का जब विचार विस्तार से करें तो मेरठ के लिये सिटी कंट्रोल रूम की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिये अलग से व्यवस्था करें। उसके लिए अलग से मेरठ में 40 उप निरीक्षकों, 40 हेड कांस्टेबिलों, 150 कांस्टेबिलों, 29 ड्राइवरों 10 गाड़ियों 8 वायरलेस सेटों तथा 13 मेटल डिटेक्टरों

की आवश्यकता है । मेरठ की संवेदनशीलता को देखते हुये यह व्यवस्था करने की कृपा करें । एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रदेश में लावारिश लाशों के संस्कार के लिये आज 16 रुपये दिये जाते हैं । क्या 16 रुपये में किसी लाश का अंतिम संस्कार किया जा सकता है । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के कर्मचारियों के वेतन और आवास की व्यवस्था सुधारने के लिए बात कही थी, माध्यवर, मेरठ को पुलिस के आवास के लिए 5 लाख 4 हजार रु0 की तत्काल आवश्यकता है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों में सब-इन्सपेक्टर को होम रेंज में नियुक्त न करने का जो नियम है, उसको संशोधित कर होम डिस्ट्रिक्ट पर प्रतिबन्धित किया जाय । क्योंकि सी0 ओ0 तथा एस0 पी0 पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

*श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

माध्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस कुशलता से इस विभाग को सम्भाला है उसी का नतीजा है कि जो पुलिस के लूट के अड्डे बने हुए थे, वह लूट समाप्त हो गयी । इसके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पुलिस के दो काम हैं, एक तो काम शान्ति व्यवस्था बनाये रखना और दूसरा काम है इन्वेस्टीगेशन करना । ये दोनों अलग-अलग काम हैं, लेकिन होता यह है कि एक दरोगा रिपोर्ट कर रहा है और उसी का साथी इन्वेस्टीगेशन कर रहा है, इससे सही तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं । पुलिस विभाग को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक तो इन्वेस्टीगेशन करे और दूसरा शान्ति-व्यवस्था स्थापित करे । इन दोनों विभागों के लोग एक दूसरे विभाग में स्थानान्तरित होते रहें, लेकिन इनके काम अलग-अलग हों । दूसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक थाने का क्षेत्र काफी बड़ा होता है जो भी घटना होती है, इसकी सूचना देर से पहुंचती है तथा स्थिति नियंत्रण में भी समय लगता है ।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्रत्येक थानों में कम से कम 4 चौकियां बना दी जायं, जिसमें एक सब-इन्सपेक्टर और 6 सिपाही हों । इससे काफी शान्ति व्यवस्था में सुधार हो जायगा । मैं फौजदारी का वकील हूं, जिसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आप पिछले सालों का रिकार्ड देख लें कि जिन गांवों में डकैतियां पड़ी हैं, उनमें से अधिकांश गांवों में लाइसेंस होल्डर नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सही लोगों को असलहे के लाइसेंस देंगे, तो वहां डकैती पड़ने की सम्भावना कम हो जायेगी । इसके अलावा मैं और सुझाव देना चाहूंगा । जो भ्रष्टाचार की शिकायत पुलिस की होती है, उसकी जांच उसी विभाग का अधिकारी करता है, इसलिए सही जांच नहीं हो पाती है । जैसे कोआपरेटिव की जांच के लिए कोआपरेटिव सेल बनाया गया है, मेरा सुझाव है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के लिए अलग से सेल बनाया जाय । तीसरा सुझाव मेरा यह है कि सिपाहियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाय और उनके आवास की व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत अच्छा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्षता महोदय, आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । माध्यवर, आज जो मेरा सदन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने गृह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभाग के बजट पर विचार व्यक्त किये उन विचारों से तो प्रदेश की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, प्रदेश के अन्य प्रशासनिक सुधार के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुझाव तो नहीं सुनने को मिले लेकिन इतना तो जरूर सुनने को मिला कि इनका भाषण राजनीतिक था। इनको सीधा प्रदेश को सुधारने के लिए नहीं था। वह जिस प्रक्रिया से चल रहे हैं, वह इस प्रकार से चल रहे हैं जिससे कि वोट देने वाली जनता को वोट देने के लिए खुश करते रहें। कोई सच्चाई या ईमानदारी से चले ऐसी बात नजर नहीं आई। यह तो खाली वायदे और खाली घोषणाएं हैं जिनमें उनको एक बार अवसर मिला और उसी के आधार पर उन्होंने देश की जनता को महंगाई दिया, अपराधों की भयंकर बाढ़ आई मान्यवर, अगर देखा जाय तो इस समय थानों में जितने साल भर में अपराध नहीं हुए हैं प्रदेश के जिलों में उससे ज्यादा इन दो महीनों में अपराध हुए हैं। मान्यवर, जहां तक खुली सरकार की बात करते हैं तो खुली सरकार में स्थानान्तरण करके अच्छे अधिकारियों को प्रताड़ित करके भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, खुली सरकार की बात जिस तरह से कही गयी है उसी तरह से अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी थे, मैं सबूत के साथ कह सकता हूं कि उनको अच्छे पदों पर पदोन्नति दे दी गयी है और उनको अच्छे कार्यों पर प्रस्थापित किया गया है, यह है आपकी खुली सरकार।

मान्यवर, जहां तक पुलिस की बात है, आज पुलिस विभाग हमारा ऐसा है कि अपराध को तो रोक नहीं पाया है और बड़े-बड़े जितने अपराधी हैं उनसे इसके दरोगा, सिपाही और वरिष्ठ अधिकारी डरते हैं और कमजोर बेगुनाह लोगों के लिए यह बड़े भयंकर साबित होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति इसलिए आई है कि आज अगर किसी अपराधी को ये पकड़ भी पाते हैं और मुकदमा कायम करते हैं तो इनको गवाह नहीं मिलते और वह इसलिए नहीं मिलते हैं कि इनको विश्वास नहीं है। मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी तो चले गये। इन्होंने एक पैसा भी कहीं विकास पर 7 महीनों में नहीं लगाया और विकास के नाम पर प्रदेश की जनता का धन विकास की गोष्ठी बनाम चुनाव की गोष्ठी में लगा दिया, यह इनका एक कारनामा है। दूसरे जहां तक पुलिस की स्थिति की बात है। मैं इससे सहमत हूं कि बड़े-बड़े अधिकारी की तो संख्या बढ़ाई जा रही है, उनकी सुविधा बढ़ाई जा रही है लेकिन छोटे पुलिस कर्मचारियों को न तो सुविधा बढ़ाई गयी है न व्यवस्था ठीक की गयी है, उनकी परेशानी है।

मान्यवर, आज भी यह हालत है कि छोटे कर्मचारियों को अपने ही विभाग में रिश्वत देनी पड़ती है। अगर किसी सिपाही का स्थानान्तरण हो जाय तो बिना रिश्वत दिये बाबू उनकी फाइल दूसरी जगह नहीं भेजता है, उसका रिकार्ड नहीं उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह से पुलिस विभाग में कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए। तब तक अपराध नहीं रुकेंगे जब तक हम प्रदेश की जनता का विश्वास में नहीं लेंगे। मान्यवर, इनके प्रशासन की बात कहता हूं। इनके फतेहपुर जनपद में जहां के प्रधान मन्त्री [× × ×] हैं। मान्यवर, अधिकारी उनको डेढ़ वर्ष का किशन नाम का लड़का देते हैं और वह इसको गोद में लेकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के ऊपर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा कैसे इसकी शादी होगी, कांग्रेस वालों ने इसकी चरित्र हत्या की है। मैं कहता हूं कि राम किशन नाम के लड़के को लड़की कहकर कैसा वह परिवर्तित हो जाते हैं या तो अधिकारियों ने गलत बता दिया या तो स्वयं झूठ बोलकर इस प्रकार का भाषण करने लगे तो यह इनका एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके

नोट--[×××] यह अंश की अध्यक्षता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

नाम पर आज प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल गिरा है और अधिकारी और कर्मचारी आतंकित हुई है। और श्रेष्ठ अधिकारी आज भी अपनी जगह मगरमच्छ बने पड़े हैं। जहां तक अपराध की बात है, अपराध को यह सरकार संरक्षण दे रही है, इसलिये अपराध घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी के साथ-साथ में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देता हूं और माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री सोमपाल शास्त्री--

माननीय अध्यक्षा महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह अंश विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, गृह विभाग एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रदेश की जनता इससे पूरी तरह से जुड़ी रहती है। प्रदेश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा का भार इसी गृह विभाग के ऊपर है। श्रीमन्, इसी कारण से आज सत्ता में हम हैं, कोई भी पार्टी हो, उसका नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा करें। श्रीमन्, जनता दल की सरकार को आठ महीने हो गये हैं। दो सौ साल पुरानी व्यवस्था, 30 साल पुरानी समस्त सड़ी गली व्यवस्था का 8 महीने के अन्दर पुलिस प्रशासन या जनता दल द्वारा हल कर दिया जाय, ऐसी आदू की छड़ी जनता दल के पास नहीं है। लेकिन, इसके बावजूद मानना पड़ेगा कि साम्प्रदायिक दंगे, डकैती, लूट, चोरी आदि में कमी आयी है। आंकड़े चाहे जो हों, लेकिन जनता का पूर्णरूप से विश्वास बढ़ा है और माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी निश्चित रूप से इस प्रदेश में जनता का भार वहन करेंगे श्रीमन्, सबसे बड़ी व्यवस्था की कमी यह है कि आज समस्या यह है कि पुलिस के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उसके पहले राजनीतिक हस्तक्षेप, असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप हैं।

मेरा सुझाव है कि चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के, हमको निश्चित रूप से मानकर चलना पड़ेगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है और पुलिस के हर काम में हम हस्तक्षेप करते हैं। मेरा सुझाव है कि पुलिस के काम को पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता प्रदान करनी होगी और इसके लिये हमें कई ऐसे कार्य करने होंगे जिसमें हम स्थिति पर नियंत्रण कर सकें। पुलिस के लिये एक आयोग का गठन करें उसमें पुलिस पर उस आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण तो हो लेकिन किसी तरह का उसके कार्य में हस्तक्षेप न हो। जब पुलिस को फ्री कर देंगे तो कोई भी शासन में हों, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पुलिस से राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त नहीं किया जाएगा तो वह कोई काम नहीं कर पायेगी। श्रीमन्, असामाजिक तत्वों के पास आटोमेटिक हथियार हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पुलिस को वायरलेस, आटोमोबाइल गाड़ियां, शस्त्र आदि दिये हैं जिससे कि अपराधियों को मुकाबला पुलिस कर सकेगी। बजट में इसके प्रावधान के लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई देता। मेरा सुझाव है कि पुलिस विभाग में जो सतर्कता विभाग है सी० बी० सी० आई० डी०, एस० आई० यू०, आदि हैं, इनके लिये सुझाव है कि इनका कैडर अलग कर दें। सिविल पुलिस के लोगों को इनमें भेजते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रताड़ना के लिये भेजा है। इन विभागों को अलग कर दें तो इन विभागों में काम करने वाले स्वतन्त्र रूप से काम करेंगे। इनमें सर्विस रूल्स भी अलग बना दें, ताकि ये यहां पर स्वतन्त्र रूप से काम कर सकें। अन्त में कहना चाहूंगा कि आज कुछ ऐसी व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने की जरूरत है कि जो पुलिस और जनता के बीच में विश्वास खत्म होता जा रहा है, इसके लिये ऐसा करना होगा कि विश्वास फिर से पैदा हो और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास आवे और जनता का विश्वास पुलिस में बढ़ सके।

*श्री मोहम्मद आजमी—

माननीय, आपके माध्यम से कहना यह है आजमगढ़, लोहार गांव, सुबारकपुर में घटना हुई 4 तारीख को बकरीद के मौके पर। उसके पहले भी मैं माननीय मुख्य मंत्री को 5-6 एप्लीकेशन दिया वहां के दो सौ घर मुसलमान लोहार गांव में इस साल ईद को समाज अदा नहीं कर पाये, वह तीन रोजा रखने के बाद ईद की नमाज वहां के मुसलमान अदा नहीं कर पाये, ईद की कोई खुशी वह नहीं मना पाये। इसलिये माननीय, मैं बार-बार माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता रहा था कि वहां का तनाव बढ़ा हुआ है, 6 महीने से तनाव बढ़ा है मैंने आग्रह किया था कि माननीय आप वहां जिला प्रशासन को आदेश दें कि आने वाली चार जुलाई को बकरीद के त्योहार पर उस जगह कड़ी से कड़ी व्यवस्था कर दी जाय ताकि वहां साम्प्रदायिक दंगा होने से बच जाय। लेकिन वहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया लेकिन जिला प्रशासन के लोगों ने लापरवाही की और उस जगह को चार जुलाई को लोहार गांव में आखिरकार वहां दंगा हो ही गया और वहां के मुसलमानों को लूट लिया गया। इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री को एप्लीकेशन वह दिये हुए हूं और सूचना भी दी है। वह लिस्ट मैंने दिया है उस जगह 2 लाख 94 हजार और कुछ सौ रु0 का सामान जो लूटा गया है माननीय वह लिस्ट अभी मुख्य मंत्री जी को दिये हुए हूं और इस तरह से वहां पर स्थिति है आज भी वहां काफी लोग भयभीत हैं घर छोड़कर भागे हुए हैं वहां औरतें, बच्चे वहीं घर पर हैं कोई वहां पर मर्द मौजूद नहीं है माननीय मुख्य मंत्री ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी लेकिन जिला आजमगढ़ के जिलाधीश और वहां के एडीशनल एस0 पी0 यह दोनों अधिकारियों की लापरवाही से वहां पर यह हुआ यह घटना घटी वहां के मुसलमान लूटे गये। मैं यह कहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि तत्काल जिलाधीश महोदय को और वहां के एडीशनल एस0 पी0 को निलम्बित किया जाय और उस जगह की जांच करायी जाय उस जगह जो सामान लूटा गया है उसको तत्काल दिलाया जाय। पूरी कार्यवाही हो ताकि लोग वहां सुरक्षित महसूस कर सकें। एक मिनट और कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी ने जो यह लाइसेन्स खोला है, वह सिर्फ पेपर में खुला है, यह डी0 ओ0 किसी डी0 एम0 के यहां नहीं पहुंचा है, जो लाइसेन्स है बन्दूक का वह खोल दिया जाय इससे हत्यायें और जो डकैतियां होती हैं उस पर रोक लगेगी। इसलिये इस लाइसेन्स को जल्द से जल्द खोला जाय ताकि लोग बन्दूक का लाइसेंस लेकर के अपनी सुरक्षा कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पुलिस व सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

(व्यवधान)

श्री रामकरन आर्य—

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह कहा गया था कि आज नये माननीय सदस्यों को ज्यादा समय दिया जायेगा, यह विशेष महत्व का बजट है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय द्विवेदी जी भी नये सदस्य हैं ।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी--

माननवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री मूल चन्द--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह तय किया गया था पीठ से यह निर्णय है कि माननीय नये सदस्यों को ही मौका दिया जायेगा । अगर ऐसा है तो आप पुराने सदस्यों को आप निर्देशित करें कि वहां से चले जायें ।

श्री अधिष्ठाता--

यह सुझाव था कि इस बात का ध्यान रहे कि माननीय नये सदस्यों को भी समय दिया जाय और उसमें माननीय द्विवेदी जी बोल रहे हैं ।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी--

इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चुस्त और दुरुस्त प्रशासन देने की घोषणा की है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं । मान्यवर आज प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती जो है, वह साम्प्रदायिकता और आतंकवाद के सिलसिले में है । इस साम्प्रदायिकता से जो दंगे की शक्ल पैदा होती थी, उसको रोकने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि पूरे माननीय सदन को इस घोषणा का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करना चाहिये । आज पुलिस बल के आधुनिकीकरण की जरूरत है, क्योंकि नये-नये तरीकों से अपराध हो रहे हैं और इन नये तरीकों से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए । मैं जिला फैजाबाद अयोध्या जिले से आता हूं, वहां आज राम जन्म भूमि बाबरी मिस्जद का विवाद है और सारी दुनिया का ध्यान आज उस ओर केन्द्रित है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे फैजाबाद में इस विवाद को देखते हुए एक अलग से ए0 एस0 पी0 की व्यवस्था समुचित बलबल के साथ किये जाने की जरुरत है, ऐसा हम महसूस करते हैं । आज प्रदेश में जो थाने और चौकियां हैं, उन पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं है । पुलिस की संख्या नगण्य है और जिस तरीके से आज संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि थानों और पुलिस चौकियों पर पर्याप्त पुलिस बल का इन्तजाम किया जाना चाहिए ।

आज हमारे उप नेता विरोधी दल ने जो बात यहां पर रखी है कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, बलात्कार की घटनायें बढ़ी हैं, हरिजनों का उत्पीड़न बढ़ा है, मैं बड़े अदब और लिहाज के साथ कहना चाहता हूं कि जब से इस प्रदेश में जनता दल की सरकार आई है, अपराधों में निश्चित रूप से कमी आई है, तथा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है । जो साम्प्रदायिक ताकतें सिर उठा रही थीं, उनको इधर सामने बैठे लोगों ने बढ़ावा दिया, इन लोगों ने विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दिया । आज हमारे प्रदेश के अन्दर माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, महानुभ

मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद उन साम्प्रदायिक ताकतों, आतंकवादी ताकतों का सिर नीचा हो गया है; जो अपना सिर ऊपर उठा रही थीं। आज पूरे प्रदेश के अन्दर महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न नहीं है। केवल कांग्रेस राज के चलते हरिजनों के साथ उत्पीड़न बढ़ा, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बढ़ा। मैं इस सम्बन्ध में मेरठ मलियाना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कानपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यह सब इन लोगों का ही किया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और अभिनन्दन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(समय 4 बज कर 20 मिनट)

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने हमको गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज नेता सदन ने शान्ति व्यवस्था और पुलिस के बारे में बहुत प्रकाश डाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है, पुलिस का उत्पीड़न हर ओर बढ़ा है, इसका जीता जागता उदाहरण फैजाबाद जनपद में थाना राजे सुल्तानपुर, ग्राम टडवा जलाल है, जहां 28 अई, 1990 को रात को लगभग 11 बजे एक बदमाश को पकड़ कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस उसको थाने ले गई और वहां पर पुलिस ने इतना मारा कि वह थाने में ही मर गया। उस पुलिस ने गांव की निरीह जनता और प्रधान समेत, 14 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 का अभियोग दर्ज किया। पुलिस वहां पहुंचकर प्रधान से कहती है कि आप थाने चलिए, आपको रिपोर्ट लिखी जाएगी। 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां के पुलिस अधीक्षक को भी इस सम्बन्ध में लिखकर दिया, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनता ने रोष में आकर रास्ता जाम कर दिया तो क्षेत्राधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में वहां पर मौजूद जनता से कहा कि आदमी मरा था, इसलिए उसमें पुलिस चाहे अपने गले पर फंदा डालती या फिर आप लोगों के गले में फंदा डालती और आप लोगों के गले में उसने फंदा डाल दिया।

मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि आप इसको सी0 आई0 डी0 से जांच करवा लें, किन्तु उसकी सी0 आई0 डी0 से जांच नहीं कराई गई, बल्कि पुलिस और उस थाने के कर्मियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम कैसे शान्ति व्यवस्था की बात इस प्रदेश में कर सकते हैं इस सरकार से। मेरी मांग है कि इस प्रकरण पर सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जाय और जो पुलिस कर्मी दोषी पाये जांय, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जाय।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अपराध ज्यादा कहां बढ़े हैं, जहां थाने नहीं हैं और पुलिस चौकियां नहीं है, वहां क्या आपने पुलिस चौकियों की स्थापना कर दी है। मान्यवर, मैं मिलकीपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि जो हैलिप्टनगंज इलाका है, जहां पर पी0 ए0 सी0 है किन्तु उच्च स्तर पर आज भी वहां थाना नहीं है। मैंने इस सदन में क्षेत्रेक्षन भी किया था तो उत्तर जवाब दिया गया था कि वहां पर थाना खोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा मांग है कि यहां पर थाना स्थापित किया जाय। देवगांव व खण्डासा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ये दोनों जगहें बाराबंकी और सुल्तानपुर की सरहद पर पड़ती हैं। इन दोनों

जगहों पर पुलिस चौकी की मांग करता हूं । जहां थाने पर पुलिस चौकियां हैं, वहां पर पुलिस नहीं है और दरोगा नहीं है । हमारे जनपद में यही हालत है । इसलिए मेरी मांग है कि जिन थानों व पुलिस चौकियों पर पुलिस कर्मी नहीं हैं, वहां पर पुलिस कर्मी तैनात किए जांय । आज देहातों में खलिहानों में आग लग जाती है, किन्तु फायर ब्रिगेड जिला मुख्यालय पर होता है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में एक फायर ब्रिगेड सर्विस कायम की जाय ताकि जो देहातों में आग लगती है, उसे रोका जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री धनी राम वर्मा जी का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री जागेश्वर बिना अनुमति के बोलने के लिए खड़े हो गये ।)

श्री जागेश्वर—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

श्री जागेश्वर जी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इसलिए वह नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री जागेश्वर बिना अनुमति के बोलते रहे जो कि घोर व्यवधान होने के कारण सदन में नहीं आया)

श्री अधिष्ठाता—

कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, आप बैठें ।

(श्री जागेश्वर बिना अनुमति अध्यक्ष पीठ की अवज्ञा करके लगातार बोलते रहे जो जिससे कि घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया । इस बीच श्री अधिष्ठाता द्वारा लगातार उनसे बैठ जाने के लिए अनुरोध किया जाता रहा ।)

कुछ भी कार्यवाही में नहीं लिखा जा रहा है, आप बैठें ।

(श्री जागेश्वर द्वारा अपना स्थान ग्रहण कर लेने के बाद)

मैंने श्री धनी राम वर्मा को बोलने के लिए बुलाया था ।

(जैसे ही श्री धनीराम वर्मा बोलने के लिए खड़े हुए वैसे ही विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्य खड़े होकर इस आधार पर बोलने के लिए अनुमति मांगने लगे कि श्री जागेश्वर (सत्ता पक्ष) के बोलने के बाद विपक्ष के सदस्य का नम्बर आता है ।)

श्री जागेश्वर का बिना अनुमति बोला हुआ भाषण कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । मैंने श्री धनीराम वर्मा को पहले ही बुला लिया था ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने के लिए अनुमति मांगने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

सांख्य प्रशासन पर चर्चा कल भी चलेगी । जिनको आज समय नहीं मिल पाया है, कल मिलेगा । आप लोग बैठें ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री बनोराम वर्मा--

माननीय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से सारे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करके पिछली सरकार का जो सामूहिक हत्याओं और साम्प्रदायिक दंगों का युग था, उसे समाप्त कर दिया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

लेकिन इसके साथ ही साथ....

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय नेता सदन बोलते हैं तो उसका जवाब माननीय नेता विरोधी दल देते हैं और जब माननीय नेता विरोधी दल बोलते हैं तो उसका उत्तर माननीय नेता सदन देते हैं। हमारी तरफ से अभी चाचा जी बोले, यदि उनकी तरफ भी उनका उत्तर देने वाला कोई हो तो वह खड़ा हो, यदि नहीं है तो फिर चुप हो कर बैठें, क्यों दूसरे को बोलने नहीं देते हैं?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बनोराम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा।

एक सदस्य--

माननीय, माननीय सदस्य श्री वर्मा जी का समय इन लोगों ने बहुत नष्ट कर दिया है, इनको और समय दीजियेगा।

श्री बनी राम वर्मा--

माननीय, मैं केवल सुझाव देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अभी हमारे माननीय सदस्य--

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी, आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री बनीराम वर्मा--

माननीय, जब सबके लिए पांच मिनट का समय है तो फिर हमारे लिए एक मिनट का कैसे? हमको भी आप पांच ही मिनट का समय दें। जो माननीय सदस्य ने कहा कि अपराध में वृद्धि हुई है। सत्य बात तो यह है कि अपराध में वृद्धि नहीं हुई है। पिछली सरकार के समय में रिपोर्ट नहीं लिखा जाती थी। अब हमारे मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिये हैं कि हर एक व्यक्ति की रिपोर्ट लाज की जाय। माननीय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एस० डी० एम० जो भी स्टे के आर्डर देता है, वह पुलिस वाले में भी आता है लेकिन वह आर्डर उस व्यक्ति को भी दिया जाना चाहिये जो कि स्टे लेने प्रार्थना देता है।

इसी तरह से जो चौकियां बनायी गयी हैं, उन चौकियों पर इमारत नहीं है जहां पुलिस कर्मियों के रहने व ठहरने की व्यवस्था हो। हरबलपुर में चौकी नहीं है। इसी के साथ ही साथ वह भी मांग करता हूं कि वहां पर सड़कें बनायी जाय नदियों पर पुल बनाये जायं जिससे डकैतियों पर रोक लगाने में मदद मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

अब जो माननीय वर्मा जी बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री धनीराम वर्मा--

इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देना है, खुली सरकार है, खुली वार्ता हम करेंगे ।

श्री धनी राम वर्मा--

हाँ, कहा है तो क्या आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे बीच-बीच में इसी तरह से टोका-टाकी करेंगे । जब मैं बोल रहा था तो आप लोगों ने बहुत व्यवधान पैदा किया था, अब मैं भी करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय धनीराम वर्मा, कृपया आप बैठ जायं ।

श्री धनीराम वर्मा--

कैसे बैठ जायं । जब ये लोग टोका-टिप्पणी कर रहे थे तब आपने इनको क्यों नहीं बैठाया था ? यह बिल्कुल असत्य कह रहें हैं झूठ के आधार पर आप बात कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजस्व मन्त्री, कृपया आप अपने सदस्यों को शान्त करें ।

(व्यवधान)

*श्री शिव प्रताप शुक्ल--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वच्छ प्रशासन की बात कही है । इनका प्रशासन कितना स्वच्छ है, उसके दो चार उदाहरण मैं देना चाहता हूं । गोरखपुर में एफ० आई० आर० दर्ज नहीं होता है । अभी कल ही जब मैंने एस० एस० पी० से शिकायत की तो रिपोर्ट दर्ज की गयी । मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि सी० आई० डी० की इनक्वायरी की जरूरत हम नहीं समझते हैं । गोरखपुर में जनता दल के एक व्यक्ति ने बे लाइट में मर्डर किया, लेकिन उसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराने के लिये आदेश दे दिये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सुझाव दें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

माननीय, इतना ही नहीं चिलवाताल थाने के ठीक पीछे बम बनाने का कारखाना मिला । बम बनाते समय उसमें विस्फोट हुआ और उसमें एक आदमी मर गया और एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदमी पकड़ा गया, उसने बयान दिया कि वह बम भीम प्रकाश, विधायक की हत्या के लिये बनाया जा रहा था। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने अंजनगढ़ की चर्चा की। लोहरा गांव में पशुबध हुआ था, उसके सन्दर्भ में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने 5 तारीख को एक कमेटी बनायी थी, कि वह कमेटी लोहरा गांव जायेगी और तथ्यों का पता लगायेगी। जब प्रतिनिधि मण्डल वहां पहुंचा तो उसे उस गांव में जाने नहीं दिया गया और पुलिस के लोगों ने उस पर बन्दूकें तान लीं और जब मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब यही है। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी जांच की जाती हैं और उस जांच की रिपोर्ट में 10-10 साल लग जाते हैं, तो इसके लिए और लंबा बनाया जाये, जिससे समय से रिपोर्ट मिल सके। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जब पहले 5 महानगर थे, उनमें पुलिस और जनता के लोगों की एक कोआर-डीनेशन कमेटी होती थी, लेकिन जो गोरखपुर और मेरठ नये महानगर बनाये गये हैं, वहां पर वह कमेटी नहीं बनायी गयी है जिससे बड़ी असुविधा हो रही है, इसको नये महानगरों में भी बनाया जाये। जो पुलिस अधिकारी इनके हित की बात नहीं करते हैं उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। मान्यवर, अभी गोरखपुर में पी० ए० सी० में भर्ती हुयी है, 186 लोगों में 72 यादवों को लिया गया है। केवल यादव यादव की भर्ती हुयी है।

(व्यवधान)

विधान सभा में मेरी चुनौती है कि आप उसका पता करें और उस भर्ती को समाप्त करें। उसको रद्द किया जाये और दूसरी भर्ती की जाये।

श्री राज मणि पाण्डे—

माननीय अध्यक्षा महोदय, आपने जो मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोल रहा हूं। मान्यवर, इस बजट से एक अच्छी अवस्था देने का प्रयास किया गया है। मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, सदन में पुलिस के कार्यों की बड़ी चर्चा हो गयी है। यह जो पुलिस का काम रोजमर्रा के चलन, सकाम, नाली और सड़कों के विवाद को समाप्त करने का होता है और जो परगनाधिकारी होते हैं जिलों के, उनके पास जब कोई आदमी जाता है और दरख्वास्त देता है तो वे तुरन्त एस० ओ० को लिख देते हैं कि मौके पर जाकर विवाद का निस्तारण करें। मान्यवर, व्यवस्था यह होनी चाहिये कि परगनाधिकारी ऐसे मामलों में आदेश करे कि एस० डी० एम० यह लिखे कि उनके साथ कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा कानूनगो मौके पर जाकर मामले का निस्तारण करे। उनके सामने जमीन की पैमाइश हो और पुलिस के लोग शान्ति व्यवस्था कायम करके निस्तारण करें। इस तरह से गांवों के अपराधों और झगड़ों का निस्तारण किया जा सकता है। यह एक अहम सवाल है। सरकार इस पर ध्यान दे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अभी जैसे सामान्य प्रशासन पर चर्चा चल रही है। मैं जब विधान सभा की कार्यवाही के बाद रायल होटल में जाता हूं तो देखता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने बड़े अधिकारी हैं, जितने सचिव हैं या जितने भी सरकारी अफसर हैं उनको जो उत्तर प्रदेश शासन की, सरकार की गाड़ियां मिली हुयी हैं वह रात के 12/1 बजे तक अपने बच्चों को, औरतों को और परिवार के लोगों को बिठाकर घुमाते रहते हैं। ड्राइवर इन सरकारी गाड़ियों को लेकर घूमा करते हैं। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और माननीय प्रशासन के नाम पर एक होवा या बवाल ये अधिकारी खड़ा कर रहे हैं। इसका भी निदान किया जाना चाहिये।

आदरणीय चौधरी चरण सिंह का नाम इस सदन में लिया जा रहा है । जब आदरणीय चौधरी चरण सिंह इस सूबे से मुख्य मन्त्री थे तो सचिवों एवं अन्य अधिकारियों की सारी गाड़ियां 5 बजे शाम को अपने स्थान सचिवालय पर आ जाया करती थीं । इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग का फिजूल खर्ची किया जाना चाहिये । इस पर आप रोक लगायें ।

माननीय, एक सुझाव और देना चाहता हूं । मैं बस्ती जिले के जिस चुनाव क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां पर मुंडेरवा एक थाना है । वहां पिछली 26 जून, को अखिल कुमार सिंह नामक व्यक्ति को पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा कि वहां थाने पर मर गया । उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था । आज पुलिस बेलगाम हो गयी है और निर्दोष लोगों को अपराधों में फंसाकर उनको मारने का काम कर रही है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस बेलगामी पुलिस की हरकतों को दूर करने के लिये सख्त से सख्त कानून बनाये जायं ।

अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । हमारे सूबे में एक बड़ी समस्या यह है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वह दिन में और शाम को 6 बजे के बाद शराब पीकर थानों में बैठते हैं और जब चेकिंग पर जाते हैं तो शराब पीकर जाते हैं, नशे में जाते हैं । जनता से दुर्व्यवहार करते हैं । इसलिये इस तरह की हिदायत होनी चाहिये कि कोई भी पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी दिन में या शाम को 6 बजे के बाद सड़कों पर शराब पीकर नशे में न जाया करे और न शराब पीकर थानों में बैठें । इसीलिये आज अपराधों में नियन्त्रण नहीं हो पाया है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री असगर—

अविष्ठाता जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसके सम्बन्ध में पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आज भी जो सिपाहियों को तनख्वाह है, उनको जो सुविधायें और रहने को जगह दी जाती है वह कम है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि राहत जरूर है लेकिन आज थानों पर मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं और मुकदमे लिखने के बाद दफायें चेंज की जा रही हैं । यह तो दबाव लेकर की जा रही हैं या किसी सत्ता पक्ष के बड़े नेता के दबाव में की जा रही हैं । माननीय, अभी 9 जून, 1990 की रात को हाफिज के घर जो थाना कुबेर, ग्राम पतरौली बाजार में 5–6 सौ लोग फरसा और भाला लेकर पहुंच गये और उसके दरवाजे तोड़ दिये और 25 बोरी गेहूं, जो 25 कुन्टल के लगभग था एवं बुलेट मोटर साईकिल जिसका नं0 यू0पी0श्यू0 9189 और मशीन को तोड़ कर चले गये जिसकी जांच वहां के डिप्टी एस0 पी0 और थानेदार ने की उस वक्त उन्होंने कहा कि ऐसी घटना बहुत शर्मनाक है हमें इसपर और कुछ नहीं कहना है और डकैती का मुकदमा लिखा गया लेकिन दूसरे दिन सरकार के आदमी रैदवी में गये और उसकी दफायें बदल दी गई । मैं राय देना चाहता हूं कि सरकार की छवि सरकार के नजदीक रहने वाले लोग धूमिल कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में मुख्य मन्त्री जी का नाम बेचा जा रहा है । उनका नाम लेकर पुलिस डिपार्टमेन्ट में दबाव डालकर डकैतियां डाली जा रही हैं और फिरकापरस्ती फैलाई जा रही है । यह काम मुख्य मन्त्री जी के अपने ही लोग कर रहे हैं इस पर रोक लगानी पड़ेगी वर्ना मुझे कहना पड़ेगा कि यह काम मुख्य मन्त्री जी के हृदय से हो रहा है । आज प्रचार किया जा रहा है कि मुख्य मन्त्री जी हमारे बहुत नजदीकी हैं ।

आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, इंजीनियर, सूनियर इंजीनियर सब के सब अपनी गोटी बैठाये हैं ।

श्री अविष्कार—

अब आप समाप्त करें ।

श्री असगर—

हम लोगों के कहने पर एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है । मेरी राय है कि जिस क्षेत्र का मामला हो वहां के विधायक की उसमें राय ली जानी चाहिये ।

श्री मुक्तिनाथ यादव—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया है उस पर बोलने का मौका दिया । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का जो बजट प्रस्तुत किया है वह पिछले 42 सालों में जो पुरानी सरकार उस सरकार की दुर्नीतियां थी और जो प्रशासन में बुराईयां आगयी थी उनको करने का प्रयास किया है । मैं कहना चाहता हूं कि जो उप-नेता विरोधी दल ने सारहीन प्रलाप किया मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सरकार चारों की नहीं नीतियों की सरकार है यह नीतियों की बदौलत जनता को पूरा सहयोग और ऊपर उठाने का काम कर रही है । पिछली सरकार का सामान्य प्रशासन तो कोई था ही नहीं बल्कि उसमें राजनीतिक तौर पर पूरा दखल था लेकिन वर्तमान शासन में उसको पूरी तरह से रोका है, मैं कहना चाहता हूं कि उपनेता, विरोधी दल ने अनर्गल भाषण दिया है । और आजादी के 42 साल बाद भी पिछली सरकार का पुलिस का जो उपेक्षित तबका था उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया था । जिसे कान्स्टेबल कहते हैं । न कोई सेवा शर्तें हैं और न कोई सुविधा है और आज भी उनको नाम मात्र वेतन 700 रुपये से भी कम मिलता है । इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये । माननीय, पिछली सरकार ने जो जिला बार्डर पर दरोगा और सिपाही पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जबकि एस० पी० जिला बार्डर पर रह सकता है तो छोटे कर्मचारी सिपाही और दरोगा क्यों नहीं रह सकते हैं ? इसलिए इसे और ध्यान दिया जाये । थानों में पुलिस बल की कमी है इसलिये, भर्ती करके पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाये । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव को विरोध करता हूं ।

श्री किशोरी श्याम—

माननीय, आपने बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय, मुख्य मन्त्री जी ने यहां दो बातें कही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी बड़े समाजवादी बनते हैं जबकि सोशलिस्ट पहले तो सब खा गये और अब निकल आये हैं । समाजवाद का सिद्धान्त था, डा० लोहिया जी के सिद्धान्त को आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि, वह कहते थे कि मुंशी, पटवारी और पुलिस-फौज के सिपाहियों को 150 से कम नहीं तनख्वाह हर एक भाई को । उस समय का 150 रुपये के बराबर है इसलिए 3 हजार रुपये देना चाहिये । लेकिन आज सिपाही को क्या वेतन मिल रहा है, वह भूखा है ? थानेदार और एस० पी० सारा माल खा रहे हैं । और आप कह रहे हैं कि हम व्यवस्था में परिवर्तन कर देंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन होना कठिन है ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन यह करना है कि राम जन्म भूमि के सम्बन्ध में आचार्य शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया लेकिन राम जन्म भूमि बनकर रहेगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जायें।

श्री किशोरी श्याम—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने हिन्दी को अनिवार्य किया यह उन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं लेकिन आप देखें कि जब यह हिन्दी को ला सकते हैं तो राम जन्म भूमि पर मन्दिर हम क्यों नहीं बना सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री किशोरी श्याम—

इसलिए अब हम राम जन्म भूमि पर अपने राम का मन्दिर बनाकर रहेंगे, तभी मुलायम सिंह जी को पता चलेगा जब 31 अक्तूबर आयेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

किशोरी श्याम जी अब आप बैठ जाइये।

श्री किशोरी श्याम—

आपसे निवेदन है और इस सरकार से भी कि सारे प्रदेश और देश के लोग यहां राम का मन्दिर बनाना चाहते हैं, सिर्फ मुलायम सिंह जी नहीं चाहते हैं,

(व्यवधान)

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर चर्चा कल भी जारी रहेगी। पांच बज गये हैं, अब हम अगली मद लेते हैं।

जनपद आजमगढ़ को नया मण्डल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री पंचाननराय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद आजमगढ़ को नया मण्डल बनाया जाय। भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से....

वित्त विकास राजस्व मंत्री (श्री राम शरण)—

पंचानन राय जी जिस विषय पर बोलना चाहते हैं, उस पर एक व्यवस्था के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री पंचानन राय—

चर्चा में व्यवस्था नहीं होती है । मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण—

मैं एक निवेदन कर लूं आपसे । इसकी चर्चा आवश्यक इसलिए नहीं है कि 30 जून, 1991 तक कोई प्रशासनिक ढांचा प्रदेश में नहीं बनेगा, ऐसा केन्द्र ने कहा है । इसलिए इसको सत्य कर दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । एक घंटे यह इस पर बेकार बहस करेंगे ।

श्री पंचानन राय—

भौगोलिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि पूर्वी जिलों में गोरखपुर और बनारस मंडल को पुनर्गठित कर एक नया मंडल बना दिया जाए । 63 जिलों का यह प्रदेश है और इसमें 13 मंडल हैं । इस तरह एक मंडल में औसतन 5 से कम जिलें आते हैं । गोरखपुर में 7 और बनारस में 6 जिले हैं । यह भी आवश्यकता प्रतिपादित करता है कि इन दोनों मंडलों को तोड़कर एक नया मंडल प्रदेश में बनाया जाए । इस प्रदेश की जनसंख्या 11,08,62,013 है और इस जनसंख्या को 13 से बराबर-बराबर बांटा जाए तो एक मंडल में 85,27,847 जनसंख्या का औसत आता है और अकेले गोरखपुर मंडल की जनसंख्या 1,44,14,464 है और बनारस मंडल की जनसंख्या 1,21,62,933 है । तो जनसंख्या के आधार पर भी मेरी इस बात का पूरा औचित्य है कि गोरखपुर और बनारस के बीच में एक नया मंडल बनाया जाए । सबसे छोटा मंडल मुरादाबाद है, जिसमें केवल 3 जिले हैं और जिसकी जनसंख्या 62,67,288 है । इसी प्रकार यदि जनसंख्या के आधार पर न देखकर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बनारस मंडल का क्षेत्रफल 27 हजार वर्ग किलोमीटर है, गोरखपुर का क्षेत्रफल 24,685 वर्ग कि0 मी0 और मुरादाबाद मंडल का क्षेत्रफल मात्र 13,182 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल के हिसाब से भी औचित्य बनता है । गोरखपुर और बनारस मंडल को मिलाकर तीसरा मंडल सृजित कर दें । जनसंख्या के आधार पर बनता है, जिलों की संख्या के आधार पर बनना है । मुरादाबाद मंडल में 5719 गांव हैं, गोरखपुर में 19665 गांव हैं, बनारस में 14238 गांव हैं । गांव की संख्या के हिसाब से इसका औचित्य है । मान्यवर, ब्लाक के हिसाब से देख लें । मुरादाबाद में 36 ब्लाक हैं, बनारस में 95 ब्लाक हैं और गोरखपुर में 122 ब्लाक हैं । ब्लाक के हिसाब से भी एक नया मंडल बनना चाहिए और मान्यवर, 7 जिले गोरखपुर मंडल में, 6 जिले बनारस मंडल में हैं । हमारे राजस्व मंत्री जी पुराने आदमी हैं, बहुत व्यग्र हैं इसलिए मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म करना चाहता हूं । हमारे मुख्य मंत्री जी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी बनते हैं उनकी मूर्ति उन्होंने विधान सभा के सामने स्थापित करा दी है । 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय बड़े भारी पोस्टर छपवाये गये और आजमगढ़ में लगाये गये थे कि "मैं बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं—चौ0 चरण सिंह" । मान्यवर, आजमगढ़ जिले का बहुत महत्व है । स्वतन्त्रता संग्राम में इस जिले के अनेक लोगों ने हिस्सा लिया । मान्यवर, राहुल सांस्कृत्यायन और हरिऔध की यही जन्मभूमि है । अल्लामा शिब्ली नोमानी भी यहीं की विभूति थे । न्याय के क्षेत्र में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश देने का गौरव आजमगढ़ को ही प्राप्त है । कांग्रेस पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आजमगढ़ को एक नया मण्डल बनाया जायेगा । मान्यवर, मैं आग्रह करता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से आजमगढ़ जिले को एक मण्डल बनाया जाय, इस जिले की सीमा मण्डल मुख्यालय से 160 किलोमीटर पड़ती है । वहां की जनता

को तकलीफ होती है। इसलिए जनहित में आजमगढ़ को नया मण्डल बनाने की घोषणा की जानी चाहिए। इस ओर में आपका ध्यान और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम शरण—

मान्यवर, माननीय पंचानन राय जी ने जो मामला उठाया है कमिश्नरी का उसके विषय में पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि यह पहली सरकार के विचार में रहा है। आजमगढ़ और सहारनपुर दो डिवीजनों की घोषणा उन्होंने अपने कैबिनेट में पास करा दी थी। पहले आजमगढ़ में गाजीपुर, बलिया, मऊ मिलाने की बात थी। लेकिन नारायण दत्त तिवारी ने उसको स्थगित कर दिया। तीन जिलों, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर और हरिद्वार को स्थगित कर दिया। उनके बाद सरकार बदल गयी। जनगणना का वर्ष शुरू हुआ। भारत सरकार की तरफ से प्रतिबन्ध लग गया है कि कोई कमिश्नरी, नया तहसील, नया मण्डल 30 जून, 1991 तक नहीं बनेगा। उसके बाद आप बहस कर लीजियेगा। तब तक चाहे जनसंख्या एक अरब हो जाये चाहे दो अरब हो जाये। 30 जून, 1991 तक न कोई तहसील बन सकती है न परगना और न जिले को कमिश्नरी बनाया जा सकता है। बाकी राम-राम। आराम से घर जाओ।

(हंसी)

अब इसमें कोई प्रश्न न करें। 30 जून, 1991 के पहले इसमें कुछ नहीं होना है।

(व्यवधान)

श्री महावीर सिंह राणा—

क्या सहारनपुर को 30 जून, 1991 के बाद जो उद्घोषित है तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा, उनकी घोषणा करेंगे।

श्री राम शरण—

अगर प्रतिबन्ध न होता तो मैं घोषणा कर देता, इसमें 30 जून, 1991 के बाद निर्णय होगा।

(व्यवधान)

श्री महावीर सिंह राणा—

मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि 30 जून, 1991 तक कोई भी नई कमिश्नरी, कोई भी नये जनपद का सृजन नहीं होगा तो क्या आजमगढ़ का नहीं होगा या 30 जून, 1991 से पहले किसी का नहीं होगा। क्या राजस्व मंत्री जो सहारनपुर को कमिश्नरी बनाने पर विचार करेंगे। जो कि उद्घोषित है तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा क्या उसकी घोषणा करेंगे।

श्री राम शरण—

कुछ तहसीलें ऐसी हैं जो राजस्व परिषद् में पेंडिंग हैं और राजस्व परिषद् उसमें विचार कर रहा है, लेकिन नई तहसील, नये जिलों की घोषणा 30 जून, 1991 के बाद ही की जाएगी। सहारनपुर के बारे में पहले कैबिनेट में निर्णय हुआ है, इसको 30 जून, 1991 के बाद बताया जायेगा।

(श्री इम्तियाज मोहम्मद खां का नाम पुकारा गया)

श्री अधिष्ठाता—

इसमें काफी प्रश्न हो चुके हैं और इसमें मंत्री जी का जवाब भी आ गया है।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

आपने मुझे पुकारा है, मुझे बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)

श्री बापूलाल मारव—

मंत्री जी का जवाब आ गया और आपने भी इसमें कह दिया फिर यह कैसे बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

स्पष्टीकरण का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

सहारनपुर और आजमगढ़ के लिए घोषणा की है कि 30 जून, 1991 के बाद मंडल घोषित कर दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम शरण—

यह नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

क्या मान्यवर, इसमें मतदान करा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय पंचानन राय जी ने प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, एक घंटे की यह चर्चा थी। इसको रिप्लाई होनी चाहिये थी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने अन्तिम उत्तर दे दिया है। प्रश्न उपस्थित हो चुका है इसलिये आप चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आप पुराने सदस्य हैं, चर्चा मैंने इनीशिएट की थी, मेरा उत्तर तो होना चाहिये था।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

श्री पंचानन राम—

मान्यवर, आपने मुझे समय नहीं दिया, मुझे उत्तर देना चाहिये था, इसलिये इसके विरोध में सदन से त्याग करता हूं।

(श्री पंचानन राय कुछ सदस्यों के साथ सदन से त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता—

श्री विजय सिंह राणा, श्री किशन गोपाल, श्री नकली सिंह, श्री इम्तियाज मो0 खां, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री संत श्रीराम त्रिवेदी, श्री अमरेश चन्द्र पांडेय, डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी, डा0 दिनेश जौहरी, श्री चैनसुख भारती, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री बसन्त लाल गुप्ता, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री शिव प्रताप शुक्ल आदि माननीय सदस्यों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री विजय सिंह राणा की सूचना को वक्तव्य से लिये स्वीकार किया गया है। श्री विजय सिंह राणा की सूचना आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14 जून, 1990 को जनता दल कार्यालय, करौली अहीर को तोड़े जाने के सम्बन्ध में है। श्री किशन गोपाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

इक्यूपमेंट आफ साइंस एजूकेशन इन स्कूल योजना के अन्तर्गत हाई स्कूल/इन्टर कालेजों के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों के क्रय में घांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

मान्यवर, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित विज्ञान शिक्षा सुधार योजना के अन्तर्गत . . .

(पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें।)

(सदन की सहमति से शेष वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

[दिनांक 1 सितम्बर, 1989 को निदेशक, माध्यमिक को कुल 398·10 लाख रुपये अवमुक्त किये गये जिसमें से 123·60 लाख रुपये चयनित विद्यालय के पुस्तकालय (प्रति विद्यालय 15,000·00) के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान था।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा कतिपय विज्ञान की किताबें अंग्रेजी में तथा शेष भाषा में क्रय करने चाहिये। भारत सरकार द्वारा पुस्तकों की सूची भी उपलब्ध करवायी गयी है एवम् यह भी कहा गया ह कि राज्य सरकार को पुस्तकों के प्रकाशकों से सम्पर्क करके चयनित पुस्तकों का अनुवाद राज्य भाषा में करा लेना चाहिये।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुस्तकों के चयन हेतु निदेशक, एस० सी० ई० आर० टी० की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित है । समिति का प्रारूप निम्न प्रकार है :—

1—निदेशक, एस० सी० ई० आर० टी०	अध्यक्ष
2—शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा नामित विज्ञान विषय के तीन अध्यापक	सदस्य
3—शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित डिग्री स्तर के विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षक	सदस्य
4—एम० सी० ई० आर० टी० के प्रतिनिधि	सदस्य
5—निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	सदस्य
6—पाठ्य पुस्तक अधिकारी	सदस्य—सचिव

उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक 6 नवम्बर, 1989 तथा दिनांक 30 नवम्बर, 1989 को हुई थी । समिति की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक, शिक्षा (प्रशिक्षण) ने की थी एवम् तत्कालीन निदेशक, एस० सी० ई० आर० टी० द्वारा यह सूची दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 को निदेशक, माध्यमिक को भेजी । चयनित सूची में कुल 347 पुस्तकें थी जिसमें से हिन्दी भाषा की 232 तथा अंग्रेजी भाषा की 115 पुस्तकें हैं जिनके एक सेट का मूल्य 16936·50 रुपया है । पुस्तकों के एक सेट के मूल्य में हिन्दी भाषा की 232 पुस्तकों का मूल्य 5476 तथा अंग्रेजी भाषा की 115 पुस्तकों का मूल्य 11460 है जो कुल मूल्य का क्रमशः 33 प्रतिशत और 67 प्रतिशत है । शिक्षा निदेशक द्वारा 123·6 लाख रुपये सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को अपने कार्यालय-पत्र, दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 द्वारा चयनित पुस्तकों की सूची सहित अवमुक्त किये एवं पत्र की प्रतिलिपि पुस्तकों की सूची सहित डीलर/वितरक/स्टाकिस्ट को इस निर्देश के साथ ही कि सम्बन्धित जनपदों को पुस्तकें प्रेषित करें । भारत सरकार द्वारा इंगित विशा निर्देश में यह उल्लिखित है कि चूंकि पढ़ाने का माध्यम स्तर पर राज्य भाषा है अतः सम्बन्धित राज्य सरकार को कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में तथा शेष राज्य भाषा में खरीदनी चाहिये । भारत सरकार के मार्गदर्शक के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत पुस्तकें राज्य भाषा में होनी चाहिये ।

जो किताबें भारत सरकार की सूची में नहीं हैं वे भी यदि उपयुक्त पायी जायें तो क्रय की जा सकती हैं । भारत सरकार के विशा निर्देश में यह भी इंगित है कि सम्बन्धित राज्य सरकार प्रकाशक से सम्पर्क करके चयनित पुस्तकों का राज्य भाषा में अनुवाद करा लें ।

निदेशक, माध्यमिक के कार्यालय पंत्रांक, दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 में इंगित 3 सबसे अधिक धनराशि की पुस्तकें जो कि अंग्रेजी भाषा में हैं, क्रमशः

	रु०
"इन साइक्लोपीडिया आफ एनिमल बर्ड (यू०पी०एस० पब्लिसर)	1450
बायालोजी (प्रिन्टस हाल) मूल्य	754
एनवायरमेन्टल साइन्स (प्रिन्टस हाल) मूल्य	645

पुस्तकों का चयन पूर्ववर्ती सरकार के समय का है, हमारी भाषा नीति घोषित होने के पूर्व का ।

जहां तक प्रोत्थान किये जाने का वर्णन है इस सम्बन्ध में जांच करा ली जावेगी ।]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहते हों तो करें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह वक्तव्य जो काफी लम्बा-चौड़ा है उस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुल कितने रुपये की पुस्तकें खरीदी गयीं । अंग्रेजी माध्यम की कितने रुपये की खरीदी गयीं और हिन्दी माध्यम की पुस्तकें कितने रुपयों की खरीदी गयीं ।

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

मान्यवर, मैंने वक्तव्य में ही बताया है कि हिन्दी भाषा की 232 पुस्तकें तथा अंग्रेजी भाषा की 115 पुस्तकें हैं जिनके एक सेट का मूल्य 16,930.50 रुपया है । हिन्दी भाषा की 232 पुस्तकों का मूल्य 5476 तथा अंग्रेजी भाषा की 115 पुस्तकों का मूल्य = 11460 है जो कुल मूल्य का क्रमशः 33 तथा 67 प्रतिशत है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, कल बैठक हुयी थी । माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और सभी दल के लोग मौजूद थे । बैठक में तय हुआ था कि जो प्रश्न पूछे जायेंगे उनका उत्तर दिलाना पीठ का उत्तरदायित्व होगा । मैंने पूछा कि कितने रुपये की हिन्दी तथा कितने रुपये की अंग्रेजी पुस्तकें खरीदी गयीं जिसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया है । अगर इस उत्तर से पीठ संतुष्ट है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि आप समझते हैं कि उत्तर नहीं आया है तो उत्तर दिलवाइये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है केवल जोड़ने-घटाने की बात है । हिन्दी भाषा की 232 पुस्तकें तथा अंग्रेजी भाषा की 115 पुस्तकें खरीदी गयीं और एक सेट का मूल्य रु0 16,936.50 है पुस्तकों के एक सेट के मूल्य में हिन्दी भाषा की 232 पुस्तकों का मूल्य 5476.00 तथा अंग्रेजी भाषा की 115 पुस्तकों का मूल्य 11460 रु0 है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह वक्तव्य मैंने ध्यान से पढ़ा । यह बात सही है कि इसकी खरीद में भारी बंगलिंग की गयी, काम चलाऊ की कीमत की पुस्तकें ज्यादा पैसे में खरीदी गयीं, अंग्रेजी की पुस्तकें खरीद ली गयीं, जिसका कोई उपयोग नहीं होगा, मात्र ये पुस्तकें लाइब्रेरी में ही रख दी जायेंगी । यह सब पिछली पुरानी सरकार का है, लेकिन अब जिम्मेदारी नई सरकार की है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने तो यह गलती किया था । यह जो पुस्तक

खरीदी गयी यह डेढ़ हजार रु0 की है और यह बिलकुल बेकार पुस्तक है, जो पुरानी सरकार ने गलती की है, माननीय मंत्री जी यह घोषणा करें कि अब उसको नहीं दोहराया जायगा। और भारत सरकार इसमें बाधक होगी, तो उस पर दबाव डाला जायगा। जिससे कि गलत किताबें न खरीदी जायं।

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

मैं आभारी हूं माननीय गुप्ता जी का कि उन्होंने वक्तव्य पूरा ध्यान से देखा है और पढ़ा है। हमारी नीति हिन्दी के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट है। भारत सरकार का दबाव भी आता है, तो आड़े हाथों नहीं आवेगा। भविष्य में जो भी खरीद होगी, हिन्दी की उपयोगी पुस्तकें हम लेने का प्रयास करेंगे। अगर अंग्रेजी पुस्तक कोई आवे, तो उसका हिन्दी अनुवाद आवे।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, भारत सरकार का इसमें बहाना तो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 भारत सरकार का है और एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 से तय हुआ कि कौन पुस्तकें खरीदी जायेंगी और सरकार का बड़ा दावा है कि कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। अब मंत्री गणित राजेन्द्र त्रिपाठी जी से समझ लें। यह तो 21 दिसम्बर को जनता सरकार बनने के बाद फैसला हुआ। 67 प्रतिशत अंग्रेजी माध्यम से की किताबें हैं, किताबें कम खरीदी गयीं और मूल्य ज्यादा है। मंत्री जी नौकरशाही के सहारे कब तक काम चलायेंगे? जो समिति है, उसमें कोई भी जनता का प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। शिक्षण विभाग के अफसरों के सहारे कब तक काम चलेगा? अंग्रेजी की पुस्तकें किस आधार पर खरीदने का निर्णय लिया गया?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अंग्रेजी की किताबें खरीदी गयीं, इससे मैं स्वयं आश्चर्यजनक हुआ। दूसरा मान्यवर, जो चयनित पुस्तकें हों कि उसे मैं भारत सरकार को दिलवा लूंगा। हिन्दी की पुस्तकें भी खरीदी होंगी, वही हमारे लिये लाभकारी होंगी। आपसे यह मेरा निवेदन है कि इसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से दी गयी हैं।

श्री पंचानन राय—

अब मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि पुरानी सरकार के भूत मंत्री भी पर सरकार हैं, क्योंकि तब से उधर ही थे, उसमें भी वह भागीदार थे, कांग्रेस पार्टी से ही ऊपर गये हैं। इन किताबों का खरीदने का आदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा किस तारीख को दिया गया और किस आदेश संख्या से निर्गत हुआ और उस दिन किस पार्टी का राज्य था?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

मान्यवर, 21 दिसम्बर, 1989 को आदेश शिक्षा निदेशक ने निर्गत किये हैं लेकिन चयन हो चुका था, सारी फार्मेलिटीज हो गयी थीं, आदेश निर्गत होने में समय लगा था। पुरानी करतूत छिपाने की कोशिश न करें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 21 दिसम्बर को कांग्रेस का राज्य था तो अब हमको कोई सवाल नहीं पूछना है।

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री पंचानन राय—

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री पंचानन राय सदन त्याग कर चले गये ।)

अंशकालिक नलकूप चालकों की न्यायोचित मांगों की शासन द्वारा उपेक्षा किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मद संख्या 13 पुकारे जाने पर और सिंचाई मंत्री के उपस्थित न रहने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, सिंचाई मंत्री जी नलकूप चालकों से वादा कर चुके हैं इसलिए मारे शर्म के यहां नहीं आये हैं ।

(वक्तव्य पढ़ा गया)

शिक्षा मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी)—

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही राजकीय नलकूप परियोजना के अन्तर्गत निर्मित हो रहे नलकूपों एवं राजकीय नलकूपों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु अंशकालीन नलकूप चालक रखे गये हैं । अंशकालीन नलकूप चालकों को सामान्यतः ढाई घंटे कार्य करना पड़ता है । वर्ष 1985 से इन अंशकालीन नलकूप चालकों को रु0 299 प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जा रहा है । राज्य सरकार के अन्य पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित हो जाने एवं मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप सिंचाई विभाग के अंशकालीन नलकूप चालकों द्वारा वेतन-वृद्धि किये जाने की निरन्तर मांग की जाती रही है । इस परिपेक्ष्य में तत्कालीन सिंचाई मन्त्री जी द्वारा 28 फरवरी, 1989 को माननीय सदन को यह अवगत कराया गया था कि विभाग द्वारा अंशकालीन नलकूप चालकों को ग्राम समाओं के अन्तर्गत करने तथा उनके मानदेय में वृद्धि के बारे में विचार किया जा रहा है । यह आश्वासन सदन की आश्वासन समिति के समक्ष अभी लम्बित है वर्तमान सरकार द्वारा इस प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक यह विचार किया गया कि अंशकालीन नलकूप चालकों को मिल रहे वेतन में वृद्धि की जा सकती है तथा उन्हें अधिकाधिक घंटों नलकूप चला कर सिंचाई में वृद्धि किये जाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप कुछ धनराशि अलग से भी दी जा सकती है । परन्तु अंशकालीन नलकूप चालकों के वेतन में वृद्धि करने एवं उन्हें मानदेय दिये जाने के फलस्वरूप सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा । सरकार के वित्तीय संसाधन सीमित हैं सरकार इस बढ़े हुये वित्तीय भार को किस प्रकार वहन करेगी यह महत्वपूर्ण एवं विचारणीय बिन्दु है । अतः अंशकालीन नलकूप चालकों के वेतन-वृद्धि का प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है ।

जहां तक अंशकालीन नलकूप चालकों की सेवाओं के नियमितीकरण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि चूंकि इन्हें नलकूपों पर 2 1/2 घंटे ही कार्य करना पड़ता है तथा यह उसी गांव में होते हैं जिस गांव में नलकूप होता है, इसलिये सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981 से अंशकालीन नलकूप चालक ही रखे जा रहे हैं । विभाग में जो पूर्णकालिक नलकूप चालक हैं वे भी प्रतिदिन 2–3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करते हैं और न ही 2–3 घंटे से अधिक कार्य करने की आवश्यकता होती है । इसलिये सिंचाई विभाग में पूर्णकालिक नलकूप चालकों के स्थान पर अंशकालीन नलकूप

चालक ही अब रखे जाने लगे हैं । अंशकालीन नलकूप चालकों के रखने से विभाग का व्यय भार पूर्णकालिक नलकूप चालकों की तुलना में कम रहा है । इससे विभाग ने 1985 से यह नीति अपना ली है कि जैसे-जैसे पूर्णकालीन नलकूप चालक सेवा-निवृत्त होते है या सेवा छोड़ देते हैं उनकी जगह केवल अंशकालीन नलकूप चालक ही रखे जायें । इस प्रकार सिंचाई विभाग में जब पूर्णकालिक/नियमित नलकूप चालकों के स्थान पर अंशकालीन नलकूप चालकों को ही रखने की नीति अपना ली गयी है तब इन अंशकालीन नलकूप चालकों की नियमित से किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माध्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्ता जी यह केवल वक्तव्य के लिए था ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाव चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
10 जुलाई, 1990 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थो 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर)

विभागीय पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की प्रति चयन वर्षवार अलग-अलग संख्या—

क्र० सं०	वर्ष	संख्या
1	1970-71	4
2	1971-72	चयन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं।
3	1972-73	
4	1973-74	4
5	1074-75	28
6	1975-76	11
7	1976-77	19
8	1977-78	02
9	1978-79	33
10	1979-80	45
11	1980-81	62
12	1981-82	65
13	1982-83	68
	×	
14	1983-84	46

× प्रवर वर्ग सहायक की रिक्तियों में आयोग द्वारा दिनांक 30 जून, 1984 की रिक्तियों में ही चयन सम्पन्न हुआ है।

— नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

तत्कालीन विधान परिषद् सदस्य श्री खान अब्दुल बदूद खां के पत्र संख्या 292/96, दिनांक 16 जनवरी, 1910 में दिये गये बिन्दुओं पर आख्या :

सर्वश्री नेशनल इण्डस्ट्रीज एण्ड फ्रैब्रीकेटर्स, गाजियाबाद को बिक्रीकर अधिकारी द्वारा टायर के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में पूर्ण कर मुक्त के साथ लोहा खरीदने हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु व्यापारी ने वायर का निर्माण न करके आयरन नेल्स का निर्माण किया है। इस प्रकार से व्यापारी द्वारा धारा 4-ख की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस उल्लंघन के लिए व्यापारी के विरुद्ध अर्थदंड की कार्यवाही की गई। बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है :—

बिन्दु 1—कि करदाता ने तीनों वर्षों में खरीद पर कितने रुपयों का लाभ उठा लिया, जबकि इस लाभ को उठाने का अधिकारी की राय में वह करदाता पात्र नहीं था।	व्यापारी ने आलोच्य अवधि में रुपया 26,314.58 का लाभ उठाया।
बिन्दु 2—कि जिस अधिकारी ने मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र जारी किया था, उसको क्या दण्ड दिया गया। यदि नहीं, तब क्यों ?	मान्यता प्रमाण-पत्र निर्गत करने अधिकारी का दोष नहीं था इसलिए दण्ड का प्रश्न नहीं उठता।
बिन्दु 3—कि अधिकारी ने अर्थदण्ड के आदेश, किस तारीख को पारित किये थे। क्या उसको ज्ञात था कि वह कानूनन अर्थदण्ड लगा सकता है। मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र रद्द कराने अथवा संशोधित कराने के लिए स्टेट रिवीजन क्यों और कैसे दायर नहीं किया गया।	अर्थदण्ड आदेश...., दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 को पारित किया गया। उस समय तक विधि की कोई ऐसी व्याख्या जानकारी में नहीं आई थी, जिसके अनुसार अधिकारी को अर्थदण्ड लगाने का अधिकार न हो। क्योंकि मान्यता प्रमाण-पत्र को रद्द किये जाने अथवा न किये जाने के विषय में कोई आदेश पारित नहीं हुआ था, इसलिए स्टेट रिवीजन का प्रश्न पैदा नहीं होता।
बिन्दु 4—कि क्या उपायुक्त (शा0) व सहायक आयुक्त (शा0) ने अपने निरीक्षण में अधिकारी के गलत कार्य को देखा? यदि नहीं, तब क्यों ?	अभी तक उपायुक्त (शा0)/सहायक आयुक्त (शा0) के निरीक्षण में इस पत्रावली के आने की सूचना उपलब्ध नहीं है।
बिन्दु 5—कि क्या उपायुक्त (शा0) व सहायक आयुक्त (शा0) अपने निरीक्षण में इस गलती के कार्य को देखते, तब क्या परिणाम होता ?	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पूर्व अर्थदण्ड लगाने का अधिकारी न होने की कोई व्याख्या विभाग की जानकारी में नहीं थी। अतः यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

विन्दु 6—कि सहायक आयुक्त (शा0) व उपायुक्त (शा0) ने राजस्व की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कार्यवाही की। यदि नहीं की, तब उनके प्रति क्या कार्यवाही की गई है ?

उपायुक्त (शा0)/सहायक आयुक्त (शा0) द्वारा इस विषय में कोई अन्य कार्यवाही किय जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है। माननीय अधिकरण तक विफोकर अधिकारी के आदेश का समर्थन होने के कारण इन अधिकारियों द्वारा कोई अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता० प्र० सं० 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर)

विचारित मुख्य बिन्दु	कृत कार्यवाही
1	2
1—संस्था के कतिपय कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में शिकायत	हीवेट पालीटेक्निक एक अनुदानित संस्था है जिसमें वर्तमान में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त हैं। सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक/प्रधानाचार्य को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इनमें से एक मामले में प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा कार्यवाही होनी थी जिसको प्राविधिक शिक्षा परिषद को संदर्भित कर दिया गया है।
2—संयुक्त निदेशक (मध्य क्षेत्र) प्राविधिक शिक्षा के विरुद्ध शिकायत	तत्कालीन संयुक्त निदेशक-प्राविधिक शिक्षा को पदावनीत हो गई है।
3—भूमि एवं बाग का अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में	मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
4—सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री एस० ए० अतहर एवं श्री एम० ए० अब्बासी द्वारा आवास न खाली किए जाने का प्रकरण	दोनों मामले माननीम न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा कर्मचारियों को स्थगनादेश प्राप्त हैं।
5—आई० आर० डी० लेखों की जांच	आई० आर० डी० लेखों का विभागीय आडिट कराया जा चुका है एवं आडिट आपत्तियों के निराकरण हेतु निदेशक द्वारा प्रधानाचार्य को निर्देश दे दिए गए हैं।
6—संस्था के कतिपय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति के प्रकरण	नियुक्ति अधिकारी प्राधिकृत नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक द्वारा निर्देश दे दिए गए।
7—श्री एम० एस० कटियार के चयन के अनुमोदन का प्रकरण	श्री एम० एस० कटियार के चयन का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
8—श्री श्यामलाल की जन्म तिथि की जांच कर सेवा समाप्ति का प्रकरण	श्री श्याम लाल दिनांक 31 जुलाई, 1989 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

1	2
9—कर्मचारियों की समस्याएं	उपलब्ध सूचना के अनुसार—
	1—समय से वेतन वितरण किया जा रहा है।
	2—बोनस एवं महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया गया है।
	3—बोनस एवं महंगाई भत्ते को छो० पी० एफ० से सम्बन्धित धनराशि कर्मचारियों के खातों में जमा करा दी गई है एवं पास बुकें भी बनवा ली गई हैं।
	4—कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें भी पूर्ण कर ली गई हैं।
	5—वेल्डिंग टेक्नोलाजी लैब एवं संस्था के अन्य लैब हेतु रु० 7,00,000 की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त कर ली गई है।
	6—अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रोन्नत कर आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया है।
	7—प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा अनुमन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी की सुविधा प्रदान कर दी गई है।
	8—विनियम जिसमें सेवा नियमावली शामिल हैं, बनाने हेतु निदेशक एवं सचिव परिषद् को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
10—संस्था के तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में	कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियां समाप्त करने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक को निदेशक द्वारा आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

अनुबंध 'ब'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

दिनांक : 1 मई, 1990 से 14 मई, 1990 तक माननीय मुख्य मंत्री की द्वारा की गई यात्राओं का विवरण

दिनांक	स्थान
5-5-1990	लखनऊ -इटावा-लखनऊ ।
6-5-1990	लखनऊ -फतेहपुर-सरोला-झांसी-कानपुर-उन्नाव-लखनऊ ।
7-5-1990	लखनऊ -मुंडरवा-गोरखपुर-गंगाटोला-महराजगंज-बलिया-गाजीपुर-लखनऊ ।
8-5-1990	लखनऊ -आगरा-मथुरा-अलीगढ़ -इटावा-मैनपुरी-लखनऊ ।
9-5-1990	लखनऊ -कानपुर-जरौली -टिनी-फतेहपुर-कानपुर-लखनऊ ।
10-5-1990	लखनऊ-मिर्जापुर-एम0 मुदाव-सिकाल्डीह-जौनपुर-प्रतापगढ़-इलाहाबाद-लखनऊ ।
11-5-1990	लखनऊ-रामसनेहीघाट-बहहपुर-केसरगंज-मिनगा-सुल्तानपुर-इलाहाबाद-लखनऊ ।
12-5-1990	लखनऊ-सीतापुर-हरदोई-बरेली-फर्रुखाबाद-डिबियापुर-लखनऊ ।
13-5-1990	लखनऊ-देहरादून-उत्तरकाशी-टिहरी-तोकीताल-गरेलो-बाजपुर-सफाखाना-लखनऊ ।
14-5-1990	लखनऊ-इलाहाबाद-लखनऊ ।

पी0 एस0 यू0 पी0—22 वि0 सभा—4-10-1990—813 (पी0 डी0)